(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 8] सप्तम् विधान सभा के अष्टम् सत्र का दुसरादिवस [संख्या 2

मंगलवार

दिनांक 6 मार्च, 1984

विधान सभा की बैठक म. पू. 11 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई,

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री नाथूसिंह, श्री भवरलाल शर्मा, श्री कैलाश मेघवाल एवं श्री गुलाबचन्द कटारिया।

रामसिंह कमीशन की जांच रिपोर्ट

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) **श्री भंवर लाल शर्मा** (हवामहल), **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) व **श्री गुलाबचन्द कटारिया** (उदयपुर) : क्या राजस्थान नहर परियोजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-,

(1) रामसिंह कमीशन कब नियुक्त किया गया था व क्यों? इस कमीशन ने किन-किन को दोषी पाया व किन-किन आरोपों में? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार ने किन-किन के विरुद्ध क्या क्या कार्यवाही, कब-कब की? बाकी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

राजस्थान नहर परियोजना मंत्री (श्री चन्दन मल बैद) : (1) रामसिंह कमीशन दिनांक 8 अगस्त, 1978 को नियुक्त किया गया था। आन्तरिक आडिट रिपोर्ट 1972-74 में अनियमितताएं पाई गई थीं एवं सीमेन्ट का गबन, हिसाब रखना इत्यादि की शिकायतें प्राप्त होने पर कमीशन को नियुक्त किया गया था। कमीशन ने जिन अधिकारियों का उल्लेख किया है व उनके विरुद्ध जो शिकायतें पाई हैं - उनका विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) अप्रेल, 1979 से मार्च, 1980 तक आयोग के प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद उनका परीक्षण करके निर्णय लिया गया कि जिन अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ बहुत ही गम्भीर आरोप हैं उनके विरुद्ध सी. सी. ए. नियम 16 में कार्यवाही की जाये तथा यदि मामले बहुत ही अधिक गम्भीर हों तो उन्हें भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को सौंप दिया जावे। कुल 11 प्रतिवेदन भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को सौंपे गये हैं।

सातवीं विधान सभा के पांचवें सत्र में यह आश्वासन दिया गया कि जो मामले बहुत ही गंभीर हों, उनमें दोषी पाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों को राज्य सेवा से अनिवार्य सेवा निवृत्ति दी जावेगी और यदि वे अधिकारी/कर्मचारी ऐसी परिभाषा में नहीं आते हों तो उन्हें निलम्बित किया

Page No. 2

(श्री चन्दनमल बैद)

जावेगा तथा इसके साथ ही साथ विभागीय जांच एवं पुलिस कार्यवाही भी चालू रहेगी।

तत्पश्चात प्रतिवेदन सं. 1 से 4 का गहराई से परीक्षण किया गया और उनमें पाये गये दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों में से 19 निलम्बित हैं। 2 अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ बृहत दण्ड (मेजर पेनल्टी) के लिये आरोप एवं आरोप विवरण-पत्र दिये जा चुके हैं और 3 अधिकारियों कर्मचारियों को बृहत दण्ड के लिये आरोप एवं आरोप विवरण-पत्र दिये जा रहे हैं।

प्रतिवेदन सं. 5 में गंभीर चार्ज न पाये जाने से कार्यवाही समाप्त की जा चुकी है। प्रतिवेदन सं. 17 में केवल सुझाव हैं अतः किसी कर्मचारी के खिलाफ कार्यवाही नहीं की जानी है। शेष 12 प्रतिवेदनों पर कार्यवाही प्रतिवेदन सं. 1 से 4 तक दोषी व्यक्तियों के जवाब के परीक्षण के बाद यदि उचित समझा गया तो की जावेगी।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री नाथूसिह :-अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि जिन 193 इंजीनियर्स के बारे में राम सिंह आयोग ने रिपोर्ट दी है उनमें से 42 अधिकारियों के विरोध में तत्कालीन मुख्य सचिव श्री वली साहब ने अपनी पत्रावली पर उनके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये नोट लिखा था (नम्बर-1) नम्बर-2, क्या यह सही है कि जिन इंजीनियर्स के विरुद्ध कार्यवाही की गई है अब तक, या नोटिसेज दिये गये हैं वे केवल छोटे इंजीनियर्स हैं, बड़े इंजीनियर्स को छोड़ दिया गया है? और क्या दोषी अधिकारियों में वर्तमान चीफ इंजीनियर श्री ए. एस. कपूर का भी नाम है?

श्री अध्यक्ष : अनावश्यक रूप से किसी का नाम न लें।

श्री नाथूसिह : लिस्ट में नाम है।

श्री अध्यक्ष : लिस्ट में तो कई नाम होंगे।

श्री नाथूसिह : इसमें उनका नाम नम्बर 19 पर है।

श्री अध्यक्ष : एक अधिकारी का ही नहीं है, यह तो सामूहिक रूप से दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सरकार ने जो कार्यवाही की है उस हिसाब से है। किसी व्यक्ति का नाम लें तो यह तो बहुत ही खेदजनक है।

श्री नाथूसिह : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि जिन 23 अधिकारियों को नोटिसेज दिये गये थे उनमें से चार के तो नोटिसेज विथड्रा करके कार्यवाही वापस कर ली गई है? जिनके खिलाफ गंभीर आरोप थे उनकी कार्यवाही वापस ले ली गई। एक इंजीनियर जिस पर केवल 102 रु. का आरोप था, के खिलाफ केस वापस नहीं लिया गया और जिनके लाखों रुपये के गबन थे, उनको वापस ले लिया गया है। इंजीनियर्स के कार्यक्रम में जब आप गये तो यह भी कहा गया कि रामसिंह जांच आयोग से आप घबरायें नहीं, मैंने देख लिया है सब कुछ, तो मैं निवेदन करूंगा कि क्या आपकी इच्छा है कि जो दोषी पाये गये हैं उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही करेंगे? या फिर उनके केसेज को विथड्रा करने का विचार कर रहे हैं?

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, यह जो पूछा गया है कि तत्कालीन मुख्य सचिव श्री वली साहब ने कोई नोट लिखा है, 72 इंजीनियर्स के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये लिखा गया है तो मैं यह कहना चाहूंगा कि सरकार ने क्या निर्णय लिया, सरकार के निर्णय से उनका क्या मतलब है, पत्रावली पर क्या लिखा गया है और क्या नहीं लिखा गया है। मैंने सरकार का अन्तिम निर्णय बता दिया कि सरकार ने अब तक क्या किया।

दूसरी बात यह कही गई है कि छोटे इंजीनियर्स पर तो चार्ज लगाये हैं और बड़े इंजीनियर्स पर नहीं हैं। मैंने पहले ही निवेदन किया कि पहली चार रिपोर्ट्स पर कार्यवाही कर रहे हैं। उन चार रिपोर्ट्स में जिन-जिन पर दोष लगाये गये हैं उनका चार्ज-शीट दी गई है और सस्पेन्ड किया गया है। 23 लोगों को सस्पेन्ड किया गया है। जब चार्ज-शीट देने का सवाल आया तो चार पर मेजर दण्ड के आरोप सिद्ध नहीं होते थे, माइनर सिद्ध होते थे। अगर हम किसी एक रिपोर्ट को बीच में से उठाकर लेते तो आप कह सकते थे कि इस तरह करके फायदा देने की बात की गई है। रिपोर्ट संख्या एक, दो, तीन, चार से लिया गया है। इसमें जो भी दोषी अधिकारी अथवा कर्मचारी थे उनसे हमारी किसी से दुश्मनी नहीं, दोस्ती नहीं है। एक लाइन से ली है और कार्यवाही कर रहे हैं। जो इंजीनियर का नाम लेकर कहा गया है, मैं निवेदन करूंगा, यह केवल राम सिंह आयोग के फैक्ट्स फाइंडिंग रिपोर्ट पर है। हम किसी अधिकारी को दण्डित करने वाले नहीं हैं जब तक कि उसके विरुद्ध चार्ज साबित न हो जाय। रामसिंह आयोग फैक्ट्स फाइन्डिंग में ऐसे-ऐसे इंजीनियर्स का नाम लिया है जिनका चरित्र सन्देहपूर्ण नहीं हो सकता है तो हम दोषी कैसे मान लें?

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न था, क्या 72 इंजीनियर्स के बारे में तत्कालीन मुख्य सचिव महोदय ने नोट पुट-अप किया था?

श्री अध्यक्ष : इसका उत्तर दे दिया गया है। मुख्य सचिव या किसी अन्य अधिकारी ने नोट लिखा, वह सरकार के मार्ग दर्शन के लिये होता है। डिसीजन तो सरकार लेती है। उसके बारे में क्या नोट लिखा और क्या नहीं लिखा, इससे मतलब नहीं होता है।

श्री कटारिया।

श्री नाथूसिंह : जिन इंजीनियर्स के विरुद्ध भ्रष्टाचार विभाग में जो कुछ केसेज भेजे हैं उनके विरुद्ध क्या रिपोर्ट की है? क्या यह सही है कि भ्रष्टाचार विभाग ने अपनी रिपोर्ट में यह लिखा है कि कई लोगों ने अपने मकान आर. सी. पी. के सामान से बनवाये हैं? अध्यक्ष महोदय, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि बीकानेर में सादुलपुर कालोनी में 80 पर्सेन्ट इंजीनियर्स के मकान बने हुये हैं। भ्रष्टाचार विभाग ने जब जांच की तो उनके मकान में आर. सी. पी. की सीमेन्ट, टाइलें और ईंटों के नाम पाये गये हैं। 25 हजार की लागत से बना एक बाथरूम केवल एक इंजीनियर के पाया गया।

श्री अध्यक्ष : इसकी पूर्व सूचना देनी चाहिये थी, माननीय सदस्य, आप विषयान्तर हो रहे हैं।

श्री नाथूसिंह : क्या यह सही है कि जिन इंजीनियर्स के पास इस प्रकार की सम्पत्ति पाई गई है उनकी सम्पत्ति को भी सरकार असेस करवायेगी कि इतनी फालतू सम्पत्ति कहां से आई ? और उनके विरुद्ध कब कार्यवाही की जायगी ?

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न राम सिंह जांच आयोग व फैक्ट्स फाइन्डिंग आथोरिटी के बारे में है और उस बारे में पूछें तो मैं जवाब दे सकता हूं । किस इंजीनियर के मकान में क्या-क्या लगा हुआ है, उसके बारे में तो मैं जवाब नहीं दे सकता हूं ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बताया, 19 इंजीनियर्स को निलम्बित किया गया है । तो जो निलम्बित लोग हैं इनको पद के अनुसार विभाजन कर दीजिये कि कितने इंजीनियर हैं, कितने जूनियर इंजीनियर हैं, कितने एक्स. ईएन. हैं । केवल 19 लोगों के बारे में बता दीजिये ।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही निवेदन किया कि मैंने बीच में से रिपोर्ट नहीं ली है । जो 18 फैक्ट्स फाइन्डिग रिपोर्ट दी है उनकी जांच होनी चाहिये । जिस समय जनता पार्टी का राज था, रिपोर्ट आ गई थी । मैंने यह कहा है कि पहली चार रिपोर्ट जांच कर ली हैं । उनसे अच्छा नतीजा निकलता है तो मैं आगे और रिपोर्ट जांच करूंगा ।

मै यह बिल्कुल नहीं करूंगा कि सारे के सारे 193 अधिकारियों को सस्पेन्स में डाल दूं कि तुम आरोपी हो, तुम दोषी हो । इसीलिए पहली 4 रिपोर्टों में पाये गये दोषी अधिकारियो को आरोपित किया गया है ।

श्री अध्यक्ष : आपका प्रश्न यह है कि वह किस स्तर के अधिकारी थे ।

श्री चन्दनमल बैद : वह लिस्ट तो मैं सदन की मेज पर रख चुका हूं ।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न ।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, केवल 19 लोगों को निलम्बित किया गया है ।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, चार साल से रिपोर्ट विचाराधीन पड़ी है और अब भी सिर्फ 4 रिपोर्ट्स का परीक्षण कर रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, जब तक यह परीक्षण करेंगे तब तक तो अधिकारी रिटायरमेन्ट ले लेंगे । इस नहर का बंटाधार हो रहा है, करोड़ों रुपया इस प्रदेश की जनता पर लादा जा रहा है, व्यर्थ में जा रहा है सारा पैसा ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य । श्री कटारिया ।

श्री देवीसिंह भाटी : यह राज्य सरकार इस गरीब जनता को लूट रही है । जब रिपोर्ट 4 साल से पड़ी हुई है तो राज्य सरकार कोई कार्यवाही क्यों नहीं कर रही ? सिर्फ 4 रिपोर्ट्स पर चार साल में कार्यवाही हुई है ।

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं होगा ।

श्री देवीसिंह भाटी : इस प्रकार से सदन को गुमराह किया जा रहा है, पैसे को बर्बाद किया जा रहा है ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मेरा बिल्कुल स्पष्ट प्रश्न यह था कि 19 लोगों को आपने निलम्बित किया है तो उन 19 लोगों का

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

ग्रेडेशन पद के अनुसार क्या है ? मैं यही पूछ रहा हूं कि इसमें कितने एस. ई. थे, कितने ए. ईएन. थे और कितने जे. ईएन. थे और कितने बाबू थे ? आप उनके बारे में तो बता दीजिए।

श्री चन्दनमल बैद : उसमें दो ए. ई. एन. और 17 जे. ईएन. थे।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : शेम।

श्री चन्दनमल बैद : इसमें शेम की क्या बात है ?

श्री गुलाबचन्द कटारिया : रामसिंह आयोग ने जो कुछ भी फाइन्डिंग्स दीं, उस आयोग पर जो पैसा खर्च किया और जो कुछ उपलब्धि हुई उसमें सिर्फ जे. ईएन. ही दोषी हैं ? बाकी सारे ऊपर के अधिकारी इस 19 की सूची में नहीं हैं जिससे स्पष्ट होता है कि हमने सारा दण्ड सबसे नीचे के अधिकारियों के ऊपर थोपकर सारी रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में डाल दिया।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : क्या इस सारी रिपोर्ट में राजस्थान में सिर्फ जे. ईएन. ही दोषी हैं ?

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। आप सवाल पूछिये।

श्री कैलाश मेघवाल : यह सारी जांच और रिपोर्ट का परीक्षण कब तक करवा देंगे ? यह बड़ा गम्भीर मसला है। क्या इस सारी जाच की कार्यवाही करने का विचार रखते हैं ?

श्री चन्दनमल बैद : 4 रिपोर्ट्स पर कार्यवाही शुरू कर दी गई है और उसका नतीजा आने के बाद ही दूसरी रिपोर्ट पर कार्यवाही की जायेगी।

श्री दाऊदयाल जोशी : आपने केवल 192 रुपये गबन करने वाले को ससपेण्ड किया है और लाखों रुपयों का गबन करने वाले को छोड़ दिया है, क्या यह सही है ?

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है। आॅर्डर प्लीज। श्री महावीर प्रसाद। अगला प्रश्न। मैं इजाजत नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है।

श्री अध्यक्ष : श्री महावीर प्रसाद। आसन पैरों पर है। कृपया बैठ जाय।

श्री नाथूसिंह : इतना महत्वपूर्ण मामला है। जब से आये हैं....

श्री अध्यक्ष : श्री महावीर प्रसाद।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : (नेता, प्रतिपक्ष) : क्या माननीय मन्त्री महोदय बतायेंगे कि जिन इंजीनियर्स के खिलाफ मामला ए. सी. डी. में दिया है या जिनको मेजर पनिशमेन्ट के लिए चार्ज-शीट दे दी गयी है या माइनर पैनल्टी के लिए इन्क्वायरी कर रहे हैं वह सारे अधिकारी आर. भी. पी. में काम नहीं कर रहे हैं ?

श्री चन्दनमल बैद : जो लोग ससपेण्ड हैं वह काम नहीं कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जिन लोगों के केस ए. सी. डी. में दिये हैं या जिन सी. सी. ए. रूल्स के अन्तर्गत कार्यवाही चालू की है या जिनको चार्ज शीट दे दी गयी है या माइनर पैनल्टी के मामले चल रहे हैं, वह सारे इंजीनियर आर. सी. पी. में काम नहीं कर रहे हैं ?

श्री चन्दनमल बैद : मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि कितने लोग आर. सी. पी. में काम नहीं कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जिन के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप हैं वह लोग आज भी आर. सी. पी. में काम कर रहे हैं।

श्री चन्दनमल बैद : मैं भ्रष्टाचार के आरोप नहीं मानता हूं जब तक भ्रष्टाचार प्रूव नहीं हो जाय। केवल इसलिए कि रामसिंह कमीशन ने, शाह कमीशन ने या बेरी कमीशन ने उसको लिफ्ट कर दिया तो मैं दोषी नहीं मानता, जब तक कि परीक्षण नहीं हो जाय और उनका जवाब नहीं ले लिया जाय मैं उन लोगों को दोषी नहीं मानता।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : गवर्नमेन्ट ने सारे मामले सोच समझकर ए. सी. डी. को दिये और मन्त्री महोदय ने स्वीकार किया कि सारी स्क्रीनिंग करने के बाद यह निर्णय लिया कि जिन 4 इंजीनियर्स को छोड़ा उनके खिलाफ एलीगेशन्स ऐसे नहीं हैं जिससे उनको चार्ज-शीट दे दी जाय।

श्री चन्दनमल बैद : सैक्शन i(A) में चार्ज-शीट दी गई है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं तो जानकारी करना चाहता था कि कोई न कोई तो केस था जिससे चार्ज-शीट दी। ए. सी. डी. में केस देने की भी केस था जिसके खिलाफ इस प्रकार की कार्यवाही की है। तो फिर आपने आर. सी. पी. से उन इंजीनियर्स को हटाया क्यों नहीं ?

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, जब तक आप किसी को दोषी करार नहीं दे उस समय तक हटाने का प्रावधान नहीं है, माइनर पैनल्टी से हटाने का प्रावधान नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या उन्हीं लोगों का दूसरी जगह पोस्टिंग किया जा सकता है ?

श्री चन्दनमल बैद : राजस्थान नहर में क्यों नहीं किया जा सकता, इसमें क्या तुक है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जिनके खिलाफ आरोप हैं वही आफीसर्स उसी पोस्ट पर रहे तो जांच कैसे होगी ?

श्री चन्दनमल बैद : पोस्टिंग का मतलब यह नहीं है कि जिस जगह जांच हो रही है उनको उसी जगह लगाया हुआ है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यही पूछ रहा हूं कि जिन अधिकारियों के ऊपर इस प्रकार के आरोप हैं वह लगे हुए कहां हैं ?

श्री चन्दनमल बैद : मैं नहीं कह सकता।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : फील्ड से हटाकर उनको वहां लगाया गया है जहां सारा रिकार्ड डील किया जाता है। ऐसी जगह लगा

Page No. 7

7

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

दिया जहां फर्जी मस्टर रोल को ठीक कर सकते हैं, जहां एकाउन्टस में रिवीजन करके ठीक कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप चाहें रामसिंह आयोग के लोगों को दोषी नहीं मानें लेकिन जिनको आप दोषी मानते हैं और उनके केस ए. सी. डी. में दिये जा सकते है, मेजर या माइनर पैनल्टी के लिए उनका वहीं पोस्टिंग किया गया है जहां वह अपने केस को हल्का कर सकते हैं। तो आपने उनको वहां क्यों लगाया ?

श्री चन्दनमल बैद : रामसिंह फैक्ट फाइंडिग कमीशन का जो रिकार्ड है वह उनके पास नहीं है। वह रिकार्ड सारा हैड आफिस में या जयपुर में है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : फैक्ट फाइंडिग कमीशन इस बात की नहीं थी और उसने रिकार्ड जब्त नहीं किया था।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक स्पष्टीकरण दे दूं कि जनता पार्टी के जमाने में सारी रिपोर्ट नहीं आयी थी। आपने प्रारम्भ में बताया कि कौन कौन सी तारीख को कौन-कौन सी रिपोर्ट आयी। फाइनल रिपोर्ट जनता पार्टी के शासन में नहीं पहुंची थी और हम इन्तजार कर रहे थे।

श्री चन्दनमल बैद : रामसिंह आयोग ने कुल 18 रिपोर्ट्स दी हैं जिनमें से 12-13 रिपोर्ट्स 1978-79 में आ गयी थीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : फाइनल रिपोर्ट नहीं आयी थी।

श्री चन्दनमल बैद : फाइनल रिपोर्ट कौन सी है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय मन्त्री महोदय उस रिपोर्ट को सदन की मेज पर क्यों नहीं रखते? उनको ऐसा करने में क्या दिक्कत है? आखिर वह राजस्थान की प्रापर्टी है। राजस्थान कैनाल आपकी या मेरी प्रापर्टी नहीं है। जिस रिपोर्ट का रैफरेन्स आप दे रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप उसे सदन की मेज पर रखें। आपने 18 रिपोर्ट्स में से 4 वर्ष में केवल 4 रिपोर्ट्स की स्क्रीनिंग की है और बाकी रिपोर्ट्स के बारे में कोई एक्शन नहीं लिया। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि माननीय मन्त्री महोदय को इस बात की जानकारी मिल जाय, सदन को जानकारी मिल जाय। वेरी कमीशन की रिपोर्ट पर भी अभी कोई एक्शन नहीं लिया लेकिन जब परसराम जी ने वेरी कमीशन की रिपोर्ट को सदन की मेज पर रख दिया तो यह क्यों नहीं रखी जाय ?

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, अभी विरोधी दल के नेता ने कहा जहां आप के आदमी लगे हुए हैं। मैं पहले कह चुका हूं और फिर जोर देकर कहना चाहता हूं, राम सिंह फैक्ट फाइंडिग कमेटी के रिकार्ड हमारे पास सचिवालय में मौजूद हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : रिपोर्ट के बारे में क्या है ? हाउस में रखवाई जाय। इसमें आपत्ति क्या है ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : यह सब जानबूझकर बचाने के लिये कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आयोग की रिपोर्ट थोड़े ही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उसी की रिपोर्ट है।

श्री अध्यक्ष : कमीशन आफ एन्क्वायरीज एक्ट के अन्दर कमीशन अपाइंट हुआ था ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत :उसके नीचे नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, यह जरूरी नहीं है। यह कमीशन क्यों अपाइंट हुआ, इसकी भूमिका यह है, अध्यक्ष महोदय, कि इस सदन में राजस्थान केनाल के बारे में आरोप-प्रत्यारोप लगाये गये। राज्य सरकार ने यह घोषणा की कि इसमें जांच करेंगे। मेम्बर्स की इच्छा के अनुसार रामसिंह आयोग नियुक्त किया गया। इस आयोग की रिपोर्ट आ चुकी है। यह सदन की प्रापर्टी है। जब रिपोर्ट्स आ गई तो सदन में रखते क्यों नहीं ? सबको तो नहीं, कई ऐसे चीफ इन्जीनियर्स हैं जिनको मैं जानता हूं, उनकी इन्टीग्रिटी को चैलेन्ज नहीं किया जा सकता, वे भी कटघरे में हैं। सारी रिपोर्ट आयेगी तो कम से कम सही चीज सामने आयेगी। इसलिये मैं रिक्वेस्ट करूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी व्यवस्था चाहूंगा....

श्री अध्यक्ष : मैं सोच-विचार कर निर्णय ले सकता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप तत्काल उत्तर देने वालों में से हैं।

श्री चन्दनमल बैद : विरोधी दल के नेता ने अपने सदस्यों की बात को काटा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने कहा है, कन्ट्रीब्यूट्री नेग्लिजेंस के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकते....

(व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : इस विधान सभा के मेम्बर्स फैक्ट फाइंडिंग आथोरिटी तक क्यों गये ?

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : जब से चन्दनमल जी आये हैं जानबूझकर बचाना चाहते हैं....

(व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : आपके दबाव में नही....

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य।

कृपया बैठ जाय। अगला प्रश्न।

एक माननीय सदस्य : रामसिंह आयोग की रिपोर्ट में सदन रखी जाये।

श्री अध्यक्ष : इस प्रश्न पर चर्चा समाप्त हुई। माननीय सदस्य, कृपया बैठ जाय।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

श्री दाऊदयाल जोशी : चन्दनमल जी की किस-किस से सांठ-गांठ हुई है....

(व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : आपके नेता भी उसमें शामिल हैं ।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर....

श्री गुलाबचन्द कटारिया : राजस्थान केनाल में भ्रष्टाचार हुआ है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। अंकित न हो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है। एक प्रश्न ने 25 मिनट का समय ले लिया।

अगला प्रश्न। श्री महावीर प्रसाद।

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने रूलिंग दी है, अंकित न हो। अंकित नहीं होने का नियमों में कोई प्रावधान नहीं है। कोई अथॉरिटी नहीं है। आप एक्सपंज कर सकते हैं। अंकित न हो, यह नहीं कह सकते। यह मेरा विनम्र निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : ऐसा आसन ने पूर्व में किया है, उन परम्पराओं के अनुसार है।

श्री राजबहादुर : जब तक नियमों में संशोधन न हो ....

श्री अध्यक्ष : नियमों में लचक रखनी पड़ती है जिससे कार्य का संचालन हो सकें। श्री महावीर प्रसाद।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, परम्पराएँ यदि गलत हों तो उन्हें समाप्त किया जाना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : आपके नेता भी शामिल हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, व्यर्थ में समय ले रहे हैं। श्री महावीर प्रसाद।

श्री नाथू सिंह : × × ×

श्री अध्यक्ष : श्री महावीर प्रसाद।

सआदत अस्पताल, टौंक को स्थापना के उद्देश्य

2. **श्री महावीर प्रसाद जैन** (टौंक) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

सआदत अस्पताल, टौंक के प्रांगण में महावीर मातृ शिशु कल्याण केन्द्र की स्थापना हेतु मुख्य मंत्री सहायता कोष से कितनी राशि किस समय दी गई ? महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा इसका उद्घाटन कब किया ? इसकी स्थापना के पीछे क्या उद्देश्य था एवं स्थापना करने के बाद क्या चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई गई ? नहीं, तो क्यों ?

चिकित्सा मंत्री (श्री खेतसिंह राठौड़): मुख्य मंत्री सहायता कोष से सआदत अस्प-

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री खेतसिंह राठौड़)

ताल, टौंक के प्रांगण में अधूरे निर्माण कार्यों को पूरा करने हेतु वर्ष 1980 में एक लाख रुपये की सहायता दी गई थी। इस राशि में से जिलाधीश ने 52,000 की राशि शिशु कल्याण केन्द्र भवन के निर्माण एवं अन्य मरम्मत कार्यों हेतु आवंटित की थी। महामहिम राज्यपाल ने इसका उद्घाटन 28-3-81 को किया था। इस भवन का उपयोग चिकित्सा सुविधाओं हेतु किया जा रहा है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि चिकित्सा सुविधा हेतु इसका उपयोग न करके जो डाक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, वे इसमें रहते हैं? जिस परपज के लिये इसका निर्माण किया गया था उनके लिये उपयोग न करके विभाग इसका दुरुपयोग कर रहा है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय यह भवन चिकित्सा विभाग की स्वीकृति के बिना ही बनाया गया है फिर भी....

श्री महावीर प्रसाद जैन : फिर एक लाख का मुख्य मंत्री कोष से अनुदान क्यों दिया गया?

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय मैंने सवाल के उत्तर में ही कहा है, एक लाख रुपया मरम्मत हेतु दिया गया है, शिशु कल्याण केन्द्र की स्थापना हेतु नहीं दिया गया है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप फिर पढ़िये।

श्री अध्यक्ष : उत्तर आने दीजिये।

श्री खेतसिंह राठौड़ : विरोधी दल के नेता अपने सदस्यों को डिसिप्लीन में रखें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था, महावीर स्वामी की 2500 वीं जयन्ती पर वहां के जैनी भाइयों से कुछ चन्दा शामिल किया गया था। उनकी यह रिक्वेस्ट थी, मातृ कल्याण केन्द्र के लिये हम खर्च कर सकते हैं। कलेक्टर साहब से मिल कर, हमारे विभाग की स्वीकृति लिये बगैर वहां यह भवन-निर्माण कर दिया गया। टौंक में एक जनाना अस्पताल है, शहर के बीच में है। टौंक की महिलाएं पर्दानशीन रहती हैं। यह अस्पताल लोगों को पसन्द है। यह थोड़ा सा बाहर था इसका उपयोग कर लिया तो क्या अन्याय कर लिया। इसका तीन तरह से प्रयोग किया जा रहा है। महिला नसबन्दी -30 शैया, औषधि वितरण और तीसरा, जो ट्रेनिंग में जाते हैं उनको वहां ठहराते हैं। तो क्या आपत्ति हो गई? इसके लिये आपने गत सत्र में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी रखा था उस वक्त भी मैंने फरमाया था।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, गत सत्र में मैंने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी दिया था यह सही है लेकिन उस पर चर्चा नहीं हुई थी और माननीय मंत्री महोदय ने कोई जवाब नहीं दिया था। यह जो भवन का निर्माण कराया

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

गया 2500 वें वर्ष के उपलक्ष में, मातृ सेवा और शिशुओं के इलाज के लिये इसका निर्माण हुआ और जो 1 लाख रुपये की सहायता दी गई वह इस भवन निर्माण के लिये दी गई। माननीय मंत्री महोदय ने गलत वक्तव्य दिया। इसमें भी जो जवाब दिया है वह यही है कि सआदत अस्पताल, टौंक के प्रांगण में अधूरे निर्माण कार्यों को पूरा करने के लिए एक लाख रुपये की सहायता दी गई थी। दूसरी बात यह है, माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि वहां पर जनाना अस्पताल कार्यरत है। वह 20 शैयाओं का अस्पताल टौंक जिला हैडक्वार्टर पर कार्यरत है। उस भवन की दुर्दशा ऐसी है कि डाक्टरों के बैठने के लिये जगह नहीं है, मरीजों के रहने के लिये जगह नहीं है। खुले आम वहां पर कुत्ते बैड्स पर जाकर बैठ जाते हैं और घूमते रहते हैं। इसलिये यह प्रपोजल आया है कि जनाना अस्पताल को यहां शिफ्ट किया जाये। जब कि मुख्य मंत्री कोष से एक लाख रुपया दिया गया, राज्यपाल महोदय ने उद्घाटन किया उस समय राज्य सरकार के मंत्री महोदय भी उपस्थित थे जो वहां गये थे।

तो इस भवन का सन् 1981 में उद्घाटन हो गया लेकिन इसका आज तक उपयोग नहीं किया गया। केवल नर्स और डाक्टर वहां ठहरते हैं। किसी प्रकार की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है जब कि टौंक में चिकित्सा सुविधाओं का अभाव है। तो क्या मंत्री महोदय जनाना अस्पताल को वहां शिफ्ट करने का आदेश देंगे? दूसरे जो अस्पताल हैं उनको क्रमोन्नत करेंगे?

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा कि मैंने उत्तर गलत दिया है। श्रीमान, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। राजस्थान सरकार, मुख्य मंत्री कार्यालय—आपके उक्त पत्र के सन्दर्भ में निम्नलिखित उत्तर भेजा जा रहा है। सआदत अस्पताल, टौंक के प्रांगण में महावीर मातृ शिशु कल्याण केन्द्र की स्थापना हेतु मुख्य मंत्री सहायता कोष से कोई राशि स्वीकृत नहीं की गयी है। यह उत्तर, माननीय सदस्य, चीफ मिनिस्टर के कार्यालय से आया है। आप गलत फरमा रहे हैं तो यह आपके दिमाग की उपज से ही आप फरमा रहे हैं। मैं गलत नहीं कह सकता हूं। मैं बहुत ही जिम्मेदार हूं।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप जिसके प्रति जिम्मेदार हैं सारा राजस्थान जानता है। चिकित्सा सुविधाओं के प्रति आप कोई जिम्मेदारी नहीं रखते हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। अगला प्रश्न।

श्री महावीर प्रसाद जैन : क्या उस भवन का उपयोग किया जायेगा? क्या जनाना अस्पताल को वहां शिफ्ट किया जायेगा?

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया (रतनगढ़): अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने यह कहा कि इस भवन का निर्माण बिना राज्य की स्वीकृति के हुआ। क्या बिना स्वीकृति के भवन निर्माण के लिए इतनी बड़ी राशि देना उचित था? एक प्रश्न।

(श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया)

दूसरा प्रश्न यह है कि माननीय मंत्री महोदय ने लिखित में तो यह दिया है कि अधूरे काम को पूरा करने के लिये यह राशि स्वीकृत की है जबकि मौखिक रूप से सदन को यह जवाब दे रहे हैं कि उसकी मरम्मत के लिये यह राशि दी गई है। यह परस्पर में दोनों भिन्न चीजें हैं। इसको कृपया स्पष्ट करें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने पूछा, मैने उत्तर में कहा था कि चूंकि हमारे अस्पताल के प्रांगण में भवन बना दिया गया इसलिये हमको लेना लाजिमी हो गया था। हम उस जमीन को नहीं छोड़ सकते। वह हमारी जमीन थी। कलेक्टर साहब ने समझा कि इतना पैसा यह है और कुछ पैसा जोड़ करके उन्होंने इस भवन को बना दिया। अब उसके बाद में दूसरी बात यह है कि मरम्मत के लिये दिया गया तो इस पर क्यों खर्च किया गया। यह कलेक्टर के डिस्क्रिशन से खर्च कर दिया है। आप चाहें तो मैं कलेक्टर साहब से पूछ लूं। वैसे पैसे का यूटिलाइजेशन हो गया है और भवन हमारे प्रांगण में बना था इसलियें हमने उसको ले लिया है और उसका उपयोग हो रहा है अन्य परपज के लिये नहीं होर हा है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : आपने लिखित में जवाब यह दिया है कि यह अधूरे कार्य के लिये दिया गया है और आप मौखिक रूप से सदन में यह बता रहे हैं कि यह मरम्मत के लिये दी गई राशि हैं। अधूरे कार्य का प्रश्न अलग है और मरम्मत कार्य का प्रश्न अलग है। कृपया स्पष्ट करें कि अधूरे कार्य की पूर्ति के लिये राशि दी गई है या मरम्मत के लिये दी गई है?

श्री खेतसिंह राठौड़ : अधूरे कार्य के लिये और मरम्मत के लिये।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। अगला प्रश्न।

श्री महावीर प्रसाद जैन : केवल जैनियों ने यह बनाया है या सरकार और चन्दनमल बैद भी उस समिति के सदस्य या अध्यक्ष थे? इस प्रकार का निर्णय लिया था कि 2500 वें वर्ष के उपलक्ष में इस प्रकार के सार्वजनिक उपयोग के लिये जगह-जगह भवन बनाये जाये और उसके अन्तर्गत इस समिति की अध्यक्ष महोदय, कलेक्टर की अध्यक्षता में मीटिंग हुई और निर्णय लिया गया कि वहां पर भवन का निर्माण कराया जाय। तो क्या उसी अनुरूप यह निर्माण हुआ? मैंने पूछा कि जो प्रसूता महिलाएं हैं और जिनको भर्ती होना है वह सआदत अस्पताल में जाती हैं? यह शहर के बीच में है। वहां पर भवन अधूरा है, वह पूरा पड़ता नहीं है। वहां पर शैयाऐं कम है और इसमें शैयाऐं भी अधिक हैं। तो क्या जनाना अस्पताल को वहां शिफ्ट करने का विचार है?

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को बहुत वेदना है। तो या तो असेम्बली सेशन के समाप्त होने पर आप और मै दोनो ही चलेंगे, और अगर आप मुझे साथ नहीं ले जाना चाहते हैं तो फिर मैं डायरेक्टर साहब को भेज दूंगा और वह रिपोर्ट दे देंगे उस पर कार्यवाही कर लेंगे।

Page No. 13

(13)

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री रंगजी मीणा।

श्री कैलाश मेघवाल।

राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा मालवीय नगर आवासीय योजना हेतु खरीद

3. श्री रंगजी मीणा (सपोटरा) **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान आवासन मण्डल की जयपुर में प्रारम्भ की गई मालवीय नगर आवासीय योजना हेतु सन् 1980 से 1982 के वर्षों में दरवाजे, खिड़कियों के गेट, मुख्य गेट व पार्क रेलिंग आदि की करीब 12 लाख रुपयों की खरीद कर कुल 12473 नग मंगाये गये थे ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस बारे में मण्डल के अधिकारियों द्वारा भौतिक सत्यापन करने पर कार्यस्थल पर केवल 10685 नग ही डिलीवर किया जाना पाया गया जब कि आर्डर के अनुसार कुल 12473 नगों का भुगतान ठेकेदार को कर दिया गया था ?

(3) यदि हां, तो इस भ्रष्टाचार के लिये कौन-कौन दोषी हैं और उनके विरुद्ध अभी तक क्या कार्यवाही की गई है ?

आवासन मंत्री (श्री दुलाराम) : (1) जी हां।

(2) भौतिक सत्यापन पर 1304 नग कम पाये गये जब कि भुगतान 12473 नगों का किया गया था।

(3) मौजूदा जांच से श्री जयन्त गोस्वामी, वरिष्ठ परियोजना अभियन्ता का दोष पाया जाने से उन्हें निलम्बित किया जा चुका है।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि यह भौतिक सत्यापन की जानकारी सक्षम अधिकारी आवासन बोर्ड को कब हो गई थी और उस जानकारी के बाद इस अधिशासी अभियन्ता को कब निलम्बित किया गया ? प्रश्न एक। दूसरा प्रश्न, क्या यह जो कम नग थे यह ठेकेदार ने ही कम दिये या वहां पर आने के बाद इस अभियन्ता ने इनको वहां से गायब करवा दिया ? क्या इसमें कोई भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत चीटिंग का मामला बनता है ? अगर पूरा माल नहीं पहुंचा और ठेकेदार ने बिल पूरे का बनाया है तो फिर यह चीटिंग का मामला बनता है। क्या इस दृष्टिकोण से भी आपने एग्जामिन नहीं किया ? तो आप क्या विचार रखते हैं और आवासन बोर्ड में अनुशासन के लिये कौन से नियम लागू हैं ? और क्या इन नियमों के तहत कार्यवाही की जा रही है ? क्या आरोप पत्र और उसका विवरण दे दिया गया है ?

श्री दुलाराम : माननीय अध्यक्षजी, आपने पहले तो पूछा कि कौन अधिकारी दोषी है और उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की। वह मैंने निवेदन कर दिया। भौतिक सत्यापन हो गया और जांच से करीब 1304

(श्री दुलाराम)

नग कम पाये गये। उस पर ए. ईएन., जिसको वह सामान आया और जिसने अपनी एम. बी. में दर्ज किया, को निलम्बित कर दिया है। आपने कहा है कि ठेकेदार भी दोषी है। तो इसके लिये हमने आयुक्त, आवासन मण्डल को नियुक्त किया है कि वह जांच करें। अगर ठेकेदार ने मिलकर गलत इन्द्राज करवाया है तो उसके खिलाफ भी कार्यवाही की जायेगी।

श्री कैलाश मेघवाल : भौतिक सत्यापन कब हुआ और निलम्बन की कार्यवाही करने में इतने विलम्ब का क्या कारण है ? आप नियमों के तहत कार्यवाही करेंगे तो वह क्या कार्यवाही करेंगे ? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने यह पूछा है कि क्या आरोप-पत्र और विवरण दिये जा चुके हैं ? यह बतायें।

श्री दुलाराम : मेरा निवेदन करना यह है कि इसमें कई नट बोल्ट हैं, पत्तियां हैं, दरवाजे हैं, और भी कई कई चीजें हैं। इस तरह की सब चीजों की गिनती करने में, लिस्ट से मिलान करने में समय लगता है। कम पाये जाने पर उसके खिलाफ कार्यवाही की गई है। एक-एक नग की गिनती करने में समय लगता है। मैं स्वयं स्वीकार करता हूं कि इसमें देरी हुई है और अब फिर कहूंगा कि जल्दी से जल्दी कार्यवाही करके दोषी के खिलाफ कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री कैलाश मेघवाल : यह जो कम माल आया है इसकी पूर्ति कराई गई ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप कई प्रश्न एक साथ पूछ रहे हैं जिनका उत्तर देना सम्भव नहीं है। आप एक बार में एक प्रश्न पूछ लीजिये।

श्री कैलाश मेघवाल : यह 1304 नग कम आये तो इन 1304 नगों की पूर्ति किससे कराई गई और उस पर आवासन मण्डल का कितना खर्च हुआ ?

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न है, माननीय सदस्य। आपने महत्वपूर्ण प्रश्न था वह छोड़ दिया। माल कब आया, उसका सत्यापन कब हुआ और उसके निलम्बन की कार्यवाही कब हुई, यह तीन प्रश्न थे उनको तो आप छोड़ गये।

श्री दुलाराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने एक अखबार में कटिंग पढ़ी तो मैंने जांच के आदेश दिये। आयुक्त ने इसकी जांच की और जांच करने पर 1304 नग एम. बी. के मुताबिक कम पाये गये। उन्होंने बड़ी ईमानदारी से और ढंग से जांच की। यह कहना कि ठेकेदार ने कम दिया या उसने....

(व्यवधान)

आप मेरी बात सुन लीजिये कृपा करके। ठेकेदार से माल आने पर वह एम. बी. में दर्ज कर लिया। इसलिये यह तो कैसे कह सकते हैं ठेकेदार ने कम दिया क्योंकि एम. में दर्ज है।

श्री दाऊदयाल जोशी : यह कौन पूछ रहा है। इसको निलम्बित कब किया ?

श्री दुलाराम : 5-3-84 को निलम्बित किया है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : भौतिक सत्यापन में 1304 नग कम पाये गये इसकी रिपोर्ट आपको कब मिली ?

श्री दुलाराम : मुझे तो अखबार से छपी खबर से जानकारी मिली।

श्री दाऊदयाल जोशी : भौतिक सत्यापन कब किया ?

श्री दुलाराम : मैंने निवेदन किया कि एम. बी. से जांच की....

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के खण्ड –2 में बताया गया है कि भौतिक सत्यापन से 1304 नग कम पाये गये जब कि ऑर्डर के अनुसार कुल 12473 नगों का भुगतान ठेकेदार को कर दिया गया था। यह भौतिक सत्यापन कब हुआ था ?

श्री दाऊदयाल जोशी : और किसने किया था ?

श्री दुलाराम : 18-1-82 को कमिश्नर ने भौतिक सत्यापन किया था।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, निलम्बित कब किया गया ?

श्री अध्यक्ष : अब काफी समय हो गया है, और भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं।

श्री देवदत्त तिवाड़ी।

बाड़मेर एवं बाड़यतु पंचायत समितियों की प्राथमिक शालाओं में अध्यापकों की कमी

4. **श्री देवदत्त तिवाड़ी** (बाड़मेर) : क्या पंचायत राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि एक प्राथमिक शाला और कम से कम एक अध्यापक के सिद्धान्त का पालन बाड़मेर एवं बायतू समितियों में नहीं हो रहा है और इसके कारण कई प्राथमिक शालाओं को चालू रखने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है ? यदि हां, तो उक्त दोनों समितियों में पृथक-पृथक कितनी शालाएँ ऐसी हैं जहां अध्यापक नहीं हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि ऐसी स्थिति के होते हुए भी जब एक प्राथमिक शाला को मिडिल स्कूल में क्रमोन्नत किया जाता है तो राज्य सरकार प्रति मिडिल स्कूल के बदले समिति के तीन अध्यापक कम कर देती है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) उपरोक्त विधि से अध्यापकों की होने वाली कमी को दूर करने के लिये सरकार क्या उपाय कर रही है ?

राज्य मंत्री पंचायत राज (श्री शीशराम ओला) : (1)जिला बाड़मेर की पंचायत समिति बाड़मेर व बायतू की प्रत्येक प्राथमिक शाला के लिये कम से कम एक अध्यापक का पद स्वीकृत है। पंचायत समिति, बाड़मेर में 7 व पंचायत समिति, बायतू में 3 शालाएँ ऐसी हैं जो अध्यापकों के अभाव में बन्द हैं।

Page No. 16

(16)

(श्री शीशराम ओला)

(2) शिक्षा विभाग की नई नीति के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किये जाने पर छात्र संख्या के मापदण्ड के अनुसार अध्यापकों के पद कम किये जाते हैं;

(3) शिक्षा विभाग से निवेदन किया गया है कि पंचायत समिति शालाओं के लिये निर्धारित मापदण्डों के अनुसार अध्यापकों के पद सृजित करें।

श्री देवदत्त तिवाड़ी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय के उत्तर से यह स्पष्ट हो जाता है कि सरकार ने 49 स्टूडेंट्स पर एक अध्यापक दिये जाने का प्रावधान रखा है। उसके अनुसार भी प्राइमरी शालाओं में टीचर्स नहीं हैं फिर, तीन टीचर्स को कम कर देने से यह और भी कम हो जाते हैं। आप इसके लिये क्या प्रबन्ध कर रहे हैं?

श्री शीशराम ओला : मैंने आपसे निवेदन किया है कि पहले ऐसा होता था कि प्राइमरी स्कूल से मिडिल स्कूल में क्रमोन्नत होते हुए उसका स्टाफ कम होता था। जब स्कूल पंचायत समिति से शिक्षा विभाग में चला जाता है तो पंचायत समिति के अध्यापक पंचायत समिति में रह जाते हैं और स्कूल के शिक्षा विभाग में चले जाने से पद भी कम हो जाते हैं। जो पंचायत समिति के स्वीकृत पद हैं, उनकी प्राइमरी स्कूल से मिडिल स्कूल में क्रमोन्नत होते ही स्वतः स्ट्रेंथ कम हो जाती है। इसके लिये शिक्षा विभाग को निवेदन किया जा रहा है। हम भी महसूस करते हैं लेकिन चूंकि निर्णय ले लिया गया है इसलिये शिक्षा विभाग से निवेदन कर रहे हैं कि इस पर दुबारा विचार हो।

श्री देवदत्त तिवाड़ी : क्या तीन अध्यापकों के पद एक मिडिल स्कूल के पीछे कम नहीं हो जाते हैं?

श्री शीशराम ओला : अभी तो कम हो जाते हैं लेकिन शिक्षा विभाग से निवेदन किया है कि यह कम नहीं हों।

श्री देवदत्त तिवाड़ी : मैं यह पूछ रहा हूँ कि अभी अध्यापक कम हैं, बी. डी. ओ. ने मांग की है, उनको पूरे अध्यापक मिले?

श्री शीशराम ओला : जितने अध्यापकों की मांग है और जो स्वीकृत पद हैं वे सब भरने के लिये विकास अधिकारी पंचायत समिति को कह दिया गया है। उसकी चयन प्रक्रिया चालू है। लेकिन जो पद स्वीकृत नहीं हैं उनके लिये लाचारी है। शिक्षा विभाग से मांगे हैं, वह स्वीकृति देंगे तभी करेंगे।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न, श्रीमती विद्या पाठक।

श्री देवदत्त तिवाड़ी : जो लिस्ट बनाई गई है उसके अनुसार अध्यापक आते नहीं हैं तो फिर नई लिस्ट क्यों नहीं बनाई जाती? जिस लिस्ट के अनुसार अध्यापक नहीं आते हैं तो उसको निलम्बित किया जावे, उसको समाप्त किया जावे। दूसरे अध्यापक मांगे जावें और अध्यापकों की भर्ती की जावे।

श्री शीशराम ओला : अभी कोई लिस्ट नहीं बना कर रखी जाती है । अभी तो सीधे ही पंचायत समिति में अध्यापक आवे, अपना साक्षात्कार दे और अपॉइन्टमेंट हो जाता है ।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न । श्रीमती विद्या पाठक ।

मत्स्याखेट हेतु ठेकेदारों द्वारा छोटे खानों के जाल का उपयोग

5. **श्रीमती विद्या पाठक** : (सांगानेर) क्या मत्स्य विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि गत 5 वर्षों में विभाग द्वारा जलाशयों में मत्स्याखेट हेतु ठेकेदारों को निर्धारित साइज से छोटे खानों के कतरिया जालों के उपयोग की अनुमति दी गई ? यदि हां, तो कितने जलाशयों के लिए ? कृपया वर्षवार विवरण आदेशों की प्रति सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या राज्य के मत्स्याखेट सम्बन्धी नियमों में इस प्रकार की अनुमति देने का प्रावधान है ? यदि नहीं, तो इस प्रकार की अनुमति देने के लिए कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं और उनके विरुद्ध अब तक क्या-क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(3) क्या सरकार ऐसी अनुमति को उचित मानती है ? यदि हां, तो क्या इस हेतु नियमों में संशोधन विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो गत वर्षों में इसकी अनुमति क्यों नहीं गई ?

(4) उक्त अनुमति से राज्य को कुल कितने राजस्व की हानि हुई ?

राज्य मंत्री, मत्स्य विकास (श्री रामकिशन वर्मा) : (1) जी हां । सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) जी हां । प्रश्न ही नहीं उठता ।

(3) जी हां । प्रश्न ही नहीं उठता ।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

श्रीमती विद्या पाठक : अध्यक्ष महोदय, आपने कहा कि अनुमति हम लोग देते हैं और नियमों में है । मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहती हूं कि क्या यह राजस्थान फिशरीज रूल्स, 1958 के रूल 10 (3) [(ए) और 4 (2) का वायोलेशन नहीं है ?

श्री रामकिशन वर्मा : आप दुबारा बोल दें ।

श्री मती विद्या पाठक : माननीय मन्त्री महोदय, मैं यह निवेदन कर रही थी कि इस तरह की जो अनुमति दी गई है यह क्या आपके राजस्थान फिशरीज एक्ट की धारा 10 (3) (ए) और 10 (4) (2) का वायोलेशन नहीं है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : शान्त रहें, माननीय सदस्य ।

श्री रामकिशन वर्मा : मैंने कहा है कि ठेकेदारों द्वारा जब इस बात की शिकायत की जाती है कि अनचाही मछलियों से नुकसान हो रहा है तो उस वक्त इजाजत देते हैं। मछली विभाग ऐसी हालत में इजाजत देता है, अब भी देते हैं।

श्रीमती विद्या पाठक : मंत्री महोदय, आपने जवाब दिया है, उससे नियमों की अवहेलना होती है। मैं पढ़ कर सुनाना चाहती हूं, इसमें 10 (3)(ए) का वायोलेशन है : "Nets of all kinds except Phasla (Rangoon nets) not having any portion of mesh less than 1/2 inches in size from knot to knot."

दूसरा, जिसका वायोलेशन होता है वह है 10 (4) (2)—"A licencee shall not catch any fish less than 9" in length or less than half a seer in weight."

जो मछली पकड़ी जाती है वह आधा किलो से कम और 9 इंच से छोटी मछली जो आप अनवांटेड कहते हैं, उसको पकड़ने की इजाजत आपके विभाग द्वारा दिए जाने से नियमों का वायोलेशन होता है और आप कहते हैं कि प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री रामकिशन वर्मा : जैसा नियमों में प्रावधान है उसी के अनुसार किया जाता है।

श्रीमती विद्या पाठक : नियमों में कहां है ?

(व्यवधान)

श्री रामकिशन वर्मा : नियम 10 (3) (ए) के अन्तर्गत इस प्रकार का प्रावधान है।

श्रीमती विद्या पाठक : उसे जरा पढ़ कर सुनाइये।

श्री रामकिशन वर्मा : नियम 10(3) (ए) तथा 10 (3) (II) के अन्तर्गत निदेशक, पशु पालन विभाग द्वारा मत्स्य अधिनियम, 1953 के अन्तर्गत जो नोटिफिकेशन दिनांक 14-4-1960 को जारी हुआ था उस की शर्तों के अनुसार यह नियमों में है और इससे राजस्थान की कोई राजस्व की हानि नहीं हुई है।

श्रीमती विद्या पाठक : अध्यक्ष महोदय, जिन नियमों के अन्तर्गत इसका वायोलेशन होता है आप उन्हीं नियमों को कोट कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्रीमती विद्या पाठक : अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय मन्त्री महोदय ऐसी व्यवस्था करेंगे कि भविष्य में कोई राजस्व की हानि नहीं हो ?

श्री रामकिशन वर्मा : राजस्व की कोई हानि नहीं हुई है, फिर भी अगर माननीय सदस्या के पास इस प्रकार का कोई उदाहरण हो तो मुझे जानकारी दे दें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न. श्री भगवानदास शास्त्री।

राज्य में अनिवार्य वस्तु अधिनियम के तहत दर्ज मुकदमें

6. श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) अप्रेल, 82 तथा वर्ष 1983-84 में जनवरी तक राज्य में अनिवार्य वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत कितने मामले दर्ज हुए ? कितनी मात्रा में माल जब्त किया गया और उनका मूल्य कितनी धनराशि का आंका गया ? सम्पूर्ण मात्रा तथा मूल्य की जिलावार सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(2) कितने मामलों का कोर्ट में चालान पेश किया गया ? कितने मामलों में अनुसंधान जारी है ?

(3) कुल कितने मामलों में छापा मारा गया और कितने मामलों में केसेज वापस लेने की सिफारिश की गई जिसके आधार पर केस वापस लिये गये ?

राज्य मंत्री, खाद्य एवं आपूर्ति (श्री घासीराम यादव) : (1) अनिवार्य वस्तु अधिनियम के अन्तंगत राज्य में अप्रेल, 82 तथा वर्ष 83-84 में जनवरी तक 6,935 मामले दर्ज हुए। जब्त किये हुए माल की जिलेवार मात्रा एवं उसके आंके गये मूल्य की सूचना संलग्न तालिका में अंकित है जो सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) 303 मामलों में कोर्ट में चालान पेश किये गये एवं 182 मामलों में अनुसंधान जारी है।

(3) 850 मामलों में छापे मारे गये और दो मामलों में केसेज वापस लेने की सिफारिश की गई और उन्हीं दो मामलों को वापस लिया गया।

(तालिका के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

श्री भगवानदास शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, जो 182 विचाराधीन केसेज हैं वे आपने कब-कब दर्ज किये ?

श्री अध्यक्ष : यह अलग प्रश्न है, माननीय सदस्य। किस-किस तारीख का हिसाब अभी कैसे बतायेंगे ?

श्री भगवानदास शास्त्री : जितने केसेज आपके दर्ज हुए उनमें अनुसंधान कितनों में जारी है और शेष कितने सिफारिशों के आधार पर आपने विथड्रा कर लिये ? जो 182 विचारधीन केसेज है उनमें आपने कब तो छापे मारे और कब से अनुसंधान जारी है ?

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न, माननीय सदस्य। इसकी सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं हो सकती। आप स्वयं परिचित है प्रक्रिया से।

श्री भगवानदास शास्त्री : जो 182 केसेज में अनुसंधान जारी है वहां आपने कब छापे मारे और कितने वर्षों से अनुसंधान जारी है ? किन-किन जिलों में 182 का अनुसंधान जारी है, यही बता दीजिये ?

श्री घासीराम यादव : यह जितने मामले थे उनमें 303 में कोर्ट में चालान पेश हुए और 182 मामलों में अनुसंधान जारी है।

श्री भगवानदास शास्त्री : किस-किस जिले के, मैं यह पूछ रहा हूं ? भीलवाड़ा के कितने केसेज हैं, यही बता दीजिए ?

श्री घासीराम यादव : भीलवाड़ा में 1172 मामले दर्ज हुए 83-84 और अप्रेल, 82 में।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : एक साल से कितने पैंडिंग हैं और दस साल से कितने पैंडिंग हैं ?

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न, श्री गुलाब चन्द कटारिया, श्री नाथूसिंह, श्री भंवरलाल शर्मा, श्री कैलाश मेघवाल।

राजस्थान नहर के टूटने की जांच

7. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** (उदयपुर), **श्री नाथूसिंह** (बांदीकुई), **श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) व **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या राजस्थान नहर परियोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान नहर निर्माण के बाद कब-कब टूटी एवं उसे ठीक करने पर कितना अतिरिक्त धन खर्च हुआ ? कृपया टूटने का स्थान, दिनांक व व्यय की गई राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या विभाग द्वारा नहर टूटने के कारणों को जानने हेतु जांच करवाई गई ? यदि हां, तो कृपया रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें ?

(3) क्या जांच के परिणामस्वरूप किसी अधिकारी एवं कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो किस-किस के ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) नहर के टूटने से किसानों की फसलों को कुल कितनी हानि हुई ? क्या किसानों को मुआवजा दिया गया है ? यदि हां, तो कितना व कब ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

राजस्थान नहर परियोजना मंत्री (श्री चन्दनमल बैद) : (1) निर्माण के बाद से अब तक राजस्थान नहर किसी भी स्थान पर नहीं टूटी है। 16 स्थानों पर छोटी-बड़ी क्षतियां हुई, जिनका ब्यौरा सदन की मेज पर रख दिया गया है। 16 में 14 क्षतियां पिछले वर्षों में हुई जिनकी मरम्मत कार्य के साथ ही कर दी गई थी, जिसके व्यय का अलग से हिसाब नहीं रखा गया। इस वर्ष की दो क्षतियों की हानि क्रमशः 15,000 रुपये व 35,000 रुपये की है।

(2) इस वर्ष आर. डी. 1121 की लघु क्षति व पिछले वर्षों की क्षतियों की जांच करने की आवश्यकता नहीं थी। आर.डी. 1037 पर हुई इस वर्ष की क्षति का विस्तृत अध्ययन केन्द्रीय जल आयोग व मालवीया तथा जोधपुर इंजीनियरिंग कालेजों के सहयोग से किया जा रहा है।

(3) अध्ययन के परिणाम प्राप्त नहीं

(श्री चन्दनमल बैद)

हुए हैं। कोई हानि नहीं हुई इसलिये मुआवजा देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(व्यौरे के लिए कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : जो सूची आपने दी है उसके अनुसार 18 स्थानों पर नहर टूटी है जिसकी टोटल लम्बाई 5940 फीट,लगभग तीन मील से अधिक हैं, क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि नहर के टूटने का अभिप्राय आप क्या समझते हैं और सूची में क्या अर्थ है ?

श्री चन्दनमल बैद : अगर नहर की दीवाल टूट कर पानी निकल जाय तो टूटना होता है, मिट्टी खिसक जाय तो डैमेज से मतलब होता है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : आपके अभिप्राय के अनुसार क्या राजस्थान कैनाल का पानी कभी भी टूटने से नहीं बहा ?

श्री चन्दनमल बैद : जी हां, लाईनिंग टूट कर कभी भी पानी नहीं बहा।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : उत्तर एक के अन्त में आपने माना है कि 35 हजार और 15 हजार की हानि हुई जबकि पूर्व में आप कहते हैं कि इस प्रकार का कोई हिसाब नहीं रखा गया तो इसे अलग से रखने की क्यों आवश्यकता हुई ?

श्री चन्दनमल बैद : मरम्मत के 35 हजार लगे हैं जो आपने पूछा इसलिये बता दिया।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : तीन माइल से अधिक टूटी हुई है....

श्री अध्यक्ष : आपको राजस्थान नहर देखने का मौका मिला है क्या ?

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मैं तीन बार जाकर आया हूं और यह टूटन तीन मील से अधिक है। इसका टूटना किन कारणों से हुआ है इसके लिये आपने कहा कि जांच के द्वारा पता लगायेंगे। तो यह रिपोर्ट कब तक आ जायेगी जिससे टूटने के कारणों का पता लग सके ?

श्री चन्दनमल बैद : मैंने अध्ययन की बात कही है। मालवीया और जोधपुर इंजीनियरिंग कालेज और वाटर कमीशन के इंजीनियर्स को पूछा है कि नहर बनने के इतने वर्षों के बाद बता सकते हैं कि अति का क्या कारण है ? इसका अध्ययन करके वे अपनी रिपोर्ट देंगे, उसके आधार पर कार्यवाही की आवश्यकता होगी तो वह करेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री नाथू सिंह।

श्री नाथू सिंह : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि सर्वे रिपोर्ट दी गई थी जिसमें यह कहा गया था कि बज्जू से जैसलमेर नहर बनाने के लिये स्पेसिफिक टैक्निक की आवश्यकता है जिसमें जिप्सम और सिल्ट

(श्री नाथू सिंह)

की मात्रा मिली हो। टेक्निकल इंजीनियर ने अपनी सर्वे रिपोर्ट में कहा था कि यहां पर 1/16 फीट तारकोल लगाया गया है और एन्टी सिल्ट ट्रीटमेंट दिया गया। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, इस टेक्निकल रिपोर्ट के आधार पर....

श्री अध्यक्ष : यह अलग प्रश्न है।

श्री नाथू सिंह : अध्यक्ष महोदय, एडि-शनल चीफ इंजीनियर ने सूचना दी है कि टेक्निकल रिपोर्ट के आधार पर नहर को नहीं बनाया जा रहा है जिस पर उन्होंने अपना डिसप्लेजर शो किया। इसके बाद नान वर्किंग सीजन था। जब नहर का काम नहीं करना चाहिये, यह नान वर्किंग पीरियड अक्टूबर से मार्च तक रहता है। क्या यह सही है कि अक्टूबर से लेकर मार्च तक केवल 1.8 किलोमीटर नहर बनायी गयी है, यह केवल कागजों पर है? अध्यक्ष महोदय, असल में 38 किलोमीटर नहर बनायी गयी है।एक प्रश्न और पूछना चाहूंगा....

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, मुझे एक-एक प्रश्न का जवाब देने दिया जाये।

श्री नाथू सिंह : क्या यह सही है कि यह नहर 7 बार टूटी और डेमेज हुई है?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है। एक-एक प्रश्न संक्षेप में पूछें। भाषण की इजाजत नहीं दे सकता। आपका प्रश्न पूरा हो गया। उत्तर सुन लीजिये। भाषण नहीं होगा।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, यह कहा गया है कि एन्टी साल्ट ट्रीटमेंट के कारण यह क्षति हुई है यह सही नहीं है। दूसरी बात यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो क्षति हुई है यह केवल एक ही साल में नहीं हुई है। इस प्रकार की क्षति पहले भी हुई है। मैं आपकी सूचना के लिये निवे-दन करना चाहूंगा कि 1978 में 5 क्षति हुई, 1980 में 3 क्षति हुई, 1982 में एक क्षति हुई, 1983 में एक और 1984 में एक क्षति हुई। यह क्षति होना कोई अस्वाभाविक बात नहीं है। जहां इतना बड़ा काम होता वहां कहीं ईंट हट जाती है, चैनल टूट जाती है तो यह सब अस्वाभाविक नहीं है। यह स्वाभाविक क्षति है। इस प्रकार की क्षति पिछले पांच-छः वर्ष से हो रही है। अब काम चालू हुआ है तो ज्यादा हुई है। पहले यह नहर सो रही थी जब जाग रही है, काम हो रहा है।....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

आसन पैरों पर है। माननीय सदस्य, बैठ जायें।

Page No. 23

(23)

श्री नाथू सिंह : सर्वे रिपोर्ट में, अध्यक्ष य,....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

(व्यवधान)

चर्चा समाप्त हुई, माननीय सदस्य ।

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं । बुर्ज 417, राजस्थान नहर में जो कूप बना है, क्या यह सही है कि वह पानी के साथ बह गया ? वाटर चैनल बुर्ज 1218, 1216 क्या टूट गयी ?

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है । आप विषयान्तर हो रहे हैं ।

श्री महाराम चौधरी : 30 करोड़ रुपया मरम्मत के नाम में लुटाया गया । इस प्रकार किसानों के, जनता के पैसे का भयंकर दुरुपयोग किया गया है । जब से श्री चंदनमल जी बैद ने राजस्थान नहर का काम संभाला है, मरम्मत के नाम पर 80 करोड़ रुपये का दुरुपयोग हुआ है, अनियमितताएं हुई हैं ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ ।

श्री नाथू सिंह : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जल्दबाजी में 35 किलोमीटर सड़क बनायी है ।

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जायें । इस प्रश्न को अलग ढंग से पूछें ।

श्री चन्दनमल बैद : काम ज्यादा किया तो परेशानी । पंजाब से पानी लाने का इन्तजाम किया है तो आप नाराज हो रहे हैं ।

(व्यवधान).

श्री महाराम चौधरी : किसानों को बर्बाद कर दिया ।

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है ।

श्री नाथू सिंह : सही जवाब नहीं दिया गया है । यह पूछा है कि राजस्थान नहर कहां से टूटी है ।

श्री अध्यक्ष : आसन को सहयोग दें ।

श्री नाथू सिंह : अध्यक्ष महोदय, कहा गया....

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो ।

श्री नाथूसिंह : × × × ×

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जायें, माननीय सदस्य ।

अव्यवस्था न फैलावें ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

× × × : माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

बारां अस्पताल में जनरेटर एवं एक्स-रे मशीन

1. **श्री रघुवीर सिंह कौशल** (बारां): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या बारां अस्पताल में जनरेटर एवं एक्स-रे मशीन काम नहीं कर रहे हैं? यदि हां, तो कब से? क्या इनको ठीक कराया जावेगा? यदि हां, तो कब तक?

(2) क्या बारां की आबादी को देखते हुए बारां अस्पताल में बड़ी एक्स-रे मशीन की आवश्यकता है? यदि हां, तो इसकी क्या व्यवस्था की जा रही है?

उत्तर

(1) जी हां। जनरेटर वर्ष 1964 से एवं एक्स-रे मशीन फरवरी, 83 से काम नहीं कर रहे हैं। जनरेटर ठीक कराने योग्य नहीं है। एक्स-रे मशीन को शीघ्र ठीक कराने की कार्यवाही की जा रही है।

(2) आवश्यकतानुसार समुचित वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर इस पर विचार किया जायेगा।

राज्य के जिला स्तरीय अस्पतालों में वरिष्ठ एवं कनिष्ठ विशेषज्ञ शल्य एवं मेडिसन के पद

2. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) व **श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान के जिला स्तरीय अस्पतालों में वरिष्ठ एवं कनिष्ठ विशेषज्ञ शल्य एवं मेडिसन के कितने पद हैं? जिलेवार सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करें?

(2) क्या यह भी सही है कि कई अस्पतालों में केवल वरिष्ठ विशेषज्ञ शल्य एवं मेडिसन के ही पद हैं, जो कि सी. एम. एच. ओ. भी हैं जो अक्सर दौरे पर रहते हैं जिससे कई मरीजों को समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण उन्हें असमय मौत के घाट उतरना पड़ता है।

(3) क्या सरकार जनहित को मद्दे-नजर रखते हुए वरिष्ठ विशेषज्ञों के साथ साथ कनिष्ठ विशेषज्ञों के पदों का सृजन करके उन पर नियुक्ति करेगी?

उत्तर

(1) राज्य में जिला स्तरीय अस्पतालों में वरिष्ठ एवं कनिष्ठ विशेषज्ञ (शल्य) एवं मेडिसिन के पद निम्न प्रकार से स्वीकृत हैं:—

शल्य	मेडिसिन
वरिष्ठ विशेषज्ञ–15	वरिष्ठ विशेषज्ञ–16
कनिष्ठ विशेषज्ञ–16	कनिष्ठ विशेषज्ञ–16

जिलेवार सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) यह सही नहीं है। जहा-जहा भी वरिष्ठ विशेषज्ञ (शल्य एवं मेडिसिन) सी. एम. एच. ओ. नियुक्त हैं, वहां-वहां कनिष्ठ विशेषज्ञ अथवा सी. ए. एस. जो कि उसी

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)
विशिष्टता में एम. एस./एम.डी. होते हैं, लगाये हुये हैं, जो वरिष्ठ विशेषज्ञों की अनुपस्थिति में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराते हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

राज्य सरकार द्वारा मुफ्त चिकित्सा सुविधा हेतु सर्वे

2. **श्री महावीर प्रसाद जैन** (टोंक): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या राज्य सरकार ने इस प्रकार का सर्वे किया है कि प्रत्येक नागरिक को मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्रदान करने में कितना वार्षिक व्यय करना पड़ेगा? यदि हां, तो कितना अतिरिक्त व्यय राज्य कोष पर पड़ेगा? नहीं तो, क्यों?

उत्तर

जी, नहीं। ऐसा कोई सर्वे नहीं कराया गया।

उपनिवेशन क्षेत्र में भूमिहीन काश्तकारों को सिंचित भूमि का आबंटन

4. **श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी** (जैसलमेर)–क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य सरकार ने उपनिवेशन क्षेत्र में भूमिहीन काश्तकारों को सिंचित भूमि प्रति मुरब्बा किस दर से देना तय किया है?

(2) क्या यह सही है कि उक्त राशि की रकम एक मुश्त अदा करने का प्रावधान रखा गया है?

(3) यदि हां, तो क्या अकालों से पीड़ित भूमिहीन काश्तकार उक्त रकम जमा कराने में सक्षम हैं? यदि नहीं, तो क्या उक्त रकम को आसान किश्तों में लेने का प्रावधान किया जा रहा है?

उत्तर

(1) राजस्थान उपनिवेशन (राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि आवंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 के नियम 17 के उपनियम (1) में भूमिहीन काश्तकार को आवंटित की जाने वाली भूमि की दर, भूमि की किस्म के अनुसार निम्न प्रकार निर्धारित की गई है:—

	किस्म भूमि	दर प्रति मुरब्बा
1.	नाली	50,000 रुपये
2.	लाइटलूम	35,000 ,,
3.	सेन्डीलूम	25,000 ,,
4.	अनकमाण्ड/बारानी	7,000 ,,

(2) जी नहीं।

(3) नियमों में भूमि की कीमत किश्तों में लेने का प्रावधान पहले से ही है।

राजस्थान नहर का क्षतिग्रस्त होना

5. **श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी** (जैसलमेर): क्या राजस्थान नहर परियोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि माह नवम्बर, 1983 से माह जनवरी, 1984 तक राजस्थान नहर कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त हुई?

(श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी)
यदि हां, तो उक्त क्षति कितनी दूरी में और कहां-कहां हुई ?

(2) उक्त क्षति के कारण कितनी अनुमानित हानि हुई ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त क्षति घटिया किस्म के माल लगाने के कारण हुई ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार अधिकारियों और ठेकेदारों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(4) क्या उक्त क्षति के कारणों की जांच कराई गई ? यदि हां, तो क्षति के कारण बताने की कृपा करें।

उत्तर

(1) माह नवम्बर, 1983 में राजस्थान नहर की आर. डी. 1121 पर लगभग 100 फुट लम्बाई में दाईं ओर की लाइनिंग का हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ। माह जनवरी, 1984 में राजस्थान नहर की आर. डी. 1037.74 से 1037.95 के बीच लगभग 200 फुट लम्बाई में दाईं ओर के किनारे का मिट्टी का कार्य और लाइनिंग क्षतिग्रस्त हुई।

(2) लगभग 50,000/– रुपये।

(3) आर. डी. 1121 पर मौके पर बनी अस्थाई डाइवर्शन नहर से मुख्य नहर में पानी के दायें किनारे पर टेडा टकराने से क्षति हुई। आर. डी. 1037.74 से 1037.95 के बीच क्षति के कारणों की जांच कराई जा रही है और तद्नुसार दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक हुआ तो कार्यवाही की जावेगी।

(4) क्षति के कारणों की जांच कराई जा रही है।

जवाहर नगर (जयपुर) में आवंटित मकान

6. **श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : क्या आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान हाउसिंग बोर्ड द्वारा जयपुर के जवाहर नगर सैक्टर में प्रत्येक आय वर्ग में कुल कितने मकान निर्मित किये जाकर दिनांक 31-1-84 तक आवंटित या आवंटन हेतु आरक्षित कर दिये गये हैं ?

(2) क्या इन आवंटनों अथवा आरक्षणों में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए नियमानुसार आरक्षण का लाभ दिया गया है ? यदि हां, तो किस आय वर्ग में किस-किस को कौन-कौन से नम्बर का मकान आवंटन या आवंटन हेतु आरक्षित किया गया है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर में आवासन मंडल द्वारा निर्मित जवाहर नगर कालोनी में 31-1-84 तक आवंटित आरक्षित मकानों का ब्यौरा निम्न प्रकार है:—

आय वर्ग	निर्मित मकानों की संख्या	आरक्षित एवं आवंटित मकानों की संख्या	कब्जा दिये मकान
1	2	3	4
1. कमजोर वर्ग	22	22	22
2. अल्प आय वर्ग	1848	1666	1510

(आवासन मंत्री)

1	2	3	4
3. मध्यम आय वर्ग (अ)	404	397	395
4. मध्यम आय वर्ग (ब)	1190	1183	1129
5. उच्च आय वर्ग	187	187	187
योग	3651	3455	3234

(2) इन आरक्षण/आवंटन में अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए नियमानुसार आरक्षण का लाभ दिया गया है। पूरी सूची तैयार करने में समय लगेगा।

अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति

7. **श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि वर्तमान में महंगाई को देखते हुए अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों को जो छात्रवृत्ति दी जाती है वह बहुत कम है?

(1) इस समय किस-किस वर्ग के छात्र को कितनी-कितनी छात्रवृत्ति दी जाती है? क्या वह पर्याप्त है?

(3) क्या सरकार छात्रों की छात्रवृत्ति बढ़ाने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के छात्रों की आर्थिक कठिनाई को दृष्टिगत रखते हुए शैक्षणिक सत्र जुलाई, 82 से छात्रवृत्ति की दरों में 25 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।

(2) वर्तमान में अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति निम्न दर से स्वीकृत की जा रही है:—

कक्षा 6 से 8	12.50 प्रतिमाह
कक्षा 9 से 11	25.00 प्रतिमाह

(3) जी नहीं।

टौंक जिले में विकलांग विद्यार्थियों को देय सुविधाएं

8. **श्री महावीर प्रसाद जैन** (टौंक): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

टौंक जिले में कितने विकलांग विद्यार्थी किन-किन स्कूलों में किन-किन कक्षाओं में अध्ययनरत हैं? उनको सन् 1980 से अब तक कितनी-कितनी छात्रवृत्ति एवं अन्य सुविधायें उपलब्ध कराई गई हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

टौंक जिले में अध्ययन कर रहे विकलांग विद्यार्थियों की स्कूलवार सूचना समाज कल्याण विभाग में उपलब्ध नहीं है। वर्ष 1980 से 82-83 तक दी गई छात्रवृत्ति की राशि एवं छात्र संख्या निम्न प्रकार है। अन्य कोई सुविधा समाज कल्याण विभाग द्वारा नहीं दी जाती है।

(समाज कल्याण मंत्री)

वर्ष	छात्रों की संख्या	स्वीकृत राशि
1	2	3
1980-81	83	36,100
1981-82	129	55,800
1982-83	197	1,01,000

स्वीकृत छात्रवृत्ति की स्कूलवार सूचना संलग्न सूची में अंकित है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

शिव में दलित वर्ग संघ छात्रावास

9. **श्री अमीन खां** (शिव) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले के तहसील मुख्यावास शिव में दलित वर्ग संघ की तरफ से छात्रावास चलाया जाता है ? यदि हां, तो कब से ?

(2) क्या सरकार शिव छात्रावास को अगले वर्ष विभाग की तरफ से चलाने के लिये प्रावधान करेगी ?

(3) क्या समाज कल्याण मंत्री ने तारीख 13-5-83 को शिव में यह आश्वासन दिया था कि शिव छात्रावास को विभाग में लिया जाकर भवन भी बनाया जायगा ?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1961 से।

(2) इस विषय में सम्बन्धित संस्था ने ऐसी कोई इच्छा जाहिर नहीं की है।

(3) दिनांक 13-5-83 को शिव में मेरे द्वारा उक्त छात्रावास जो गत दो वर्षों से बंद कर दिया गया था। इसे पुनः प्रारम्भ करने का आश्वासन दिया गया था। जो सत्र 83-84 से प्रारम्भ कर दिया गया है। भवन बनाने के लिये प्रयत्न किया जायेगा।

अजमेर में अनुसूचित जाति विकास सहकारी निगम की दुकानें

10. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अनुसूचित जातियों के गरीब व्यक्तियों को दुकानें उपलब्ध कराने हेतु राजस्थान अनुसूचित जाति विकास सहकारी निगम 50 दुकानें नगर परिषद्, अजमेर एवं 10 दुकानें नगर सुधार न्यास अजमेर से बनवा रहा है ? यदि हां, तो इस सारी योजना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) यह दुकानें आबंटित किये जाने हेतु पात्रता के मापदण्ड क्या रखे गये हैं और आबंटन करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जावेगी ?

(3) इन दुकानों के आवंटन के बारे में प्रार्थना-पत्र आमंत्रित करने व पात्रता के बारे में जानकारी देने हेतु कब-कब, क्या-क्या प्रक्रिया अपनाई गई ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी। नहीं, अनुसूचित जाति के गरीब परिवारों को दुकानें उपलब्ध कराने हेतु राजस्थान अनुसूचित जाति विकास सह-

(समाज कल्याण मंत्री)

कारी निगम ने केवल नगर सुधार न्यास, अजमेर को 50 दुकानें बनाने का लक्ष्य दिया है। योजना का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) दुकानें आबंटित किये जाने हेतु पत्राचार के मापदंड एवं अपनाई जाने वाली प्रक्रिया सदन के पटल पर रखे गये विवरण में अंकित है।

(3) इन दुकानों के आवंटन के बारे में प्रार्थना-पत्र आमंत्रित करने व पात्रता के बारे में जानकारी देने हेतु जो भी स्वीकृत प्रक्रिया अपनाई जा रही है वह भी सदन के पटल पर रखे गये विवरण में अंकित है।

(विवरणों के लिए कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

राजस्थान हाउसिंग बोर्ड एक्ट, 1970 के तहत जारी निर्देश

11. **श्री तुलसीराम** (केकड़ी) : क्या आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने राजस्थान आवासन मंडल को मकान आबंटित करने, मकान का आरक्षण करने, मकान के आय वर्ग में परिवर्तन करने एवं लाटरी द्वारा आवंटित अथवा आरक्षित मकान के बजाय दूसरा मकान आबंटित कर आरक्षित करने तथा नकद भुगतान को किराया क्रय पद्धति या किराया क्रय पद्धति को नकद भुगतान में परिवर्तित करने आदि के निर्देश राजस्थान हाउसिंग बोर्ड एक्ट, 1970 के तहत प्राप्त विशेष अधिकार के अन्तर्गत दिये हैं ? यदि हां, तो कब-कब किस-किस के लिए किस-किस आधार पर क्या-क्या निर्देश दिये गये और बोर्ड द्वारा उनकी पालना कब की गई ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या राज्य सरकार के पास ऐसे निर्देश देने हेतु वर्तमान में कोई प्रकरण विचाराधीन है ?

उत्तर

(1) जी हां, राज्य सरकार द्वारा जारी अनुदेशों की सूची संलग्न परिशिष्ट "अ" पर है। पालना के संबंध में सूचना परिशिष्ट "अ" पर है।

(2) जी नहीं।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

राजस्थान आवासन बोर्ड अधिनियम, 1970 के तहत बनाये गये नियम

12. **श्री सी. पी. जोशी** (नाथद्वारा) : क्या आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या दिनांक 31-1-1984 तक समय-समय पर राजस्थान आवासन बोर्ड अधिनियम 1970 की—

(क) धारा 52 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियम,

(ख) धारा 53 के अन्तर्गत राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से बोर्ड द्वारा बनाये गये विनियम,

(ग) धारा 54 के अन्तर्गत बोर्ड द्वारा

(श्री सी. पी. जोशी)

बनाई गई उपविधियों को सदन की मेज पर रखें।

(2) यदि इन प्रावधानों के अन्तर्गत नियम, विनियम एवं उपविधियां अभी तक नहीं बनाई गई हैं तो इसका क्या कारण है और इनके अभाव में बोर्ड का कार्य संचालन किस तरह हो रहा है ?

उत्तर

(i) (अ) राजस्थान आवासन मंडल अधिनियम, 1970 की धारा 52 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत राज्य सरकार द्वारा "राजस्थान आवासन बोर्ड (संविदाओं, का निष्पादन नियम, 1974" बनाया गया।

(ब) राजस्थान आवासन मण्डल अधिनियम, 1970 की धारा 53 के अधीन मण्डल द्वारा निम्न विनियमों की संरचना एवं प्रसारण किया गया जिनकी प्रति संलग्न है:—

राजस्थान हाउसिंग बोर्ड डिस्पोजल ऑफ प्रोपर्टी रेगुलेशन, 1970

राजस्थान हाउसिंग बोर्ड एम्प्लाइज सर्विस रेगुलेशन, 1970;

राजस्थान हाउसिंग बोर्ड एम्प्लाइज ट्रेवलिंग अलाउन्स रेगुलेशन, 1970;

राजस्थान हाउसिंग बोर्ड एम्प्लाइज प्रोविडेन्ट फण्ड रूल्स, 1971;

राजस्थान हाउसिंग बोर्ड एम्प्लाइज कन्डीशन्स ऑफ रिक्रूटमेंट एण्ड प्रोमोशन रेगुलेशन, 1976;

राजस्थान हाउसिंग बोर्ड एम्प्लाइज डिसीप्लिनरी एक्शन एण्ड अपील्स रेगुलेशन, 1976;

राजस्थान हाउसिंग बोर्ड एम्प्लाइज कन्डक्ट रेगुलेशन, 1976;

राजस्थान हाउसिंग बोर्ड एम्प्लाइज मेडिकल अटेन्डेन्स रेगुलेशन, 1970।

(स) राजस्थान आवासन मण्डल अधिनियम, 1970 की धारा 54 के तहत मंडल द्वारा "राजस्थान आवासन मण्डल (मेन्टिनेन्स एण्ड यूज ऑफ बिल्डिंग्स कन्स्ट्रक्टेड अण्डर एनी हाउसिंग स्कीम)" बायलाज 1981 बनाये जाकर राज्य सरकार को भेजे गये हैं जो राज्य सरकार के विचाराधीन हैं।

(2) राज्य सरकार तथा मण्डल ने राजस्थान आवासन बोर्ड एक्ट, 1970 के प्रावधानों के तहत आवश्यकतानुसार जो नियम/विनियम बनाए हैं तथा आवश्यकतानुसार एतद्विषयक अधिसूचना प्रसारित की जाती है उसी के अनुसार कार्य संचालन किया जा रहा है।

(विनियमों की प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

आवासन मण्डल में जयपुर शहर के लिये आरक्षित व पंजीकृत मकान

13. **श्री मालाराम** (खेतड़ी): क्या आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) राजस्थान आवासन मण्डल के जयपुर में ऐसे कितने क्रेता हैं जिनके नाम आबंटन की लाटरी द्वारा मकान आरक्षित किये जा चुके हैं लेकिन मकानों का कब्जा उनको नहीं दिया गया है ? कृपया मकान आरक्षण की तारीख सहित प्रत्येक आय वर्ग की सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री मालाराम)

(2) इन क्रेताओं द्वारा कब-कब कितनी-कितनी पंजीकरण राशि जमा कराई गई और आवंटन के पश्चात् मकान आरक्षित होने के बाद कब-कब किस-किस ने कितनी-कितनी पूर्वग्रहण की राशि की प्रथम व द्वितीय किश्त चुका दी है ? तथा इनमें से किस-किस ने पूर्वग्रहण राशि की प्रथम व द्वितीय किश्त विलम्ब से जमा कराई और उस पर कितनी पेनल्टी लगाई गई ?

(3) क्या पंजीकरण राशि की कमी अथवा पूर्वग्रहण राशि के कम या विलम्ब से जमा कराने या पेनल्टी जमा कराने के कारण किसी का आरक्षण रद्द किया गया है ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) आवासन मण्डल में प्रारंभ से दिनांक 11-5-83 तक जयपुर शहर में लाटरी द्वारा आवेदकों को जो आरक्षण/आवंटन किया गया था उनमें से 1747 को अभी तक मकानों के कब्जे नहीं दिये गये जिसका आय वर्गानुसार विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) मण्डल द्वारा पंजीकरण प्रारंभ करने पर सभी आवेदनकर्ताओं ने समय पर परिशिष्ट "ब" पर इंगित आय वर्गानुसार पंजीकरण राशि तथा परिशिष्ट "स" पर इंगित पूर्वग्रहण राशि जमा करा दी है। विस्तृत सूचना एकत्रित एवं संकलित करने में समय लगेगा।

(3) ऐसा मामला सामने नहीं आया है। (विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

पं. स. सांचौर में पंचायत घर निर्माण में व्यय की गई धनराशि

15 **श्री हेमाराम चौधरी** (गुडामालानी) : क्या पंचायत राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि ग्राम पंचायत डूढवा, पंचायत समिति सांचौर का पंचायत घर, ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति के प्रस्तावों के अनुसार डूढवा गांव के पास ही, डूढवा ग्राम की ही सरहद में "चीमड़ा" बस्ती में निर्माण कराया गया है ? अगर हां, तो पंचायत घर निर्माण में अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

(2) उक्त पंचायत घर निर्माण में सरकार द्वारा अभी तक कितना अनुदान दिया गया है और कितना अनुदान नियमानुसार दिया जाना शेष है ? बाकी अनुदान कब तक दे दिया जावेगा ?

(3) ग्राम पंचायत डूढवा के पंचायत घर का निर्माण जो "चीमड़ा" डूढवा की बस्ती में कराया गया है, सरकार द्वारा इसकी मान्यता कब तक दे दी जावेगी ?

(4) क्या यह भी सत्य है कि पंचायत डूढवा की "फाटक" पंचायत घर के पास ही "चीमड़ा" बस्ती में चलाने की पंचायत ने मांग की थी ? अगर हां, तो कब ? तो अब उक्त पंचायत की "फाटक" क्या "चीमड़ा" में ही चलाई जा रही है ? अगर हां, तो कब से ?

उत्तर

(1) जी हां। पंचायत घर निर्माण पर खर्च की गई राशि के सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जा रही है।

(पंचायत राज्य मंत्री)

(2) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत जिला ग्रामीण विकास अभिकरण जालोर द्वारा 10,000/- रुपये स्वीकृत किये गये थे जिसमें से रुपये 4000/-का भुगतान दिनांक 11-11-83 को किया जा चुका है। शेष राशि का भुगतान सरपंच ग्राम पंचायत डूढवा द्वारा हिसाब प्रस्तुत करने पर कार्य की जांच के पश्चात किया जावेगा।

(3) "चीमड़ा" की ढाणी अलग से राजस्व ग्राम नहीं है। यह बस्ती राजस्व ग्राम डूढवा जो पंचायत मुख्यालय है, की सरहद में होने से इसको मान्यता देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) जी नहीं।

श्रीमाधोपुर जिला सीकर द्वारा पशु चिकित्सालय भवन निर्माण

16. **श्री दीपेन्द्रसिंह** (श्रीमाधोपुर) : क्या पचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या ग्राम पंचायत दिवराला पं. सं. श्रीमाधोपुर जिला सीकर द्वारा पशु चिकित्सालय भवन निर्माण करवाया गया? यदि हां, तो उक्त निर्माण पर कितना व्यय किया गया?

(2) क्या उक्त निर्माण कार्य में व्यय की राशि का पशु पालन विभाग द्वारा भुगतान भी कर दिया गया है?

(3) निर्माण कार्य कब पूर्ण हुआ?

(4) निर्माण के उपरान्त क्या पंचायत दिवराला अथवा मजदूरों को भुगतान हो चुका है? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों? इसके लिए विलम्ब में कौन दोषी है?

(5) अब कितनी अवधि में ग्राम पंचायत के माध्यम से मजदूरों को भुगतान कर दिया जावेगा?

उत्तर

(1) जी हां। उक्त निर्माण पर कुल 76,636/-रुपये व्यय हुए है।

(2) जी नहीं। यह निर्माण कार्य राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम एवं मरु विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्पादित हुआ है।

(3) निर्माण कार्य दिनांक 31-8-82 को पूर्ण हुआ।

(4) मजदूरों को मजदूरी का एवं फर्मों को सामग्री का पूर्ण भुगतान ग्राम पंचायत के माध्यम से तत्समय ही किया जा चुका है। पंचायत समिति द्वारा ग्राम पंचायत दिवराला को दिनांक 21-6-82 को 26,642/-रुपये मजदूरी का भुगतान गेहूं के रूप में एवं 23,159.60 रुपये का भुगतान नकद के रूप में एवं पुनर्भरण हेतु किया जा चुका है। अन्तिम किश्त के पेटे 26,833.92 रुपये का भुगतान किया जाना शेष है। पंचायत द्वारा हिसाब देरी से पंचायत समिति को पेश करने के कारण पंचायत समिति द्वारा भुगतान करने में विलम्ब हुआ है।

(5) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

कोटा के सरपंच द्वारा निःशुल्क आवासीय भूमि का पट्टा देने में पक्षपात

17. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री हीरालाल आर्य)

(1) ग्राम पंचायत इटावा, जिला कोटा के वर्तमान सरपंच द्वारा अब तक कुल कितने व्यक्तियों को निःशुल्क आवासीय भूमि का पट्टा दिया गया ? नाम, पिता का नाम, जाति तथा भू-खण्ड का माप, निःशुल्क पट्टा देने के कारण आदि सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त व्यक्तियों को निःशुल्क पट्टा देते वक्त सरपंच ने पक्षपात तथा पद का दुरुपयोग किया है ?

(3) यदि हां, तो उक्त अनियमितता के लिये सरपंच के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) ग्राम पंचायत इटावा द्वारा कुल 54 निःशुल्क भू-खण्ड दिए गये हैं, जिनमें से एक भू-खण्ड समाज कल्याण विभाग के छात्रावास के लिए दिया गया है। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) पंचायत समिति, इटावा में ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(3) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 11 देखें।)

तहसील सांगानेर व चाकसू में ग्राम पंचायतों की आमदनी का स्रोत

18. **श्रीमती विद्या पाठक** (सांगानेर) : क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) तहसील सांगानेर व चाकसू में ग्राम पंचायतों की आमदनी के स्रोत क्या-क्या है ? क्या राज्य सरकार ने इसका सर्वे कराया है ?

(3) क्या राज्य सरकार इन ग्राम पंचायतों को उक्त कार्य हेतु मदद करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। राज्य सरकार द्वारा कोई सर्वे नहीं कराया गया है।

(2) जी नहीं ! स्थानीय खनिज. नदी जल से कोई आय नहीं हो रही है।

(3) राजस्थान पंचायत अधिनियम व नियमों में ग्राम पंचायत को कर तथा अन्य स्रोतों से आय बढ़ाने के अधिकार प्राप्त हैं और राज्य सरकार की जिन मामलों में पूर्वानुमति या स्वीकृति आवश्यक होती है, दी जाती है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

पंचायत समिति सांगानेर व चाकसू की आडिट रिपोर्ट

19. **श्रीमती विद्या पाठक** (सांगानेर) : क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समितियों का भी आडिट राज्य सरकार द्वारा प्रति वर्ष किया जाता है ? यदि हां, तो पंचायत समिति, सांगानेर और पंचायत समिति चाकसू का आडिट गत तीन वर्षो में कब-कब व किस-किस के द्वारा किया गया ?

(श्रीमती विद्या पाठक)

(2) गत 3 वर्षों में उक्त दोनों पंचायत समितियों और उसके तहत पंचायतों में आडिट में लगाये गये एतराजों का विवरण सदन की मेज पर रखें ? गत वर्ष की पंचायत समिति की आडिट रिपोर्ट भी सदन की मेज पर रखें ?

उत्तर

(1) जी हां । पंचायत समिति, सांगानेर व चाकसू का गत तीन वर्षों का आडिट निम्न प्रकार से स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा किया गया है :—

क्र.सं.	वर्ष	आडिट करने की अवधि
	पंचायत समिति सांगानेर	
1.	1980-81	2.7.81 से 14.7.81
2.	1981-82	5.7.82 से 16.7.82
3.	1982-83	11.8.83 से 27.9.83
	पंचायत समिति चाकसू	
1.	1980-81	14.7.81 से 24.7.81
2.	1981-82	7.4.83 से 20.4.83
2.	1982-83	अभी आडिट नहीं हुआ है ।

(2) सूचना अधिक विस्तृत होने से आडिट रिपोर्ट की प्रतियां सदन के पटल पर रखा जाना संभव नही है ।

पंचायत समिति क्षेत्र सांचौर जिला जालौर में प्राथमिक विद्यालय खोलने की मांग

20. **श्री भरतलाल** (हिण्डोन) : क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि पंचायत समिति क्षेत्र सांचौर जिला जालौर में निम्न लिखित स्थानों पर प्राथमिक पाठशालाएं खोलने की सरकार से मांग की गई थी :—

(क) बांवलियां की ढाणी बस्ती ग्राम दातां, पंचायत नैनोल के क्षेत्र में,

(ख) कालु की ढाणी, बस्ती, ग्राम एवं पंचायत पुर की सरहद में,

(ग) तुलछाणियों की ढाणी, बस्ती ग्राम एवं पंचायत सरणामा की सरहद में,

(घ) गणेशाणियों की ढाणी,बस्ती ग्राम एवं पंचायत सांकड़ की सरहद में,

(ड.) बडसल की वेरी, बस्ती ग्राम एवं पंचायत डूढवा की सरहद में,

(च) "वलवाना" गांव में प्राथमिक पाठशाला ।

अगर हां, तो उक्त स्थानों पर प्राथमिक पाठशालाएं कब तक खोल दी जाएंगी ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि उक्त स्थानों के आस-पास 3 कि. मी. की परिधि में कोई अन्य प्राथमिक पाठशाला नहीं है और वहां पर कम से कम 60 छात्र छात्राएं पढ़ने हेतु उपलब्ध हैं ? अगर हां, तो वहां पर सरकारी नीति के अनुसार पाठशालाएं क्यों नहीं खोली गई हैं ?

(3) क्या यह भी सत्य है कि उक्त स्थानों के आसपास 500 से अधिक की आबादी के गांव हैं और वहां पर पाठशाला

(श्री भरतलाल)

भवन एवं शिक्षक के रहने हेतु भवन गांव वालों की तरफ से उपलब्ध है ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति, साँचौर के बावलियों की ढाणी, तुलछाणियों की ढाणी, गणेशाणियों की ढाणी व बडसल की बेरी स्थानों पर शाला खोले जाने की मांग की गई थी। कालू की ढाणी एवं बलवाना में शालाऐं खोलने हेतु कोई मांग नहीं की गई है। शिक्षा विभाग से स्वीकृति प्राप्त होने पर शाला खोलने पर विचार किया जायगा।

(2) प्रश्न संख्या 1 में (ग) व (घ) पर वर्णित स्थानों के अतिरिक्त शेष स्थानों के 3 कि. मी. की परिधि में निम्न शालाए चालू हैं :

(क) रा. उ. प्रा. शाला, दाता

(ख) रा. प्रा. शाला, पुर

(ग) रा. प्रा. शा. सैसाणा व चीमड़ा

(घ) रा. प्रा. शा. हरियाली

प्रश्न (1) में बताये गये स्थानों पर 60 छात्र/छात्राए उपलब्ध होना मुश्किल है।

(3) जी नहीं।

सरपंच ग्राम पंचावत गुडा हेमा, देवड़ा एवं सूराचन्द पं. स. सांचौर के विरुद्ध अनियमितताओं के गंभीर आरोप

21. श्री भरतलाल (हिण्डोन) : क्या पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सत्य है कि सरपंच, ग्राम पंचायत गुडा हेमा, सरपंच, ग्राम पंचायत देवड़ा एवं सरपंच, ग्राम पंचायत सूराचन्द पंचायत समिति सांचौर के विरुद्ध वित्तीय अनियमितताओं के गंभीर आरोप है ? अगर हां, तो क्या-क्या ? क्या सरकार इन अनियमितताओं के बारे के विशेष अंकेक्षण करवाना उचित समझेगी ? अगर हां, तो कब तक ?

(2) क्या पंचायत समिति सांचौर में भी गंभीर वित्तीय अनियमितताए बरती गई है ? अगर हां, तो क्या-क्या एवं कब-कब ?

(3) इन परिस्थितियों में क्या सरकार पंचायत समिति सांचौर का विशेष अंकेक्षण करवाना उचित समझेगी ? अगर हां, तो पंचायत समिति सांचौर का विशेष अंकेक्षण कब तक करवा दिया जायगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं। सरपंच ग्राम पंचायत गुडा हेमा, देवड़ा एवं सूराचन्द के विरुद्ध अब तक वित्तीय अनियमितताए बरतने का कोई मामला नहीं आया है। वर्ष 1982-83 तक का अंकेक्षण हो चुका है। अत: विशेष अंकेक्षण का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

(2) जी नहीं। पंचायत समिति सांचौर का अंकेक्षण वर्ष 1982-83 तक का हो चुका है। इसमें गंभीर वित्तीय अनियमितताएं नहीं पाई गई है।

Page No. 36

(36)

(पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री)

(3) वर्ष 1982-83 के अंकेक्षण के फलस्वरूप कोई गंभीर वित्तीय अनियमितताएं नहीं पाई गई हैं। अतः राज्य सरकार विशेष अंकेक्षण करवाने का कोई औचित्य नहीं समझती है।

विकास अधिकारी लाडनूं द्वारा ग्राम रोजा के हौज का भुगतान

22. **श्री रामधन** (लाडनूं): क्या पंचायत राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विकास अधिकारी लाडनूं द्वारा ग्राम रोजा के हौज का भुगतान बिना तकनीकी जांच के किया गया? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इसकी जांच करवायगी? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि हौज में कार्य अच्छी तरह से नहीं होने के कारण पानी नहीं रहता है? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इसकी मरम्मत करवायगी? यदि हां, तो कब तक? नहीं तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि ग्राम बल्दू की नाड़ी नारवली को गहरा करवाने के लिए राज्य सरकार द्वारा 70 हजार रुपये तय किये थे और जिसमें ग्राम पंचायत द्वारा भारी अनियमितताएं की गई? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इसकी जांच करवा कर सरपच के खिलाफ उचित कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो कब तक? नहीं तो क्यों?

(4) क्या यह भी सही है कि ग्राम टोकी के गवाई कुएं का कार्य कई दिनों से अधूरा पड़ा हुआ है यदि हां तो इसको जल्दी पूरा करवाया जायगा? नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। तकनीकी जांच के पश्चात ही भुगतान किया गया है। अतः जांच करवाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(2) जी नहीं। उक्त हौज के पायतन का कार्य पूर्ण होने के बाद से वर्षा न होने से हौज में पानी नहीं आया है। अतः इसकी मरम्मत कराये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) जी नहीं। ग्राम बल्लू की नागली नाडी खुदवाई हेतु 40,000/- रुपये की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। यह अकाल राहत कार्य था जिसका भुगतान सहायक अभियन्ता (सामुदायिक विकास), नागौर के निर्देशानुसार तहसीलदार, लाडनूं द्वारा मौके पर श्रमिकों को किया गया। अतः सरपंच द्वारा भारी अनियमितताएं किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) जी हां। इस कार्य को शीघ्र ही पूर्ण कराये जाने के निर्देश जारी किये जा चुके हैं।

प्राथमिक पाठशालाओं में अध्यापकों की कमी

23. **श्री रामधन** (लाडनूं)—क्या पंचायत राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्राथमिक पाठशालाओं में अध्यापकों की भारी कमी है? यदि हां, तो कितनी तथा इनकी पूर्ति कब तक कर दी जायगी? यदि नहीं तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि लाडनूं

(श्री रामधन चौधरी)

तहसील के ग्राम ढीगसरी, अनसरिया, छप्पारा व चन्द्राई की पाठशालाओं में बच्चों के अनुपात में अध्यापकों की कमी है ? यदि हां, तो कितने अध्यापकों की ?

(3) क्या राज्य सरकार इन पाठशालाओं में अध्यापक लगाने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार दिनांक 31-12-82 को छात्र संख्या के आधार पर वर्तमान में 8003 अध्यापकों के पदों की कमी है। शिक्षा विभाग से अध्यापकों के अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति प्राप्त होते ही पूर्ति कर दी जायगी।

(2) जी हां। निर्धारित मापदण्डों के आधार पर ग्राम ढीगसरी पाठशाला में तीन तथा अनेसरिया, छप्पारा व चन्द्राई पाठशालाओं में दो-दो अध्यापकों की कमी है।

(3) शिक्षा विभाग से पूरी संख्या में अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति प्राप्त होने पर अध्यापक उपलब्ध करा दिये जायेंगे।

तहसील बेगूं के प्राथमिक स्कूल

26. **श्री घनश्याम जैन** (बेगूं) : क्या पंचायत राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील बेगूं में कितने प्राथमिक स्कूल हैं, एवं उनमें आज तक कितने अध्यापकों के पद कब से रिक्त हैं तथा कौन कौन से स्कूल में हैं ? सूची सदन के पटल पर रखावें।

(2) क्या जिन गांवों में इसी वर्ष प्राथमिक विद्यालय खोलने की घोषणा की है वहां पर सभी विद्यालय चालू हो गये हैं ? यदि नहीं, तो जिन स्थानों पर विद्यालय प्रारम्भ नहीं किये उन ग्रामों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) विद्यालय प्रारम्भ नहीं होने के क्या कारण हैं ? अब कब तक प्रारम्भ हो जायेंगे ?

उत्तर

(1) तहसील बेगूं में 128 प्राथमिक स्कूल हैं। दिसम्बर, 83 से अध्यापकों के 11 पद रिक्त हैं। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) तहसील बेगूं में इस वर्ष 15 प्राथमिक शालाएं खोली गई हैं, जिनमें से 10 शालाएं अभी तक चालू नहीं हुई हैं। जिन स्थानों पर विद्यालय चालू नहीं हुये हैं उनकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) अस्थाई अध्यापकों की नियुक्ति हेतु आशार्थी उपलब्ध नहीं होने से व जोइन नहीं करने से विद्यालय प्रारम्भ नहीं किये जा सके हैं। प्राप्त सूचना के अनुसार इसी माह में चालू हो जाने की सम्भावना है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 13 देखें)

पंचायत समिति बांदीकुई द्वारा 20 सूत्री, कार्यक्रम के अन्तर्गत लघु उद्योगों को दी गई राशि

27. **श्री नाथूसिंह** (बांदीकुई) : क्या सामुदायिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) पंचायत समिति, बांदीकुई द्वारा 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत लघु-उद्योगों के लिए वर्ष 1982-83 व 1983 से जनवरी, 1984 तक किन-किन लोगों को किस-किस उद्योग के लिए कब-कब कितना-कितना रुपया दिया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उनमें से इस समय कितने उद्योग चालू हैं ?

(3) क्या यह सत्य है कि कुछ उद्योग बन्द हो गये हैं ? यदि हां, तो कितने व क्यों तथा उनसे रुपया वसूल करने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति द्वारा वर्ष 1982-83 व 1983 से जनवरी, 1984 तक लघु-उद्योगों हेतु कोई ऋण अथवा अनुदान वितरण नहीं किया गया है।

(2) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(3) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

ग्राम पंचायत इटावा, जिला कोटा के विरुद्ध गबन का मामला

28. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या पंचायत राज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत इटावा, जिला कोटा के सरपंच के विरुद्ध गबन एवं घोटाले की रिपोर्ट वहां के पंचों ने सम्बन्धित उच्च अधिकारियों को दी थी ?

(2) यदि हां, तो क्या उक्त मामले की जांच की गई है ? यदि हां, तो किसके द्वारा ? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन के पटल पर रखने की कृपा करें ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार उक्त मामले की शीघ्र जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। उक्त मामले की जांच पंचायत प्रसार अधिकारी, कोटा द्वारा की गई है। जांच रिपोर्ट की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) जांच से आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं। अतः कार्यवाही का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(जांच प्रतिवेदन के लिए कृपया परिशिष्ट 14 देखें)

सवाई माधोपुर के प्राइमरी स्कूलों में अध्यापकों की कमी

29. **श्री हंसराज शर्मा** (सवाई-माधोपुर) : क्या पंचायत राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(श्री हंसराज शर्मा)

(1) सवाई माधोपुर जिले में कुल कितने प्राइमरी स्कूल हैं तथा उनमें कितने छात्र हैं तथा कुल कितने अध्यापक मौजूद हैं तथा कितने अध्यापकों की कमी है ?

(2) क्या यह भी सही है कि कक्षा 1 से 5 तक के स्कूलों में 70 से अधिक छात्र पढ़ते हैं और मास्टर एक लगा हुआ है ? यदि हां, तो इस प्रकार चलने वाले कुल कितने स्कूल है तथा यह व्यवस्था कब से चल रही है ?

(3) क्या यह भी सही है कि इन प्राइमरी स्कूलों में छात्रों को पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उन स्थानों पर हैण्ड पम्प लगाने का विचार रखती है ?

(4) क्या यह भी सही है कि जिला सवाई माधोपुर में मास्टरों की कमी को पूर्ण करने की प्रति वर्ष मांग की जाती है ? यदि हां, तो वह मांग कब तक पूरी कर दी जायगी ?

उत्तर

(1) सवाई माधोपुर जिले की पंचायत समितियों में कुल 1030 प्राथमिक शालाएं हैं जिनमें 1,00,369 छात्र-छात्राएं हैं और कुल 2081 अध्यापकों के पद स्वीकृत हैं। शिक्षा विभाग के मापदण्डों के अनुसार 337 अध्यापकों की कमी है।

(2) जी हां। इस प्रकार की कुल 79 शालाएं हैं। पंचायत समिति, बोली एवं सवाई माधोपुर में कुछ शालाएं जुलाई, 82 से तथा बाकी पंचायत समितियों में कुछ शालाएं जुलाई, 83 से चल रही हैं।

(3) प्राथमिक शालाओं के छात्रों को पानी पिलाने के लिए निजी आय अथवा पंचायत के सहयोग से छात्र संख्या के अनुसार राशि देकर पानी की व्यवस्था की जाती है। प्राथमिक पाठशालाओं के लिए हैन्डपम्प लगाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। समस्याग्रस्त गांवों में ग्राम पंचायत चाहे तो दूसरा हैण्डपम्प स्कूल के पास खुदवाने हेतु सलाह दे सकती है।

(4) जी हां। जिला सवाई माधोपुर की पंचायत समितियों की प्राथमिक शालाओं के लिए वर्ष 82-83 में 158 तथा वर्ष 83-84 में 142 अतिरिक्त अध्यापकों के पद आवंटन किये गये हैं। शिक्षा विभाग से अतिरिक्त पदों की स्वीकृति प्राप्त होने पर इस जिले में भी पद आवंटित किये जायेंगे।

कोटा जिले के भेड़ पालकों को कोटा एवं बूंदी के नाकों पर परेशान किया जाना

30. श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : क्या भेड़ व ऊन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह शिकायत है कि कोटा जिले के भेड़ पालक जब ऊन को केकड़ी मंडी में बेचने जाते हैं तो उन्हें कोटा एवं बूंदी के नाकों पर अनावश्यक रूप से परेशान किया जाता है ?

(2) यदि हां, तो क्या सरकार भेड़ पालकों के हित में उन्हें अनावश्यक परेशान नहीं किया जाय ऐसी व्यवस्था करेगी ?

Page No. 40

(40)

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

जैसलमेर जिले में 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत घर-घर राशन के लक्ष्य

31. श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी (जैसलमेर) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत जैसलमेर जिले के लिए वर्ष 1982-83, 1983-84 में घर-घर राशन के क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये थे व क्या-क्या उपलब्धियां अर्जित की जा चुकी हैं ? कृपया पंचायतवार विवरण सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

बीस सूत्री कार्यक्रम के "घर-घर राशन" के अन्तर्गत जैसलमेर जिले के लिए वर्ष 1982-83 में नहरी क्षेत्र में दो उचित मूल्य की दुकानें और दो भ्रमणशील दुकानें खोलने का लक्ष्य था। नहरी क्षेत्र में दोनों दुकानें खोल दी गई और एक भ्रमणशील दुकान जैसलमेर उप-खण्ड में खोली गई। वर्ष 1983-84 में केवल एक भ्रमणशील दुकान खोलने का लक्ष्य है, जिसे पोकरण उप-खण्ड में खोलने की कार्यवाही जारी है। जैसलमेर जिले में वर्तमान में शहरी इलाके में 12, ग्रामीण इलाके में 101 उचित मूल्य की दुकानें कार्यरत हैं जिस में से एक दुकान भ्रमणशील है।

काले धन की रोकथाम के नियम

32. श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) नये बीस सूत्री कार्यक्रम के सूत्र संख्या 19 "कालेधन की रोकथाम" के अन्तर्गत तस्करी, करों की चोरी तथा जमाखोरी एवं सट्टों को रोकने के कौन-कौन से नियम राज्य में लागू हैं ? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 1982-83 और 1983-84 में राज्य में इस सूत्र के अन्तर्गत क्या-क्या प्रयत्न किये गये एवं किस-किस के खिलाफ कब-कब और क्या-क्या कार्यवाही की गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) नये बीस सूत्री कार्यक्रम के सूत्र संख्या 19 के अन्तर्गत आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी एवम् काला बाजारी से सम्बन्धित विषय का संबंध खाद्य विभाग से है। आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी एवम् काला बाजारी को रोकने के लिये निम्नलिखित कानून लागू हैं जिनकी प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गई है—

1. चोर बाजारी निवारण एवम् आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम 1980

2. दालें, खाद्य तिलहन, खाद्य तेल (भण्डारण नियन्त्रण) आदेश, 1977

3. राजस्थान व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञापन तथा नियन्त्रण) आदेश, 1980

(खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री)

4. राजस्थान सीमेण्ट (अनुज्ञापन तथा नियन्त्रण) आदेश, 1974

5. राजस्थान पैट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन एवं नियन्त्रण) आदेश, 1979

(3) वर्ष 1982-83 व 1983-84 में राज्य में इस सूत्र के अन्तर्गत जमाखोरी रोकने के सम्बन्ध में किस-किस के खिलाफ कब-कब और क्या-क्या कार्यवाही की गई की सूची संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 15 देखें)

(कानूनों की प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान पुस्तकालय में रखी गई)

पंचायत समिति मावली की पंचायत घोली मगरी में आवश्यक वस्तुओं की वितरण व्यवस्था

33. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** (उदयपुर) : क्या रसद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जिला उदयपुर में पंचायत समिति मावली की पंचायत घोली मगरी में चीनी, तेल, कपड़ा, सीमेण्ट व अन्य आवश्यक वस्तु वितरण की व्यवस्था है ? यदि हां, तो किसकी मार्फत और कब से ?

(2) यह कि उक्त दुकान को जनवरी, 1983 से 31 जनवरी, 1984 तक क्या-क्या सामग्री वितरण हेतु उपलब्ध कराई गई ? कृपया सूची माहवार सदन के पटल पर रखें।

(3) क्या इस गांव के लोगों के पास राशन कार्ड उपलब्ध हैं ? यदि हां, तो 31 दिसम्बर, 1983 तक कुल कितने कार्ड थे एवं कुल यूनिट कितने थे ?

(4) क्या दुकानदार द्वारा उक्त वस्तुओं का वितरण लोगों को राशन कार्ड के आधार पर किया गया ? यदि हां, तो क्या विभाग के अधिकारियों ने इस बात की जांच की ? यदि हां, तो कब-कब ? कृपया जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) पंचायत घोली मगरी में उचित मूल्य की दुकान से केवल चीनी वितरण की जाती है। चीनी वितरण का कार्य श्री माना डांगी, उचित मूल्य के दुकानदार वर्ष 1976 से कर रहे हैं। लेवी सीमेण्ट का वितरण परमिटों के मावली स्थित अनुज्ञापनधारियों के माध्यम से किया जाता है।

(2) उक्त उचित मूल्य के दुकानदार को 87। बोरी लेवी चीनी उपलब्ध कराई गई। मासिक सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) घोली मगरी गांव के लोगों के पास राशन कार्ड उपलब्ध हैं। 31 दिसम्बर, 1983 तक कुल राशन कार्ड 244 एवं यूनिट 1501 थे।

(4) जी हां। उचित मूल्य की दुकान से चीनी का वितरण राशन कार्ड पर किया जाता है। चूंकि इस सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई, इसलिये कोई जांच आदि नहीं कराई गई। फिर भी उचित वितरण की सुनिश्चितता के लिये जांच कराने के लिये आदेश दे दिये गये हैं।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट 16 देखें)

अनुपस्थिति अनुमति

श्री कमलेन्द्र सिंह को दिनांक 5 मार्च से 13 मार्च तक विधान सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री अध्यक्ष—सदन की कार्यवाही प्रारम्भ होने के पूर्व मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य कमलेन्द्रसिंह ने दिनांक 5 मार्च, 1984 से 13 मार्च, 1984 तक विधान सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है। क्या सदन की अनुमति है?

(स्वीकृत)

अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की गयी।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :

(1) **श्री महावीर प्रसाद जैन**, सदस्य, विधान सभा की ओर से पंचायत समिति टौंक के कुछ गांवों में काश्तकारों के स्वयं की परचों की जमीन पर अतिक्रमण दर्ज कर राजस्व अधिकारियों द्वारा उन्हें डराया-धमकाया जा रहा है, इस विषय में,

(2) **श्री भगवानदास शास्त्री**, सदस्य विधान सभा की ओर से दिसम्बर, 1983 में प्रदीप चौधरी नामक एक छात्र की हत्या के विषय में,

(3) सर्व श्री महाराम चौधरी, बालचन्द्र आर्यवीर, हीरालाल आर्य, अनंग कुमार जैन, हरीश शर्मा, गोपाल पचेरवाल, दाऊदयाल जोशी, छीतरलाल आर्य, त्रिलोकसिंह, रघुवीरसिंह कौशल, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत फरवरी में शीत लहर के प्रकोप से गेहूं, चना, अरहर, सरसों, अफीम, जीरा की फसलें नष्ट हो जाने और किसानों से वसूलियां जारी रखने के विषय में,

(4) **श्री रामकंवार बैरवा**, सदस्य, विधान सभा की ओर से फागी तहसील व जिला जयपुर में पिछले कुछ दिनों से चोरियों की संख्या में बढ़ोतरी होने के विषय में,

(5) **श्री बंशीलाल पटवा**, सदस्य, विधान सभा की ओर से मेजा बांध से रबी की फसलों को सिंचाई हेतु चार पानी देने के स्थान पर केवल तीन पानी देने के कारण फसलों को हुये नुकसान के विषय में,

(6) **श्री गुलाबचन्द कटारिया**, सदस्य, विधान सभा की ओर से उदयपुर नगर के नेत्रहीन विद्यालय में अनियमितताएं एवं भवन के विषय में,

(7) **डा० उजला अरोड़ा**, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान सॉ मिल्स रूल्स, 1983 के प्रवर्तन के कारण होने वाली कठिनाइयों के विषय में,

(8) **श्री जीतमल जैन**, सदस्य, विधान सभा की ओर से अलवर के पुलिस थाने में चोरी के आरोप में एक व्यक्ति मोहरपाल को पुलिस द्वारा यातनाएं पहुंचाने के विषय में,

(9) **श्री कैलाश मेघवाल**, सदस्य, विधान सभा की ओर से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान द्वारा बिना पूर्व सूचना एवं बिना कन्ट्रोल के कागज उपलब्ध कराये 44 पाठ्य पुस्तकों को नई छपाने के विषय में,

(श्री ग्रध्यक्ष)

(10) **श्री देवीसिह भाटी**, सदस्य, विधान सभा की ग्रोर से ग्राम मंगनवाला तहसील कोलायत के एक भारतीय नागरिक श्री ग्रल्ला बसाया को जिला पुलिस बीकानेर द्वारा जबरदस्ती पाकिस्तान की सीमा में धकेलने के विषय में।

इन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है ग्रौर जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

(1) श्री नाथूसिह, सुश्री पुष्पा जैन, श्रीमती विद्या पाठक, सर्व श्री ललित किशोर चतुर्वेदी, भंवरलाल शर्मा व रामकिशोर मीणा, सदस्य, विधान सभा की ग्रोर से गत 25 जनवरी को कोटपूतली में पुलिस के सिपाहियों द्वारा एक महिला के साथ बलात्कार ग्रौर पुलिस द्वारा किए गए गोली कांड के विषय में।

इस विषय पर राज्य सरकार की ग्रोर से एक वक्तव्य दिया जायगा जिसकी तिथि बाद में निश्चित की जायगी।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

ग्रधिसूचना

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र श्री चन्दन मल बैद।

श्री चन्दनमल बैद (उपनिवेशन मंत्री): ग्रध्यक्ष महोदय, मैं ग्रापकी ग्राज्ञा से राजस्थान उपनिवेशन ग्रधिनियम, 1956 की धारा 29 के ग्रन्तर्गत उपनिवेशन विभाग की निम्नांकित ग्रधिसूचनाएँ सदन की मेज पर रखता हूं—

(1) ग्रधिसूचना संख्या प.4 (7) राज/उप/80/पार्ट दिनांक 24-1-1984, जिसके ग्रन्तर्गत ग्रतिरिक्त जिलाधीश एवं सचिव, मंडी विकास समिति, हनुमानगढ़ को कार्यपालक ग्रधिकारी के कृत्यों का पालन एवं शक्तियों का प्रयोग करने हेतु नियुक्त किया गया है।

(2) ग्रधिसूचना संख्या एफ 4 (24) रेव/कोल/82 दिनांक 24-1-1984 जिसके द्वारा विभिन्न भू ग्रावंटन नियमों में संशोधन किये गये हैं।

(3) ग्रधिसूचना संख्या प. 4 (12) राज/उप/83/पार्ट दिनांक 22-2-1984, जिसके ग्रन्तर्गत कतिपय ग्रधिकारियों को राजस्थान उपनिवेशन ग्रधिनियम, 1954, जिसके ग्रधीन प्रादेशिक ग्रधिकारिता के भीतर कलेक्टर के सभी कृत्यों का पालन तथा शक्तियों का प्रयोग करने हेतु किया गया है,

(4) ग्रधिसूचना संख्या प. 4 (11) राज/उप/81/दिनांक 23-2-1984, जिसके ग्रन्तर्गत जैसलमेर तहसील के कतिपय गांवों में राजस्थान उपनिवेशन ग्रधिनियम, 1954) के उपबंध लागू किये गये हैं,

(5) ग्रधिसूचना संख्या प. 4 (11) राज/उप/81 दिनांक 23-2-1984 जिसके ग्रन्तर्गत राजस्थान नहर क्षेत्र के कतिपय क्षेत्रों का पुन: सर्वेक्षण किया जाना है।

(6) ग्रधिसूचना संख्या प. 4 (11) राज/उप/81 दिनांक 23-2-1984, जिसके ग्रन्तर्गत राजस्थान नहर क्षेत्र के पहले से ही सर्वेक्षित क्षेत्रों में ग्रभिलेखों का सामान्य पुनरीक्षण प्रारम्भ किया जा रहा है,

(7) ग्रधिसूचना संख्या एफ. 3 (15 रेव / कोल / 76 / पार्ट–11 दिनांक 13-2-1984, जिसके ग्रन्तर्गत राजस्थान

उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेश) शर्तें, 1955 में संशोधन किये गये है,

(8) अधिसूचना संख्या एफ. 4 (8) रेव/कोल/76 पार्ट दिनांक 18-2-1984, जिसके अन्तर्गत राजस्थान उपनिवेशन (चम्बल परियोजना में सरकारी भूमि का आवंटन तथा विक्रय) नियम, 1957 में संशोधन किया गया है, व

(9) अधिसूचना संख्या एफ. 4 (8) रेव/कोल/76 पार्ट दिनांक 28-2-1984, जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (भाखरा परियोजना में सरकारी भूमि का आवटन तथा विक्रय) नियम, 1955 में संशोधन किया गया है।

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र। श्री हीरालाल देवपुरा।

श्री जय कृष्ण शर्मा : (राज्य मंत्री, यातायात) अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नांकित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं—

(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 259 (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या एफ. 5 (12) रेव/ग्रुप-टी/78 दिनांक 28-9-1983, जिसके द्वारा राजस्थान टिनेन्सी (गवर्नमेन्ट) नियम, 1955 में संशोधन किये गये हैं- अ

(ख) राजस्थान पास बुक (कृषि जोत) अधिनियम, 1983 की धारा 9 (3) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या प. 2 (6) राज/4/82/9 दिनांक 15 फरवरी, 1984 जिसके अन्तर्गत राजस्थान पास बुक (कृषि जोत) नियम, 1983 में संशोधन किये गये हैं।

विधायी कार्य : विधेयक का पुनः स्थापन

श्री अध्यक्ष : विधायी कार्य--पुरः स्थापित किये जाने वाले विधेयक श्री बृज सुन्दर शर्मा। **राजस्थान भूमि एवं भवन कर (संशोधन) विधेयक 1984.**

श्री प्रधुम्नसिंह : (राज्य मंत्री, स्वायत्त शासन) अध्यक्ष महादय, मैं राजस्थान भूमि एवं भवन कर (संशोधन) विधेयक, 1984 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान भूमि एवं भवन कर (संशोधन) विधेयक, 1984 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए ? आज्ञा प्रदान की गई।

(स्वीकृत)

श्री प्रधुम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान भूमि एवं भवन कर (संशोधन) विधेयक, 1984 का पुरः स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : जयकृष्ण शर्मा।

राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक 1984

श्री जयकृष्ण शर्मा : (राज्य मंत्री यातायात) अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1984 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1984 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई--।

श्री जय कृष्ण शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1984 पुरः स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री जय कृष्ण शर्मा।

राजस्थान लोक सेवा यान अधिग्रहण विधेयक, 1984

श्री जय कृष्ण शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान लोक सेवा यान अधिग्रहण विधेयक, 1984 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान लोक सेवा यान अधिग्रहण विधेयक, 1984 पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री जय कृष्ण शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान लोक सेवा यान अधिग्रहण विधेयक, 1984 को पुरःस्थापित करता हूं।

समिति का प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति का 21 वां प्रतिवेदन

श्री अध्यक्ष : कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन उपस्थापन एवं उस पर विचार।

श्री खेतसिंह राठौड़ (मंत्री, संसदीय कार्य) : अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के 21 वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 5 मार्च, 1984 को मध्याह्नोत्तर 1.05 बजे हुई। कार्य सलाहकार समिति ने दिनांक 6 मार्च, 1984 से 30 मार्च, 1984 तक सदन में लिये जाने वाले कार्य के विषय में विचार-विमर्श किया। समिति सिफारिश करती है कि उक्त कार्य का बटवारा इस प्रकार से किया जाय:

मंगलवार दिनांक 6 मार्च, 1984
बुधवार दिनांक 7 मार्च, 1984
गुरुवार दिनांक 8 मार्च, 1984

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद--।

श्री अध्यक्ष : पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री खेतसिंह राठौड़ : सक्यूंलेट हो गया है, पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

(कार्य सलाहकार समिति का शेष प्रतिवेदन)

शुक्रवार दिनांक 9 मार्च 1984
शनिवार दिनांक 10 मार्च, 1984
रविवार दिनांक 11 मार्च, 1984

बैठक नहीं होगी।

Page No. 46

(श्री खेतसिंह राठौड़)

सोमवार दिनांक 12 मार्च, 1984

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अग्रेतर वाद-विवाद ।

मंगलवार दिनांक 13 मार्च, 1984

बैठक नहीं होगी ।

बुधवार दिनांक 14 मार्च, 1984

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अग्रेतर वाद-विवाद और राज्य सरकार की ओर से उत्तर ।

गुरुवार दिनांक 15 मार्च, 1984
(प्रातः 11 बजे)

आय व्ययक (बजट) 1984-85 का उपस्थापन

शुक्रवार दिनांक 16 मार्च, 1984
शनिवार दिनांक 17 मार्च, 1984
रविवार दिनांक 18 मार्च, 1984

बैठक नहीं होगी ।

सोमवार दिनांक 19 मार्च, 1984
मंगलवार दिनांक 20 मार्च, 1984
बुधवार दिनांक 21 मार्च, 1984
गुरुवार दिनांक 22 मार्च, 1984

बजट पर सामान्य वाद-विवाद ।

शुक्रवार दिनांक 23 मार्च, 1984

(I) बजट पर सामान्य वाद-विवाद पर राज्य सरकार का उत्तर,

(II) गैर सरकारी सदस्य कार्य,

(क) राजस्थान भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक, 1981 (प्रभारी सदस्य श्री शोभाराम), पर विचार

(ख) राजस्थान दहेज प्रतिषेध विधेयक, 1981 (प्रभारी सदस्य श्री शोभाराम), पर विचार ।

शनिवार दिनांक 24 मार्च, 1984
रविवार दिनांक 25 मार्च, 1984

बैठक नहीं होगी ।

सोमवार दिनांक 26 मार्च, 1984

अनुपूरक अनुदानों की मांगें वर्ष 1983-84 पर विचार और उनका पारण तथा संबंधित विनियोग विधेयक पर विचार और उसका पारण ।

मंगलवार दिनांक 27 मार्च, 1984

(I) वर्ष 1976-77 के संबंध में अतिरेक मांगों पर विचार और उनका पारण तथा संबंधित विनियोग विधेयक पर विचार और उसका पारण

(II) वर्ष 1984-85 में किये जाने वाले आंशिक व्यय के लिए लेखानुदान (वोट ऑन अकाउन्ट) की मांगों पर विचार और उनका पारण तथा संबंधित विनियोग विधेयक पर विचार और उसका पारण ।

बुधवार दिनांक 28 मार्च, 1984
गुरुवार दिनांक 29 मार्च, 1984

(श्री खेतसिंह राठौड़)

शुक्रवार दिनांक 30 मार्च, 1984

(क) विधायी कार्य

1—राजस्थान के विश्वविद्यालय अध्यापक तथा अधिकारी (सेवा की विशेष शर्तें, (संशोधन) विधेयक, 1984

2—मोहनलाल सुखाड़िया कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1984

3—औद्योगिक विवाद (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1984

4—राजस्थान आवासन बोर्ड (संशोधन और विधिमान्यकारी) विधेयक, 1984

5—राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) विधेयक, 1984 और

6—राजस्थान कानिया उपरोपण (संशोधन) विधेयक, 1984 पर विचार और उनका पारण

(ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के संबंध में सरकारी संकल्प पर विचार।

(ग) गैर सरकारी कार्य (संकल्प) (शुक्रवार दिनांक 30-3-1984 को आधे दिन के लिये)

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 21 वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 21 वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है?

(स्वीकृत)

कार्य सलाहकार समिति के 21 वें प्रतिवेदन पर सर्व सहमति प्रकट की गई।

अभिभाषण पर वाद-विवाद

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : पाइन्ट ऑफ ऑर्डर।

श्री अध्यक्ष : विचारणीय, विषय नहीं है।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : अध्यक्ष महोदय, आपने जो स्थगन प्रस्ताव की व्यवस्था दी है, मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि राजस्थान के अन्दर शीत लहर में जो नुकसान हुआ और....

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं होगा।

श्री महाराम चौधरी : बहुत ही भयंकर नुकसान हुआ है....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

(व्यवधान)

श्री महाराम चौधरी : इसके लिए क्या व्यवस्था करेंगे जब कि इसमें इतना भयंकर नुकसान हुआ है?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठ जायं। ऑर्डर, ऑर्डर। आसन को चिन्ता है, सभी माननीय सदस्यों को चिन्ता है। सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है।

श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) : माननीय अध्यक्ष महोदय, नुकसान हुआ है और आप कह रहे हैं....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, आर्डर। अंकित न हो

श्री महाराम चौधरी : ×××

श्री बालचन्द आर्यवीर : ×××

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है। माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है। माननीय सदस्य, बैठने की कृपा करें।

श्री महाराम चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप क्या जानकारी मंगायेंगे....

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मेरी बातों को सुनने का कष्ट करें। मैं स्वयं इस सम्बन्ध में चिन्तित हूं। मैं जानकारी मंगा रहा हूं।

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो। व्यर्थ में समय जा रहा है। ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री महाराम चौधरी : ×××

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने कलेक्टर, जोधपुर, जयपुर के खिलाफ इस सदन में....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इस संबंध में कल व्यवस्था दे दी जायगी।

घोषणा

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद के लिये समय का बटवारा

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद के लिये पार्टियों को समय का बंटवारा।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद के लिये करीब 16 घंटे का समय मिलेगा। इस समय का दलों में निम्न प्रकार बटवारा किया गया है। इस समय में सरकार द्वारा उत्तर दिये जाने का समय भी शामिल है।

1.	कांग्रेस (इ)	10 घण्टे 30 मिनट
2.	भारतीय जनता पार्टी	3 घण्टे
3.	जनता पार्टी (जे पी.)	45 मिनट
4.	लोक दल	45 मिनट
5.	कांग्रेस (एस)	30 मिनट
6.	भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी	15 मिनट
7.	मार्क्सवादी साम्यवादी दल	15 मिनट

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री अध्यक्ष)
वाद-विवाद........

व्यवस्था का प्रश्न

निर्धारित समय से पूर्व विधान सभा बैठक

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर।

अध्यक्ष महोदय, अभी आप माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद आरम्भ करने जा रहे हैं। लेकिन इसमें मेरी कुछ आपत्ति है। अध्यक्ष महोदय, कल आपके द्वारा प्रेषित जो सूचना हम को प्राप्त हुई थी, वह सदन को 15 मार्च को ठीक 11.00 बजे आहूत करने की प्राप्त हुई थी। अध्यक्ष महोदय, यह भी उस सूचना में अंकित था........

श्री अध्यक्ष : उसमें यह भी था कि 15 मिनट पूर्व आकर आप बिराज जायें।

श्री नाथूसिंह : बिल्कुल वह था। अध्यक्ष महोदय, हम यह एक्सेप्ट करते हैं। इसमें यह लिखा था कि ठीक 11.00 बजे माननीय राज्यपाल महोदय अपना अभिभाषण प्रारम्भ करेंगे। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, 11 बजने में 2 मिनट पहले ही महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपना अभिभाषण पढ़ना प्रारम्भ कर दिया।

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राज्य मंत्री, स्वायत्त शासन) : आप तो बाहर थे।

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : वह भी बता रहा हूं। इसलिये ही तो पॉइन्ट ऑफ आर्डर उठा रहा हूं। मेरी यह आपत्ति है, अध्यक्ष महोदय, 11.00 बजे, हमारे यहां ऐसे नियम हैं, ऐसी परम्परा है कि........

एक माननीय सदस्य : आपका कथन असत्य है।

श्री नाथूसिंह : हमारी यह परम्परा है, नियम है कि जब आप या राज्यपाल महोदय खड़े हों या अभिभाषण पढ़ रहे हों या बोल रहे हों उस समय न तो कोई माननीय सदस्य बाहर जा सकता है, न अन्दर आ सकता है और न खड़ा हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, इसीलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 11 बजने के डेढ़-दो मिनट पहले ही माननीय राज्यपाल महोदय ने........

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : कल ये आये थे?

श्री नाथूसिंह : माननीय राज्यपाल महोदय ने डेढ़ मिनट पहले. अपना अभिभाषण पढ़ना प्रारम्भ कर दिया था तो कई माननीय सदस्य जो बाहर थे वह नहीं आ पाये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप तो यहां पर थे ही नहीं।

श्री नाथूसिंह : हमने तो बायकाट किया था और कई माननीय सदस्य थे आपकी तरफ के। अध्यक्ष महोदय, उधर तो यह परम्परा है, उन्होंने तो ऐसा समझ रखा है, हमेशा सदन के नियमों की अवहेलना करते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते

(श्री नाथूसिंह)

रहते हैं। लेकिन कुछ माननीय सदस्य ऐसे भी हैं जो इस सदन में नियमों की पालना करते हैं, अनुशासन में रहते हैं। इसीलिये, अध्यक्ष महोदय, वह अभिभाषण, जो अभिभाषण पहले पढ़ा गया. .....

श्री प्रद्युम्न सिंह : समय बरबाद कर रहे हैं।

श्री नाथूसिंह : पूर्ण रूप से माननीय सदस्यों ने नहीं सुना और न पूरा अभिभाषण पढ़ा गया। इसलिये मेरा निवेदन है कि दुबारा महामहिम राज्यपाल महोदय सदन में आकर अभिभाषण पढ़ें उसके बाद ही उस पर वाद-विवाद किया जाय, उस पर बहस आरम्भ की जाय। यही मेरा निवेदन है।

श्री परसराम मदेरणा (सिंचाई मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, सदन की परम्पराओं का महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के सम्बन्ध में और इसमें उन परम्पराओं का उल्लंघन हुआ है या वायोलेशन हुआ है, लोकसभा के अन्दर जिन परम्पराओं को समझ कर, पढ़ कर यहां पर माननीय सदस्य आये हैं और इस सदन के अन्दर समय-समय पर आवाज और आगाह करते रहते हैं उसके लिये हम उनके बहुत आभारी हैं।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक यह प्रश्न उठाया गया है तो न तो यह कोई पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर है न ही कोई प्रिविलेज बनता है। अगर बनता है अगर सदन की मर्यादा को, मान को किसी ने भंग किया है तो उस सम्बन्ध में प्रिविलेज ले आयें राज्यपाल महोदय अगर जल्दी आ जायें तो मुश्किल, लेट आयें तो। 11 बजे भाषण होने वाला था, सदस्य भी थोड़े बहुत जल्दी आ जायें और अगर एक मिनट पहले शुरू हो गया तो उनके लिए भी थोड़ी बहुत परम्पराओं का प्रश्न बन जाता है। परम्पराओं का प्रश्न यह भी बन जाता है कि राज्यपाल महोदय साल में एक दफा सत्र को आहूत करते हैं उसके बाद कृपापूर्वक अपना अभिभाषण देते हैं। जिस भाषण के संबंध में अभी यहां धन्यवाद प्रस्ताव आ रहा है। अगर माननीय सदस्य परम्पराओं के अनुकूल राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को बैठकर सुनते, उस पर मनन करते, उनके कहने के तरीके को, उनके मेनर को देखते तो निश्चित रूप से राज्य की एक ही झलक उन्होंने दी है, कई झलकें आपको यहां पर मिलती। आपने तो एक का उल्लेख कर दिया।

श्री नाथूसिंह : वह तो आप लोगों को देख कर ही मालूम हो जाती है।

श्री परसराम मदेरणा : मैं समझता हूं कि इसमें कोई पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर का मामला है नहीं। माननीय सदस्य ने कुछ मुद्दे उठाये हैं कि सदन की परम्पराओं को कायम रखना चाहिये, उन्हें अक्षुण्ण रखना चाहिये, इसमें कोई दो राय नहीं हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : ये तो थे नहीं यहां पर, इस प्रकार यह वैनिड ही नही है।

श्री नाथूसिंह : माननीय परसराम जी देरी से ही आये थे।

(व्यवधान)

श्री भवगान दास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : ये तो ऐसे ही कहते....

श्री परसराम मदेरणा : आप की खुद की अभिव्यक्ति में विरोधाभास है कि 3 मिनट पहले भाषण शुरू हो गया, । एक मिनट पहले मैं आ गया था....

श्री नाथूसिंह : ऐसा नहीं है। माननीय परसराम जी से पूछिये कि ये अभिभाषण शुरू होने से पहले आ गया थे क्या ? इन्होंने भी पूरा अभिभाषण सुना है क्या ? पूछिये आप ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया है उसको मैं अस्वीकार करता हूं लेकिन इसमें काफी महत्वपूर्ण मुद्दे निहित है इसलिए इस संबंध में मैं अलग से विचार करके व्यवस्था बाद में दूंगा ।

श्री राजबहादुर : किन्तु प्रोविजन मेंडेटरी है, यही निवेदन करना है।

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद विवाद ।

श्री रामनारायण चौधरी

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा): माननीय अध्यक्षजी, कल महामहिम राज्यपाल महोदय ने इस सदन में पधार पर, कृपा पूर्वक जो अभिभाषण दिया उनके प्रति मैं सदन की ओर से धन्यवाद का प्रस्ताव करता हूं । राज्यपाल महोदय को निम्नलिखित रूप में धन्यवाद प्रस्तुत किया जाय :—

"इस सत्र में एकत्रित हम, राजस्थान विधान सभा के सदस्यगण राज्यपाल महोदय द्वारा इस सदन में दिये गये अभिभाषण के प्रति उनके आभारी हैं।"

मान्यवर, राज्यपाल महोदय ने इस सदन में कृपापूर्वक जो अभिभाषण दिया उस अभिभाषण में राजस्थान के विकास को जो गति राज्य सरकार ने दी है उसका दिग्दर्शन है। और सही रूप में राजस्थान की तस्वीर प्रस्तुत की गई हैं। राजस्थान, आज का राजस्थान 1949 में हमारे प्रदेश की विभिन्न देशी रियासतों से गठित एक पिछड़ा हुआ, भूखा नंगा, गरीब प्रदेश के रूप में हमें मिला था। एक अजमेर जिले को छोड़ कर बाकी सारा क्षेत्र तिहरी गुलामी में जकड़ा हुआ था । अंग्रेजों की हुकूमत, देशी रियायतों का राज्य और जागीरदारों का दबदबा, ये तीन शासन सत्तायें पूरे राजस्थान पर शासन कर रही थीं। आप, मान्यवर, अंदाज लगा सकते हैं कि इस प्रकार की तिहरी गुलामी में जी रहे इस वक्त के राजस्थान के निवासियों के बारे में, उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में, सामाजिक स्थिति के बारे में और राजनीतिक स्थिति के बारे आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। आप स्वयं ने और बहुत से माननीय सदस्यों ने उसको देखा है, भुगता है। मुझे उस वक्त में जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा राजस्थान हमें मिला था उस राजस्थान को आगे बढ़ाने का दायित्व सन् 1949 में कांग्रेस के ऊपर आया ।

1952 में, मान्यवर, आम चुनाव हुए। वही देशी रियायतों के भूतपूर्व राजा लोगों,

(श्री रामनारायण चौधरी)

सरमायेदारों और प्रदेश में तथा प्रदेश से बाहर के पूंजीपति लोगों की सांठ-गांठ से इस प्रदेश में आम चुनाव लड़े गये। जब आपने देखा, मान्यवर, इस प्रदेश और देश के लिए सब कुछ न्यौछावर करने वाले लोग भी उस चुनाव के अन्दर जीत नहीं सके थे। नहीं जीतने का कारण इस प्रदेश के अन्दर तिहरी गुलामी, शोषित जनता का सिलसिला था। हमारे सर्व मान्य माननीय जयनारायणजी व्यास, लोकनायक माणिक्य लाल जी वर्मा जैसी हस्तियां, जिन्होंने राजस्थान के गरीब को, आम-अवाम को ऊंचा उठाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था, को भी इस प्रदेश के उन लोगों ने, जो इस प्रदेश के ऊपर हावी थे, 1952 के चुनाव में ठीक प्रकार से मतदान नहीं करने दिया। यह राजस्थान कांग्रेस के निरन्तर 25 साल के शासन में आगे बढ़ रहा था। मान्यवर, 1977 के अन्दर लोगों ने राजस्थान और देश की जनता को भ्रम में डाला। देश की जनता किस मुगालते में आई कि जनता पार्टी बनी, विभिन्न दलों ने मिल कर जनता पार्टी बनाई। उन लोगों को प्रदेश और देश की जनता ने शासन दिया। उनको देश में ढाई साल, और यहां राजस्थान में भी शासन करने का मौका मिला। उन्होंने इस प्रदेश को और सारे देश को न केवल आगे, बढ़ने से रोका, मान्यवर, बल्कि सारे देश और प्रदेश को 20 साल पीछे ले गये। उन्होंने देश और प्रदेश के लिए कोई योजनायें नहीं दीं। देश आगे बढ़ रहा था, गरीब ने यह महसूस किया था कि आज हमारी बात सुनी जाने लगी है। देश के अन्दर बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, राजा-महाराजाओं के प्रिविलेजेज समाप्त हुए थे। गरीब आदमी यह महसूस करने लगा था कि देश के विकास में मेरा हाथ है।

(व्यवधान)

मान्यवर, वे लोग सत्ता में आये सत्ता में आने के बाद लोगों ने उन से जो आशाएं की थीं, आकांक्षाएं की थी उनकी पूर्ति होना तो दूर रहा, तमाम आशाएं चकनाचूर कर दीं।

हमारे शेखावटी में, मान्यवर, प्रतिपक्ष के नेता जानते हैं, बरसात के दिनों के अन्दर बच्चे खेला करते हैं। वहां बालू मिट्टी है, उससे कोई महल बनाता है, कोई अपना छपरा बनाता है। खेल खाल कर एक-दो घण्टे के बाद तहस-नहस कर जाते हैं। बच्चे यह कह कर जाते हैं कि हमीं खेले थे, हमीं ने बनाया था, हमीं इसको ढहा रहे हैं। वही बच्चों वाली कहानी वही बच्चों वाला दृश्य जनता पार्टी ने इस देश और प्रदेश के सामने रखा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : जैसा आवागमन मण्डल को आपने कर दिया।

श्री रामनारायण चौधरी : देश के मतदाताओं ने जाने किस मुगालते में आकर इनको सत्ता दी। जैसा उन्होंने कहा था, हमने दूसरी आजादी हासिल की है, जनादेश मिला है, यह इस सदन के अन्दर प्रतिपक्ष के माननीय नेता बराबर कहते थे और उनके साथ बैठने वाले भी। उस जीत को वह आजादी का रूप देते थे जैसे उस से पहले आजादी नहीं थी। इस सदन में प्रतिपक्ष के माननीय नेता को बोलने की जितनी आजादी उस वक्त में रही है, उतनी आजादी तो, मेरे ख्याल से, इनकी तथाकथित आजादी के वक्त में हमें भी नहीं थी। मान्यवर, हम भी उधर बैठते थे, हमें

(श्री रामनारायण चौधरी)

बोलने की आजादी हासिल नहीं थी। आज, मान्यवर, हम यह देखते हैं कि प्रतिपक्ष के माननीय नेता....

श्री अध्यक्ष : इन्हें इस बात की खुशी है कि स्थान पर वापस आ गये।

श्री खेतसिंह राठौड़ : सही स्थान पर हैं. राइट ऑफ ईजमेन्ट है इनका।

श्री रामनारायण चौधरी : मान्यवर, आज मैं राजस्थान नहर के बारे में सुन रहा था, प्रतिपक्ष के माननीय नेता के व्याख्यान और उनके प्रवचनों को।

मैं तो स्वयं एक सप्लीमेण्ट्री प्रश्न पूछने वाला था, आप मुझे यह कह कर रोक सकते थे कि तुम्हें अभी मौका मिलेगा, मैं भी इस विवाद में पड़ना नहीं चाहता था क्योंकि मैं सदन के सम्मुख धन्यवाद प्रस्ताव जैसा महत्वपूर्ण मुद्दा रखने जा रहा था। मैं उनसे यह पूछना चाहता था कि आप राजस्थान कैनाल के बारे में, जिन कैनाल के बारे में आप उधर से बैठ कर राजस्थान कैनाल ही नहीं कहते थे बल्कि राजस्थान और इस देश की डिफेन्स-वाल कह कर इसकी वकालत करते थे और सरकार का मखौल उड़ाते थे कि यह सरकार उसको पूरा नहीं कर पा रही है, उसी राजस्थान कैनाल के बारे में 1978 में, आप जैसा कह रहे थे, रामसिंह आयोग बनाया। 1978 में बनाया, 79 में शासन आपके पास था, 80 में भी आपके पास था। आप ढाई साल तक इस प्रदेश के मुख्य मंत्री रहे आपको कोई नहीं रोक रहा था, राजस्थान कैनाल जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे को आप अपने हाथ में लेते और ढाई साल के अरसे के अन्दर उस कैनाल को पूरा करके जाते, तो राजस्थान के अन्दर आपका एक काम होता, ऐतिहासिक काम होता; देश याद करता, प्रदेश याद करता।

(व्यवधान)

मान्यवर, आपने देखा, उस काल के अन्दर राजस्थान कैनाल का काम आगे बढ़ना तो दूर रहा बल्कि वहीं का वहीं रुका रहा, आगे बढ़ नहीं सका। उम्मीद यह की जाती थी कि जिस तरीके से राजस्थान की वकालत वह करते थे, राजस्थान कैनाल को पूरा करेंगे। उन्होंने रामसिंह आयोग, रामसिंह नाम की कमेटी बैठाकर जांच कराई। मुझे कोई आपत्ति नहीं। आप कितनी भी जांच करवाते। यह तो आपका सिलसिला था।

दिल्ली में आपने एक नहीं अनेकों आयोग बनाये। यहां प्रदेश में भी अनेकों आयोग बनाये, देश में अनेकों आयोग बनाये। मान्यवर, इस सदन में और पार्लियामेण्ट के अन्दर उस जमाने के आयोगों की रिपोर्ट रखना शुरू कर दें तो, मेरा ऐसा ख्याल है कि सदन में जगह नहीं रहेगी। कितने आयोग हैं, कितनी रिपोर्ट्स हैं इनकी। उनको पढ़ने लगें तो, बचा हुआ सवा साल है इसमें मेरे ख्याल से पढ़ ही नहीं पायेंगे, आपका कार्यकाल समाप्त हो जायगा।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : तीन साल पुरानी बात है। लोग बागों ने बहुत पहले ही कह दी। आप थोड़ा देर से आये इसलिए लेट निकल रही है.

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री रामनारायण चौधरी : आपने, ऐसा कौनसा काम नहीं था जिसके बारे में आयोग नहीं बैठाया। जो भी काम आया आपने यहां घोषणा की कि मैंने आयोग बैठा दिया। देश और प्रदेश के अन्दर कोई भी काम आया आयोग बैठा दिया। एक भी आयोग की रिपोर्ट समय में प्राप्त नहीं कर सके; समय में समाप्त कर भी ली तो आप उस पर एक्शन नहीं ले सके। माननीय अध्यक्ष महोदय की मार्फत आप नहर मन्त्री से जो जानकारी चाह रहे थे, आपको तो स्वयं महसूस करना चाहिए था कि जिस कमेटी को आपने अपाइन्ट किया, ढाई वर्ष तक राजस्थान के मुख्य मन्त्री थे, ढाई वर्ष तक रिपोर्ट को प्राप्त नहीं कर सके, उस पर एक्शन नहीं ले सके, इस से बड़ी शर्म की बात आपके लिए क्या हो सकती थी। मान्यवर, एक नहीं अनेकों आयोग बनाये।

उस वक्त, हमने, पूरे मन्त्रिमण्डल ने एक निर्णय किया था, और इसकी आवश्यकता थी कि छोटा सा एयर-क्राफ्ट खरीदा जाये। उस एयर-क्राफ्ट को खरीदने में मेरे ही हस्ताक्षर नहीं थे, पूरा मन्त्रिमण्डल था। फाइनेंस मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर थे, सब लोग उसमें इन्वॉल्व्ड थे। लेकिन चूंकि मैं ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर था, मेरा उसमें इन्वॉल्वमेण्ट ज्यादा था।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आवासन मण्डल के भी चेयरमैन थे आप।

श्री रामनारायण चौधरी : मैं तो उसमें बैठा तक नहीं कभी। लेकिन थोड़े से अरसे के लिए तत्कालीन मुख्य मन्त्री ने उसका इस्तेमाल किया था। 1977 में जब आप मुख्य मन्त्री बने तो आप ही को बैठने के लिए नसीब हुआ। फैक्ट फाइण्डिंग कमेटी बनी, यहां पर उसकी खरीद में गड़बड़ी के नाम पर प्रश्न उठाये गये, प्रस्ताव लाये गये उधर से। आपने, मान्यवर, घोषणा की कि मैं उस पर आयोग बैठा रहा हूं....

श्री चन्दनमल बैद : और कर ही क्या सकते थे आयोग बैठाने के सिवाय ?

श्री रामनारायण चौधरी : फैक्ट फाइण्डिंग कमेटी बनी, मुझे इसकी जानकारी नहीं। अगर उसकी आवश्यकता नहीं थी तो आपका नैतिक कर्त्तव्य था, प्रशासनिक दायित्व बनता था कि आप उस एयर-क्राफ्ट में ही नहीं बैठते, उसको डिस्पोज ऑफ कर देते। तब तो आपकी कथनी और करनी में कोई अन्तर नजर नहीं आता था। लेकिन आप इधर तो यह कहें कि इन्होंने बड़ा खराब काम किया और उधर आप उसके अन्दर बैठकर सारे राजस्थान में और हिन्दुस्तान के अन्दर सैर करते थे। मैं नहीं कहता कि आप उसका प्रशासनिक दुरुपयोग करते थे लेकिन मैं कहता हूं कि उसका आनन्द आपने उठाया। उसको खरीदा हमने लेकिन हमने उसको देखा भी नहीं। उसके अन्दर बैठे आप और हमारे ऊपर इन्क्वायरी बिठाई। हमारी सजा करावें और आप अपनी कोई जिम्मेदारी महसूस नहीं करें।....

(व्यवधान)

मान्यवर, इन्होंने जांच बैठाई, जांच बैठाकर न जाने किस-किस के बयान क्या-क्या लिये। मेरे को भी लोगों ने कहा कि इसमें आपके भी बयान होंगे और आप भी इसमें फसेंगे तो मैंने लोगों से कहा कि जब हमारे देश की प्रधान मन्त्री, जिसके परिवार ने इस देश के

(श्री रामनारायण चौधरी)

लिये सब कुछ किया, जिसकी तीन पीढ़ियां इस देश के लिये कुर्बान हुईं, जिसने अपना सब कुछ इस देश के लिये न्यौछावर किया, की ही प्रतिष्ठा, उन्हीं की इज्जत जब आज दांव पर लगी हुई है तो हमें भी यह सौभाग्य मिलेगा। हमें भी उनके साथ जेल में रख दें हमारे मुख्य मन्त्री जी, हमें गौरव प्राप्त होगा। मैंने उन्हें यह कहा।

लेकिन, मान्यवर, सब जांच-पड़ताल की। जांच-पड़ताल करने के बाद एक रोज मुझे मालूम हुआ कि जांच करने के बाद यह निर्णय आया है कि इसमें चालान किया जा रहा है। मान्यवर, वह फैक्ट फाइन्डिंग कमेटी थी। उसके बाद पता नहीं। उस ढाई साल में एग्रर-क्राफ्ट तोड़-ताड़कर उसका सारा ढंग-बेढंग बनाकर छोड़ कर चले गये....

(व्यवधान)

अब, मान्यवर, एक इन्होंने अपने शासन-काल के अन्दर कार्नसिह आयोग बनाया। आज मैं पढ़ रहा था अलवर की घटना के लिये भी एक प्राधिकरण बनाया गया। गैर-जातीय तरीके से कांग्रेस वालों पर तमाम आयोग और कमीशन बैठाने का तात्पर्य यही था, कांग्रेस वालों ने इतनी जमीनें हड़प लीं। उसकी जांच के लिए राजस्थान के तत्कालीन चीफ जस्टिस—की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया। कमीशन बना। उनकी भी रिपोर्ट आई है। वह भी इनके जमाने में आ गई थी लेकिन किसी के अन्दर कुछ भी नहीं निकला और कोई भी कार्यवाही नहीं हुई। मान्यवर....

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा): इसका मतलब यह है कि दोनों तरफ घोटाले हैं।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: माननीय सदस्य, आप तो बैठे रहो। आप तो उस समय थे नहीं। यह आपका मामला नहीं है।

श्री अध्यक्ष: आॅर्डर, आॅर्डर। माननीय सदस्य।

श्री रामनारायण चौधरी: उस समय तो आप हमारे साथ ही थे। आप तो बाद में भागे हैं। पहले तो हमारे साथ ही थे।

श्री मेघराज तावड़: हमने तो आपको सहारा दिया था।

श्री परसराम मदेरणा (सिंचाई मंत्री): आपका मतलब पूरा नहीं हुआ।

श्री रामनारायण चौधरी: कमीशनों का, आयोगों का और फैक्ट्स फाइन्डिंग कमेटीज का, मान्यवर, मैं जिक्र कर रहा था। मैंने प्रसंगवश यह बात कह दी इसलिये कि राजस्थान नहर की ताजा बात थी। इसलिये माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय का ध्यान आकर्षित कर दिया। मान्यवर, उस जमाने में ढाई साल के अर्से में राजस्थान के अन्दर आप थे और ढाई वर्ष तक देश के प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई रहे। छः महीने तक लोकदल और आपके दोनों दलों के एन. डी. ए. नेशनल डेमोक्रेटिक एलाइन्स आपने नाम दिया है के छत्रपति श्री चरणसिंह जी प्रधान मंत्री रहे। जब वे प्रधान मंत्री थे उस समय इनकी

(श्री रामनारायण चौधरी)

नजरों में और इनके दल की नजरों में उनसे निकृष्ट आदमी इस देश के अन्दर कोई और था नहीं, और आज उन जैसा पायस और पवित्र, उत्कृष्ट और गंगा इनके लिये कोई है नहीं।....

(व्यवधान)

इस देश के राजनीतिक दलों की मान्यताओं और बदलती हुई उनकी चुनौतियों, पवित्रताओं के सम्बन्ध में कहना नहीं चाहता इस सदन के सम्मुख। यह बड़ा उच्च सदन है और राजस्थान की साढ़े 3-4 करोड़ जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, इसके बैकग्राउण्ड में इसकी पृष्ठभूमि में राज्यपाल महोदय का अभिभाषण रूलिंग पार्टी का एक डॉकूमेण्ट है और उसके पीछे राजनीतिक विचारधारा है, जिस विचारधारा और जिस प्रिंसिपल्स के आधार पर, जिन डेमोक्रेटिक वेल्यूज के आधार पर जो दल शासन करता है उसका उस अभिभाषण में दिग्दर्शन होता है। मान्यवर, उस जमाने में दिल्ली में दोनों ने बैठकर और यहां पर ढाई वर्ष प्रतिपक्ष के माननीय नेता उस समय सदन के नेता थे, मुख्य मंत्री थे, इन तीनों ने मिलकर इस प्रदेश और देश के लिये कोई भी काम ऐसा कर दिया हो जिसके बारे में इस सदन के वर्तमान सदस्य और इस सदन से बाहर रहने वाले इस प्रदेश के मतदाता, इस प्रदेश के निवासी और इस देश के निवासी यह कह सकें कि उस वक्त के अन्दर यह काम हुआ। हां, यह आयोग बने, जेलों में लोगों को डाला, जो लोग जनता से निर्वाचित होकर आये थे उनकी सदस्यता समाप्त की। मध्यप्रदेश से सुरेश सेठ को निष्कासित किया, चिकमगलूर से जीत कर आई हमारे देश की महान् प्रधान मंत्री सर्वोच्च नेता को लोक सभा से निष्कासित ही नहीं किया बल्कि जेल में भी डाला।....

(व्यवधान)

यह बात तो, मान्यवर, यह देश याद याद रखेगा। यह चीजें एक ऐतिहासिक डाकुमेन्ट के रूप में रहेंगी और आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी कि इस देश के अन्दर कांग्रेस के निरन्तर शासन के बाद जिस दल ने, जिस पार्टी ने और जिस पार्टी के नेताओं ने इस देश को हजारों सालों की गुलामी से बाहर निकाल कर देश के आत्मबल को जगाया था, देश को आगे बढ़ाया था, देश को एक ताकत दी थी, देश को एक रास्ता दिया था, देश को एक दिशा दी थी, उन लोगों को, उनके समर्थकों को किस प्रकार से तंग किया उनके प्रति क्या व्यवहार किया गया। डाकुमेन्ट के रूप में यह सब आने वाली पीढ़ियों के लिए रहेगा। यह तो इनकी कमाई है, निस्संदेह यह इनकी कमाई है।....

(व्यवधान)

इनके कामों को भारतीय जनता ने धिक्कारा था, तिरस्कारा ही नहीं बल्कि अन्य डेमोक्रेटिक कन्ट्रीज ने यह बात कही, जिनने इस देश के ऊपर सैकड़ों साल तक शासन किया था। यहां पर उनके उन कामों को उस समय के तत्कालीन नेता, मार्गदर्शक और उन हितैषी लोगों की सह मिली थी। ऐसे काम आपके हैं, अन-डिग्निफाइड काम आपके हैं। इस देश के जिस प्रधान मन्त्री ने इस देश को सही दिशा दी, उन्होने और उसके परिवार ने जिसे आगे बढ़ाया, देश को दिशा दी, उनको आप इस तरीके से तंग करें,

(श्री रामनारायण चौधरी)

न तो किसी डेमोक्रेटिक देश में ऐसा हुआ है और न कोई कल्पना कर सकता है कि ऐसा हो सकता है। आपके निमन्त्रण पर ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधान मन्त्री हिन्दुस्तान में आये थे, उन्होंने यह बात कही....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : जयप्रकाश नारायण को किस ने जेल में रखा था ?

श्री रामनारायण चौधरी : प्रधान-मंत्री आये थे उन्होंने सबके सम्मुख विचार रखे। आपको भी याद होगा। इस तरह से नहीं भूलना चाहिए। आज दुनियां में भारतवर्ष प्रथम 10 देशों में गिना जाता है, ब्रिटेन के प्रधान मंत्री ने यह कहा। इस आब्जर्वेशन पर इनकी पार्टी में खलबली मच गई और उस देश के प्रधान मंत्री पर प्रेशर डाला जाने लगा। उन्होंने यह कहा कि जो वास्तविकता है वह मैंने कही है। ऐसे कामों से देश आगे नहीं बढ़ता, देश काम से आगे बढ़ता है।

मैं कह रहा था कि कुछ ऐसा इन्होंने किया होता तो देश और प्रदेश इनको याद करता। मान्यवर, मैंने इस देश का इतिहास पढ़ा है। इस देश के अन्दर एक दिन का जिस व्यक्ति को शासन मिला है उसने एक दिन के शासन में चमड़े का सिक्का चला दिया लेकिन ये ढाई साल के शासन के अन्दर चमड़े का सिक्का भी नहीं चला सके।

(व्यवधान)

वह भी नहीं चला सके, यह देश, यह प्रदेश....

श्री महाराम चौधरी : तभी तो भारत आज 123 गरीब देशों में गिना जाता है।

श्री रामनारायण चौधरी : 1977 के अन्दर, मान्यवर, देश अन्न के भण्डार से भरपूर था। देश के गोदामों के अन्दर अन्न रखने को जगह नहीं मिलती थी, अन्न रखने को जगह नहीं थी। देश का रिजर्व बैंक सोने से भरा हुआ था। जिस भारतवर्ष को सोने की चिड़िया कहा जाता था, 1975-77 के बीच में इस देश को सोने की चिड़िया बनाया इन्होंने वह सोना बेच दिया....

(व्यवधान)

देश के भण्डार को बरबाद कर दिया। सोना बेच दिया। मान्यवर, यह इनके लिए उपलब्धि हो सकती है, लेकिन मैं इसको उपलब्धि नहीं मानता। देश ने इसको उपलब्धि नहीं माना, इनको निकाल दिया। देश ने इनका तिरस्कार ही नहीं किया देश ने इनको नकारा ही नहीं बल्कि देश ने इनको खदेड़ दिया।

व्यवस्था का प्रश्न

श्री रामनारायण चौधरी के 1978-79 के भाषण और आज के भाषण में विरोधाभास

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था का प्रश्न ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैंने राजस्थान विधान सभा की जो

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

प्रोसीडिंग्स हैं उस प्रोसीडिंग्स में भी देखा है। 1978–79 में माननीय रामनारायण चौधरी ने यही भाषण उस समय दिया था और यही भाषण आज राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर दे रहे हैं। तो मैं यह....

(व्यवधान)

सरकार की खिलाफत कर रहे हैं या राज्यपाल महोदय के अभिभाषण....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इनके विचार बदलते नहीं है।

(व्यवधान)

आस्थाएं बदलती नहीं हैं।

एक माननीय सदस्य : यह तो पुराना हो गया है भाषण।

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, तीन साल पहले....

(व्यवधान)

रिपीट कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के नेता के रूप में जो भाषण दिया था उसी को रिपीट कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था दी जा रही है, ऑर्डर प्लीज। कोई व्यक्ति अपने सिद्धान्तों पर दृढ़ रहे तो उसमें कौनसी ऐसी बात है?

राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : मान्यवर, प्रतिपक्ष के माननीय नेता ने यदि इस प्रदेश में....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, ऐसा लगता है, शिवचरण जी की उपलब्धियां नहीं बताना चाहते।

(व्यवधान)

मुझे ऐसा लगता है कि कहीं उम्मीदवार हैं इसलिए इस सरकार की उपलब्धियों का कहीं जिक्र नहीं करना चाहते।

श्री अध्यक्ष : अभी तो वर्तमान में आयोग-युग की उपलब्धियां बता रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : मान्यवर, मुझे और आपको भी परेशानी होगी कि प्रतिपक्ष के नेता क्यों तिलमिला रहे हैं। आपके ढाई साल की उपलब्धि केवल यही है जैसा मैंने कहा कि इस देश के अन्दर एक फकीर एक दिन के शासन में ही चमड़े का सिक्का चला गया, लेकिन हमारे प्रतिपक्ष के नेता ढाई वर्ष तक इस प्रदेश में शासनारूढ़ रहे, उन्होंने कोई चमत्कार नहीं किया। मान्यवर, मुझे एक चमत्कार बाद में नजर आया। मान्यवर, आज मैं उस जमाने की, आपके वक्त की फाइलें देख रहा था तो, मान्यवर, मुझे एक कटिंग मिल गई। जिस गुलाबी नगरी में हमारे प्रतिपक्ष के नेता ने वह गौरवशाली पद ढाई वर्ष तक सुशोभित

(श्री रामनारायण चौधरी)

किया, भारत की कोई नगरी है तो यह जयपुर है। दांतारामगढ़ में सन् 1952 में चुनाव लड़ने के बाद दूसरी बार वहां से वह हिम्मत नहीं कर सके। 1957 में श्रीमाधोपुर में चुनाव लड़ने के बाद वहां से इस जयपुर नगरी में आये। इस जयपुर नगर में एक जगह तो आये 1962 में। 1962 में भागे, 1967 में यहां से दूसरी सीट पकड़ी।

श्री अध्यक्ष : विपक्ष के नेता अपना व्यक्तित्व विभिन्न विस्तृत क्षेत्रों में रखते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं अकेला ही नहीं हूं, आप भी हैं,

(व्यवधान)

आप भी हैं।

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : इस इस नगरी ने, गुलाबी नगरी ने फिर 1972 में इनको मौका दिया तो पराजित होकर राजस्थान से हारकर भागे। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की सीट महारानी सिंधिया से प्राप्त कर राज्य सभा में पहुंच गये। वहां पर इन्हें केन्द्रीय नेताओं और चौधरी चरणसिंह जी सब लोगों से सम्पर्क स्थापित करने का मौका मिला, सन् 1977 में आप इधर आये तो यह राजस्थान की इस गुलाबी नगरी का ही फल था। 1972 में यदि आपको पराजित नहीं करते तो आप वहीं बैठे रहते यानि आपको कभी इधर आने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। आपकी जगह कोई और आ सकता था लेकिन आप नहीं आ सकते थे। वहां फिर आगे जाकर आपको मौका मिला और वक्त में आप कुछ भी नहीं कर सके। लेकिन, मान्यवर, एक चीज मुझे देखने को मिली। यह गुलाबी नगरी, मान्यवर, वास्तव में यह गुलाबी नगरी आज है। इस प्रदेश में भीषण बाढ़ दो वर्ष पहले आई। उस भीषण बाढ़ की बरबादी के बाद जयपुर के नवनिर्माण से जयपुर गुलाबी नगरी की प्रतिष्ठा आज हुई है। आज, मान्यवर, आप स्वयं प्रतिपक्ष के नेता को साथ लीजिये, आप इनके पुराने निवास स्थान खाचरियावास वाली सड़क से निकलिये सवारी पर। कभी भी कोई प्रशासन, जयपुर शासन, अंग्रेज शासन, कोई भी शासन वहां आवागमन सुगम नहीं करा सका लेकिन आज वहां पुल के रास्ते से अबाध गति से जाने के लिये, किन्हीं परिस्थितियों में जाने के लिये हमेशा के लिये चालू रहने वाला एक मार्ग इस शासन ने, वर्तमान शासन ने आज के मुख्यमन्त्री श्री शिवचरण जी माथुर से बनाया है। अब सदैव के लिये इनको कोई अड़चन नहीं आयेगी खाचरियावास जाने के लिये। आगे कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली है। करोड़ों रुपया खर्च करके इस गुलाबी नगरी के सौन्दर्य को चार चांद लगाये। आज अजमेर नेशनल हाई वे पर आप जाकर देख लीजिये। सांगानेर जो बाढ़ के अन्दर ध्वस्त हो चुका था, जिसमें कुछ नहीं बचा था, मान्यवर, आपने स्वयं आंखों से देखा होगा, कितना सुन्दर पुल करोड़ों रुपया लगाकर के वहां बना है। गुलाबी नगरी में चार चांद आज लगे हैं। इस संसार में तो इस शासन में, वर्तमान मुख्य मन्त्री श्री शिवचरणजी माथुर के इस कार्यकाल में उनके हाथ से, उनके विवेक से और उनके निर्णय से लगे हैं। लेकिन गुलाबी नगरी में

(श्री रामनारायण चौधरी)

जो भी लाभ मिला है वह प्रतिपक्ष के नेता को मिला है। वर्तमान मुख्य मन्त्री जी को कभी भी जयपुर से चुनाव लड़ने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा। लेकिन चूंकि वह मुख्य मन्त्री हैं, उनकी तमन्ना है, उनका एक कार्यक्रम है कि जो अवसर मिला है, जो स्थान मिला है, उस वक्त में, जमाने में अपने हाथ से वह कुछ कर दे तो आने वाली पीढ़ियां उनको याद रखेंगी, जयपुर उनको याद रखेगा। तो, मान्यवर, गुलाबी नगरी में किसी ने चार चांद लगाये तो वह आज के शासन ने लगाये। यह तो मैंने छोटी सी बात आपको कही है। अन्य और जो हुआ उसका विश्लेषण मैं आगे करूंगा। लेकिन चूंकि गुलावी नगरी का प्रसंग आ गया इसलिए मैं प्रतिपक्ष के माननीय नेता के जमाने की एक छोटी सी उपलब्धि की बात पढूंगा।

मान्यवर, "गुलाबी नगरी में पहली बार शौच करने पर प्रति व्यक्ति दस पैसा टैक्स। जयपुर के इतिहास में प्रथम बार सार्वजनिक शौचालय का उपयोग करने वाले प्रति व्यक्ति को हर बार दस पैसे के हिसाब से वसूल करने का निर्णय लिया गया है। 4 सितम्बर को। जयपुर नगर विकास न्यास के नवनियुक्त अध्यक्ष श्री गिरधारी लाल जी भार्गव की अध्यक्षता में हुई न्यास की बैठक में उक्त निर्णय लिया गया। इस सम्बन्ध में यह भी निर्णय लिया गया कि इन शौचालयों में साफ-सफाई रखी जायगी और 24 घण्टे कर्मचारी तैनात किये जायगे। बैठक में सदस्यों ने सार्वजनिक मूत्रालयों की दुर्दशा पर चिन्ता व्यक्त की तथा इनकी साफ-सफाई रखे जाने की आवश्यकता पर बल दिया। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि नगर परिषद् द्वारा पूर्व में बनाये गये शौचालयों-मूत्रालयों की टूटियों और टंकियों के लिये जलदाय विभाग से पानी का कनेक्शन कराया जायगा जिससे उनकी साफ-सफाई रह सके तथा बन्द पड़े शौचालय जनता के उपयोग में लाये जा सकें। 25 नये शौचालय बनेंगे गुलाबी नगरी में। बैठक में लिये गये निर्णयानुसार नगर की चारदीवारी के बाहरी क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर शीघ्र ही 25 स्थानों पर सार्वजनिक शौचालयों-मूत्रालयों का निर्माण कराया जायगा। जयपुर ढाई सौवीं शती समारोह के मन्त्री श्री रामचन्द्रजी कासलीवाल ने बताया कि उन्होंने बैंक एसोसिएशन से भी बात की थी।

यह, मान्यवर, गुलाबी नगरी की सुन्दरता के लिए उन्होंने अपने शासन काल में यदि कोई तोहफा दिया है तो. मान्यवर, यह है। इसको एक मोन्यूमेन्ट के रूप में रखें, इसको एक ऐतिहासिक डाक्यूमेन्ट के रूप में रखें, मान्यवर, यह आपको निर्णय करना है। मैंने तो सदन में ऐसे ही कह दिया। मेरे सामने अनायास ही आ गई यह बात। मान्यवर, इसको कोई तलाश करने वाली बात नहीं है। मैं इसके लिये मेरी पत्नी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। वह पढ़ी-लिखी नहीं है लेकिन वह मेरे काम में मुझे मदद करती है। तो उन्होंने कहा, पूसी के पिताजी, आप उस समय थे भैरोंसिंह जी की कई बातें तो आपकी इन फाइलों में मिलनी चाहिए। मैंने कहा, भैरोंसिंह जी से अपने को क्या दुश्मनी है। उनको चीफ मिनिस्टर बनने का मौका मिला, उस काल में जो काम हुआ

(श्री रामनारायण चौधरी)

अपन तो उसका दिग्दर्शन करेंगे और जो हुआ वह बतायेंगे। अपने धन्यवाद प्रस्ताव का मतलब ही यही है। बोली, नहीं, नहीं, इस फ़ाइल में देखिए आप। सच कहता हूं, अध्यक्ष महोदय, उसने वह फ़ाइल लाकर पटक दी। ऊपर सबसे पहले यही था। मैंने सोचा, अपन तो वह निकाले एक उपलब्धि।

मैं जिक्र कर रहा था लेकिन बीच में ही यह गुलाबी नगरी का जिक्र आ गया। प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने यह कहा कि मैं वर्तमान शासन की उपलब्धि का जिक्र नहीं कर रहा हूं और उनके बारे में बता रहा हूं तो मैंने एक तफसरा बताया। और तफसरा तो मैं आगे बताऊंगा लेकिन यह मैंने बताया है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अब आप शौचालय के बाहर तो आओ।

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : मान्यवर, 1977 में बाद सन् 1980 के देश की जनता ने एक निर्णय किया। उस ढाई साल के शासन को नकारा। जिसके परिणाम, मान्यवर, यह है हम लोग, जो उधर बैठते थे और प्रतिपक्ष के वर्तमान नेता महोदय इधर सदन के नेता की कुर्सी पर बैठते थे। उसमें सारा रद्दोबदल सन् 1980 के अन्दर जो चुनाव हुआ उसमें हुआ। देश की जनता ने सन् 1977 में जो भूल की थी उसको, सुधारा, उसका अहसास किया, और महसूस किया उन्होंने यह माना कि देश का रखवाला और देश की खुशहाली वो ही लोग ला सकते हैं जिन्होंने देश के लिये कुर्बानियां की हैं, देश को उठाया है, देश को अपना समझा है, वतन को अपना माना है, और वतन ने उनको माना है।

मान्यवर, हमारे देश की तीन पीढ़ी पण्डित मोतीलाल नेहरू, पण्डित जवाहरलाल नेहरू और वर्तमान में राष्ट्रनायक प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी—इस एक परिवार की पीढ़ी में पहली दो पीढ़ी ने देश को देश बनाया और तीसरी पीढ़ी ने अपने देश को महान देश बनाया। इन्हीं के कारण हमारे देश की जनता ने अपनी भूल सुधार कर दिल्ली में देश की सत्ता पुनः उनके हाथों में इस आशा और विश्वास के साथ सौंपी कि देश की खुशहाली देश का स्वाभिमान, देश की स्वतन्त्रता, देश की सुरक्षा, देश की अखण्डता इन्हीं के हाथों में सुरक्षित रह सकती है, यही देश को आगे बढ़ा सकते हैं। उसके बाद में हमारे प्रदेश में चुनाव हुए जिसके परिणाम आज सामने हैं। एक राजनीतिक निर्णय प्रदेश की जनता ने किया। आज हमें इस बात की खुशी है कि इस देश की वही महान नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी की रहनुमाई से हमारे प्रदेश के अन्दर राजस्थान की बागडोर उन्हीं के विश्वासपात्र, उन्हीं के आशीर्वाद प्राप्त मुख्य मन्त्री साथियों के हाथों में है। मान्यवर, जब से इन्होंने शासन सम्भाला है, शासन की बागडोर मुख्य मन्त्री के रूप में अपने हाथ में ली, इन्होंने देश की, प्रदेश की प्राथमिकताओं का जैसा चिन्तन इनका हमेशा रहा है, प्राथमिकताएं तय की। जिस प्रोजेक्ट के बारे में प्रतिपक्ष के नेता हमेशा वकालत करते थे उसकी चर्चा करते थे, उस ढाई साल के समय में उसकी चर्चा करना तो दूर रहा इन्होंने उसकी तरफ कभी ध्यान नहीं दिया।

(श्री रामनारायण चौधरी)

उसके महत्व को हमारे मुख्य मन्त्री ने माना और उसको प्राथमिकता दी। राजस्थान कैनाल किस प्रकार से राजस्थान का धरती को हरा-भरा कर सके और हमारे देश के अन्न लिये भण्डार का काम कर सके, यह चिन्तन आपका था। समूचे मन्त्रि-मण्डल को, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी राजस्थान कैनाल क्षेत्र में ले जाने की, यहां पर सचिवालय में ही बैठे-बैठे निर्णय किया जा सकता था, लेकिन नहीं, उन्होंने यह नहीं किया और अपने मन्त्रि-मण्डल के साथियों को वहां पर, राजस्थान कैनाल क्षेत्र में साथ ले गये। वहां के जो जन प्रतिनिधि थे उनको भी इत्तला दी, वहां पर सभी लोग साथ गये और उन्होंने राजस्थान कैनाल का निरीक्षण किया। निरीक्षण तो किया हुआ था पहले ही पर चूंकि उनको लोगों का ध्यान आकर्षित करना था, उनको अपने प्रदेश का और अपनी सरकार का ध्यान आकर्षित करना था, अवाम का ध्यान आकर्षित करना था कि वहां पर क्या हो रहा है। मान्यवर, मैं तो इसके बारे में ऐसा करने की सोचता ही नहीं था। आप तो अध्यक्ष महोदय, बहुत ही अग्र दृष्टि वाले हैं, कुशाग्र बुद्धि वाले हैं लेकिन मेरे जैसे व्यक्ति के सामने तो इसकी आवश्यकता ही नहीं थी। हमारे मुख्य मन्त्री जी यह निर्णय यहां भी कर सकते थे लेकिन नहीं। अब मैं यह महसूस करता हूं कि यदि मुख्य मन्त्री जी वहां पर तब मण्डल को साथ लेकर राजस्थान कैनाल पर नहीं जाते तो काम की यह प्रगति जो हुई है वह नहीं होती। इन्होंने टोप प्रायोरिटी इस काम को दी, निर्णय लिया। आज उसका परिणाम आया है कि राजस्थान कैनाल पूरी हुई।

श्री अध्यक्ष : इसमें यह भी बात थी कि मन्त्रि-मण्डल के कई सदस्यों की राजस्थान कैनाल देखी हुई नहीं थी।

श्री रामनारायण चौधरी : यह भी एक बात है लेकिन उससे दिलचस्पी तो उसके बाद में पैदा हुई।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी) : चलो जय बोलो माथुर साहब की।

(व्यवधान)

श्री मेघराज तावड़ : उनको बार-बार इनवाइट भी किया है राजस्थान नहर देखने को।

श्री रामनारायण चौधरी : उसका उद्घाटन भी हुआ। उस उद्घाटन में आपने देखा, मान्यवर, राजस्थान का आत्म विश्वास कितना जाग्रत हुआ है। एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय मन्त्रिमण्डल ने लिया, मान्यवर, जो कोई सरकार ले नहीं सकी, कोई सरकार सोच नहीं सकी कि राजस्थान कैनाल की उस धरती में भी, जहां खारा पानी है, जहां मवेशी जिन्दा नहीं रह सकते, जहां पक्षी जिन्दा नहीं रह सकते वहां पर राजस्थान कैनाल का पानी पमो करेगा और पीने के लिये लोगों को मीठा पानी मिलेगा, ऐसा वहां किसी ने सोचा तक नहीं था। इन्होंने सोचा और 500 क्यूसेक पानी इस के लिये निर्धारित किया। उसके बाद उसको बढ़ा कर 12 सौ क्यूसेक। पानी तय कर दिया। मान्यवर, 353 गांव चुरू जिले जहां कभी किसी को कुण्डों के अलावा मीठा पानी नसीब नहीं होता था, में कांग्रेस के शासन ने पाइप लाइन द्वारा मीठा पानी

(श्री रामनारायण चौधरी)

पहुंचाया। यह सही है कि वहां पर एश्योर्ड वाटर सप्लाई नहीं है फिर भी वहां पर 353 गांवों में पानी देना कोई मामूली बात नहीं है। मान्यवर, वास्तव में यदि कोई कहे कि गंगा आई हैं तो वह गंगा राजा भागीरथ लाया था उसके बारे में तो मैं कह नहीं सकता, क्या कल्पना है, क्या पुरानी कथाऐं हैं और वह गंगा बाद में जा कर कहां अटक गई। मान्यवर, मुझे इन पुरानी बातों में विश्वास कम है, उनके अनुसार वह शिवजी की जटा में अटक गयी लेकिन यह गंगा गांव के टीलों में से होती हुई उस प्यासी धरती में गरीब किसान शिड्यूल्ड् कास्ट्स और शिड्यूल्ड्स ट्राइ वीकर सेक्शन, जो पुल नहीं बना सकता था, जो अपने पीने के पानी को स्टॉक नहीं कर सकता था बरसात का पानी, उसके लिये हमेशा-हमेशा के लिये साक्षात् आकर वहां खड़ी हो गई। यह एक उपलब्धि है। इस उपलब्धि को राजस्थान ही नहीं बल्कि हिन्दुस्थान का इतिहास याद रखेगा कि अमुक समय में अमुक सरकार ने अमुक मुख्य-मन्त्री ने, मन्त्रिमण्डल ने यह निर्णयकिया था। यह कोई 353 गांवों तक ही लिमिटेड नहीं है मैंने देखा है, डाक्यूमेंट हैं, वहां पर मैंने इन्जीनियर्स चर्चा की कि 12 सौ क्यूसेक पानी कितना होता है तो उन्होंने मुझे बताया कि बहुत पानी होता है, 353 गांव तो क्या अगर सरकार के पास साधन हों तो हजारों गांवों के लिए इस पानी को पीने की व्यवस्था की जा सकती है। मान्यवर, यह एक बहुत ही जबर्दस्त उपलब्धि है। मान्यवर, मैं ही नहीं इधर बैठने वाले ही नहीं, आप लोग जो उधर बैठे हैं, यह आपका नैतिक दायित्व है। राजनैतिक दायित्व से तो आप कहेंगे कि यह कुछ नहीं है पर नैतिक दायित्व से आप अपने सीने के ऊपर हाथ रख कर कहियेगा कि इस तरह का काम क्या आपकी सरकार ने कभी सोचा भी था। उन जिलों और गांवों की सरहद पर पानी हिमालय पहाड़ों से चल कर, टीलों से होता हुआ आयगा ऐसी जगह जहां गरीब किसान, मजदूर पानी को टैंकों में इकट्ठा नहीं कर सकता था, जिनके पास एक घड़ा होता है, मान्यवर, और घड़ा भी कइयों को नसीब नहीं होता, अपनी छोटी-छोटी हण्डियों में पानी इकट्ठा करते हैं, वहां नहर आ जायगी और गंगा आ जायगी। गांव वालों ने ही नहीं मेरे ख्याल से आपने भी, नहीं सोचा होगा। आपके नेता जो तब मुख्य मंत्री थे, उन्होंने भी कल्पना नहीं की होगी। यह, मान्यवर, उपलब्धि है। विपक्ष के नेता महोदय, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, इस उपलब्धि के बारे में आप क्या कहते हैं। यह उपलब्धि क्या उल्लेखनीय उपलब्धि नहीं है? मेरा कहना है कि किसी भी कैनाल का पानी खारा पानी वाले गांवों में, डेजर्ट एरिया में पहुंचाने वाला यह पहला प्रोजेक्ट है जिससे 353 गांवों को मीठा पानी मिलेगा और जिसका हमारे देश के युवा नेता श्री राजीव गांधी ने उद्घाटन किया। इसके लिए मैं सरकार को कोटि-कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने ऐसा काम किया है कि आने वाला इतिहास और देश और प्रदेश की जनता आपको याद रखेगी।

श्री महाराम चौधरी : पानी पहुंचेगा तो सही? कहीं नहर बीच में टूट नहीं जाय,

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । माननीय सदस्यगण आपस में बातें नहीं करें ।

× × ×**श्री नाथूसिंह** : पहले के जमाने में हुआ करते थे । आजकल विधान सभा में भी आने लगे हैं ।

श्री रामनारायण चौधरी : पीने के पानी और राजस्थान नहर के निर्माण के बारे में चर्चा कर रहा था, मान्यवर । प्रसंग आ गया था । फिर मैं कहूंगा तो बात उपयुक्त नहीं रहेगी । मेरा कहने का तात्पर्य कोई इसकी वकालत करना नहीं है ।

मान्यवर, रामसिंह फैक्ट फाईंडिंग कमेटी बनाई गई थी । मुझे इसमें कोई एतराज नहीं । जो दोषी है उसको सजा दी जाय । जो निर्दोष है उसको तंग नहीं किया जाय । अब उसमें क्या पोजीशन रही है, यह तो सरकार का देखने का काम है । प्रतिपक्ष के नेता कह रहे थे कि सदन के माननीय सदस्यों की राय से मैंने कमीशन नियुक्त किया है । मान्यवर, आपने कहा कि वह कमीशन नहीं था । फिर क्या था, यह तो भगवान ही जाने । 1980 में यह रिपोर्ट आई । मेरे ख्याल से आप जब मुख्य मन्त्री थे तब ही, आपके समय में ही आ जानी चाहिए थी । वह आ गई होती तो अच्छा होता । नहीं आई. आई तो इससे बड़ी आपकी कोई इनएफिशियेंसी हो नहीं सकती । ढाई साल तक आप मुख्य मन्त्री रहे और आपने अपने मन चाहे व्यक्ति को फैक्ट फाईडिंग कमेटी में में लगाया, फिर भी उससे आप रिपोर्ट प्राप्त नहीं कर सके, इससे बड़ी अयोग्यता का, इनएफिशियेंसी का प्रमाण-पत्र दिये बिना कोई नहीं रह सकता ।

श्री चन्दनमल बैद : 19 रिपोर्ट इनके समय में आ गई थीं ।

श्री भगवानदास शास्त्री : चुनाव में पसीना निकल गया था ।

श्री रामनारायण चौधरी : वह तो आप ही बता सकते है, मैं तो अन्दाज लगाता हूं ।

मान्यवर, 1980 में 19 रिपोर्ट उन्होंने दी । यह सरकार के देखने का काम है, मुख्य मन्त्री जी और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेन्ट के मन्त्री के देखने का काम है, आप इस बात पर गौर करें । मेरी इसमें कोई न अभिशंसा है, न राय है लेकिन कह रहा हूं कि 19 रिपोर्ट थीं और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई । मान्यवर, फैक्ट फाईडिंग कमेटी एक आदमी की थी और राजस्थान सरकार ने इस कमेटी को असिस्ट करने के लिये किसी भी आई. ए. एस. या आर. ए. एस. ऑफिसर को साथ नहीं लगाया, किसी टेक्निकल आदमी को साथ नहीं लगाया जो कि लगाया जाना जरूरी था । लेकिन इन्होंने एक ऐसे व्यक्ति, जो उस जमाने में जबकि जांच हो रही है वहां चीफ अकाउण्ट्स ऑफिसर थे, को कमेटी या कमीशन को असिस्ट करने के लिए ऑफिसर इंचार्ज कायम किया । मान्यवर, जरूरी था कि इन्हीं के विश्वास के किसी टेक्निकल आदमी रिटायर्ड या प्रजेन्ट को कमीशन के साथ लगाया जाता । लेकिन वह नहीं लगाया । इन्होंने सलेक्ट किया एक आदमी को, पर्टिकुलरली, चलाकर उस

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार शब्द अपलोपित किया गया ।

(श्री रामनारायण चौधरी)

व्यक्ति को जिसके जमाने कालेखा-जोखा था और वह उस समय चीफ अकाउण्ट्स ऑफिसर था, उन्हीं को असिस्ट करने के लिये लगाया। मान्यवर, उनका कार्यकाल कौन-सा था ?, कार्य-काल था। कोई भी उस व्यक्ति की ऑनेस्टी और इण्टेग्रिटी पर डाउट नहीं हो सकता उनका स्वभाव खराब हो सकता है, उजड्ड हो. हो सकता है, और भी कई कारण हो सकते हैं। वह व्यक्ति थे हरिसिंह जी, चीफ इंजीनियर जो उस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर थे। इनके अलावा उस जमाने में और थे। फाइनेंशियल एडवाइजर जो भारत सरकार से आये थे मिस्टर शास्त्री, वह वहां फाइनेंशियल एडवाइजर थे। एक वह चेयरमैन थे और एक वह एक चीफ अकाउण्ट्स ऑफिसर थे। अच्छा होता कि उस एडवाइजर, जो भारत सरकार से आया था, जिसका यहां से कोई ताल्लुक नहीं था, को असिस्ट करने के लिये लगाया जाता। लेकिन उनको नहीं लगाया गया। यह ऑफिसर जो चीफ अकाउण्ट्स ऑफिसर थे इनकी एनुअल कॉन्फिडेंशल रिपोर्ट उस फाइनेंशियल एडवाइज़र, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया का नॉभिनी था, ने इनकी ए. सी. आर लिखी थी। वह ए. सी. आर. कैसी है मुझे मालूम नहीं। वह मुख्य मन्त्री या एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के मन्त्री देखें। उस ए. सी. आर. को एन्डोर्स किया उस जमाने के चेयरमैन ने। उसके बाद वह मुश्किल में पड़ गये। उसके बाद न जाने क्या-क्या हुआ, मुझे नहीं मालूम, आप उसकी जांच करें। जब वह ऑफिसर, वहां तीन साल तक चीफ अकाउन्ट्स ऑफिसर था, चौधरी हरिसिंह जी चेयरमेन थे और मिस्टर शास्त्री फाइनेंशियल एडवाइजर थे उस जमाने के जो-जो ऑब्जेक्शन इर्रेगुलरिटीज के ओमिशंस वगैरह के थे वो के वो उसी भाषा में और उसी स्टाइल में सारे रिपोर्ट में लिखे हुए हैं। मैं नहीं कहता कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के मैम्बर पर no reflection on his honesty and integrity. ईमानदारी पर सन्देह नहीं है, लेकिन आप इस बात की जांच करें मुख्य मन्त्री और नहर मन्त्री महोदय। मेरा किसी को डिफेंड और प्रोटेक्शन करने का आर्ग्युमेण्ट नहीं है। लेकिन जिन लोगों की गलती हुई, हो, अपने पसीने से मेहनत करके राजस्थान कैनाल के निर्माण में सहयोग दिया, जो अधिकारी रहे हों जिनको सजा मिलनी चाहिये। उनको सजा मिले, लेकिन कोई भी आदमी किसी दुर्भावना का शिकार नहीं होना चाहिए। जिनके तहत जिन्होंने काम किया है एक मौका मिला, कमीशन में जाकर बैठ गये। वहां जैसी एडवाइज दे दी वैसी की वैसी कमीशन ने मानकर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का रिजल्ट दिया। इस तरह से किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। आज वह लोग इस सदन में आ नहीं सकते, इस सदन में आकर बोल नहीं सकते। मान्यवर, आप भी कानून के जानकार रहे हैं, डेमोक्रेसी के हामी हैं, आप प्रोटेक्टर ऑफ दी हाउस हैं, हमारे राइट की सुरक्षा आपके हाथ में हैं। आप ही, मान्यवर, निर्णय करें, जिनके खिलाफ रिपोर्ट दी गई है, उनको कमीशन ने बुलाकर यह नहीं पूछा कि आपको इसमें क्या कहना है। सरसरी तौर पर नैचरल जस्टिस वह है, जिसको आप सजा देना चाहते हैं उसे लटका दीजिए, इस सदन को भी अधिकार है, आप फांसी दे सकते हैं, इस सदन से निष्कासित

Page No. 66

(66)

(श्री रामनारायण चौधरी)

कर सकते हैं, चाहे जैसी सजा दे सकते हैं लेकिन पहले उस व्यक्ति को सुनना भी पड़ेगा ।

श्री राजबहादुर : फांसी की सजा नहीं दे सकते ।

श्री रामनारायण चौधरी : फांसी के जैसा अपराध हो तो फांसी भी दे सकते हैं । लेकिन उस व्यक्ति को सुनना भी पड़ेगा कि तुम्हारे खिलाफ यह आरोप हैं हम तुम्हें फांसी देंगे या तुम्हारे खिलाफ यह आरोप है । मान्यवर, किसी भी अधिकारी से यह पूछा हो आप तो जानकारी करवा लीजिये । मैं कहना चाहूंगा, जो कमेटियां बनीं 1977 और 1979-80 के बीच में, उन कमेटियों में तत्कालीन सरकारों का, चाहे वह मुख्य मंत्री रहे हों, चाहे देश के प्रधान मंत्री रहे हों; चाहे देश के गृह मंत्री रहे हों कोई नेक इरादा नहीं था कि किसी के साथ इंसाफ हो । उनका एक ही इरादा था कि किस प्रकार से बदला लिया जाय और ऊपर से लेकर नीचे तक स्क्रूटिनी की जाय । मेरा आग्रह है, उस जमाने की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी या जो कमीशन हैं, उनकी जांच करवाइये, स्क्रूटनी कमेटी बिठाये उनसे सीनियर आदमी को वह दीजिये । यदि वह दोषी पाये जाते हैं तो उनको सजा दीजिये । और यदि दोषी नहीं है तो लोगों का हरैस मत कीजिये । उनके ऊपर हैंगिंग सोर्ड, तलवार लटका कर उनका जीवन कठिनाई में मत डालिये, यह मेरा आपसे आग्रह है ।

तो, मान्यवर, मैं राजस्थान कैनाल के सिलसिले में जिक्र करना चाहता था । पीने के पानी की व्यवस्था की गई । राजस्थान में यदि आज प्राथमिकता दी जाय विकास के कामों में तो सरकार ने पीने के पानी को प्रथम प्राथमिकता दी है । 24 हजार गांव राजस्थान के अन्दर आइडेन्टिफाई हुए हैं कि वह समस्या ग्रस्त हैं और पीने के पानी की वहां वास्तव में ही आवश्यकता है । वहां या तो खारा पानी है या पानी रोगाणु है या पानी ऐसा है कि वह पीया ही नहीं जा सकता । इस प्रकार के 24 हजार गांवों का पहचाना गया है । 24 हजार गांवों को पहचानने के बाद, मान्यवर, आज तक मैंने जो जानकारी प्राप्त की है, 18 हजार के लगभग ऐसे गांव हैं कि जहां पर यह पानी की व्यवस्था की जा चुकी है या मार्च के अन्त तक, इस वर्ष के एण्ड अन्त तक हो जायगी । इसके बाद 6 हजार गांव बचते हैं । मान्यवर, हमारे दल का नेतृत्व देश की प्रधान मंत्री कर रही हैं उन्होंने 1980 में जो चुनाव घोषणा-पत्र जारी किया था एक मुख्य मुद्दा था कि छठी पंचवर्षीय योजना में उन गांवों में जहां पीने का पानी नहीं है हम अच्छा और मीठा पानी उनको उपलब्ध करायेंगे । एक साल में 6 हजार गांव कोई बड़ी बात नहीं है कवर हो जाय । हो सकता है उन गांवों में कुछ विशेष कारणों से, आज धन का अभाव भी है, आज अवेलेबिलिटी यानी उपलब्धता का भी प्रश्न है-यह तमाम चीजें उपलब्ध नहीं होती हैं उस समय कुछ गांव रह भी सकते हैं लेकिन जो हमारा प्रॉमिस है हमारे मैनिफेस्टो का प्लेज है उसको हमारी सरकार न केवल पूरा कर रही है बल्कि लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा कर रही है । इस बात से हमें सन्तोष है ।

(श्री रामनारायण चौधरी)

मैं इस मौके पर यह जो हमारी पीने के पानी की सप्लाई की योजना है इसके लिये राज्य सरकार को, मुख्य मंत्री जी को, विभाग के मंत्री जी को और विभाग को धन्यवाद दिये बगैर नहीं रह सकता, इनकी प्रशंसा किये बगैर नहीं रह सकता कि आज राजस्थान में ही नहीं, मान्यवर, सारे देश में, भारतीय, नेशनल लेवल पर हमें इस बात की मान्यता मिली है, राजस्थान को इस बात का गौरव प्राप्त हुआ है कि इस वाटर सप्लाई समस्या, अभावग्रस्त गांवों की समस्या को दूर करने में राजस्थान ने अपनी प्रतिज्ञा और अपने प्रोग्राम को ही पूरा नहीं किया बल्कि राजस्थान ने देश में अग्रणी रह कर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हमारे देश में राजस्थान का प्रथम स्थान है। इस बात का प्रमाण यह है कि समय-समय पर प्लानिंग कमीशन देश की प्रधान मंत्री और भारत सरकार ने इसकी तारीफ की है। अभी हाल ही में भारत सरकार ने एक निर्णय लिया कि वह प्रदेश, जो वाटर सप्लाई योजनाओं में अभावग्रस्त गांवों में, जहां पीने के पानी का अभाव है उन अभावों को दूर करने में अग्रणी रहेगा, 15 करोड़ रुपये में से बोनस के रूप में या अनुदान के रूप में मैक्सिमम सहायता उस प्रदेश को मिलेगी। आज हमें इस बात का फख है, मान्यवर, हमने यह पढ़ा कि ग्रामीण जलप्रदाय योजनाओं को पूरा करने में राजस्थान सर्वश्रेष्ठ है।

राजस्थान के मुख्य मंत्री श्री शिवचरण माथुर ने आज दिल्ली में बताया कि ग्रामीण जलप्रदाय योजनाओं के क्रियान्वयन में सारे देश में राजस्थान का कार्य सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यह जानकारी गुरुवार को नई दिल्ली में केन्द्रीय आवसन मंत्री श्री बूटासिंह से भेंट करने के बाद दी। इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए केन्द्रीय सरकार ने 15 करोड़ रुपये की राशि विभिन्न राज्यों को दी। इसमें से अकेले राजस्थान को 7 करोड़ रुपया दिया गया है। यह सर्वाधिक है।

श्री शिवचरण माथुर (मुख्य मंत्री) : 711 करोड़।

श्री रामनारायण चौधरी : 711 करोड़ रुपया राजस्थान को दिया गया है जो कि सर्वाधिक है। 50 पर्सेन्ट में अकेला राजस्थान और 50 प्रतिशत में सारे देश का भूभाग है, 711 करोड़ में वह शामिल है। तो यह अचीवमेन्ट है। इसकी कौन प्रशंसा नहीं करेगा? यदि आपके सीने में धड़कन है, आपके दिल है, आप में नैतिकता का तकाजा है तो आप को भी इस काम के लिये प्रशंसा करनी पड़ेगी, एप्रीशिएट करना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि राजस्थान का इस मामले के अन्दर सर्वोच्च स्थान देश के अन्दर है। और वास्तव में राजस्थान के लोगों की पीने के पानी के सम्बन्ध में आशाओं और आकांक्षाओं को सरकार ने न केवल पूरा किया है बल्कि उससे भी हम आगे बढ़े हैं।

मान्यवर, पेयजल के सम्बन्ध में मैंने काफी कह दिया है। कितना भी कहा जा सकता है। मान्यवर, जितना कहा जाय उतना ही कम है। कोई की कोई सीमा नहीं होती, कहने की कोई सीमा नहीं है लेकिन मैंने आपको यह जिक्र किया है एक उपलब्धि का, जयपुर की गुलाबी नगरी का, राजस्थान केनाल और पीने के पानी का। और अब, मान्यवर, हमारी देश की प्रधान मन्त्री ने 15 अगस्त को लाल किले से देश के

68

(श्री रामनारायण चौधरी)

सामने शिक्षक बेरोजगार लोगों को काम देने की घोषणा की। उन्होंने यह घोषणा की कि पढ़े लिखे युवकों और युवतियों को, सबको हम रोजगार, नौकरियां नहीं दे सकते, नौकरी देना ही किसी भी सरकार का कोई कार्यक्रम नहीं हो सकता। लोकतांत्रिक, लोकहितकारी, कल्याणकारी सरकार का यह कर्त्तव्य है कि देश के युवकों को रोजगार मिले, किसी भी काम में उनकी शक्ति लगे ताकि देश के निर्माण में उनका भी योगदान हो सके। उन्होंने 25 हजार रुपये तक की आर्थिक सहायता की उन युवकों और युवतियों, जिनका कि नौकरी में नम्बर नहीं आता या जो नौकरी नहीं करना चाहते हैं और देश के उत्पादन में और देश के विकास में अपना योगदान करना चाहते हैं लेकिन अर्थभाव के कारण ऐसा नहीं कर सकते, के लिए एक योजना दी। उस योजना के तहत राजस्थान सरकार का भी कोटा 10 हजार युवकों का है जिनको लाभान्वित किया जाना था। लेकिन राजस्थान की सरकार ने उस लक्ष्य को 10 हजार से बढ़ाकर 15 हजार किया है, उस लक्ष्य की प्राप्ति 31 मार्च से पहले पहले करने का सरकार ने संकल्प दोहराया है। जो सामग्री मुझे पढ़ने को मिली है उसमें इस बात का जिक्र किया गया है।

मान्यवर, यह प्रदेश आवागमन की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से ऐसी, मान्यवर, कोई दृष्टि नहीं थी जिसमें यह प्रदेश पिछड़ा हुआ नहीं था। इस प्रदेश के अन्दर किसी भी जिले के लिए कोई सड़क नहीं थी। जिलों के अन्दर कोई सड़क नहीं थी लेकिन फिर भी कुछ वर्षों के अन्दर जब से कांग्रेस का शासन आया है और वर्तमान सरकार ने शासन संभाला है उसके बाद पंचायत हैडक्वार्टर पर और जहां एक हजार तक की जनसंख्या है उन गांवों को भी सड़कों से मिलाने का एक कार्यक्रम बनाया है। अब, मान्यवर, उधर से कोई जिक्र कर रहे थे, विपक्ष की तरफ से सड़कों के बारे में कि वह नहीं हुआ। अभी, मान्यवर, मुझे इस सदन में आने का अवसर जिस स्थान से मिला है उधर प्रतिपक्ष के माननीय नेता महोदय की नजरें भी गई थीं और वहां काफी आपका आवास, निवास और आवागमन रहा। आपके साथ आपका पेराफरनेलिया, जो होना चाहिए प्रतिपक्ष का उस ताम-झाम में उन्होंने कोई कमी नहीं रखी। जो जिस जाति का था, राजपूत है उसके लिए राजपूत ले आये, जाट को भड़काना है तो उसको ले आये, माइनोरिटी को भड़काना है तो सिकन्दर बख्त को ले आये। वह उनका काम था, मान्यवर।

श्री महाराम चौधरी : डामर का ढोल तो नहीं लाये।

श्री रामनारायण चौधरी : बस मुझे खुशी है। अगर सब से ज्यादा आनंद यदि मुझे चुनाव में आया तो, मान्यवर, इसी में आया। मैंने कहा, देश की नेता प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने मुझे टिकट दिया। इस पक्ष के हमारे मुख्य मंत्री, जिनकी न कोई जाति है, न पाती है....

एक माननीय सदस्य : क्या है ?

श्री रामनारायण चौधरी : प्रोग्राम के नाम पर, काम के नाम पर मुख्य मंत्री जी आपसे वोट मांग रहे हैं । मैं उनका साथी हूं । काम मैं करूंगा, करायेंगे मुख्य मंत्री जी । न मैंने कोई काम करवाया...।

एक माननीय सदस्य : हैण्ड-पम्प लगवाय ।

श्री रामनारायण चौधरी : कोई हैण्ड-पम्प नहीं लगा । जो पुराने गांव है, वहां स्कूल खोले गये । आपने हमारे यहां स्कूल एक नहीं खुलने दिया । प्रतिपक्ष के नेता महोदय से बहुत सी बातें सुनने को मिली । आप मण्डावा पधारे, बिसाऊ पधारें । मान्यवर, आपने कहा आप ऐसे आदमी को वोट दे रहे हैं जिन्होंने मंत्रि मण्डल में रहकर मण्डावा से बिसाऊ तक सड़क नहीं बनवाई । मलसीसर में कहा, मलसीसर को मण्डावा से नहीं जोड़ा । जहां-जहां जिस जगह की जो प्राब्लम्स थीं उसका जिक्र किया । चर्चा चली कि भूतपूर्व मुख्य मंत्री भैरोंसिंह जी आये हैं, उन्होंने यह कहा । आपको सब पता है, जब मैं मंत्री था तब मण्डावा से बिसाऊ की सड़क न केवल स्वीकार हुई थी बल्कि उसके टेन्डर हुए थे, काम चालू हुआ था । लेकिन वे भाषण देकर गये हैं, उन्होंने बन्द करवा दी थी । इसका प्रमाण आपके पास है । मैंने कहा, यह आदेश हैं, यह असेम्बली की प्रोसिडिंग्स हैं, मैंने असेम्बली में प्रश्न उठाया था, उन्होंने जवाब दिया है । मलसीसर में उन्होंने कहा, यहां पशुओं की डिस्पेन्सरी नहीं है । वही बात वहां की । पशुओं का अस्पताल खुला था लेकिन जनता पार्टी के राज में बन्द करवा दिया गया । मान्यवर, आप बिसाऊ में गये, भाषण दिया कि स्कूल तक सड़क नहीं है । कुछ लड़के मुख्य मंत्री जी के पास गये । लड़कों से पूछा, क्या बात है ? लड़कों ने कहा, वही सड़क वाली बात है । मैंने लड़कों से कहा भड़कते क्यों हो, तुम्हारे कहने से कौन सा काम नहीं किया ? आपके हैड मास्टर से पूछना, जब मैं पी डब्ल्यू. डी. मिनिस्टर था जिस सड़क की मैंने मन्जूरी दी थी, काम करवाया था, 1977 में जब जनता पार्टी आयी, भैरोंसिंह जी ने उसे बन्द करवा दिया । मान्यवर, वर्तमान सरकार ने आवागमन के साधन जुटाने के लिये 45 करोड़ 55 लाख का एन्युअल प्लान तैयार किया जिसके अन्दर पंचायत समिति हैड क्वार्टर और दो हजार की आबादी वाले गांव जोड़े गये । इससे ऐसे किसानों, जिनको फसल के मण्डी तक आने-जाने में असुविधा है, बरसात आदि में रास्ते बन्द हो जाते हैं, को अपनी फसल को मण्डी तक लाने का मौका मिलेगा । मान्यवर, जो एन्युअल प्लान तैयार किया गया है मुझे खुशी है, कोई भी तटस्थ व्यक्ति उसको देख सकता है । आपको देखने को मिलेगा कि प्रत्येक जिले के अन्दर जहां इस प्रकार के गांव है, वह सम्मिलित किये गये हैं, वहां की आवश्यकताओं को सम्मिलित किया गया है । मुझे जानकारी मिली है, मान्यवर, इसके प्रस्ताव तैयार कर लिये गये हैं हम लोगों की, जन प्रतिनिधियों की राय उसके अन्दर नहीं है । मुझे खुशी है कि मुख्य मंत्री ने यह निर्णय लिया है । हम लोगों की जो प्राथमिकताएं हैं उनको भी ध्यान में रखा जायगा और एन्युअल प्लान में हमारे सुझाव शामिल किये जायेंगे । क्या यह कम प्रशंसनीय बात है ? यह सड़कों का मामला है....

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : कोटा जिले में तीन साल में एक भी सड़क नहीं बनी, यह चौथा साल है। माननीय मुख्य मंत्री जी कह दें, कोटा जिले में एक भी सड़क बनी है।

(व्यवधान)

श्री रामकिशन वर्मा (राज्य मंत्री, भेड़ व ऊन) : एक करोड़ की बनाई है।

श्री दाऊदयाल जोशी : एक भी नहीं....

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : चुनावी भाषण देने से काम नहीं चलेगा, रामनारायण जी।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री रामनारायण चौधरी : आपने देखा है, राज्य सरकार ने जितने काम कोटा जिले में किये हैं, इसको नेशनल हाई वे में शामिल करके....

श्री दाऊदयाल जोशी : आपका पैसा नहीं है, सैन्टर का है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आॅर्डर, आॅर्डर।

श्री रामनारायण चौधरी : आपके नेता जब मुख्य मंत्री थे, आपके नेता प्रधान मंत्री थे, आपके मंत्रिमण्डल में कोटा का प्रतिनिधित्व था तब आप नैशनल हाई वे स्वीकार नहीं करा सके।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : हमारे मुख्य-मंत्री जी के समय में ही प्रपोजल मन्जुर हुए थे, आप × × × बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष × × × शब्द कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

(व्यवधान)

आॅर्डर प्लीज।

श्री रामनारायण चौधरी : शिक्षा के सत्र में....

श्री दाऊदयाल जोशी : मास्टर प्लान 50 साल का है। 50 साल में यह सारी सड़कें बनायेंगे।

(व्यवधान)

चुनावी भाषण हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री रामनारायण चौधरी : मान्यवर, आजादी के बाद हमने जो प्रगति की है उसको देखने से यह मालूम पड़ता है। जिस प्रदेश के जिस जिले के अन्दर 1947 की आजादी के पहले एक स्कूल नहीं था, मैं भरतपुर की बात नहीं करता हूं, मैं जिस स्टेट से आता हूं वह राजस्थान की सबसे

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अवलोकित किया गया।

(श्री रामनारायण चौधरी)

बड़ी स्टेट में से एक थी जोधपुर स्टेट, जिसका सबसे बड़ा बजट था। चूरू जिले में 1947 से पहले एक या दो स्कूल थे। सरकारी सहायता के नाम पर केवल एक अस्पताल था जिसके अन्दर एक डाक्टर था। एक हायर सैकण्डरी स्कूल था उस जमाने में, जिसे हाई स्कूल कहते थे। उसके अलावा राज्य के नाम से वहां न कोई हाई स्कूल था, न कोई प्राइमरी स्कूल था, न कॉलेज था, न कोई डिस्पेन्सरी थी, कुछ भी नहीं था। उस समय जिले की संख्या 6 लाख थी। आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि जयपुर रियासत के बाद जिसका नाम था, उस झुंझुनू जिले जिसने देश को आजाद किया, आजादी की लड़ाई में जिसने बहुत बड़ी कुर्बानियां की की शिक्षा के अन्दर यह स्थिति थी। जब देश आजाद हुआ....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री रामनारायण चौधरी : और जब राजस्थान बना तो इस प्रदेश का शिक्षा का बजट एक करोड़ का था और आज इस प्रदेश का शिक्षा का बजट....

(व्यवधान)

186 करोड़ का हो गया है। आपका एक करोड़ का बजट था टोटल राजस्थान का, आपके इन्टीग्रेटेड राजस्थान का बजट उस समय एक करोड़ का था जिसका आज 186 करोड़ का हो गया और साल के अन्त तक बढ़ कर 260 करोड़ का हो जायगा। मान्यवर, आज यही नहीं इस देश के अन्दर अन्य किसी भी प्रदेश की सरकार ने इस बात का निर्णय नहीं लिया, अन्य किसी भी प्रदेश की सरकार ने यह प्रोग्राम नहीं बनाया कि 300 या 300 के ऊपर की आबादी के प्रत्येक गांव में एक प्राइमरी स्कूल होगा। राजस्थान सरकार ने यह निर्णय किया है और निर्णय ही नहीं किया उसको इम्पलीमेंट भी किया, कार्य रूप में परिणत भी किया। आज इस प्रदेश के 34 हजार गांवों में से 20-22 हजार गांवों में प्राइमरी स्कूल हो गये हैं।

(व्यवधान)

तो, मान्यवर, आज गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में स्कूल हैं, जगह-जगह पर कॉलेज हैं, जगह-जगह पर यूनिवर्सिटीज हैं....

(व्यवधान)

श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया (रतनगढ़) : यह बात मत कहना। यह असत्य है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज माननीय सदस्य।

श्री रामनारायण चौधरी : आपके जिले में कितने, आपके सरदारशहर में कितने, आपके सुजानगढ़ में कितने ?

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : रतनगढ़ में क्या कमी है ?

श्री रामनारायण चौधरी : आजादी के पहले क्या था और आज उसका मुकाबला करें तो कितने स्कूल हैं, कितने हायर सैकन्डरी स्कूल हैं। लड़कियों के स्कूल अलग प्रौढ़ पाठशालाएं अलग। चूरू जैसे जिले में कालेज। सबसे पिछड़ा भू-भाग, सरदारशहर वह भी इन्स्टीटयूशन से भरा हुआ है। जयपुर की आबादी की तुलना के हिसाब से लगा लीजिये जब कि जयपुर की आबादी 15 लाख की है। ऐसा ही आपका चूरू जिला है। रतनगढ़ में आपने जो मांग की है उसका मैं समर्थन करता हूं। आपकी मांग का मैं समर्थन हूं....

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : धन्यवाद।

श्री रामनारायण चौधरी : लेकिन जो हुआ है, उसको स्वीकार कीजिये। जो नहीं हुआ है उसकी मांग कीजिये, मैं आपके साथ हूं।

मान्यवर, विद्युत के मामले में प्रतिपक्ष के नेता जब मुख्य मंत्री थे अपने जमाने के अन्दर बिजली के उत्पादन के अन्दर इन्होंने कोई इनफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया ? जिस तरह से अनाज को बिखेरा, सोने को बेचा उसी तरह हमारी जो उपलब्धियां थीं, प्रोडक्शन था एनर्जी का उसको भी खुर्द-बुर्द करने की कोशिश की। गांवों में कनेक्शन मंजूर कर गये लेकिन पावर का इन्तजाम नहीं किया। उनके जाने के बाद सारे राजस्थान में बिजली के मामले में एकदम त्राहि त्राहि मच गई। क्योंकि उस पर उस समय कोई ध्यान नहीं रखा गया।

(व्यवधान)

सस्ती लोकप्रियता रखी। मांगे एक दें दस, मांगे एक दें पांच। तो, मान्यवर, इस लोकप्रियता से पहचान हो जाती है कि वास्तविकता क्या है। इस प्रकार के निर्णय, मान्यवर, न किसी प्रदेश को आगे ले जा सकते हैं, न किसी देश को आगे ले जा सकते हैं। निर्णय नीतियों पर आधारित होने चाहिये, निर्णय प्रोग्रामों पर आधारित होने चाहिये। पहले देखा जाना चाहिये कि आपके पास कितना सामान है। आपने बिजली जनरेशन का कोई प्रोग्राम नहीं बनाया। एक साल के अन्दर आपने कुछ भी बाकी नहीं छोड़ा और हमारे किये कराये कामों का बंटवार कर दिया। आपने सारे खजाने को खतम कर दिया और फिर भी देश पर करोड़ों रुपयों का ओवर ड्राफ्ट खड़ा कर दिया। देश के अन्दर बिजली का घाटा, देश के अन्दर स्कूलों का घाटा, सड़कों में घाटा, नहर में घाटा। आपके जमाने, 1977 से 1979 में तो नहरें बन्द हो गई थीं क्योंकि ऐसी स्थिति हो गई थी कि आपको कोयला नहीं मिला। लेकिन आज कोयला कहां से आ रहा है ? दिल्ली में आपकी सरकार थी, प्रदेश में आपकी सरकार थी फिर कोयला क्यों नहीं मिला आपको ? सड़के बन्द हो गई। आपके प्रोफेसर केदार नहर मंत्री थे उन्होंने खुद स्वीकार किया था, इस प्रोसडिंग में लिखा हुआ है कि नहर का काम कोयले की वजह से नहीं बढ़ा पा रहे हैं। ऊपर बैठे तुम्हारे मोरारजी भाई, तुम्हारे चरण सिंह जी, वाजपेयी बैठा हुआ था लेकिन कोई एक का नहीं था, कोई चरणसिंह जी के जंवाई तो कोई अटल जी के। उस स्थिति में भी अगर सीमेन्ट और

(श्री रामनारायण चौधरी)

कोयला दिल्ली से नहीं ला सकते थे तो फिर क्या अधिकार था कि आप राज्य पर शासन करते और राजस्थान की जनता को मुसीबत में डालते ? आज कोयले की जगह कोयला आ रहा है । दिल्ली में जाकर मुख्य मंत्री जी ने अपने प्रभाव का उपयोग किया है । उस प्रभाव के उपयोग से दूसरी जगह जो प्राथमिकताएं थीं उनको नेशनल लेवल पर प्रायोरिटी दी गई.... ।

(व्यवधान)

आप भी प्रस्ताव पास करके करवाते लेकिन आप उस जमाने में कोयला और सीमेन्ट नहीं दे सके, आपकी नहरें दो साल तक बंद रहीं । तो, मान्यवर, पावर की यह पोजीशन थी । लेकिन आज खुशी की बात यह है कि इस वर्ष आपने बड़ी इण्डस्ट्रीज की कटौती की होगी, मीडियम और स्माल स्केल की जो इण्डस्ट्रीज हैं उनमें आपने बिजली की कटौती की होगी लेकिन हाय-तोबा त्राहि-त्राहि नहीं होने दी हमने । आज जनता का हर वर्ग सन्तुष्ट है । आज हम किसानों को 9 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे बिजली दे रहे हैं । आज आप गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में चले जाइये, बिजली के अभाव में किसी काश्तकार को कोई क्षति नहीं हुई है । सरकार को इसके लिए मुबारकबाद और धन्यवाद नहीं दिया जाय तो क्या दिया जाय ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री रामनारायण चौधरी : आज तंग दिली से काम नहीं चल सकता है । जितना हुआ है उसको आपको एप्रीशियेट करना पड़ेगा और यह कहना पड़ेगा कि काम हुआ है, और जो हुआ है प्रशंसनीय है ।

मान्यवर, मैं मेडिकल, स्वास्थ्य और चिकित्सा के बारे में कहूंगा....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । माननीय सदस्य, शान्त रहें ।

श्री रामनारायण चौधरी : प्राथमिकताएं निर्धारित कर समाज के लिये, इन्सान के लिए और किसी सोसायटी के लिये चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यक्रम में जो दवायें दी है ये अत्यन्त इम्पॉर्टेंट आइटम्स में से हैं । एक निर्णय और जो राजस्थान सरकार ने किया वह बहुत ही प्रशंसनीय है । आज इस प्रदेश की पंचायत समिति का कोई हैड क्वार्टर ऐसा नहीं है जहां पर पी. एच. सी. न हो । प्रत्येक पंचायत समिति को पी. एच. सी. का हैड क्वार्टर बना दिया गया है । जहां पी. एच. सी. नहीं है वहां अगर खोलनी पड़ी है तो खोली है । आज राजस्थान की प्रत्येक पंचायत में पी. एच. सी. है । और, मान्यवर, मुझे जानकारी मिली है राजस्थान सरकार ने, हमारे खेत सिंह जी राठौड़ ने....

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : शेरगढ़ में खुल गई है ।

श्री रामनारायण चौधरी : पब्लिक हैल्थ सैन्टर या डिस्पेन्सरीज इस साल जो खोलने का प्रोग्राम है वह 500 गांवों के

(श्री रामनारायण चौधरी)

अन्दर है। 500 स्वास्थ्य केन्द्रों का कार्यक्रम खेतसिंह जी के विभाग की तरफ से हो रहा है। यह कोई उपलब्धि की बात नहीं है....।

(व्यवधान)

200 आयुर्वेदिक औषधालय इस वर्ष के अन्त तक खोलने का कार्यक्रम है। गरीब आदमी आयुर्वेदिक दवा की मामूली पुड़िया से काम चला सकता है। निःसन्देह 200 आयुर्वेदिक औषधालय खोलने का जो प्रोग्राम है वह प्रशंसनीय है।

श्री दाऊदयाल जोशी : साढ़े 41 लाख का आयुर्वेद का बजट इस साल लैप्स हो गया। श्रीमान् जी, मालूम है क्या? मन्त्रीजी से पूछ लो।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री सूर्य कुमार (नैनवा) : क्या 31 मार्च के पहले ही लैप्स हो गया?

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि साढ़े 41 लाख का बजट इस साल लैप्स होने जा रहा है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह लैप्स नहीं हुआ होता तो फिगर्स और आगे बढ़ते।

श्री दाऊदयाल जोशी : पिछले साल भी रोया था। माननीय मुख्य मंत्री जी की चिट्ठी मेरे पास है कि भविष्य में ध्यान रखा जायगा। और इस साल बजट फिर लैप्स हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : इतना तो लैप्स होने के बाद में हुआ है। ऑर्डर प्लीज।

श्री दाऊदयाल जोशी : आयुर्वेद का तो सर्वनाश करवा दिया।

श्री रामनारायण चौधरी : मान्यवर, आपने मुझे बहुत समय दिया। सदन का मैं बहुत आभारी हूं कि माननीय सदस्यों ने मुझे बहुत प्यार से सुना और जहां कहीं मैंने....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : और बोलिये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : भाषण में संयम वरतें, माननीय सदस्य।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में एग्रीकल्चर के बारे में कुछ नहीं कहा, आप अपनी तरफ से तो कुछ कह दें।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री नाथू सिंह (बांदीकुई) : थोड़ा सा हाउसिंग बोर्ड के मामले में भी कहिये।

श्री रामनारायण चौधरी : हिन्दुस्तान के जितने हाउसिंग बोर्ड हैं आपमें से किसी को बैठा दीजिए, चाहे आपके प्रतिपक्ष नेता को बैठा दीजिए, इनके पास मैं बैठ जाऊंगा, उनसे उल्लेखनीय प्रगति यदि मेरे कार्यकाल में हाउसिंग बोर्ड ने नहीं की हो, यहां तो नहीं कहेंगे लेकिन घर जाकर

(श्री रामनारायण चौधरी)

इनकी छाती पर हाथ रख कर पूछ लीजिए कि मेरे वक्त में प्रगति हुई या नहीं हुई ।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : आपने जमीनें वापस कीं जिनमें करोड़ों रुपये का घोटाला हुआ है ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री रामनारायण चौधरी : मेरे सवा लाल के कार्य काल में....

(व्यवधान)

श्री बालचन्द आर्यवीर : हवा में मकान गिर रहे हैं । (व्यवधान) सारे हाउसिंग बोर्ड को खा गया ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री रामनारायण चौधरी : आपकी बात मैंने सुन ली । हिन्दुस्तान के जितने भी हाउसिंग बोर्ड हैं उनमें सर्वप्रथम स्थान राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने प्राप्त किया जो मैंने नहीं कहा । Housing Urban Development Crop. Govt. of India. जहां मेरा कोई मित्र नहीं बैठता मेरा कोई रिश्तेदार नहीं बैठता, मेरा वहां कोई भाई नहीं, उसने सारे हिन्दुस्तान के हाउसिंग बोर्डों में राजस्थान टॉप में नहीं माना हो तो आप पूछ लीजिए । जिस समय यह कह रहे थे उस समय मैं सदन में नहीं था, मान्यवर,

श्री दाऊदयाल जोशी : राजस्थान में करोड़ों की जमीन आपने वापस कर दी है, क्या बात करते हो ।

श्री रामनारायण चौधरी : मान्यवर, मैं सदन में नहीं था और यह प्रसंग आ गया आप यहां सदारत कर रहे थे ।

श्री बालचन्द आर्यवीर : सर्वाधिक भ्रष्टाचार-हाउसिंग बोर्ड, राजस्थान में ।

श्री रामनारायण चौधरी : प्रतिपक्ष के एक माननीय सदस्य ने आवासन बोर्ड के सम्बन्ध में मेरे ऊपर यह आरोप लगाये कि मैंने एडहॉक नियुक्तियां की थीं और उनमें पक्षपात किया. भाई भतीजावाद फैलाया और मैंने उसके अन्दर....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपके माननीय मन्त्री महोदय ने इसकी हां भरी है, हाउसिंग बोर्ड के मन्त्री ने हां भरी है कि गलती की, जान बूझकर गलती की और गलत अपाइमेंट्स किये । यह दुलारामजी ने सदन में बयान दिया है रामनारायणजी के खिलाफ । इस संबन्ध में मेरा प्रश्न था और उसके जवाब में दुलारामजी ने कहा कि रामनारायणजी ने जान बूझकर गलत नियुक्तियां की हैं और नियुक्तियों में भ्रष्टाचार किया है । आप सदन की प्रोसिडिंग्स देख लीजिए ।

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जायें ।

श्री रामनारायण चौधरी : मान्यवर मैं उस समय सदन का सदस्य नहीं था । मुझे कहने का अधिकार नहीं था । उसको मैं रिफ्यूटल नहीं कर सकता था । यदि

(श्री रामनारायण चौधरी)

माननीय सदस्य में दम है तो बाहर जाकर इल्जाम को दोहरायें और फिर मैं देखूंगा कि वह किस प्रकार बचकर निकलते हैं। बाहर जाकर कहें कि मैंने रुपये लिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपके मंत्री महोदय से कहिये, दुलारामजी से।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर।

श्री रामनारायण चौधरी : × × तो दोहराइये बात बाहर जाकर। चौपड़ पर सभा कीजिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : × × × × × × × तो दुलारामजी पर लगाइये, दुलारामजी ने कहा है।

श्री रामनारायण चौधरी : फिर मैं आपकी चुनौती को स्वीकार करता हूं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री बालचन्द आर्य वीर : × × × × × × × × तो दुलारामजी को पकड़िये। न्यायालय में दुलारामजी को खड़ा करो, न्यायालय में।

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : यह कहना तो आसान बात हो गयी कि उसमें भ्रष्टाचार हो गया।

श्री नाथू सिंह : अच्छा ऐसा कीजिए कि आप जांच करा लीजिए नियुक्तियों की। मुख्य मंत्री जी बैठे हुए हैं। नियुक्तियों में, जांच कराइये, भ्रष्टाचार हुआ है या नहीं,

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठ जायें। अंकित न हो। आसन पैरों पर है।

श्री दाऊदयाल जोशी : + + +

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। अंकित न हो।

श्री बालचन्द्र आर्य वीर : + + +

श्री रामनारायण चौधरी : देश के अन्दर आज विचाराधाराओं का जो टकराव प्रतिपक्षी पार्टियों का चिंतन मन्थन, गति-दुर्गति और जो इन दिनों घबराहट देखने को मिल रही है, मान्यवर, यह देश के लिए शुभ संकेत नहीं हैं। अनमेल Unholy alliances among the different parties भाजपा-लोकदल। जिस लोकदल का अध्यक्ष अछूत माना जाता था आज भाजपा का अध्यक्ष उसी लोकदल के अध्यक्ष के चरण छूता है।

× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोदित की गयी।

+ माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

Page No. 77

77

सुश्री पुष्पा जैन (ग्रामेर) : ग्रापको क्या तकलीफ है ?

श्री ग्रध्यक्ष : ग्राडेंर, माननीय सदस्या ।

श्री बालचन्द ग्रार्यवीर : ग्राप तो ग्रपनी पार्टी की बात करो । ग्रपने घर में झांककर देखो फिर दूसरे की बात करना ।

श्री ग्रध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बाधा न पहुंचायें ।

श्री रामनारायण चौधरी : जब तक विचारधारा के ग्राधार पर, कार्यक्रमों के ग्राधार पर····

एक माननीय सदस्य : एलाइन्स की वजह से पांव कांप रहे हैं इनके ।

श्री बालचन्द ग्रार्यवीर : ग्ररे, ग्रपने चेहरे तो ग्राइने में देख लो फिर दूसरों की बात करना ।

श्री ग्रध्यक्ष : **ग्रार्डर** प्लीज ।

श्री रामनारायण चौधरी : कार्यक्रम नहीं बनेंगे तो देश को, देश की जनता को इस प्रकार के दल कोई मार्गदर्शन नहीं दे सकते ।

श्री बालचन्द ग्रार्यवीर : भ्रष्ट हैं । जनता को खा गये ।

श्री ग्रध्यक्ष : माननीय सदस्य, ग्रार्डर प्लीज । नियमों के ग्रन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी । बार-बार माननीय सदस्य को बाधा उपस्थित कर रहे हैं ।

श्री रामनारायण चौधरी : मैं नहीं चाहता कि मेरा दल एकछत्र शासन करता रहे । उस पर भी प्रतिपक्ष का ग्रंकुश होना चाहिये । यदि ग्रंकुश रहेगा तो मार्गदर्शन मिलेगा ग्रौर उससे देश को लाभ होगा । लेकिन इस प्रकार के गठजोड़, माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, जो ग्रपवित्र हैं, जिनसे देश का कोई भला होने वाला नहीं है, का देश की जनता कभी साथ नहीं देने वाली है । सिद्धान्तहीन, ग्रवसरवादी, साम्प्रदायिकता के ग्राधार पर ग्राज, मान्यवर····

श्री बालचन्द ग्रार्यवीर : साम्प्रदायिकता तो ग्रापने फैलायी है ।

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रार्डर, माननीय सदस्य, कृपया ।

श्री रामनारायण चौधरी : मान्यवर, प्रतिपक्ष के एक माननीय सदस्य, ग्रपने दल के नेता हैं, जिंदगी भर गांधीवादी रहे, नेहरू जी के प्रशंसक रहे, प्रधान मंत्री इन्दिराजी के प्रशंसक रहे ग्रौर ग्राज, मान्यवर, वह उन लोगों में बैठते हैं जिनका जिंदगी में उन्होंने कभी मुंह नहीं देखा, जिनसे उन्होंने कभी बात नहीं की । मेरी समझ में नहीं ग्राता कि क्या ग्रन्तर्द्वन्द्व इसके रिफ्लेक्शन ग्रौर विचारों का समावेश नहीं होने के कारण इसका शरीर पर भी ग्रसर पड़ता है ? ग्राप ठीक कहते हैं, इसका शरीर पर ग्रसर पड़ता है ।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : ग्रसली कांग्रेस तो रही ही नहीं । ग्रसली कांग्रेसी तो यही हैं ।

श्री रामनारायण चौधरी : इनके मन में ग्रन्तर्द्वन्द्व मचता है । मन की बात नहीं कह सकते, मन में घुटन

(श्री रामनारायण चौधरी)

होती है। ऐसे लोगों में बैठकर अगर उनमें आनन्द, उत्साह और स्फूर्ति पैदा हो रही हो तो मैं नहीं कह सकता लेकिन मेरा विश्वास है कि ऐसा हो नहीं रहा। हो ही नहीं सकता, मान्यवर, ऐसे सिर झुक जायेंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच-पांच एक; एक और दो एक तरफ और एक अकेली कांग्रेस एक तरफ, ऐसे सिर जुड़ जायेंगे लेकिन जनता नहीं जुड़ेगी, मतदाता नहीं जुड़ेंगे। इस सदन में बैठकर, माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय, अध्यक्ष जी, मैंने 1978 में कहा था कि इस देश को देश बनाया महात्मा गांधी ने और नेहरू परिवार ने इस देश को आत्मबल दिया, देश को सम्मान दिया, देश को अपनी जगह पर लाकर संसार के सामने खड़ा किया। मैंने इसी सदन में, मान्यवर, कहा था कि इस देश में एक दल हो। एक दल से मेरा तात्पर्य निरंकुश रहने का नहीं था। एक दल से तात्पर्य यह था कि जिसकी विचारधारा हो, जिसका प्रोग्राम हो, जिसका कोई कार्यक्रम हो....

श्री अध्यक्ष : आपने इस रूप में प्रगट किया था कि एक शेर सौ लंगूर।

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो मैंने निवेदन किया था नवम्बर में जब सैशन हुआ था उस समय लेकिन बजट सैशन में मैंने कहा था कि जिसकी विचारधारा हो, जिसका प्रोग्राम हो, जिसके दल के नेता की तस्वीर हो, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रम जिसके सामने हों, ऐसा एक दल हो। देश की नेता इन्दिरा गांधी जिन्दाबाद, यह मैंने कहा था। साथ में मैंने कहा था तो उफान उठ गया था कि देश की नेता इन्दिरा गांधी और दल कांग्रेस (आई) है। उस समय भी यहां हंगामा मच गया था। आप जो दोहरा रहे हैं वह चिकमंगलूर चुनाव की बात है। यह जो आप बता रहे हैं और जिसका आपने आनन्द लिया है वैसा ही मैंने कहा था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, शेरनी एक नहीं वह तो यों था कि एक बंदरिया सौ लंगूर, चिकमंगलूर भाई चिकमंगलूर!

श्री रामनारायण चौधरी : एक शेरनी और सौ लंगूर। तो, मान्यवर, उस समय जो कहा था, मैं आज भी दोहराना चाहता हूँ कि इस देश में एक ही राजनैतिक दल है। कल दूसरा बन जायगा यह मैं नहीं कहता....

श्री खेतसिंह राठौड़ (मंत्री संसदीय कार्य) : बनेगा तो टूट जायेगा।

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : हां, बनेगा तो टूट जायेगा। आज देश में एक ही दल कांग्रेस (आइ) है और उसकी एक नेता है इन्दिरा गांधी, जिसके सामने देश की तस्वीर है, प्रोग्राम है, कार्यक्रम है। उनका केन्द्र में शासन है और जिन-जिन प्रदेशों में शासन है सब जगह वह एक प्रोग्राम के हिसाब से चल रहे हैं। बीस सूत्री कार्यक्रम गरीब हरिजन और आदिवासी की आत्मा को जगाया है। उसने महसूस किया है कि मैं भी इस धरती का लाल हूं, मुझे भी इस देश की धरती पर रहने का अधिकार है, मुझे भी जिन्दा रहने का

(श्री रामनारायण चौधरी)

अधिकार है। उस बीस सूत्री कार्यक्रम का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। उसके इम्प्लीमेंटेशन का कार्यक्रम राजस्थान में भी चल रहा है। आज राजस्थान ऐसा प्रान्त है जो उसमें प्रथम नम्बर है। जो आंकड़े मुझे मिले हैं उसमें तो राजस्थान दूसरे नम्बर पर बताया गया है लेकिन मेरा दावा है कि प्रगति और विकास के मामले में, बीस सूत्री कार्यक्रम के इम्प्लीमेंटेशन में राजस्थान हिन्दुस्तान के अन्य सभी प्रदेशों से आगे है। आज गांव-गांव में जो बैंक हैं, जिनके बारे में दृष्टिकोण पहले यह था कि यह सेठों के बैंक हैं, राजाओं के बैंक हैं, ऐसे वालों के बैंक हैं, आज एक गरीब आदमी कोआपरेटिव बैंक का चैक लेकर, सहकारी समिति के अध्यक्ष का चैक लेकर जाता है और उसका चैक सिकरता है। करोड़ों रुपयों का आज गांवों में चैकों के द्वारा आदान-प्रदान और विनिमय हो रहा है। यह सारा बीस सूत्री कार्यक्रम और बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रोग्राम से सम्भव हुआ है। सहकारिता के क्षेत्र में आज प्रदेश सबसे आगे है। 97 प्रतिशत परिवार सहकारिता में आये हुए हैं। डेयरी डवलपमेंट कार्यक्रम से पहले किसानों में जैसी घोर निराशा थी, उसकी आमदनी के स्रोत नहीं थे, आज डेयरी के माध्यम से उनका समाधान किया जा रहा है। इससे किसान की आमदनी भी बढ़ रही है। मुझे, माननीय अध्यक्ष महोदय, डर है कि समय के बारे में चेतावनी····

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, आप इनको और समय दे दीजिये। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने पौने दो घण्टे तक अच्छा मनोरंजन कराया। इनको बोलने दिया जाय।

श्री राम गोटेवाला (राज्य मंत्री, पशुपालन) : आप तो मनोरंजन ही करते रहे हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : मान्यवर, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि मुझे आपने अवसर दिया। इन शब्दों के साथ मैं····

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : इण्डस्ट्री पर बोलो।

श्री रामनारायण चौधरी : मैंने धन्यवाद का जो प्रस्ताव सदन में आपके सामने पढ़ कर सुनाया है, उसको मैं प्रस्तुत करता हूं और सदन से अनुरोध करता हूं कि वह उसे सर्वसम्मति से स्वीकार करे और यह राज्यपाल महोदय को आपके माध्यम से प्रेषित किया जावे।

जय हिन्द

श्री अध्यक्ष : श्री जनार्दन सिंह गहलोत प्रस्ताव का समर्थन करेंगे।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत (करौली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के नव-निर्वाचित सदस्य रामनारायण चौधरी जिन्होंने कि राज्यपाल के अभिभाषण पर अभी-अभी धन्यवाद प्रस्ताव किया है, का समर्थन करते हुए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि हो सकता है हमारे विरोधी दल की बैंचेज के साथियों को इस बात की तकलीफ हो कि इस प्रस्ताव को रामनारायणजी चौधरी मूव कर रहे थे। यह आवाज उठ रही थी। जो तकलीफ हो रही थी उसको मैं समझता हूं। इसका मुख्य रीजन यह हो सकता है

Page No. 80

(80)

(श्री जनार्दन सिंह गहलोत)

कि भारतीय जनता पार्टी और लोक दल का गठबन्धन होने के बाद इन्होंने राजस्थान में पहली करारी चोट खाई और वह रामनारायणजी चौधरी ने दी थी। इससे

(2.05 म. प.)

(श्रीमती विद्या पाठक, सभापति, पदासीन).

विरोधी बैंचों पर बैठने वाले साथियों को निराशा और तकलीफ हो रही है। सभापति महोदया, मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करना चाहता लेकिन इतना इंगित जरूर होता है। हमारे देश की नेता इन्दिरा गांधी हैं जिनका हिन्दुस्तान के अन्दर ही नहीं, विश्व के अन्दर आदर है, जिन्हें भारत के लोगों ने और विश्व के कई देशों ने अपना नेता माना है, जो हमारी पार्टी की भी नेता हैं। उस पार्टी का सदस्य होने के नेता इस सदन में हमें गर्व है। आज हम इस पार्टी के सदस्य हैं, हो सकता है कि इस बात की तकलीफ विरोधी दल में बैठने वाले लोगों को हो। यह हो सकता है। कई बार गठबन्धन छोटे-छोटे होते हैं, मुझे कल ही की बात याद आती है, माननीय भैरोंसिंहजी कह रहे थे कि शोक की बात कर रहे हैं, इसमें भी कुछ लोग मजाक कर रहे हैं। मैं सभापति महोदया, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि शोक में भी विरोधी दलों में एकता नहीं थी। कल ही देखा कि भारतीय जनता पार्टी अलग प्रस्ताव मूव कर रही है, लोक दल के नेता अलग से बात कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जब शोक प्रस्ताव के सम्बन्ध में ही एक नहीं हो सकते तो इस देश में कैसे एक होंगे? मुझे ऐसा लगता है कि शायद आज आपको ज्यादा ही लग रही है, आज कुछ स्प्रिंग लगा कर आये हैं। मुझे खुशी है कि आप भी नेता बनना चाहते हैं। आप नेता हों, हम रुकावट नहीं डालना चाहते लेकिन नेता जनता बनाती है, मेरे या आपके नेता बनने से नेता नहीं बनते।

माननीय सभापति महोदया, मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो प्रस्ताव रामनारायणजी चौधरी ने रखा है उसका समर्थन करते हुए उन उपलब्धियों की बात पहले करना चाहता हूं जो कि राजस्थान सरकार के पिछले दिनों के कार्यकाल में रही हैं। आज राजस्थान में विद्युत संकट है। सदन से यह कोई छुपा नहीं है कि आज विद्युत का संकट इस राजस्थान में कैसे मंडरा रहा है। इस बात पर इस सदन में कई बार शंका प्रकट की गई कि कहीं ऐसा न हो कि हमारे किसानों को खेती करने के लिये बिजली नहीं मिले। इस बात पर चिन्ता व्यक्त की गयी कि राजस्थान के उपभोक्ताओं को रात को बिजली उपलब्ध हो पायेगी या नहीं, हमारे उद्योग धन्धों को, कारखानों को विद्युत मिल पायेगी या नहीं। यह सारी चर्चा इस सदन में कई बार हुई है और इस बारे में चिन्ता व्यक्त की गई है। यह बात भी सही है कि विरोधी दल के नेता भी इस पर अपने विचार प्रकट करते रहे हैं। लेकिन आज हम इस बात को गर्व के साथ कह सकते हैं कि इस संकटमयी घड़ी में भी, राजस्थान में विद्युत संकट की सम्भावना होते हुए भी विद्युत सकट नहीं आने दिया। मैं कहता हूं, यह उपलब्धि नहीं तो और क्या है? आज राजस्थान के एक भी किसान का बिजली के अभाव में कनेक्शन नहीं काटा गया, उसकी फसल नहीं समाप्त होने पाई।

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

हालांकि कुछ कठिनाइयां होती रहीं भले ही कहीं 6, कहीं 8, कहीं 12 घण्टे बिजली उपलब्ध होती रही हो लेकिन राजस्थान में सारे किसानों को बिजली उपलब्ध होती रही। आज चाहे कोटा का ताप विद्युत गृह हो, जो कई वर्षों से खराब होता रहा है, क्या यह उपलब्धि नहीं है कि आज कोटा के दोनों ताप गृह सही हालत में हैं, ठीक हो गये हैं? क्या इसे उपलब्धि नहीं मानेंगे? हो सकता है, विरोधी दल केवल विरोध करने के यह लिये नहीं कहें क्योंकि वह केवल विरोध ही प्रकट करते हैं। लेकिन अगर हम आत्म चिन्तन नहीं करेंगे, इस बात को नहीं सोचेंगे तो जिस प्रकार की हालत रही उसमें क्या यह उपलब्धि नहीं है कि यह ताप गृह ठीक हुआ? सींगरोली की चारों इकाइयां पुनः चालू हुईं और उनको सुधार कर रखा गया, क्या यह उपलब्धि नहीं है? राजस्थान सरकार को चाहे हमारी साइड में बैठने वाले हो, चाहे कुछ समय के लिये इधर विरोधी दल में बैठने वाले हों, उन्होंने क्या कहीं पर विद्युत के बारे में कोई रिसोर्सेज ढूंढने के लिये कोई चिन्तन भी दिया? यह पहला अवसर है मैं माननीय शिवचरण जी माथुर, राजस्थान के मुख्य मंत्री को इसकेलिये बधाई देना चाहता हूं, कि उन्होंने इस बात पर विचार किया, गंभीर चिन्तन किया चाहे उन्हें विदेशो में जाना पड़ा, मद्रास या बाम्बे जाना पड़ा लेकिन इसके आधार पर उन रिसोर्सेज को ढूंढा गया और उसके आधार पर योजना बनी। मुझे खुशी है कि राजस्थान सरकार ने उसे योजना आयोग में पेश कर दिया है। एक समय आयेगा जब राजस्थान में बिजली का अभाव नहीं रहेगा। पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने इस देश को बनाने के लिये जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो योजनाएं बनाई उन योजनाओं का आज फायदा मिल रहा है। आज उनका फायदा हम ले रहे हैं और आज बनने वाली योजनाओं का जो फायदा है वह आने वाली पीढ़ी लेगी। यह बात होगी और लोग याद करेंगे कि किसके जमाने में इस योजना की शुरूआत हुई और किसने इन रिसोर्सेज को ढूंढा। इसलिये मैं राजस्थान सरकार को, उसके नेता महोदय, मुख्य मन्त्रीजी को इस सदन के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं, वह बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने रिसोर्सेज ढूंढे और यह योजना राजस्थान सरकार के माध्यम से योजना आयोग तक पहुंची। यह कम उपलब्धि नहीं है कि जैसलमेर के अन्दर प्राकृतिक गैस पर आधारित रिसोर्स ढूंढा गया। आज प्राकृतिक गैस के आधार पर बिजली बन सकती है। इस रिसोर्स को विरोधी दल के लोगों, जो उस समय सत्ता में बैठने वाले थे, न क्या ढूंढा था? भारत सरकार, हिन्दुस्तान की सरकार हमारे देश की नेता प्रधान मन्त्री इन्दिरा गांधी या राजस्थान सरकार की केबिनेट के साथी, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने रिसोर्स को ढूंढा। इसके लिये कांग्रेस पार्टी ही बधाई की पात्र है। कांग्रेस के नेता ही इस बधाई के पात्र हैं कि आज जिस प्राकृतिक गैस के आधार पर बिजली बन सकती है उस रिसोर्स को हमारी सरकार ने ढूंढा। क्या यह उपलब्धि नहीं है?

आज मैं सोचता हूं उद्योगों पर जिस प्रकार का संकट आया उसको देखते हुए हमारी माननीय मंत्री महोदया, कमला जी, जो कि किसानों का भी प्रतिनिधित्व करती हैं, ने और राजस्थान सरकार ने इस बात का फैसला किया कि पहले किसानों को बिजली दी जायगी चाहे उद्योगों की बिजली काट दी

(श्री जनार्दन सिंह गहलोत)

जाय। और यह निर्णय कार्यान्वित हुआ। इसमें कई उद्योगों को इस बात से निराशा हुई कि हमारे उद्योग धन्धे ठप्प हो जायेंगे। लेकिन मुझे खुशी है इस बात पर कि माननीय शिवचरणजी, माथुर राजस्थान के मुख्य मंत्री, जो उद्योग विभाग के भी मंत्री भी हैं, इसके लिये एक योजना सोची। उस योजना के आधार पर 50 प्रतिशत की सब्सिडी उन उद्योगों को दी जो खुद वो बिजली जनरेट करेंगे। क्या यह गर्व की बात नहीं है कि 171 उद्योग राजस्थान में खुद के जनरेटर्स से बिजली पैदा कर रहे हैं? क्या यह उपलब्धि नहीं है जिस पर 1.20 करोड़ की राशि राजस्थान सरकार ने अनुदान के रूप में दी है ताकि राजस्थान के उद्योग समाप्त नहीं हो जाय और किसानों की खुशहाली भी बनी रहे? मैं सोचता हूं, यह कोई कम उपलब्धि की बात नहीं है।

सभापति महोदया, चाहे हम किसी दल से आते हों हमें गंभीर चिन्तन करने की आवश्यकता है। राजस्थान की जनता ने हमें इसलिए चुन कर भेजा है कि हम जो सच बात है उसको कहें और जो गलत बात है उसका विरोध करें। लेकिन केवल मात्र विरोध के लिये विरोध करना हो और सही बात को भी सही नहीं बोलें, इस परम्परा से कम से कम सदन को तो साफ रखना चाहिये। सदन के बाहर चाहे कुछ भी बात कहें लेकिन सदन की मर्यादा की बात को तो मेरे ख्याल से विरोधी दल में बैठने वाले लोग भी मानेंगे।

मैं इस अवसर पर दूसरे सबजेक्ट पर आना चाहता हूं। आज हमारे शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में मकानों की कठिनाई चल रही है। कल जब विधान सभा की शुरुआत हुई, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने विधान सभा के सामने प्रदर्शन किया कच्ची बस्तियों की समस्याओं को लेकर। मैं सोचता हूं कि यह तो उनका नैतिक अधिकार है और जो भी राजनैतिक दल उस ओर बैठते हैं वह अपने आपको उस आधार पर जीवित रखने के लिये. अपने आपको उससे जोड़ रखने के लिये इस प्रकार का प्रदर्शन करते हैं। कल हम वहां थे, हमें भी यह करना पड़ता था। इसका हमें बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं यह बात कहे बिना कैसे रह सकता हूं कि 29 तारीख को राजस्थान के मुख्य मन्त्री शिवचरणजी माथुर, ने नाहरी के नाके में इस बात के फैसले का एलान किया कि जो जो जयपुर शहर में मकानों में बैठे हैं चाहे उसका मकान बन चुका हो, एक भी मकान तोड़ा नहीं जायेगा। यह क्या कम उपलब्धि है? मैं सोचता हूं, जयपुर शहर के 60 प्रतिशत लोगों को आज इससे बेनिफिट होने वाला है। एक रुपये, दो रुपये गज की राशि निर्धारित करने का मतलब यह है कि हजार-पांच सौ रुपये की राशि में हर मकान का रेगूलराइजेशन हो जाय। जिन बातों के लिये रोजाना म्यूनिसिपैलिटी और जे. डी. ए. के चक्कर काटने पड़ते थे अब सरकारी अधिकारी इन सारी बातों को करने लिये मोहल्लों में पहुंचेंगे। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि मुख्य मन्त्री जी ने यह निर्णय किया तो उसके बाद स्वायत्त शासन मन्त्री प्रद्युम्न सिंहजी ने अपने विभाग के अधिकारियों की मीटिंग बुलाई और निर्देश दिया कि आज से जयपुर शहर वालों को जे. डी. ए. के चक्कर नहीं काटने दिये जाय, आप खुद मोहल्लों और बस्तियों में जाइये, इसका सर्वेक्षण कीजिये

(श्री जनार्दन सिंह गहलोत)

और मौके पर इन मामलों का निपटारा कीजिये। मैं सोचता हूं, जयपुर शहर में इन चार सालों में ऐसी कोई उपलब्धि नहीं हो सकती है। जयपुर के निवासियों को इससे बड़ी राहत मिली है। इसके लिये राजस्थान सरकार बधाई की पात्र है।

माननीय सभापति महोदया, खास तौर से परिवार नियोजन हमारे बीस सूत्री कार्यक्रम में बहुत बड़ा अंग है। परिवार नियोजन कार्यक्रम इमरजेंसी में जिस ढंग से चला, विरोधी दल के लोगों ने जिस प्रकार का हल्ला मचाया और जैसा एटमास्फियर बनाया उससे हम लोगों ने भी सबक सीखा है। मैं इस बात के लिये बधाई देना चाहता हूं आदरणीय खेतसिंहजी को, जिन्होंने किसी भी प्रेशर के बिना राजस्थान में आज करीब 1.60 लाख लोगों की नसबन्दी कराई यह कोई कम उपलब्धि की बात नहीं है। सभापति महोदया, आने वाले कुछ ही दिनों में राजस्थान सरकार के इस विभाग को इस बाबत 2 करोड़ का ईनाम भी मिलेगा। मैं सोचता हूं वह इस टार्गेट से भी ऊपर निकलेगा।

श्री चन्दनमल बैद (मंत्री), राजस्थान नहर परियोजना) : कम से कम मंत्रीजी को तो मिलेगा।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : मंत्री जी और मुख्य मंत्री जी सभी को मिलेगा क्योंकि आप सब केबिनेट में बैठे हैं, सब की जॉइन्ट रेस्पांसिबिलिटी है। किसी एक को धन्यवाद देने से काम नहीं चलता इसलिये सभी धन्यवाद के पात्र हैं। पहले शिवचरणजी माथुर बधाई के पात्र होंगे फिर खेतसिंहजी होंगे। आंकड़ों में खेतसिंहजी होंगे। यह कहा जा सकता है कि परिवार नियोजन की जॉइन्ट रेस्पांसिबिलिटी है पूरी केबिनेट की। अच्छा होगा तो केबिनेट की वाहवाही होने वाली है और बुरा होगा तो केबिनेट को नुकसान होने वाला है। यह जॉइन्ट रेस्पांसिबिलिटी की बात है जिसका नेता शिवचरण माथुर है। अत: इस अवसर पर यह कहा जा सकता है कि परिवार नियोजन में जो उपलब्धियां हासिल की गई यह कोई कम बात नहीं है।

आज भारत सरकार के माध्यम से डेजर्ट मेडिकल रिसर्च सेंटर, जोधपुर में 4 करोड़ की लागत से स्थापित हो रहा है। 4 करोड़ हमको भारत सरकार से मिलेंगे और यह डेजर्ट मेडिकल सेंटर बनेगा, यह भी कम उपलब्धि की बात नहीं है। हम इस अवसर पर उनको धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकते कि इस बड़ी योजना को राजस्थान में ला रहे हैं। जयपुर शहर में एस. एम. एस. हास्पिटल हिन्दुस्तान के अग्रणी हास्पिटल्स में से एक है जिसको चार चांद लगाने का काम वर्तमान सरकार ने किया है, जैसा इंस्टीट्यूट दिल्ली में है उसी के पद चिह्नों पर चल कर आज इसके पास में ही मेडिकल कालेज है। आज यहां कैंसर सर्विसेज के रिसोर्स भी तैयार हो गये हैं। आज यहां किडनी के लिये सेंटर बन चुका है। यहां हार्ट के स्पेशलिस्ट हैं। तो आज जैसे मेडिकल इंस्टिट्यूट दिल्ली का है उससे कम स्थिति जयपुर के एस. एम. एस. हास्पिटल की नहीं है। एक समय आयेगा जब मेडिकल कॉलेज इन्स्टीट्यूट बन जायेगा। इस प्रकार मेडिकल के क्षेत्र में यह कोई कम उपलब्धि नहीं है जो इस वर्ष में इन्होंने की है।

(श्री जनार्दन सिंह गहलोत)

मैं इस अवसर पर, माननीय सभापति महोदया, कुछ और निवेदन करना चाहूंगा। पिछले दिनों के अन्दर इस सदन में कई विशेष प्रकार की चर्चाएं हुई हैं। हमारे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कुछ उन बातों का जिक्र भी किया गया है, पेयजल की हमारी जो समस्या है, उसके बारे में जिक्र किया गया है। आज हम यह देखते हैं कि जहां 1981–82 के अन्दर 3596 गांवों को पीने का पानी उपलब्ध कराया गया था उसके मुकाबले राजस्थान सरकार ने 1982–83 में 3800 गांवों को पीने का पानी उपलब्ध कराया है। आज राजस्थान के समस्याग्रस्त गांवों के क्षेत्र में पीने का पानी नहीं है। हमारे कई इन्टीरियर एरियाज ऐसे हैं जहां मवेशियों को भी पानी उपलब्ध नहीं है, आदमी की बात तो दूर रही। आज मैं यह सोचता हूं कि यह कम उपलब्धि की बात नहीं है कि राजस्थान के जितने भी समस्याग्रस्त गांव हैं उनमें से 72 प्रतिशत गांवों को पीने का पानी पहुंचाया जा चुका है। राजस्थान सरकार इसके लिये बधाई की पात्र है कि उसने 72 प्रतिशत समस्याग्रस्त क्षेत्र में पानी पहुंचाया है। हमारे इस प्रस्ताव के प्रस्तावक महोदय ने आगे की पेयजल योजनाओं के बारे में जिक्र कर दिया है इसलिए मैं उस बारे में जिक्र करना नहीं चाहता। मैं सोचता हूं कि 72 प्रतिशत समस्याग्रस्त गांवों को पानी पहुंचा देना कम उपलब्धि नहीं है। यह बात दूसरी है कि कुछ हैण्डपम्प के बारे में कई शिकायतें आती हैं लेकिन जहां पर दस हैण्ड-पम्प चल रहे हैं, हो सकता है उस गांव में एक हैण्ड-पम्प खराब हो लेकिन, सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से राजस्थान सरकार से यह जरूर निवेदन करना चाहूंगा कि इसकी रिपेयरिंग का काम आप पंचायत समिति पर नहीं छोड़ें क्योंकि वे इस कार्य के लिये सक्षम नहीं हैं। वाटर वर्क्स डिपार्टमेन्ट को ही इस सारी समस्या को अपने हाथ में रखने दें तभी निश्चित तौर से इस समस्या का हल हो पायेगा वरना समस्या खड़ी हो जायगी। फिर भी राजस्थान सरकार इसके लिये बधाई की पात्र है कि 72 प्रतिशत गांवों में पीने के पानी की समस्या समाप्त हो गयी है।

इसके साथ-साथ, सभापति महोदया, मैं एक सुझाव के रूप में राज्य सरकार को यह निवेदन करना चाहूंगा कि वह इन समस्याग्रस्त क्षेत्रों का भी पुनः सर्वे जरूर कराये। पहले जो वाटर रिर्सोसिज किसी गांव में थे उन वाटर रिर्सोसिज के नीचे के स्थान बदलते रहते हैं। विभाग द्वारा कराये गये सर्वे को काफी बरस हो गये हैं इसलिये मैं सोचता हूं दुबारा सर्वे कराने से कुछ आधार जरूर मालूम पड़ जायेगा कि अब वहां पर वाटर रिर्सोसिज हैं या नहीं। समस्याग्रस्त गांवों के लिये आगे आने वाले समय में बड़े पैमाने पर भारत सरकार पैसा दे रही है। एक दिन आयेगा जब राजस्थान का एक भी गांव समस्याग्रस्त नहीं रहेगा। मैं सोचता हूं कि इन सारी बातों की ओर आप विशेष तौर से ध्यान देंगे ताकि आगे आने वाले समय में पेयजल की समस्या का निपटारा हो सके।

सभापति महोदया, मैं इस अवसर पर आपके माध्यम से इस सदन को एक बात कहे बिना नहीं रह सकता। शिक्षा के क्षेत्र में जहां हम पिछड़े हुए थे, 7 पर्सेन्ट भी

(श्री जनार्दन सिंह गहलोत)

हमारा किसी जमाने से अचीवमेन्ट नहीं था, आजादी के पहले के आंकड़े उठा कर देखें तो राजस्थान में 5 प्रतिशत से कम शिक्षा थी वहां आज राजस्थान में 22 प्रतिशत शिक्षित है। यह बात दूसरी है कि साउथ के मुकाबले में हम पिछड़े हुए हैं, अभी हमें और बहुत कुछ करना है। इसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण निर्णय राजस्थान सरकार ने इस बार लिया है। हो सकता है, राजस्थान सरकार के मुख्य मंत्री को इसमें कुछ कठिनाई आई हो, कुछ राजनीतिक दबाव आया हो, परन्तु इस राजनीतिक वातावरण से ऊपर उठ कर राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी ने एक निर्णय लिया है कि राजस्थान के अन्दर 300 की आबादी वाला कोई ऐसा गांव नहीं बचे जिसके अन्दर प्राथमिक शिक्षा नहीं पहुंचे। हो सकता है, राजनीतिक तरीके से कठिनाई आई हो लेकिन उन्होंने राजनीति से ऊपर उठ कर क्षेत्रीयवाद की बात को दिमाग में न रख कर, राजस्थान के ग्राम विकास की दृष्टि से ने एक निर्णय लिया कि 300 की आबादी के ऊपर राजस्थान का चाहे कोई विलेज हो उसमें प्राइमरी शिक्षा की व्यवस्था हो जानी चाहिए। हम आज उनको बधाई देना चाहते है इस सदन के माध्यम से कि उन्होंने 300 की आबादी में प्राइमरी शिक्षा की व्यवस्था कर दी।

माननीय सभापति महोदया, जब मैं विभागों का जिक्र कर रहा हूं तो राजस्थान नहर के बारे में भी जिक्र करना चाहूंगा। वैसे राजस्थान नहर के बारे में प्रस्तावक महोदय ने काफी लम्बी चर्चा की है, काफी विस्तार से चर्चा की है लेकिन मैं पूछना चाहता हूं विरोधी दल के सदस्यों से, क्या राजस्थान नहर पहले नहीं थी? राजस्थान नहर पहले से है और उसके टार्गेट को अचीव करने का निर्णय भी पहले लिया जा सकता था लेकिन यह उपलब्धि आज ही क्यों हुई? आज क्वेश्चन आवर में मैं देख रहा था कि कई माननीय सदस्य बार बार कह रहे थे कि राजस्थान नहर से कुछ टूट गया है, कुछ वो हो गया है, कुछ पानी लीकेज हो रहा है। मैं आज पूछना चाहता हूं कि विरोधी दल के लोगों ने 28 महीने में 5 किलोमीटर नहर भी नहीं बनायी, तो हम आप पर कोई आरोप नहीं लगा सकते? आज हमारे राजस्थान नहर मंत्री और राजस्थान के मुख्य मंत्री, श्री शिवचरण माथुर ने अगर इस नहर के कार्य को आगे बढ़ाने की योजना नहीं बनायी होती तो? उनके मन में यह था कि बाड़मेर, जैसलमेर के मरुस्थल क्षेत्र में पीने का पानी नहीं है, मवेशियों को खारा पानी पीना पड़ता है। किसी ने कल्पना की थी कि बाड़मेर, जैसलमेर में कभी यह पानी पहुंचेगा और यह मरुस्थल लहलहायेगा? यह कभी नहीं सोचा होगा, कभी कल्पना नहीं की होगी। आज यह महान् उपलब्धि है जो विश्व में सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर की है, जो मानव द्वारा बनायी गयी नहर की है। मैं सोचता हूं कि राजस्थान सरकार, मुख्य मंत्री और राजस्थान नहर मंत्री, श्री चन्दनमलजी वैद के अथक प्रयत्नों से इस नहर के टार्गेट को अचीव किया गया है और एक साल के अन्दर अन्दर जैसलमेर में पानी पहुंचा दिया गया है। इससे निश्चित तौर से भैरोंसिंहजी को निराशा हो सकती है और इसीलिए पिछले दिनों उन्होंने इस क्षेत्र का दौरा भी किया है कि कुछ निकालकर लाऊं। आज

(श्री जनार्दन सिंह गहलोत)

जहां विकास की कड़ी में कोई काम होता है तो शायद विरोधी दल में बैठे हुए लोगों को तकलीफ होती है, । विकास की कोई बात नहीं हो जाये, टार्गेट अचीव नहीं हो जाय कहीं राजस्थान सरकार को, कांग्रेस को उपलब्धि न मिल जाय । कुछ टीका टिप्पणी करने में, कुछ चार्ज लगाने में आसानी हो सकती है लेकिन कथनी और करनी में बड़ा अन्तर होता है। जब आप लोग राज में थे तो कुछ नहीं कर पाये । आज राजस्थान सरकार ने इन उपलब्धियों को हासिल कर लिया है और आगे आने वाले समय में पाकिस्तान की बार्डर-गडरा रोड पर राजस्थान नहर पहुंचा दी जायगी। विरोधी दल के लोगों को इस बात से निराशा हो सकती है लेकिन राजस्थान सरकार के लिये, कांग्रेस आई विधायकों के लिये यह गौरव की बात है कि हमारी सरकार ने इस काम को पूरा किया है। इसलिये हम इस बात के लिये उनको बधाई देना चाहते हैं कि उन्होंने इसमें कीतिमान हासिल किया है। इतिहास में लिखा जायेगा कि वर्तमान मंत्रिमण्डल ने इस नहर को राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में पहुंचा दिया है। इतिहास इस बात का साक्षी रहेगा। इस अवसर पर राजस्थान सरकार और खास तौर से श्री शिवचरणजी माथुर, मुख्य मंत्री और राजस्थान कैनाल मंत्री, श्री चन्दनमल बैद को मैं बधाई दिये बिना नहीं रह सकता हूं। हमारे राज्यपाल महोदय ने भी इस बात को अपने अभिभाषण में अंकित किया है। धन्यवाद देते हुए मैं इस बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा।

खास तौर से ट्वन्टी पाइन्ट प्रोग्राम के अन्दर आज हमारा सिर ऊंचा उठा है। सदन को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास करना चाहिये। राजस्थान को गौरव मिला है कि हिन्दुस्तान के अन्दर उसका दूसरा स्थान रहा है। इस राजस्थान विधान सभा में जो 200 सदस्य बैठे हुए हैं उन्हें इस बात के लिये गौरवान्वित होना चाहिये। हो सकता है घनश्यामजी नाड़ हिला रहे हैं, उन्हें गौरव नहीं हो रहा हो लेकिन यह कहा जा सकता है कि बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्दर आज राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर है। हमारा क्षेत्रफल बड़ा है, हमारी आबादी बड़ी है। केरल जैसी छोटी स्टेट के बराबर तो हमारे जिले हैं। हो सकता है कि हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे प्रदेश को इसमें नम्बर वन मिल गया हो लेकिन आबादी और क्षेत्रफल के मामले में समस्या होने के नाते हम सैकिण्ड स्थान पर रहे, इसको हम प्रथम स्थान से कम नहीं मानते। आज हमारे सामने हिमाचल बहुत छोटा प्रदेश है इसलिये मैं सोचता हूं कि बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्दर जो सफलता हमें मिली है उसके लिये हमें इस सदन को आभार प्रकट करना चाहिये।

सभापति महोदया, राजस्थान ने आई. आर. डी. पी. के तहत लाभ पहुंचाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 1981-82 के अन्दर 1 लाख 22 हजार लोगों को लाभ पहुंचाने का काम राजस्थान सरकार ने ने किया है। उसके अन्दर एक विशेष बात यह है कि शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के 70 लाख लोग थे जो मैं समझता हूं कि आधे से ज्यादा हैं। हमारी पार्टी, हमारी नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी गरीबों के

(श्री जनार्दन सिंह गहलोत)

लिये काम करने को कहती आई हैं। हमारी कथनी और करनी में अन्तर नहीं है। हमारी सरकार ने 60% लाभ शिड्यूल्ड कास्ट और शिडयूल्ड ट्राइब्स के लोगों को पहुंचाया है। उसके अलावा बैंक वर्ड क्लास के जो लोग हैं उनको फायदा पहुंचाया है। वर्ष 1982 के अन्दर 1 लाख 82 हजार का लक्ष्य रखा गया था, 1 लाख 82 हजार के बजाय 1 लाख 83 हजार के लक्ष्य पूरे किये हैं। इसके लिये, सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से बधाई देना चाहता हूं, टार्गेट को पूरा करके उससे ऊपर ही उपलब्धि हासिल की हैं इसके लिये वे बधाई के पात्र हैं।

माननीय सभापति महोदया, आज एन. आर. ई. पी. के अन्दर लोग भूल रहे हैं अन्त्योदय की बात को। विरोधी दल में बैठे हुए लोग भी भूल गये हैं अन्त्योदय की बात करना अन्त्योदय-अन्त्योदय बहुत हल्ला मचाते थे लेकिन माडा योजना, एन. आर. ई. पी. ने अन्त्योदय योजना को साफ कर दिया है। सही मायने में आप फिगर अभी सुनेंगे। तो हंसराजजी, आप सबको मालूम है कि आपके सवाई माधोपुर जिले में माडा योजना में और एन. आर. ई. पी. में जितना काम हुआ शायद उतना, मैं सोचता हूं, राजस्थान के अन्य जिलों में भी हो रहा होगा। इसलिए कहा जा सकता है कि एन. आर. ई. पी. के अन्दर भी हमारी उपलब्धियां कम नहीं हैं। वर्ष 1981-82 के अन्दर 1575 लाख रुपये व्यय किये गये जिसके तहत 1330 स्कूल भवन, 233 पंचायत घर, 128 डिस्पेन्सरीज, 1176 कुएं, 592 टैंक, 117 ग्रामीण सड़कों का निर्माण करवाया गया और विभिन्न प्रकार के 3235 काम किये गये यह भी कम उपलब्धि नहीं है। हमारी सरकार ने, कांग्रेस आई की सरकार ने कार्यक्रम को गांवों तक पहुंचाया है। श्रीमती इंदिराजी ने जो कल्पना की थी उसी आधार पर निश्चित तौर पर कार्यक्रम गांवों में पहुंचा है।

एक माननीय सदस्य : एन. आर. ई. पी. का पैसा कहां लगा, कौन खा गया, किस क्षेत्र में लगा, यह भी बता देना आप।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : ऐसा है, जिसके बारे में जिक्र कर रहे हैं, कौन खा गया, उनसे सही मायने में आप ही मिले हुए हैं। यह भी मुझे मालूम है, आपके कहने से वह करते हैं काम। भारतीय जनता पार्टी के कुंजीलालजी भी बैठे हैं, उनका भी करते हैं। I know very well. सही मायने में नहीं करता हूं आपका काम, काम जो करते हैं, जिनका जिक्र करते हो आप, उन्हीं से मिले हुए हो और उन्हीं पर आरोप लगा रहे हो। एक तरफ तो चेतरामजी से मिले हुए हो और यहां चेतरामजी पर आप आरोप लगा रहे हो।

खास तौर पर, सभापति महोदया, वर्ष 1982-83 के अन्दर हमारी राजस्थान सरकार ने एन. आर. ई. पी. के 400 लाख के टार्गेट को बढ़ाकर 902 लाख का किया था जिसके तहत 31 लाख 20 हजार लोगों को लाभ देने का लक्ष्य रखा गया था। सभापति महोदया, आपके माध्यम से यह कहते हुए हमें गर्व हो रहा है कि हमारी सरकार ने पूरे टार्गेट ही अचीव नहीं किये हैं बल्कि हम उसके डबल तक पहुंचे हैं। टोटल टार्गेट 31 लाख 20 हजार का था और पूरा किया है 59 लाख। यह कहा जा सकता है कि

(श्री जनार्दन सिंह गहलोत)

यह कम उपलब्धि नहीं है। इसके लिये हम, सभापति महोदया, राजस्थान सरकार को बधाई देना चाहते हैं, जो टार्गेट उन्होंने अचीव किये हैं इसके लिये सदन उनका आभारी है। भूमिहीनों को भूमि देने के लिए जो टार्गेट निर्धारित किये 1982-83 के अन्दर, उसके लिए 17 हजार 816 एकड़ जमीन अवाप्त की गयी थी। उस बीच में बड़े विवाद आये थे। कई लोग कोर्ट में गये, कई पूंजीपति अलग-अलग तरह की कठिनाई उसमें डालने लगे लेकिन उसके बावजूद 10 हजार एकड़ जमीन भूमिहीनों में बांटी गई। अगर पूंजीपति कोर्ट में नहीं जाते तो मैं समझता हूं कि हमारे ये निर्धारित टार्गेट भी पूरे होते, इसमें कोई दो राय नहीं है।

इन्हीं बातों के साथ-साथ मैं यह भी कहे बिना नहीं रह सकता, चाहे सदन में हो या बाहर, आज इस बात की चर्चा है कि राजस्थान में विकास हुआ है। एक तरफ बाड़मेर, जैसलमेर में विकास हो रहा है तो दूसरी तरफ गंगानगर और बीकानेर भी इस लाभ से वंचित नहीं हैं। कोटा क्षेत्र से चाहे हमारे दो ही एम. एल. ए. जीत कर आये हों लेकिन मुख्य मंत्रीजी, उनकी केबिनेट और राजस्थान सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने क्षेत्रीयवाद से ऊंचा उठ कर काम किया है। आज कोटा के विकास में भी राजस्थान सरकार उसी ढंग से लगी हुई है चाहे हमारे दो ही एम. एल. ए. जीत कर आये हों। आज क्षेत्रीयवाद समाप्त है। पहले कई बार क्षेत्रीयता की बातें सदन में उठती रही हैं लेकिन राजस्थान के समुचित विकास की दृष्टि से आज राजस्थान में काम हो रहा है और हम कह सकते हैं कि राजस्थान का कोई कोना, कोई जिला इस विकास के काम से अछूता नहीं है।

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : सभापति महोदया, मेरे ख्याल से टाइम अलाट करने का आपको अधिकार नहीं है। जितना समय हमारी पार्टी का है, उस पार्टी का जितना मैं लूंगा, उसके बाद जितना अलाट करेंगे वह आगे का है। वह तो रामनारायण जी चौधरी भूल गये, कई दिनों बाद आये हैं, प्रस्तावक और समर्थक के लिये कोई पाबन्दी नहीं होती।

श्री सभापति : माननीय सदस्य

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : सभापति महोदया, मैं भी कुछ कह रहा हूं आप भी सदन की सदस्या हैं, आप सभापति भी हैं इसलिए मैं सोचता हूं कि आपको मेरे से ज्यादा एक्सपेरीयन्स है।

श्री सभापति : विस्तृत आंकड़े तो जो कल राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ उसमें होंगे।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : उसको आपने पढ़ा नहीं होगा, उसमें इतने आंकड़े नहीं थे।

श्री सभापति : उसको मैंने पढ़ा है, उसी में होने चाहिए। कृपया संक्षेप में कहें।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : सभापति महोदया, मुझे तो बहुत आंकड़े रखने हैं। कृषि विभाग की उपलब्धियों का तो जिक्र ही नहीं कर पाया। भारतीय जनता पार्टी के जमाने के अन्दर जो 20 अनाज मंडियां निर्माण की स्थिति में थीं, विकास की कड़ी में उनका कार्य रुक गया था। सही मायने में कहा जाय तो कृषि विभाग में उस जमाने में कृषि विपणन बोर्ड का जनाजा निकला गया, सारी कृषि मंडियां करीब-करीब बन्द हो गई थीं। आज यह कहा जा सकता है कि पिछले साल के जो अन्दर पुरानी मंडियां खराब हालत में थीं और जो काम अधूरे थे, वह 20 नई मंडियां आज चालू हालत में आ गई और शिफ्ट हो गई। उनको पूरा किया है। उन 20 मंडियों का मुख्य मंत्रीजी उद्घाटन भी कर चुके हैं। मैं समझता हूं, यह उपलब्धि कम नहीं है। भारत सरकार से 150 हाट बाजार स्वीकृत करवाकर लाने वाली यह राजस्थान सरकार ही है न कि पिछली सरकार। सारे राजस्थान में पिछले 10 सालों के अन्दर केवल मात्र 20 करोड़ रुपये का खर्च हुआ था कृषि विपणन बोर्ड के माध्यम से, जिसको निर्माण कार्य में लगाया गया था। सभापति महोदया, मैं यह कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इन दो सालों के अन्दर 10 करोड़ रुपये से ज्यादा के टार्गेट हो जायेंगे यह कम उपलब्धि नहीं है। मैं सोचता हूं, इसके लिए आपको समझने की आवश्यकता है। माननीय सभापति महोदया, मैं जब कृषि की बात कर रहा हूं तो पशुपालन के बारे में कहने से कैसे वंचित रह सकता हूं। जब कृषि विभाग का जिक्र करूं तो राजस्थान नहर के बायें किनारे-क्योंकि दायें किनारे चन्दनमलजी बैद रखते नहीं है, बायें किनारे के ऊपर हिन्दुस्तान में एक अद्भुत योजना पशुपालन विभाग द्वारा बनायी गई है, चरागाह योजना, जो राजस्थान कैनाल के ऊपर डवलप हो रही है। मैं सोचता हूं, राजस्थान सरकार के लिये एक अद्भुत उपलब्धि मानी जायगी क्योंकि राजस्थान का यह मरुस्थल हरा-भरा बन जायेगा। हमारे मवेशियों को चरने के लिये यू. पी., मध्य प्रदेश में जाना पड़ता है, जोधपुर-मारवाड़ के मवेशियों को। मैं सोचता हूं राजस्थान कैनाल में यह क्षेत्र अगर तैयार हो जायेगा तो हमारे राजस्थान के मवेशियों को राजस्थान से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, मैं सोचता हूं, यह कम उपलब्धि की बात नहीं है।

जो योजना राजस्थान सरकार ने रखी है, खास तौर से मिल्क डेरी योजना जिसमें 3300 सोसायटियों के माध्यम से दूध एकत्रित करने का प्रावधान रखा गया है। 4 लाख लीटर के आसपास दूध हमारा एकत्र हुआ हैं। मैं समझता हूं कि राजस्थान दूसरे प्रान्तों को भी दूध सप्लाई करने में सक्षम बना है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उसमें से आपने कितना मक्खन लगाया?

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : वह तो आप तय कर लेना कि आपको कितना चाहिए।

तो उस सोसायटी के माध्यम से हमारे डेयरी के विकास की बड़ी महत्वपूर्ण योजना चल रही है जिससे कि 4 लाख लीटर के आसपास-

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : मक्खन लगाओ, भाई, मक्खन लगाओ।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : अब देख लीजिये, हम किसके मक्खन लगा रहे हैं, राजबहादुर, जी इससे तो आपको हमारी एकता के ऊपर शक नहीं रहना चाहिए।

श्री सूर्य कुमार (नैनवा) : राज, बहादुरजी ने भी बहुत मक्खन लगाया है।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : यह तो नहीं कह सकता। आप बुजुर्ग हैं राजबहादुर जी, आपके लिये तो नहीं कह सकता। राजबहादुरजी के लिये तो नहीं कह सकता कि उन्होंने कितना लगाया लेकिन, सभापति महोदया, राजबहादुरजी को यह जरूर कहना [चाहता हूं....

(2.41 म. प.)

श्री चन्दनमल बैद : राजबहादुरजी ने भी बहुत मक्खन लगाया था लेकिन उधर चले गये।

श्री राजबहादुर : मैंने तो बहुत साफ बात कही है।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : लेकिन, राजबहादुरजी, यह तो आप मानकर चलिये कि हम जितना मक्खन लगा रहे हैं उससे हमारी एकता में तो कोई खतरा नहीं लग रहा होगा आपको।

श्री राजबहादुर : हां, बड़ा मक्खन लगाया।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : इसीलिए मैं सोचता हूं आज हमारी डेयरी के डवलपमेंट के ऊपर, दिल्ली में जो दूध हमारा जाता था वह कम पैसे में बिकता था आज मैं डेयरी डवलपमेंट कारपोरेशन या डेयरी विभाग को भी धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता कि दिल्ली से 40 प्रतिशत की रेट, 40 पैसे प्रति लीटर की रेट बढ़ाकर हमारी आर्थिक स्थिति को सुधारने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। इससे निश्चित रूप से राजस्थान सरकार को बहुत बड़ा लाभ होगा

आज 100 पशु चिकित्सालय राजस्थान के अन्दर खोले गये....

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

लेकिन मुझे जानकारी है, आदरणीय खेतसिंहजी, 100 पशु चिकित्सालय और खुल रहे हैं, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है। उसके लिये मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राज्य सरकार को कि राजस्थान के अन्दर सब जगह पर पशु चिकित्सालय खुलेंगे। पैसा तो मुख्य मंत्रीजी देंगे लेकिन सिफारिश श्रीरामजी की हो सकती है इसलिये मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सिफारिश भी है क्या ?

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : कभी कर लेते हैं जी हम। खास तौर से, अध्यक्ष महोदय, चूंकि अब आप आ गये हैं इसलिये थोड़ा समय मुझे मिलेगा नहीं तो मेरा समय ही कट रहा था। अध्यक्ष महोदय,

(श्री जनार्दन सिंह गहलोत)

राजस्थान के अन्दर जहां मैं सारी बातों का जिक्र कर रहा हूं, मैं उद्योग की प्रगति के बारे में भी कहना चाहूंगा।

उद्योगों के विकास की दृष्टि से देश में राजस्थान के लिये यह कहा जाता है कि यह पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, पिछड़े हुए क्षेत्र की जैसी पहचान हमेशा होती रही, अध्यक्ष महोदय, कुछ समय जरूर लग सकता है लेकिन राजस्थान को इस पिछड़ेपन से मुक्ति मिल जायगी। वह इसलिए मिल जायगी कि उद्योगों के अन्दर जितनी उपलब्धियां और जितने कीर्तिमान हासिल किये हैं वह कोई कम नहीं हैं। इस वर्ष के अन्दर 10 हजार ग्रामीण एवं लघु उद्योगों के पंजीयन का लक्ष्य रखा गया था उस लक्ष्य के 10 हजार होने पर भी 29 हजार लोगों को रोजगार दिया गया, क्या यह कम उपलब्धि है?

एक माननीय सदस्य : केवल कागजों में।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : यह हो सकता है कि आपकी जानकारी में नहीं हो। आप ज्ञानार्जन करना चाहें तो मेरे पास आना, मैं बताऊंगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : बजट के बाद भी कुछ रोजगार मिलने वाला है।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्दर पिछले 2 साल में खास तौर40 हजार 497 से ग्रामीण एवं लघु दस्तकारों का पंजीयन किया गया है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : बजट अधिवेशन के बाद भी कुछ लोगों को रोजगार मिलने वाला है।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : ऐसा है, घनश्याम जी, आपको तो रोजगार कभी नहीं मिलने वाला, इतना मैं जानता हूं। हमको तो रोजगार मिलेगा या नहीं देख लेंगे, आपके कोई चान्सेज नहीं हैं रोजगार के।

श्री चन्दनमल बैद : लेकिन आपका रोजगार छिनने वाला है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मिलने वाला है वह भी धोखा है।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : तो इस प्रकार, अध्यक्ष महोदय, एक लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। छोटे उद्योगों के अन्दर हमारा 119.80 करोड़ का धन राजस्थान में विनियोजित हुआ है। मैं सोचता हूं कि आज वही पूंजी 325.59 करोड़ तक आज राजस्थान में विनियोजित हो रही है। मैं सोचता हूं, यह कहा जा सकता है कि राजस्थान में जितने उद्योग लगे हैं उनमें 46 प्रतिशत उद्योग पंजीकरण रिकार्ड के आधार पर पिछले 2 सालों में लगे हैं यह हमारे लिय कम उपलब्धि की बात नहीं है। जब राजस्थान बना उसके बादजब उद्योग लगने शुरू हुए है। तबसे पिछले दो साल में 46 प्रतिशत के टार्गेट अचिव किया हैं, यह कोई कम उपलब्धि नहीं है।

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

मुख्य मंत्रीजी ने वन विन्डो सर्विस के लिए उद्योग विभाग के नये भवन का निर्माण किया जिसमें रीको, आर.एफ.सी., इण्डस्ट्रीज, राजसिको, मिनरल डवलपमेंट एक ही विन्डो के अन्दर एक ही छत के नीचे उद्योगों के विकास के लिए बैठे हुये हैं। इसके अन्दर अधिकारों का विकेन्द्रीकरण भी राजस्थान सरकार ने, मुख्य मंत्री ने किया है जिससे कि गांवों तक हमारे उद्योग पहुंच पाये हैं, आज यह हमारे लिये कोई कम गौरव की बात नहीं है। मकराना में कटाई और पालिशिग उद्योग आज जिस प्रकार से विकसित हो रहा है उससे आज विदेशों से लोग विदेशी मुद्रा ले-लेकर हमारे राजस्थान में आ रहे हैं, विदेशी मुद्रा राजस्थान में आ रही है। मकराना में हमारा पालिशिग उद्योग बढ़ रहा है और देश की विदेशी मुद्रा बढ़ाने में हम महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। मैं सोचता हूं कि यह कोई कम उपलब्धि नहीं है।

राजस्थान में पिछले वर्षों में जनता पार्टी की सरकार के जमाने में अशोक लैलेंड का जो कारखाना नहीं लग पाया, वह वर्तमान सरकार के रेजीम में ही अलवर में लग पाया, यह हमारे लिये गौरव की बात है। इस अवसर पर, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्रीजी को बधाई देना चाहूंगा। मैं समझता हूं, हमारे साथी सवाई माधोपुर से आने वाले श्री हंसराजजी हों, चाहे दूसरे दल के लोग हो, वह भी इस बात के लि धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकते कि भारत सरकार से और इन्दिराजी से व्यक्तिगत बात कर-कर हमारे मुख्य मंत्रीजी ने खाद के कारखाने को सवाई माधोपुर में लगाया है, यह हमारे लिये कम उपलब्धि की बात नहीं है। आने वाले सितम्बर माह में इसका शिलान्यास होने वाला है, इसका काम शुरू होने वाला है।

मैं, अध्यक्ष महोदय, बहुत ज्यादा आंकड़ों मे नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि मैं समझता हूं कि आंकड़ों में जायेंगे तो भाषण और भी लम्बा हो जायेगा।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) : आंकड़ों के जाल में फंस न जायें आप।

श्री जनादन सिंह गहलोत : इसलिए कि आंकड़े नहीं देता तो आप कहते कि सब निरर्थक बोल रहा हूं। किताबें देख लें, रिकार्ड देख लें अगर विश्वास नहीं है आपको तो आपको विश्वास हो जायेगा।

(व्यवधान)

वैसे मैं आपके लिये ही बोलना चाहता हूं अब तो। अध्यक्ष महोदय, देश के अन्दर विरोधी दल के लोग तो केवल मात्र एक ही बात के लिये लगे हुए हैं कि जो प्रगति हुई है उसको नकारात्मक दृष्टि से देखें। विकास की कड़ी में, देश की बहबूदी के लिये जो काम हो रहा है, उसके प्रति इनका कोई दृष्टिकोण नहीं है। जो राजस्थान के अन्दर ही नहीं सारे देश के अन्दर विरोधी दल हैं, एक दल का विश्वास साम्प्रदायिकता में हों, एक दल का विश्वास जातीयता में हो, उनके लिए हम क्या कहें। आज देश की जनता अच्छी तरह से जानती है कि एक तरफ तो आग लगाते हो और जब उफान होने लगता है तो आवाज उठाकर इन्दिरा गांधी को कोसने लगते हो।

(श्री जनार्दन सिंह गहलोत)

आज यही विरोधी दल का धर्म हो गया है। मैं सोचता हूं कि आज कथनी और करनी में कितना अन्तर है। जहां जम्मु कश्मीर में ये लोग किसी जमाने में विरोध किया करते थे। आज ये ही आर. एस. एस. के लोग, जनता पार्टी-बी. जे. पी. के लोग उस पार्टी से गठबंधन करते हैं। और दूसरी तरफ राष्ट्र वादी बातें करते हैं लेकिन आज यह कहा जाय, जम्मू-कश्मीर के लिए, वहां के नेता यह दावा करते हैं कि राष्ट्र विरोधी तत्वों को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जायगा, इस प्रकार के अखबारों में स्टेटमेंट बार-बार देते हैं और बातें करते हैं। लेकिन असलियत में यह कहां तक सच है? क्या विरोधी दल इस बात को साफ तौर पर नजर अंन्दाज कर सकते हैं जब श्रीनगर में पिछली बार हमारा क्रिकेट का मेच हुआ उसके अन्दर जितने टिकट बिके थे उससे 4 गुना लोग अन्दर चले गये। कैसे चले गये? क्या वह सुनियोजित षड़यंत्र नहीं था? क्या वहां की सरकार में बैठे हुए लोगों ने जानबूझकर राष्ट्र विरोधी तत्वों को नहीं भेजा था? क्या वहां पर पाकिस्तान के झंडे नहीं फहराये गये थे? वहां की सरकार राष्ट्र विरोधी हरकतों को देखती रही और राष्ट्र के प्रति प्रेम दिखाती रही। मैं सोचता हूं, क्या यह नैतिक कर्तव्य है हिन्दुस्तान के विरोधी दलों का कि एक तरफ जिस संविधान के तहत जिन्होंने शपथ ली प्रकाश सिंह बादल, अकाली दल सरकार के मुख्य मंत्री, बरनाला जी ने भारत सरकार में जनता पार्टी की मिली जुली सरकार में उसी संविधान के तहत शपथ ली, वहीं संविधान जलायें? शर्म आनी चाहिये, मैं सोचता हूं फिर हमारे विरोधी दल के लोग बड़ी दबी आवाज से, अध्यक्ष महोदय, जब अकाली दल के लोग यह करते हैं तो बड़ी दबी आवाज से बोलते हैं विरोधी दल के लोग, हां, संविधान को जलाना ठीक तो नहीं है। लेकिन दबी आवाज से। ऐसी आवाज से जिससे लगता है कि उनको खुशी तो हो रही है लेकिन एक तरफ संविधान जल रहा है और एक तरफ नैतिकता दिखा रहे हैं कि राष्ट्र के सच्चे सिपाही हम हैं, राष्ट्रवादी हम हैं। एक तरफ संविधान की धज्जियां उड़ायी जा रही हों जिसके लिये हमें गौरव है और उस संविधान के पन्नों को जब आग लग रही हो तब विरोधी दल के लोग दबी आवाज में बोलते हैं। उसके लिये क्या उन्होंने कोई संयुक्त प्रयास किया? विरोधी दल के लोगों ने कोई आवाज उठायी? क्या उसके लिये कोई बन्द का आह्वान किया? एक तरफ अकाली दल के लोग।

(व्यवधान)

किसलिए आपने किया, यह भी मुझको मालूम है।

(व्यवधान)

आपको, घनश्याम जी, शायद अभी पूरा ज्ञान भैरोंसिंह जी ने दिया है या नहीं, मुझे पूरा नहीं मालूम। लेकिन, मैं यह कह सकता हूं कि आसाम और पंजाब के अन्दर विरोधी दल का रोल क्या रहा है, आपसे छिपा हुआ नहीं है। आरंभ में स्थिति में

(श्री जनार्दन सिंह गहलोत)

सुधार लाने की बात कही जाती है, त्रिपक्षीय वार्ता के अन्दर विरोधी दल के लोग बैठते हैं। त्रिपक्षीय वार्ता में एक तरफ तो बैठते हैं और दूसरी तरफ अकालियों को सपोर्ट करते हैं। एक तरफ तो त्रिपक्षीय वार्ता में बैठेंगे विरोधी दल के लोग, और दूसरी तरफ अकालियों को सपोर्ट करते हैं। इस दुहरी नीति से, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह देश को कहां ले जाना चाहते हैं? यह इनके समझने की बात है। इनके लिए देश से ज्यादा महत्वपूर्ण अगर इस प्रकार की बातें इस देश में होती रहें तो मैं सोचता हूं कहां तक न्यायोचित है? विरोधी दल देश की विघटनकारी प्रवृत्तियों को बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसी शक्तियों के साथ गठजोड़ कर रहे हैं अंदरूनी रूप में रोजाना करते हैं, जो देश की एकता, तीव्र आर्थिक और सामाजिक उन्नति में बाधक हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो इस प्रकार देश के विकास में बाधक हों, उनके बारे में क्या अपन विश्वास कर सकते हैं, इस देश की जनता उनका क्या विश्वास करेगी, आने वाले समय में भी लोग अच्छी तरह से समझ रहे हैं, उनका क्या रोल है, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। असम के अन्दर, मैं विरोधी दल के लोगों से, खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं, नेल्ली गांव के अन्दर विवादास्पद कार्यवाही किसने की? क्या उसमें आर. एस. एस. का हाथ नहीं था? क्या उसके अन्दर आर. एस. एस. का रोल नहीं था? जिस असम के अन्दर आर. एस. एस. की पहले 14 शाखाएं चलती थीं, वहीं आज 70 शाखाएं चल रही हैं। 70 शाखाएं आर. एस. एस. की आज आसाम के अन्दर चल रही हैं। नेल्ली गांव के अन्दर हमारे अल्पसंख्यकों की जो हत्या हुई उसमें खुला केवल आर. एस. एस. का हाथ था।

इस प्रकार की गतिविधियों को बढ़ावा देकर सरकार को कमजोर बनाने की यह घिनौनी चाल तथा खेल है। इस देश की की जनता समझ रही है। वह इस बात को भूल रहे हैं कि यदि यह देश कमजोर हुआ तो क्या स्थिति होगी।

(व्यवधान)

कांग्रेस तो कभी कमजोर होने वाली नहीं और देश को भी कमजोर कांग्रेस होने नहीं देगी। आप लोगों के हाथ में कुछ दिनों के लिये सत्ता मिल गयी थी, देश को कमजोर तो आपने किया। इस देश की आजादी के लिये तो हमारे नेताओं ने बड़ी-बड़ी कुर्बानियां की हैं। हमारे नेताओं ने तो बड़ी-बड़ी कुर्बानियां की हैं और इस देश को आजादी दिलायी है। इस देश की आजादी की रक्षा के लिये कांग्रेस का कार्यकर्ता अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देगा लेकिन इस तिरंगे झंडे के सम्मान को, देश की एकता को कायम रखने में कसर नहीं छोड़ेगा। लेकिन आपका जो रोल है, जनता इस बात को अच्छी तरह से जानती है। आज विरोधी दल एक तरफ तो सत्ता को भोगने के लिये बड़े लालायित हैं लेकिन भारत की जनता को कोई कार्यक्रम देने को तैयार नहीं हैं। देश में जिस तरह की हालत उन 28 महीने रही, देश

(श्री जनार्दन सिंह गहलोत)

की जनता उसे अच्छी तरह से जानती है। जिस सत्ता पर आपको बिठाया था, जैसे ताश के पत्ते बिखेर दिये जाते हैं वैसे 28 महीने में ताश के पत्ते पहले भी बिखर गये थे। आज यह सपना आप मत देखिए कि राज आपको मिलने वाला है। राज कांग्रेस को मिलने वाला है क्योंकि हमारी पार्टी की नेता एक है, झण्डा एक है और पार्टी एक है। हम आपके जैसे नहीं कि अलग-अलग बैंचों में बैठते हो उसमें भी एक नेता नहीं। हमारी तो एकमात्र नेता इन्दिरा गांधी हैं। इस प्रकार से अलग-अलग नेता हम बनाते नहीं। इसलिये, मैं सोचता हूं, जिस घर के अन्दर परिवार का कोई एक मुखिया नहीं होता वह घर बिखर जाता है। जब घर बिखर जाता है तो बाप की बात सुनी नहीं जाती, बेटा अलग हो जाता है, बेटी अलग हो जाती है, और भाई-भाई अलग हो जाते हैं। इसलिये जिस पार्टी में एक आदमी की नहीं चलती है, उस पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है। हमारी पार्टी में केवल मात्र इन्दिरा गांधी की चलती है इसलिये देश का राज्य केवल मात्र कांग्रेस पार्टी करेगी। मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के लिए श्री रामनारायण चौधरी द्वारा जो धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, उसका समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

जयहिन्द।

श्री अध्यक्ष : श्री राजबहादुर।

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय का अभिभाषण, और अभिभाषण पर यह प्रस्ताव धन्यवाद का एक रस्म सी हो गयी है। डैमोक्रेटिक बिहेवियर मे, राजतंत्र में, प्रजातंत्र में और जनतंत्र में गूढ़ भावनायें हैं इसकी, वे लुप्त होती जा रही हैं। एक प्रकार का एक तरफा बयान एड्रेस में आता है जिसमें सारी उपलब्धियां ही उपलब्धियां होती हैं। आप देखें इसको भी,। प्राब्लम्स क्या हैं कंट्री के सामने, प्रान्त के सामने, समस्याएं क्या हैं, क्या करेन्ट चल रही है पालिटिक्स की और पालिटिकल इवेन्ट्स की, और क्या हमारा कर्तव्य है, किस ओर राष्ट्र को, देश को, प्रदेश को जाना चाहिए, इस ओर कोई इशारा होता नहीं है। होता है तो वह एक तरह कटु, कटाक्ष की तरह से, और कुछ नहीं। यहां डिबेट पर भी कुछ चर्चा ऐसी हो जाती है।

मोटी बात थी कि भाई, हम लोग इकट्ठे हुए हैं साल भर बाद, और साल भर बाद मैं सबसे पहले तो कुछ बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं ट्रेजरी बैन्चेज को कि उन्होंने अब के यह साहस दिखलाया है कि सैशन को छोटा नहीं किया। वरना जैसे कि गत सितम्बर का सैशन 5 दिन का था उससे पहले बजट सैशन भी 15-20 दिन का था। अब के कम से कम इतनी हिम्मत तो आयी और इतनी डैमोक्रेसी की कद्र हुई इसके लिए तो मैं धन्यवाद देता हूं। मैं बहुत ही खुश होता अगर एड्रेस, जो गवर्नर साहब का आया है, राज्यपाल महोदय का आया है, में भी कोई नयी धारा होती। मैंने इस एड्रेस को भी देखा और पिछले एड्रेस को भी देखा। इसमें लगभग वही पैराग्राफ्स हैं, वही चीजें हैं जो पिछले

(श्री राजबहादुर)

साल थीं। एक अन्तर है जो अभी चन्दनमल जी ने साफ कर दिया कि अब के एड्रेस में आंकड़े नहीं हैं। आंकड़ेबाजी बहुत है लेकिन आंकड़े नहीं हैं। आंकड़े आप सप्लाई करेंगे, ऐसा आपने कहा है। लेकिन अगर आप देखें, आपके आंकड़े आपको झूठा साबित कर देंगे। मेरे पास इतना रिसर्च का सामान नहीं है वरना जितनी घोषणायें इन चार वर्षों में हुई हैं, स्कूलों के बारे में, सड़कों के बारे में, इन्वेस्टमेन्ट के बारे में, एमप्लायमैन्ट के बारे में, अगर उन सबको को लिया जाय और जोड़ा जाय, अगर वह कार्यान्वित हो गयी होतीं तो किसी और बात की जरूरत ही नहीं रहती। मैं फैमिली प्लानिंग की बात लेता हूं, फैमिली प्लानिंग के सारे आंकड़े आप ले लीजिये शुरू से आखिर तक, इनके हिसाब से तो आज हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ जीरो पर्सेन्ट होनी चाहिये लेकिन नहीं, यह एक अफसोस की बात है। आपने पिछले साल जब गवर्नर साहब का भाषण हुआ जैसे उसकी शुरुआत की थी वही शुरुआत अब है, वहीं 20 सूत्री कार्यक्रम है, वही कि, विकास दिशा में पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमने महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की हैं और वही उसके बाद के एक पैराग्राफ में आया है कि यह वर्ष मूलत: गरीबों के विकास का वर्ष रहा है। पिछले साल भी कहा गया था यह। नये बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत चालू वर्ष में गरीबी की सीमा रेखा से नीचे रहने वाले, राजस्थान से ही मतलब होगा, 142000 परिवारों में से 109000 परिवारों को जनवरी, 83 के अन्त तक, पिछले वित्तीय वर्ष के समाप्त होने से दो महीने पूर्व ही 109000 परिवारों को लाभान्वित किया जा चुका है। अगर पिछले साल ही, एक लाख 42 हजार परिवारों का मतलब हुआ, 2 लाख और एक परिवार में पांच आदमी मान लीजिये, तो 10 लाख आदमी हुए इनकी गरीबी दूर हो गयी होती, यह भाषण में कहा गया है. फिर इस साल क्या किया? इस साल भी वही चीजें कही। लेकिन मैं आपसे विनती करना चाहता हूं, मैं किसी तुके-बेतुके जवाब में विश्वास नहीं करता। मैं वही बात कहना चाहता हूं जो आपके दिलों में घर करे, मेरी बात की कद्र कर सकें. असेम्बली सेशन हुआ और इसमें अगर आज जो स्थिति है, समस्यायें हैं जिसने लोगों को उत्तेजित किया पिछले वर्ष, उन पर बात होनी चाहिये, लेकिन सब दबा दिया गया।

मैं घना काण्ड की याद दिलाता हूं। घना काण्ड के बारे में कहा गया था कि जुडिशियरी इन्क्वायरी होगी, जज अपइन्ट किया जायगा। जज कब गया, कब इन्क्वायरी खतम होगी, सारी समस्याओं को, सारे दुःखों को, लोगों की सारी हत्याओं को कारपेट के नीचे दबा दिया गया।

उसके बाद, इसी सदन के माननीय सदस्य, श्री महादेव सिंह के बारे में ऐसा तय किया गया था। बेरी कमीशन में क्या किया, किसको मालूम है? राम सिंह आयोग की आज छीछालेदन हमने इस हाउस में देख ली। मेरे कहने का मतलब यह है कि आपव धाई के पात्र हैं, इस बात के लिये कि जो समस्यायें हैं, समस्याओं के बारे में जो आश्वासन हैं, जो रिपोर्ट्स हैं, वह धीरे-धीरे करके दबाते चले जा रहे हैं, वे सम्मुख नहीं आती हैं,। इसी प्रकार कोटपूतली में

(श्री राजबहादुर)

हुआ, रेप्स एण्ड किडनैपिंग्स। उस से भी बढ़कर लक्ष्मणगढ़ में हुआ। लक्ष्मणगढ़ में एक परिवार के सात आदमियों को मार डाला गया। 7 आदमियों को मारने के बाद, जो मारने वाले थे, उन्होंने नंगा नाच किया डैड बाडीज के ऊपर, पुलिस निष्क्रिय रही। मैं जानना चाहता हू, कि क्या पालिसी है। आपकी? लॉ एण्ड आर्डर की समस्या का हल बताया गया, बहुत अच्छा है। मैं इस चर्चा में पंजाब हरियाणा, जम्मू-कश्मीर और आसाम को बिलकुल नहीं लाना चाहता था लेकिन राज्यपाल का जो भाषण है, उसी में कहा गया है कि पंजाब और हरियाणा हिंसा से ग्रस्त रहे हैं, हम नहीं रहे हैं. और जो भाषण प्रस्तावक महोदय और समर्थक महोदय, का था, उन्होंने भी इसमें जम्मू-कश्मीर, आसाम, नैल्ली, नील नहीं है, वह नैल्ली है, में जो हाल ही हत्यायें हुई, उसकी जिम्मेदारी आर. एस. एस. पर लगायी। आर. एस. एस. वाले इसका जवाब दें मेरा कोई सम्बन्ध नहीं।

श्री चन्दनमल वैद : आप उनके साथ बैठे हैं।

श्री राजबहादुर : साथ तो मैं आपके भी बैठा हूं।

श्री चन्दनमल वैद : मेरे साथ बैठते थे, तब तो ठीक थे।

श्री राजबहादुर : आपको मेरे साथ, ध्यान है, पछतावा नहीं हुआ होगा। मैं इसको आपको फील नहीं कराना चाहता। मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि आप इन चर्चाओं को न लाते तो अच्छा रहता। आपने भाषणों में, गवर्नर एड्रेस में इसको अलग रखते क्योंकि पंजाब समस्या है, हरियाणा की समस्या है, हमको टच नहीं करती हैं। जम्मू-कश्मीर में शेख अब्दुल्ला के लड़के फारुख अब्दुल्ला मुख्य मंत्री हैं और उन से आपकी पटती नहीं है, उन्होंने इन्कार कर दिया कश्मीर वैली में आपके साथ चुनाव समझौता करने में, तो आज सशेसनिस्ट हो गये। ताकतें लगी हैं आपकी कर्नाटक में; यह फैक्ट है कि क्रिकेट को इन्होंने तूल दिया था; खुद फारुख अब्दुल्ला ने तो कुर्सी से मंच पर उतर कर उन लोगों को स्पॉट पर गिरफ्तार करवाया था। आप आज कहते हैं कि फारुख अब्दुल्ला सशेसनिस्ट्स को या ऐसे एलीमैण्ट्स को प्रोत्साहन दे रहे हैं, लेकिन उसका भाषण कलकत्ते में क्या था, और जगह क्या था? उसने कहा, मेरा अपराध यह है, इन्दिरा जी की निगाह में, कांग्रेस वालों की निगाह में कि मैं मुसलमान हूं और मुसलमान होते हुए भी अपने आप को इण्डियन समझता हूं, कहता हूं। अगर आप इसको अपराध मानते हैं तो, भाइयों, आप ही बता दीजिये। मेरा अपराध कोई है तो केवल यह है। आप कश्मीर के टैक्सचर को जानते हैं, सैंसिटिविटी को जानते हैं, वहां पर लोगों के रुझान को जानते हैं? मैं उसके बारे में चर्चा नहीं करना चाहता। लेकिन अन्दर-अन्दर जो बात करते हैं वह जानते हैं कि अगर हमारी आर्म्ड फोर्स न हो, पूरी ताकत न हो तो हम कश्मीर को रख नहीं सकते हैं। और कश्मीर पर किस-किस के दांत नहीं हैं, आप जानते हैं। अगर कोई आदमी कश्मीर में उस जगह पर, वहां का शासक, वहां का मुख्य मंत्री यह कहता है कि मैं राष्ट्रवादी हूं, मैं हिन्दु-

(श्री राजबहादुर)

स्तानी हूं, अगर कहता है कि मैं हिन्दुस्तान के कान्स्टीट्यूशन में विश्वास करता हूं तो क्या आप उसको भी निकालकर सारी पापुलेशन को खिलाफ करना चाहते हैं? मैं कहता हूं, बड़ी सुसाइडल पालिसी है यह। आपको फारुख अब्दुल्ला की गवर्नमेण्ट को गिराने की कोशिश नहीं करनी चाहिये, फारुख अब्दुल्ला गवर्नमैण्ट को क्रिटिसाइज करने की कोशिश नहीं करनी चाहिये। डैमोक्रेसी बढ़ेगी नहीं। आप समझते हैं कि डैमोक्रेसी बढ़ेगी, नहीं, इससे मजबूत नहीं होने वाली है।

मेरा आपसे अनुरोध है, गवर्नर साहब से विशेष रूप से अनुरोध है कि वह खाली माउथ पीस नहीं हैं गवर्नमेण्ट के, उनका डिस्क्रिशन भी है, जहां ऐसी चीजें हैं। लोगों को कहने का मौका क्यों मिलता है? मैं नहीं बोलता पंजाब पर और हरियाणा पर, किन्तु पंजाब और हरियाणा पर लोगों को एतराज यह है कि पंजाब समस्या सुलझने को आती है, ऐन मौके पर बिगाड़ दिया जाता है, आती है और बिगाड़ दिया जाता है। उसका लाभ भी मिला है, दिल्ली में और जम्मू में भी लाभ मिला है। इसलिये लोगों को कहने का मौका मिलता है, इसलिये सारी वातें हैं। यह न मान लें कि evertyhing has a dark side. No. It has a bright side also.

इसके बाद दूसरी बात, जो आपसे निवेदन करना चाहता हूं, वह है लॉ एण्ड ऑर्डर की समस्या के बारे में। आप हरियाणा और पंजाब में वह सब मत कीरिये। आपको और कुछ भी देखना है। जो थोड़ी सी मांग की थी मुस्लिम लीग के जरिये से, यू. पी. में 37-38 में, उसको मंजूर नहीं किया गया। आखिर देश का बंटवारा हुआ। आज प्रोत्साहन किस चीज से मिल रहा है उन लोगों को, उग्रवादी हैं, हिंसात्मक प्रवृत्तियों में विश्वास रखते हैं? इसलिये किसी तरीके से भी अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हुए पंजाब समस्या को हल करने में अक्लमंदी है. देश की भी है। यही सारा मिलकर अपोजीशन पार्टीज कहती है। काफी कुछ कहा गया। मैं उस बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगा लेकिन मेरी विनती है कि आप समस्याओं को उलझाइये मत, सुलझाइये।

आसाम की समस्या के बारे में आप कहते हैं। आप कहते हैं कि कश्मीर में रिगिंग हुई, फारुख अब्दुला ने रिगिंग कराई है। आसाम में क्या चुनाव हुए हैं? आसाम में चुनाव के नाम पर मखौल हुआ, कोई चुनाव नहीं हुए आसाम में। इसलिए मैं आपसे विनती करूंगा, आप देखिये कि आपका फर्ज क्या है। चूंकि सारे देश का शासन आपके हाथ में है, सारे प्रदेशों का आपके पास है, आपके तो मुंह से ऐसे रफज निकलने चाहिये जिस से लोगों के दिल बढ़ें, पास आयें न कि फटें, दूर हों आपको आसाम की समस्या को उचित आधार पर हल करना होगा।

मैं इन बातों में नहीं जाऊंगा लेकिन लॉ एण्ड आर्डर की चीज सामने आती है तो मैं जरूर कहूंगा। रेप्स एण्ड किडनैपिंग जो कोटपूतली में हुई, उसको माफ नहीं करना चाहिये। उसकी बड़ी भारी प्रतिक्रिया हुई

(श्री राजबहादुर)

है। इतने इलाकों, कस्बों, भरतपुर, अलवर, सब जगह प्रदर्शन हुए, बंद हुए, इसलिये इस पर कुछ करना चाहिये।

एक बात बहुत दुःख के साथ कहनी पड़ती है कि जब सत्ता में आ जाती है कोई पार्टी या कोई लोग, तो फिर वे इन्सान को इन्सान नहीं गिनते। हमारे यहां का एम. पी. है, हमारे जिले के, राज्य सभा के मैम्बर हैं या लोक सभा के, उनके लड़के ने जो काण्ड किया बयाना में, उस से बयाना बंद हुआ। एक साहब ने जमीन हथियाने की कोशिश की। इन चीजों पर पाबंदी लगाइये। यह साइड भी सामने रखनी चाहिये और कहना चाहिये, एड्रेस में भी होना चाहिये। तब तो एड्रेस बैलेन्स्ड एण्ड ईविन होता लेकिन दुःख के साथ कहना पड़ता है कि एड्रेस बैलेन्स्ड और ईविन नहीं था।

सचमुच, राजस्थान नहर में जो प्रगति हुई उसमें मुझे बिलकुल संतोष है। मैं किसी बात की खुशामद के लिए नहीं कहता लेकिन सारा क्रेडिट राजस्थान नहर का लें कि हम खुदवा रहे हैं, हम खुदवा रहे हैं, हमने खुदवाई। है आपने ऐसे लिया जैसे राजस्थान नहर कंसीव ही आपने की हो। मैं तो कहना चाहता हूं कि वाटर रिसोर्सेज जो अवेलेबल हो सकते हैं आपको, रावी, व्यास और सतलज को ही ले लीजिये, रावी, व्यास, सतलज का पूरा पानी भारत इस्तेमाल नहीं कर रहा है। बरसात में बाढ़ आती है और पानी बह कर चला जाता है। उसी के बेसिस पर कंवरसेन ने कहा था कि एक नहर फीरोजपुर से काण्डला तक बन सकती है। आपने वह पूरा नहीं किया। आपने चम्बल के सारे रिसोर्सेज को पूरा नहीं किया। सिंचाई का महकमा आयगा, राजस्थान नहर का महकमा आयेगा तब मैं इस पर ज्यादा बोलूंगा। जान-बूझकर क्योंकि मेरे पास समय सीमित है, इसलिये मैं इसको छोड़ता हूं। लेकिन मैं कहूंगा कि राजस्थान नहर के नाम पर आप अपनी पार्टी की स्ट्रेन्थ, वोटिंग स्ट्रेन्थ को बढ़ाना, चाहें, क्रेडिट आपको जितना मिलना है उतना आपको मिलेगा लेकिन सारा क्रेडिट आप पर है यह, मेरे ख्याल से, कोई भी निष्पक्ष आदमी नहीं कह सकता। अगर ऐसी ही बात है, इतनी ही बात आपकी है, जैसा एड्रेस में बताते हैं, जैसा कहा, मिस्टर प्रस्तावक और मिस्टर समर्थक, दोनों मिस्टरों ने, अगर इतनी बात है तो फिर लोगों में चर्चा क्यों? बाजारों में, रेलों में, मोटरों में क्यों सारा वातावरण आपके खिलाफ है? माफ करिये, मैं डराने के लिए अर्ज नहीं कर रहा लेकिन खुद जाकर आंखें खोलकर देखिये, जाकर देखिये, क्यों वातावरण खराब है।

यह बातें गये-गुजरे साल की थीं। जहां तक आपकी अगली योजनाओं का सवाल है, सैवन्थ प्लान का, सैवन्थ प्लान के बारे में आज्ञा मिली है, आदेश मिला है कि पीपुल इन्वॉल्वमेण्ट होना चाहिये। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने उसको किया? आप करने की तैयारी करते हैं, किसी को भरोसे में लिया? यह मैं जानना चाहता हूं।

इसी तरह से एक बड़ा प्रश्न, सरकारिया कमीशन सैन्टर-स्टेट रिलेशंस का, है। उसके बारे में क्या आप सदन में चर्चा चलाना चाहते हैं? उस पर आधार है, उस पर हमारे भविष्य का आधार है राजस्थान प्रदेश का क्योंकि आज इरिगेशन कॉनकरेण्ट लिस्ट

Page No. 100

(100)

(श्री राज बहादुर)

में है। इरिगेशन, वाटर रिसोर्सेज, यूटिलाइजेशन, मोबिलाइजेशन, हार्नेश सब की सब जो है कानकरेण्ट लिस्ट में हैं, या मोस्टली स्टेट लिस्ट में हैं। इसलिये न तो गंगा के पानी के ऊपर आपका काबू होता है, न जमुना के पानी के ऊपर काबू होता है, न रावी, व्यास-सतलज पर होता है, झगड़े बने रहते हैं, लिंक कैनाल नहीं बनती है, वगैरह-वगैरह। क्या इसके बारे में सैन्टर स्टेट रिलेशन्स में कुछ करने को तैयार हैं, कम से कम लिमिटेड एरिया में फंक्शन के लिये, बहुत सीमित फंक्शन्स के लिये? क्या हार्नेसिंग नेशनल वाटर रिसोर्सेज, रूरल रिसोर्सेज–इनको कॉनकरेंण्ट लिस्ट से सैन्टर लिस्ट में करने की बात सोचेंगे? मैं तो सेन्टर की ताकत बढ़ा रहा हूं, लेकिन ऐसी चीजें भी हैं, फाइनेन्शल मैटर्स में जिनकी चर्चा करना भी आवश्यक है, क्योंकि हमारी जिन्दगी, हमारे जीवन पर, हमारे भविष्य पर उसका असर पड़ेगा। इसलिये मेरा अनुरोध है, अध्यक्ष महोदय, इसके लिये चर्चा करने का मौका दें। 31 मार्च तक क्वेश्चनेर के जवाब मांगे हैं सरकारिया कमीशन ने, इसलिए 31 मार्च से पहले या तो गवर्नमेंट हमको कान्फीडेन्स में ले कि वह क्या जवाब भेजने जा रही है या हमको मौका दें सदन में कहने का, तब तो कुछ बात आगे बढ़ सकती है अन्यथा इस तरह एक तरफा बात कहने से डेमोक्रेसी नहीं चला करती कि जनता पार्टी ने यह किया, यह नहीं किया, अपने शासन में यह नहीं किया, ऐसी बातों की क्या वेल्यू है? यह ज्यादा इम्पोर्टेण्ट है कि प्रजेन्ट फेल्योर्स क्या है? प्रदेश इन बातों से आगे नहीं बढ़ सकता है प्रदेश तभी आगे बढ़ सकता है जब इन्सान की मौलिक बातें, मौलिक समस्यायें रखें। मौलिक समस्यायें यह हैं कि पब्लिक सैक्टर यूनिट्स सेन्टर के कितने हैं आपके पास? आप केवल एक खाद कारखाना सवाई माधोपुर में ले आये लेकिन जो मैन चीजें हैं, जिनसे कन्स्ट्रक्शन होता है, इन्टीरियर कोच फैक्ट्री का सवाल है, बी. एच. ई. एल. की यूनिट का सवाल है, आपकी बहुत-बहुत सी इन्डस्ट्रीज के बारे में सवाल हैं, ड्राई पोर्ट का सवाल है, इसके बारे में कुछ किया है आपने? और जाने दीजिये, इरिगेशन रिसोर्सेज को छोड़ें लेकिन जो आपकी खुद की जमीनें हैं, चम्बल की रेवीन्स में पड़ी हुई हैं, उनका डवलपमेन्ट करने के लिये, रीक्लेम करने के लिये कुछ किया है आपने? कहीं इशारा है उसका?

समस्याओं पर अगर आयें आप, समस्याओं को अगर देखें गुलाबी नगरी की तारीफ की है। गुलाबी नगरी की तारीफ है इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैंने पर्यटकों से सुना है और बहुत दिन पहले नहीं सुना है हाल में ही सुना है कि Pink city is stink city. बदबू आती है, इस कदर गन्दा है। अब कौन इन्कार कर सकता है ट्रैफिक इनसिक्योरिटी से? इस बात को भी आप देखें, दोनों बातें सच्चाई के साथ देखें। हां, तरक्की हुई है जयपुर की, लेकिन साथ में और कस्बे भी जो हैं आपके, 200 से 250 छोटे-बड़े कस्बे, उनकी क्या हालत है? गांव हैं 30–35 हजार, उनकी क्या हालत है? कहीं सैनेटरी अरेन्जमेन्ट हैं कहीं नहीं। कहीं लाइट नहीं, पानी नहीं। सबसे बड़ी समस्या क्या है हमारे गांवों की? मैं सोचता हूं हमारे गांवों में कृषि उत्पादन सिंचाई, बिजली, पानी वगैरह के बाद क्वालिटी आफ

(श्री राम बहादुर)

लाइफ भी चेंज हो रही है या नहीं हो रही है? क्या स्ट्रक्चरल चेंज है, क्या बेसिक चेंज है सोसाइटी में, उसकी तरफ एक इशारा नहीं है गवर्नर स्पीच में, एड्रेस में। आखिरकार आप सोसाइटी का री-शफलिंग कैसे करेंगे? क्या बात है कि मुट्ठी भर आदमियों के हाथों में जो सारा उत्पादन है, सारे उत्पादन का प्रोफिट है, और दूसरी पूंजी है वह इकट्ठी होती जा रही है? क्या वजह है कि आज बाकी लोग डिप्राइव्ड हैं? उस डिप्राइव्ड सेक्शन को आप किस तरह से बराबरी पर लाना चाहते हैं?

जब डिस्क्रिमिनेशन की बात आती है तो मुझे अपने जिलों की बात याद आती है। हमारे जिले कुछ ऐसे अभागे हैं जिनके साथ हर बात पर डिस्क्रिमिनेशन होता है। मैं इसे अन्य किसी मौके पर विस्तार से उठाऊंगा लेकिन यह कहना चाहता हूं कि डिस्क्रिमिनेशन भी एक जलती हुई समस्या है।

अब मैं जिस समस्या की ओर खास तौर से ध्यान दिलाना चाहता हूं वह पढ़े-लिखे बेरोजगार आदमियों की है, इसे हिन्दुस्तान में 60 लाख आदमी ऐसे हैं जो मैट्रिक पास हैं और बेरोजगार हैं। 20-21 लाख लोग ऐसे हैं जो अन्डर ग्रेजुएट्स हैं और 15 लाख के करीब ऐसे हैं जो ग्रेजुएट्स हैं और बेरोजगार हैं आपके यहां-क्या गिनती है इनकी? उनको लगाने के लिये चार स्कीम्स की चर्चा की है आपने। कितने लोगों को संभाल पाये हैं आप? आपसे आंकड़े मांगे जायें तो यह आंकड़े दीजिये कि कितने कुल बेरोजगार हैं, मैट्रिकुलेट्स, कितने ऐसे हैं बेचारे जो बिना किसी सहारे के एम. ए. और बी. ए. हैं और कितने ऐसे हैं जो अन्डर एम्प्लॉयड हैं गांवों में, जो पढ़े लिखे नहीं हैं। इस सारी बेकारी और बेरोजगारी को चेंज करने के लिये कैसे क्या कर रहे हैं? एक तरफ हमारे कन्ट्री के पास अनलिमिटेड मैन पावर रिसोर्सेज हैं और दूसरी तरफ पिछड़ा हुआ सारा प्रदेश है, प्रदेश ही नहीं सारा देश है। हर गांव पुकारता है सड़क के लिये, पक्की सड़क के लिये, बिजली के लिए हर गांव पुकारता है, पानी के लिये हर गांव पुकारता है। जो सिविल अमेनेटीज होती है, पावर्स हैं, स्कूल्स हैं, स्कूल बिल्डिंग्स हैं इस मैन पावर को आप कलेक्ट नहीं कर सकते हैं, यही प्लान का टोटल फेल्योर तब तक बना रहेगा जब तक आप व्हाइट कालर जाब्स, ब्ल्यू कॉलर जोब्स और नो कालर जोब्स हैं डिस्टिंक्शन नहीं लायेंगे। नो कालर जोब्स में जो हाथ से काम करने वाले हैं लेबर्स हैं उनको तनख्वाह ज्यादा मिले, पगार ज्यादा मिले, मजदूरी ज्यादा मिले, उनकी इज्जत ज्यादा हो, सोसाइटी में उनकी पहुंच ज्यादा हो। माफ करें, मुझे और आपको चाहे सफर करना पड़े, हमें चाहे नीचे जाना पड़े लेकिन आप चाहते हैं तो रीस्ट्रक्चरिंग आफ सोसाइटी हो, इसके अलावा नहीं हो सकता है। आपको एजूकेशन सिस्टम को रिफार्म करना पड़ेगा। है कोई इशारा? स्कूल खोल दीजिये, प्राइमरी स्कूल, मीडल स्कूल, हाई स्कूल और पढ़े-लिखे बेरोजगारों, जो हाथ का काम करना छोड़ देते हैं, की संख्या बढ़ा दीजिये लेकिन होने वाला कुछ भी नहीं है।

इसी प्रकार से हमारे एलीमिनेशन आफ

(श्री राजबहादुर)

टेन्शन्स हैं। हमारी सोसाइटी में जाति के नाम से, धर्म के नाम से, भाषा के नाम से जो टेन्शन्स हैं, इन सब को मिटाने का तरीका क्या है ? आप बड़े-बड़े पाठ लोगों को पढ़ायें और खुद उस पर अमल न करें तो कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि काबा पाक और साफ रहे तो काबा को पहले साफ करना पड़ेगा। काबा में ही कुफ्र पैदा हो जाय तो मुसलमानी कहां रहेगी ? जो आपके टॉपमोस्ट एचिलोन्स ऑफ पावर हैं उनको ठीक करिये।

करप्शन की बात मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, इतना ही कहना चाहता हूं कि करप्शन आज एक्सेप्टेड फैक्ट ऑफ लाइफ मान लिया गया है। इसके बारे में कह दिया गया है कि यह तो ग्लोबल फिनोमिना है, सारी दुनिया में व्याप्त है इसलिये इसको तो हम एक्सेप्ट करके चलते हैं। जहां दृष्टिकोण ही यह हो गया हो तो वहां बेचारे गांधी जी की बात करना, सिद्धान्त की बात करना क्या रह जाता है, वहा बेचारे राजबहादुर जी की बात करने से क्या होता है, मैं तो उस बात पर भी आऊंगा। मैं चाहता था, मेरा नाम नहीं घसीटते तो अच्छा था लेकिन उन्होंने घसीटा, मैं उसके बारे में कहूंगा, बाद में कहूंगा।

इतना ही कहना चाहता हूं, आपके प्लान्स की फिर बात पर आता हूं। हैलिश स्टेट सब की सब नगर परिषदों के चुनाव आपने कराये नहीं हैं सिवाय जोधपुर के। नगर परिषद के चुनाव क्यों नहीं करा रहे ? जो आपके अधीन, पराधीन, शासित हैं नगर परिषद वाले, इन सबकी हालत बद से बदतर होती चली जा रही है। लोग रहते हैं वह आपको दुआयें नहीं देते, वह गालियां देते हैं। अपने बीस सूत्री कार्यक्रम को वहां देखिये, मुझे तो लगता है कि बीस सूत्री कार्यक्रम अपने में अच्छा हो सकता है, अगर पूरी तरह ईमानदारी से लागू किया जाय। लेकिन यह प्रोवर्बियल फिगलीफ है, सारे गुनाहों को छिपाने के वास्ते एक फिगलीफ लगाया जाता है, अपने नंगेपन को छिपाने के लिये एक फिगलीफ है, वह काम आपका 20 पाइन्ट प्रोग्राम कर रहा है। बार-बार 20 पाइन्ट प्रोग्राम की यहां पर चर्चा करते हैं। मेरी राय में तो यह है कि आपके जो गुनाह और कमियां हैं उनको छिपाने के लिये आप इसका इस्तेमाल करते हैं। आइये, come down to us. आखिर आप लोग करिये, मैं कोई यह नहीं चाहता कि कंट्री में किऑस हो, मैं नहीं चाहता कंट्री में स्टेबल गवर्नमेंट नहीं हो, मैं नहीं चाहता इस्टेबिलिटी न हो। मेरा वैसे बड़ा इन्ट्रेस्ट है। नौजवानी के आलम में इसी भावना में, इसी आकर्षण ने, इसी उद्देश्य ने, इसी आइडियोलोजी ने मुझको घसीटा था और मैं उस आइडियोलोजी को छोड़ने को तैयार नहीं हूं। जो भावना 1942 में थी, बल्कि 1921 से 1930 से लेकर 1942, 47 में थी, उसके बाद 65-66 में थी वह भावना आज कहां है ? वह जो हेरिटेज हमको मिला था, कहां है ? कहां हैं वह सिद्धान्त, कहां है वह मूल्य ? इसलिये तकलीफ होती है। मैं समझता हूं, वृजसुन्दरजी को भी तकलीफ होती होगी जो मुझे होती है क्योंकि....

(व्यवधान)

भाई, देखिये, मेरी बात सुनिये, मैं आपकी बात के बीच में नहीं टोकता, आप

(श्री राजबहादुर)

मुझे मत टोकिये मेरे पास समय बहुत सीमित है और मुझे उसी में खतम करना है तो मैं आपसे विनती करूंगा कि जहां तक इन बातों का प्रश्न है आप देख लें खुद कि नगर परिषदों के चुनाव क्यों नहीं करा रहे हैं ? डर के मारे नहीं करा रहे हैं कि हमारी पार्टी जीत न पाये, हालत खराब हो रही है और आप लोगों ने क्वेक वे लिया है कि साहब, पंचायतें हमारी हो गई हैं, पंचायत समितियां हमारी हो गई हैं। मुझे इसमें वह कोई नहीं है लेकिन, टाउन्स के लिये कोई मॉडल टाउन प्लानिंग एक्ट नहीं है । और जाने दीजिये, सेन्ट्रल गवर्नमेंट से आदेश आया, हमारे रामनिवास जी मिर्धा मंत्री हैं, सिंचाई के केन्द्र में उनका आदेश था, फ्लड कन्ट्रोल गंगा बोर्ड में उन्होंने भाषण दिया और आदेश भी दिया कि मोडल बिल भेजा गया फ्लाड कन्ट्रोल का और यूटिलाइजेशन आफ फ्लड वाटर्स का, उसको पास करके भेज दीजिये । why are you not doing it. 10 वर्ष से पड़ा हुआ है आपके यहां 4 वर्ष अबके हो गये, 6 वर्ष पहले हो गये, लेकिन पड़ा हुआ है । मोडल नहीं बिल पास होकर नहीं आता फ्लड कन्ट्रोल के लिये और फ्लड क्वाटर्स के यूटिलाइजेशन के लिये जिसमें आपका वेस्टेड इन्ट्रेस्ट है, फ्यूचर है जिसमें उसको आप पास करके नहीं भेजते हैं, why and what for ? एक बात जानना चाहता हूं मैं, सारे कन्ट्री में, मैं कोई तंगदिली की दृष्टि से नहीं कहता, लेकिन घर-घर में, ठाकुरों के यहां मन्दिरों में, मिठाई, दूध की मिठाई छोड़कर चढ़ना बन्द हो गई । क्यों ? क्योंकि लोगों को इसमें शुबाह हो गया कि इसमें गाय की चर्बी है । मस्जिदों में शुबाह हो गया कि इसमें सूअर की चर्बी है । और यह फैक्ट है कि वनस्पति की सबसे बड़ी फैक्ट्री कानपुर में है जो पब्लिक सैक्टर में है । आपने इस अभिभाषण में या कहीं भी संकेत नहीं है कि लोगों को वहम को दूर करने के लिये या भावना को दूर करने के लिये आपने क्या कोई कदम उठाये, क्या कोई स्टेप्स लिये खाद्य मन्त्रीजी इस बात को देखें, स्वास्थ्य मन्त्रीजी देखें या जिस किसी का हो वह देखें ।

एक बात है मैं तो कोई पक्ष में नहीं था, गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट्स क्लर्कस उनको 15 डेज सलेरी का बोनस मिले । किस बात का ? एक पिक्यूलर करेक्टर होता है बोनस का । हम चाहते हैं कि जो औद्योगिक हमारा लेबर है, इण्डस्ट्रियल फोर्स हैं उसका भी उत्पादन बढ़े, उनकी उत्पादकता बढ़े तो बोनस मिलना चाहिये । यहां पर आपने क्लर्कस को कर दिया लेकिन चूंकि आप कर चुके हैं और केन्द्र से हुआ है इलेक्शन ईअर में हुआ है, इसलिए आपने नहीं किया है लेकिन केन्द्र ने किया है औरस्टेट्स ने किया है, आप इस मांग से बच नहीं सकते और मैं भी कहता हूं कि बाकी सब जगह हुआ है तो यहां भी होना चाहिये । मैं भी यह कहता हूं कि अगर आपने सब जगह किया है तो यहां भी होना चाहिये । क्यों नहीं हो ? क्या वजह है ? यह डिस्क्रिमिनेशन क्यों ? उन्हें बेनिफिट क्यों नहीं देते ? खैर आप जवाब दे दीजिये जब बजट पेश करें उसके बाद दे दीजिये, मैं सवाल फिर उठा दूंगा। और स्टेट को है, बड़ी तारीफ है, यह हो रहा है, वह हो रहा है अखबार में खबर निकली

(श्री राजबहादुर)

है, इसे मुख्य मन्त्रीजी जब कभी भाषण देंगे वह। कई स्टेटस ने ऑर्डर कर दिये हैं कि 12 फरवरी तक जो बिल आते हैं किसी स्टेटस के भी उसको ऑनर नहीं किया जाय, 15 फरवरी के बाद कोई पेमेन्ट नहीं हों। अगर यह ठीक है....

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वित्त मन्त्री) : गलतफहमी है, यह कहा है, मैंने भी देखा है

टाइम्स ऑफ इण्डिया,

12 फरवरी के बाद

श्री राजबहादुर : अखबार में यही है, मैं आपको कटिंग पेश कर सकता हूं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : गलतफहमी है, टाइम्स ग्राफ इण्डिया में 12 फरवरी के बाद परचेंज की बात है केवल बिल को रोकने की ग्रौर बिल को चुकाने की कहां बात है।

श्री राजबहादुर : Thank you for the clarification.

लेकिन मुझ जैसा आदमी, जो अखबार को गौर से पढ़ लेता है पढ़वा लेता है इसकी कोई चिन्ता की बात नहीं....

श्री चन्दनमल बैद (नहर परियोजना मन्त्री) : अखबारों में तो बहुत सी बातें गलत निकलती हैं।

श्री राजबहादुर : देखिये आप अखबार वालों से मत कहिये इस बात को, वर्ना वोट नहीं मिलेंगे। बड़ा खिलाफ प्रोपेगेन्डा होगा। यदि आपने कह दिया तो। अगर आपने कह दिया अखबार में बहुत सी बातें गलत निकल जाती है यह कहिये तो बड़ी होशियारी से कहिये।

श्री चन्दनमल बैद : यह बात तो गलत है।

श्री राजबहादुर : पी. एम. ने डाइरेक्टिव दिया है, प्लान एक्सपेन्डीचर पर फाइव परसेन्ट ग्रौर नॉन-प्लान में थ्री परसेन्ट कट कर दीजिये। यह क्यों? बेन रिक्रूटमेन्ट पर, कर दीजिये। यह क्यों? इन्फ्लेशन मेजर्स लिये जाते हैं, जब यह होता है। तो यह एक कन्फ्यूजन जो सारे देश में फैल रहा है इकानामी के ऊपर, मुझे बहुत खेद है, इस वक्त मिस्टर रामनारायण नव निर्वाचित यहां नहीं हैं। अगर वे होते तो मैं उनकी शंकाओं को, उनकी गलतफहमियों को दूर करता। भई मैंने कांग्रेस कभी नहीं छोड़ी। वे समझते हैं कि मैंने टोपी पहनी। इसलिए टोपी अगर पहने हुए हूं तो मैं बहुत ही ईमानदारी के साथ और हलफिया कहता हूं कि मैंने इस टोपी पर धब्बा नहीं दिया। अच्छा यहां बात आई कि साहब, मैं विरोधी एलाइन्सेज में था मैं सिद्धान्त कि बात करता हूं। तो सिद्धान्त कि बात कहां रही। सिद्धान्त के बारे में तो मैं कह दूं कि हाल ही में ही नहीं कुछ दिन पहले, गांधीजी ने कहा था सन् 21 में बहुत दिन पहले और राजाजी ने कोट किया था, वह कोट किया Politics without principles, wealth without work, pleasure without conscience, knowledge without character, commerce without morality, science without humanity

(श्री राजबहादुर)

and worship without sacrifice, इनका कोई मूल्य नहीं होता। फिर उन्होंने पब्लिक स्टेण्डर्ड जो गिरे हैं उसके बारे में तो और भी भयंकर रूप से कहा है। आज पॉलिटिक्स का हाल क्या हो गया है। Politics has lost all its ideological contents. सारा जो आदर्शवाद था पालिटिक्स में वह खतम हो गया। और मोरल जो था वह नहीं रहा। It has become profession, not a mission. किसी जमाने में राजनीतिक कार्यकर्ता एक मिशनरी होकर निकलता था, आज तो हम पेशेवर होकर निकलते हैं। सबको अपने पेशे का ख्याल है, सबको अपना यह ख्याल है, कहां से टिकट मिलेगा, कहां से वोट मिलेंगे, कहां से क्या होगा। आज मिशन कहां है, कौनसी चीज है जो आपको उद्वेलित रही है, कौनसा मिशन है आपके सामने? इसलिए जहां यह बात आती है वहां यह मानना पड़ता है कि It has become a profession and a source of livelihood. मैं कहना चाहता हूं, बहुत ही अदब के साथ कि सिद्धान्त की बात होती तो अरूण शौरी ने जो इतनी लम्बी-लम्बी, इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिज्म के द्वारा अरुण शौरी का तो आपने नाम सुना होगा, अन्तुले ट्रस्ट काण्ड का उन्होंने कुछ खुलासा किया है, उसके बारे में कांग्रेस (आई) का एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो इसको कण्डेम कर दे। यह कम्पलेन्ट नहीं है, यह एक बड़ा मौलिक सत्य है कि इतनी बड़ी पार्टी कांग्रेस (आई) मेंकन्याकुमारी से लेकर काश्मीर तक एक आदमी नहीं मिला कि जिसने कण्डेम किया हो कि, भई तुमने गलती की है, ट्रस्ट बनाकर गलत इस्तेमाल किया है, ट्रस्ट बनाकर बेइमानी की है। यह हुआ, वह हुआ, करप्शन हुआ। और साहब उनकी बात जाने दीजिये, जिस प्रकार से यह पालिटिकल होर्स ट्रेडिंग हुआ है हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश में, यह कोई मोरेलिटी है? जो पॉलिटिकल होर्स ट्रेडिंग हुआ आसाम में, यह कोई मोरेलिटी है? और हम जैसे पुराने आदमी जो मिजाज के जरा कड़वे हैं और कड़े हैं, कड़वे तो नहीं, कड़े हैं वह किससे कम्प्रोमाइज करें? मैं सारी बातों में जाना उचित नहीं समझता हूं जैसा बी जे पी वाले कहते हैं या लोकदल वाले कहते हैं लेकिन, साहब, राष्ट्रीय एकता की बात है। और जहां राष्ट्र और डेमोक्रेसी की बात है वहां सब पार्टियों को एक होना चाहिये, ऐसा मैं मानता हूं, और अगर वे वह सिद्धान्त मानते हैं या वह आइडियोलाजी मानते हैं जिससे हम लोग उद्वेलित हुए। अब मेरी बात सुनिये क्यों छोड़कर निकले, क्यों मजबूर हुआ? मुझ जैसा आदमी इसलिए कि मैंने सोचा कि सारा घटाटोप अन्धेरा है लेकिन अगर एक हल्का सा छोटा सा दीपक जलता रहे? अपनी कान्शस का जो, मैं समझता हूं, घटाटोप अन्धेरे को चीर देगा। मुझे भविष्य के लिए आशा नहीं है। Neither hope for posterity, nor pride of ancestory. न तो आने वाली नस्ल के लिये मुझे कुछ आशा करनी है और न मुझे प्राइड है इस बात का कि हमारी एनसेस्टरी क्या थी। मैं जानना चाहता हूं, और कहना चाहता हूं। अगर

(श्री राजबहादुर)

सिद्धान्तों का इसी प्रकार से हनन होता रहा, अगर आदर्श और मूल्य जैसी चीजें हमारे जीवन से विलुप्त होती चली गई, अगर साम्राज्य जातिवाद और भ्रष्टाचार रहा तो एक दिन ऐसा आयेगा कि ब्लडियेस्ट क्रान्ति के अलावा और कुछ नहीं होगा। There is no other remedy for it.

श्री अध्यक्ष : शास्त्रों में भी ऐसा ही लिखा हुआ है।

श्री राजबहादुर : मैंने शास्त्र नहीं पढ़े, मुझे ध्यान नहीं है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपने शास्त्रों का भी कह दिया। लेकिन मैं कोई उस भावना से नहीं कह रहा हूं, मैं कोई ऋषि नहीं बन रहा हूं, न मैं कोई भाषण, रिलीजस प्रीचिंग कर रहा हूं। मैंने तो अपने मन की बात कही है, मन में जो हिलोर उठी, वह मैंने कह दी। अगर मैंने अनुचित कहा हो तो, अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपसे माफी मांगता हूं अगर मैंने गलत बात कही है। मैंने तो खाली मन से उठी हुई बात कही है।

श्री अध्यक्ष : मैंने भी मन से ही कही थी और कोई किसी धारणा से या किसी उद्देश्य से नहीं कही।

श्री राजबहादुर : कल मुझे एक मित्र मिल गये, कवि हैं, एडवोकेट भी हैं, उन्होंने मुझे कुछ लाइनें कहीं। मैंने वह लिख ली। उन्होंने कहा, वक्त कुछ ऐसा ही है सहन करते जाओ, लो गुनाहों को कबतक सहन कराओ। गुनाहों का अनप्रिंसिपल्ड करेक्टर था, उसूलों के शूलों में फंसते हो नाहक, सिद्धान्त में फंसते हो नाहक, उसूलों के शूलों में फंसते हो नाहक, स्वाभिमान को फिलहाल कहीं रहन कर आओ।

तो आज का जमाना यह आ गया, यह एडवाइज मुझे राजेन्द्रजी के शब्दों में मिल पाई। मुझे बड़ा अफसोस है कि मैं इसे भूल नहीं सकता। उन्हीं में दो लाइनें और भी मिलीं, मुझे बहुत पसन्द आई यह कि वाकई समय तो ऐसा ही है। उसूलों के शूलों में क्यों फंसते हो। लेकिन जिन्होंने सर अपना हथेली पर रख कर हमेशा जीवन का एक उसूल बनाया था उसे कैसे भूल जायें। उन्होंने चिड़िया का कहा था, सोने की चिड़िया का, मुझे जो दो लाइनें दीं वे बता दूं आपको :

इस दुनिया में राज बहुत हैं,
इस दुनिया में साज बहुत हैं,
घर से बाहर जाकर देखो,
चिड़िया कम हैं बाज बहुत हैं।

इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर मुझे आप पागल समझते हैं तो पागल ही रहने दीजिये।

इन्हीं बिगड़े दिमागों में घने खुशियों के लच्छे हैं।

हमें पागल ही रहने दो कि हम पागल ही अच्छे हैं।

धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती विद्या पाठक ।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कल 5 मार्च को राज्यपाल महोदय का अभिभाषण सदन में हुआ । हम लोगों ने तो उस का बहिष्कार किया था और उसके कुछ कारण थे परन्तु राज्यपाल महोदय की गरिमा का जिस तरह से सरकार ने ह्रास किया वह स्वयं में एक इतिहास की बात है । सन 1980 के बाद में कांग्रेस की वर्तमान सरकार सत्ता में आयी तो जैसा ह्रास अभी हुआ वैसा पहले कभी नहीं हुआ । गत वर्षों में कभी तो इन्होंने राज्यपाल महोदय को बैठकर भाषण देने के लिये कहा । कभी उन्होंने, लिखे हुए भाषण को पढ़ा हुआ मान लिया जाय । ऐसा करके पढ़ने से मना किया, लेकिन इस बार तो इन्होंने हद ही कर दी ।

(3.31 म. प.)

(श्री हरिसिंह, सभापति, पदासीन)

निर्धारित समय से दो मिनट पूर्व, विपक्ष के न होते हुए भी, प्रेस के न होते हुए भी और सत्ता पक्ष के स्वयं के मन्त्री और विधायकों के न होते भी राज्यपाल महोदय का भाषण शुरू करवा दिया और सारे भाषण को आधा घन्टे में समाप्त करवा दिया । इस प्रकार राज्यपाल महोदय को वर्तमान सरकार ने आल परपज बना रखा है । चाहे वह झाड़ू लगाने से लेकर पेयजल की योजनाओं के उद्घाटन के लिए बुलवाना और फिर उनको अपमानित करना, अनेक उद्घाटन भाषण करवाना और अब सदन में निरर्थक और बेमानी भाषण करवाना आदि सभी कुछ राज्यपाल महोदय से सरकार करवाना चाहती है । यह दूसरी बात है कि इस सारे प्रोसेस में राजमहल का बजट बहुत अधिक बढ़ गया है परन्तु उसकी चर्चा यहां पर नहीं हो सकती है क्योंकि वह चार्ज्ड बजट है । उसकी चर्चा हम यहां पर नहीं करना चाहेंगे यद्यपि यह विषय चर्चा का सरकार में जरूर बना हुआ है । तो राज्य सरकार के लिये यह तो आवश्यक है कि कम से कम राज्यपाल महोदय के पद की गरिमा और सोवराइटी को बनाये रखें ।

बजट में कहा, तो बजट में कहने सुनने के लिये कुछ भी ऐसा नहीं है जिसका कोई मैन्शन किया जा सकता हो । और हो भी नहीं सकती थी । केवल 20 सूत्री कार्यक्रमों का गुणगान किया गया है, रोजगार उपलब्धि के कार्यक्रमों की सफलता की चर्चा की गई है, गरीबों की सहायता की शेखी बघारी गई है । इन तीनों की निष्फलताओं की चर्चा मैं अपने आगे आने वाले शब्दों में करूंगी । यह जरूर है कि राज्यपाल महोदय भूतपूर्व सैनिक हैं उनके सम्मान में, उनको प्रभावित करने के लिये सैनिकों को कुछ इनसैन्टिव देना, उनके उद्धार के लिए, उनकी भलाई के लिये काम करने की कुछ घोषणायें अभिभाषण में हैं । परन्तु ऐसी सरकार जिसमें विभाग में सैनिक बोर्ड 1982 का सैकेट्री भी नहीं हो, ऐसी सरकार जो यह कहे कि जिस सरकार में भूतपूर्व सैनिकों को पद दिये जायेंगे

(श्रीमती विद्या पाठक)

और अधिक से अधिक आरक्षण दिया जायेगा साढ़े 12 प्रतिशत से बढ़ा कर 15 प्रतिशत और 20 प्रतिशत कर दिया। परन्तु वह पद कितने भरे गये। इसकी जानकारी सरकार को नहीं है। आर. एस. ई. बी. जैसे महत्वपूर्ण संस्थान में भी, यह स्वाभाविक था कि जो चौकीदार लगा हुआ है वह भूतपूर्व सैनिक होता पर वहां भी एक प्राइवेट व्यक्ति लगा हुआ है।

इसी तरह भूतपूर्व सैनिकों की चिकित्सा के विषय में भी अभी परसों के पेपर में था कि उन्हें सुविधायें दी जायेंगी। परन्तु गांवों के अन्दर रहने वाले भूतपूर्व सैनिकों और उन के परिवारों की क्या व्यवस्था है, इसके बारे में सरकार ने कोई चिन्तन नहीं किया है। सैनिकों की विधवाओं को पेंशन की भी बहुत चर्चा की गयी है। विधवाओं की पेन्शन में भी दो स्केल हैं आज भी। 1964 के पूर्व के सैनिकों की विधवायें हैं उनकी डिफरेन्ट स्केल है उसके बाद की जो विधवायें हैं उनकी डिफरेन्ट स्केल है। जयपुर में सैनिकों के विश्राम गृह के लिये 600 वर्ग गज भूमि अलाट की गयी थी। सैनिकों ने उसकी बाउण्ड्री भी बनवा ली थी। यह लोग आफिस के लिये थी उसमें साइन बोर्ड भी लगा हुआ है, तार भी लगे हुए हैं, पोल्स भी लगाये हुए हैं। जे. डी. ए. ने बिना किसी नोटिस दिये ही उन सब को तोड़ दिया। यह अलोटमेन्ट का प्रलोभन भी सम्भवतः राज्यपाल महोदय को प्रसन्न करने के लिये दिया हो, ऐसी हमारी मान्यता होना स्वाभाविक हो सकती है।

रोजगार के विषय में राजस्थान सरकार ने बहुत गुणगान किये हैं। मेरे से पूर्व वक्ता और प्रस्तावक और समर्थक, राजस्थान सरकार गरीबों को जो रोजगार उपलब्ध करवाना चाहती है, करवा रही है, ने उसकी बहुत चर्चा की। ऐसी सरकार जिसकी परिपाटी, संस्कृति, परम्परा सिर्फ नाम बदलना, और इसी तरह की क्रियाओं तक सीमित रही है, उन्होंने अन्त्योदय योजना का भी नाम बदल कर आई० आर० डी० पी० कर दिया। आई. आर. डी. पी. योजना के अन्तर्गत समस्याओं में चयन होना बताया जाता है परन्तु एक ग्राम सभा के मुख्यालय पर चयन होता है ग्राम सभा जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। जबकि सारे लोग पंचायत में एक जगह पर एकत्रित हों, ऐसी भी कोई व्यवस्था नहीं है, सूचित किया नहीं जाता। जितने लोग एकत्रित होते हैं ये वही लोग होते हैं जिन्हें पटवारी और अधिकारियों द्वारा पहले ही चयनित कर लिया जाता है। सिर्फ चयनित लिस्ट को ही कन्फर्म कराया जाता है। पचायत हैडक्वार्टर पर भी वही इन्ट्रेस्टेड लोग आ पाते हैं जिनको कोई सुविधा दी जानी है। यह व्यवस्था है कि पांच हजार रुपये तक के लोन उनको बिना गारण्टी के दिये जाने चाहिये परन्तु आज के दिन सारे बैंक उनसे गारण्टी मांगते हैं। इस योजना के कारण जितना भ्रष्टाचार गांवों में फैला हुआ है, जितना राजनैतिक अनाचार गांवों में फैला हुआ है, जितना भेदभाव और जितनी राजनीतिक निरंकुशता फैली हुई है उससे गांवों में असन्तोष और भ्रष्टाचार अधिक फैला है। उनका लाभ कुछ नहीं हो पाया।

आंकड़ों की बहुत लम्बी चौड़ी चर्चा की

(श्रीमती विद्या पाठक)

गयी पर यह आंकड़े आधारित किस पर हैं। जो सरकारी रिकार्ड में आंकड़े इन्हें उपलब्ध कराये जाते हैं उसी पर आधारित होते हैं। फील्ड में उसका कितना प्रोपर यूटिलाइजेशन हुआ है, कितना मेटीरियलाइजेशन हुआ है, इसका कोई भी टैक या कोई भी व्यवस्था वर्तमान सरकार के पास नहीं है। बैंक में जब आई. आर. डी. के लोन की सब्सिडी पहुंच जाती है तो एक परचेज कमेटी है जो स्वयं एक भ्रष्टाचार का अड्डा है। परचेज कमेटी के माध्यम से उन लोगों को जानवर, गाड़ियां इस तरह की चीजें परचेज करवायी जाती हैं जितने पैसे में गाड़ियां या जानवर आते हैं और जितने पैसे के लिये यह लोग एप्लाई करते हैं उस अमाउन्ट को रिड्यूस करके आधा कर दिया जाता है और उस आधे अमाउण्ट में न तो वह जानवर और न वह गाड़ियां उपलब्ध हो सकती हैं। नतीजा यह होता है कि गाड़ियां और जानवर सिर्फ हैण्ड्स बदलते हैं। इसके बाद जब कभी सरकारी अधिकारी वहां पर इनके वेरीफिकेशन के लिये जाते हैं तो या तो उनको कह दिया जाता है कि हमारी भैंस चरने गयी है या अन्य कोई बहाने बना दिया जाते हैं। तो यह सारे परचेज फेक हैं, इन में सिर्फ हैण्ड्स बदले जाते हैं। समय से और कमेटी पूरी फार्म होकर परचेज करवाती हो, ऐसा नहीं है अलग-अलग समय पर कभी बी डी. ओ. जाते हैं तो वह एक काम कर आते हैं कभी बैंक वाले जाते हैं तब लोन दे आते हैं, कभी अधिकारी जाते हैं तो जानवरों की जांच कर आते हैं तो यह एक ऐसा इनको हैरेण्ट प्रोग्राम है जिसको सुव्यवस्थित या वैल प्लाण्ड प्रोग्राम नहीं कहा जा सकता है। समय पर लोन मिलते नहीं हैं इससे जिन लोगों से गाड़ियां या पशु खरीदे जा सकदे हैं वह जानवर बेचने वाले वापस ले जाते हैं कि तुम हमारा पेमेण्ट नहीं कर पाये। इस प्रकार की कई शिकायतें जयपुर जिले के अनेक स्थानों की विभागों को पहुंची हुई हैं। जैसा मैंने अभी निवेदन किया, कीमत भी जितने के लिए उन्होंने एप्लाई किया, उससे कहीं कम रिड्यूस करके देते हैं। जितने जानवर गांव में नहीं, पंचायत में ही नहीं हैं उतने जानवर रिकार्ड पर हैं कि वह एलाट किये हुए हैं।

चाकसू के अनेक गांव इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। नतीजा यह होता है चूंकि 50% सब्सिडी होती है अतः जो लोग लोन लेते हैं वह सब्सिडी तो खा जाते हैं और बाकी जो अमाउन्ट होता है वह अधिकारी और समिति के मैम्बर्स के साथ मिलकर शेयर कर लेते हैं। इस योजना को जयपुर जिले का 82-83 में सर्वे किया गया। यह सर्वे इन्स्टीट्यूट आफ डेवलपमेण्ट स्टडीज ने किया। उस सर्वे के अनुसार केवल 65 प्रतिशत ही इसका यूटिलाइजेशन हुआ। बाकी रहा 35 प्रतिशत और वह भी जयपुर जिले में जो कि राजधानी होने के नाते प्रमुख केन्द्र है, जिसका प्रभाव है, जिसका अधिकारियों से सम्पर्क और जिसकी निगरानी भी बेटर रखी जा सकती है। यह जयपुर जिले की हालत है तो फिर बाकी सुदूर क्षेत्रों की क्या हालत होगी, यह एक विचारणीय विषय है।

इसी तरह एक अन्य योजना है जिसके

(श्रीमती विद्या पाठक)

अन्तर्गत रूरल फारमर्स को ट्रेनिंग दी जाती है और रोजगार के साधन उपलब्ध कराये जाते हैं।

यह लोग ट्रेनिंग सेंटर के अन्दर ट्रेनिंग तो लेते हैं पर रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है। बिलो पावर्टी लाइन वाले जिन लोगों को छांटा जाता है, यह स्वयं में एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि यह बिलो पावर्टी लाइन है क्या। इन्होंने, जिसकी आमदनी 700 रुपये प्रति वर्ष हो उसको गरीबी की रेखा के नीचे मान लिया है। पर फिजिकली, जिसकी 700 रुपये वार्षिक इनकम है वह सरवाइव कर सकता है क्या? इसीलिए योजना आयोग के उपाध्यक्ष माननीय श्री चह्वाण नें कुछ दिन पहले यह सवाल रखा था प्लानिंग कमीशन के सामने कि गरीबी की रेखा को डिफाइन तो किया जाए। बिना डेफिनिशन के हो इस तरह पैसा पोडेर-ड्रन करने वाली जो योजनाएँ चल रही हैं, यह जनता के धन के साथ विश्वासघात है।

ट्राइसम योजना अलग-अलग संस्थाओं के द्वारा चलायी जाती है। इसमें सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार पंचायत समितियों के माध्यम से जो ट्राइसम योजनायें चल रही है उनके अन्दर होता है। इसमें तीन ट्रेनिंग पर एक-एक टीचर या इस तरह के कुछ अनुदेशक रखकर यह योजना केवल सिलाई के स्कूल और सिलाई की मशीनें उपलब्ध करवाने और उसके बाद सिलाई की ट्रेनिंग देने तक ही सीमित है। इस योजना की सफलता का यहीं से पता चलता है कि आमेर पंचायत समिति में सितम्बर-अक्तूबर, 1983 में ट्राइसम के लिये टेलीविजन टीम गई, साथ में पत्रकार और स्पेशल स्कीम के सेक्रेट्री भी थे। वहां जिन्होंने मशीनें प्राप्त की थीं जिन्होंने ट्रेनिंग प्राप्त की थी जिस तरह से उन ट्रेनिंग प्राप्तकर्त्ताओं ने इन अधिकारियों को परेशान किया और टेलीविजन टीम के सामने जिस तरह का भद्दा सीन प्रस्तुत किया यह स्वयं में इस बात का सबूत है कि जनता इसको किस तरह से वेलकम करती है, या कितना निरर्थक समझती है। इसी तरह से जमवारामगढ़ और झोटवाड़ा पंचायत समिति में भी सिलाई की मशीनों की खरीद की अनेक घटनायें आज भी विभिन्न दफ्तरों में रजिस्टर्ड हैं। इस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही।

इनकी एक दूसरी योजना भी जो ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराती है वह है much alkved N. R. E. P. यह फूड फार वर्क का दूसरा वर्शन है, नाम बदल दिया गया है। इसके अन्तर्गत 50 प्रतिशत मैटिरियल और 50 प्रतिशत लेबर कास्ट इसमें दी जाती है। इन सारी योजनाओं में इनके कार्यकर्त्ता और लोग यह मांग कर रहे हैं कि इसमें अनाज जो यदि कहीं दिया जा रहा है तो उसकी जगह केवल पैसा दिया जाए। कारण साफ है कि पैसे में ट्रांजेक्शन आसान होता है, और अनाज में उसकी सुरक्षा, रख-रखाव और लाने ले जाने में बहुत बड़ी समस्या रहती है। इस एन. आर. ई. पी. योजना के अन्तर्गत ज्यादातर मिडिल स्कूल बनवाये गये हैं। इसमें भी

(श्रीमती विद्या पाठक)

गड़बड़ी होती है। इन स्कूलों में जितना मैटीरियल कम्पोनेंट लगता है, मैटीरियल कम्पोनेंट कम बताकर, लेबर कम्पोनेंट ज्यादा बताकर, एक-एक आदमी की 6 जगह हाजिरी भर कर इस योजना में पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। इसमें धन की कोई सीमा नहीं है। केवल स्वीकृतकर्त्ता के बन्धन जरूर है कि पंचायत समिति पचास हजार कर सकती है, जिलाधीश डेढ़ लाख तक कर सकते हैं और उससे ज्यादा की स्वीकृति सरकार से आयेगी। परन्तु चाहे कितना ही काम करवाया जाए, कन्स्ट्रक्शन वर्क, उसके लिये पैसे की कोई सीमा नहीं है। पी. डब्ल्यू. डी. में जब थोड़ा सा पैसा लगवाकर कन्स्ट्रक्शन करवाता है तो उसके पहले उसका एस्टीमेट बनवाते हैं उसकी फ़िजिबिलिटी बनवाते हैं, कास्ट वगैरह असैस करवाते हैं मगर इस योजना में तो इतना पैसा किस काम के लिए, कब, किसके माध्यम से गया, इसका आज तक सरकार के पास या डी. आर. डी. ए. के पास कोई रिकार्ड नहीं है। एक पंचायत में, मान लिया जाए आठ काम रखे हैं और पूरी पंचायत समिति में केवल एक जे. ईएन. रखा है। वह इतना जूनियर होता है, इतने कम अनुभव का होता है कि न तो वह सब जगह जाकर नींवों को देख सकता है, न भवन का मैटीरियल चैक कर सकता है, न प्रॉपर प्लेसमेंट टेक्निकली उसका है या नहीं, यह बता सकता, मगर यह सारी योजनायें चल रही हैं। जे. ईएन. भी कुछ एक-डेढ़ साल पहले ही इन कामों के लिए रखा गया है जो न सुपरवाइज कर सकता है, न हिसाब रख सकता है, न एक्सपर्ट ओपीनियन दे सकता है। इस तरह यह योजना भी फिजिकल वैरिफिकेशन, मेटीरियल टैस्टिंग, सैम्पल चैकिंग, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट सब के बिना चल रही है अर्थात बिल्कुल अन्धेर खाता है और इसका सारा पैसा गटर में जा रहा है। कितनी योजनायें कम्पलीट हो गईं, इसका जवाब सरकार से पूछ लीजिए, जयपुर जिले स्वयं का ही तो विभागों में भी नहीं है कितना पैसा गया, इसका है मगर कितना पैसा यूटिलाइज हुआ, इसका कोई रिकार्ड नहीं है। इनमें गांवों में राजनीति का अपना महत्वपूर्ण योग रह रहा है। आज भी बेरोजगारों की संख्या में कमी नहीं हुई है, लोग शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। इसका भी एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। कोई तीन साल पहले प्राइमरी बैंक जो था, प्राथमिक भूमि विकास बैंक के अध्यक्ष महोदय ने करीब चार लाख रुपये डी. आर. डी. ए. से लिये। भूमि विकास के लिए जो सहकारी समिति बनानी है उस सहकारी समिति के मैम्बर्स के लिए शेयर केपिटल देनी है उस चार लाख रुपये का आज तक, पिछले तीन सालों में न तो यूटिलाइजेशन भेजा गया है, न उसका हिसाब भेजा गया। विभाग बार-बार उसके लिए लिख रहा है मगर अध्यक्ष महोदय की मार्फ़त गया हुआ वह मनी, वह पैसा कहां गया, इसका विवरण न है और न वह देना चाहते हैं।

इसी तरह दूसरी योजनायें जैसे माडा योजना और अन्य योजनाओं में जो काम हो रहे हैं उसके लिए विधान सभा के सदस्यों को और सम्बन्धित मंत्री महोदय को कहना

(श्रीमती विद्या पाठक)

चाहती हूं। वस्सी जिले में चित्तोड़ी, बावड़ी और झर तीनों जगहों के एनिकट देख लीजिये। क्या उनका स्थान, उनका बनाने का तरीका, उसमें मेटीरियल कम्पोनेंट कितना जरूरी था क्या जरूरत के मुताबिक बना है या। नहीं इस प्रकार अलग-अलग अनुपयुक्त स्थानों पर अधिकांश पैसा बिलकुल वेस्ट जा रहा है। झर में आश्रम स्कूल बना है लड़कियों का। बहुत जरूरी है आदिवासी लड़कियां पढ़ती हैं, आश्रम स्कूल होना उनके लिए बहुत जरूरी है। पर आबादी से साढ़े तीन किलोमीटर दूर जाकर आश्रम स्कूल बने तो यह पैसे का वेस्टेज भी है और लड़कियों की सेफ्टी के लिए भी ठीक नहीं है। इसी प्रकार माडा योजना के अन्तर्गत पिछले वर्षों में 480 कुएं स्वीकृत हुए। लेकिन वर्तमान में केवल 20 कुएं ही बने हुए हैं और शेष कुओं की सब्सिडी उठ गयी, पैसा उठ गया, सारा पैसा खर्च हो गया, मगर कुएं नहीं बने। कई स्कूल बने, उनका पैसा भी उठ गया। मगर इस तरह के कई काम पिछले तीन सालों से अदालतों के स्टे में अटके पड़े हैं और सरकार उनको वेकेट नहीं करवा पा रही। रोपाड़ा में स्कूल के लिए लैण्ड अलाट कर दी। उसके बाद कलेक्टर महोदय ने वही लैण्ड भट्टों के लिए अलाट कर दी। यह भी माडा योजना के अन्तर्गत है, मामला जब दोनों के झगड़े का हुआ तो दो साल से स्टे आया हुआ है और वह स्कूल कम्पलीट नहीं हो पाया। पैसा उठ गया सब्सिडी उठ गयी।

इसी तरह से एक योजना आर. एल. ई. जी. पी. की है, रूरल लैण्ड लैस गारण्टी एम्प्लायमेंट 1983 से यह 100 दिन की गारण्टी स्कीम बनी हुई है जिसकी अभी चर्चा हो रही थी। तीन विभिन्न एजेन्सियां इसको बनायेंगी, पी. डब्ल्यू. डी., अण्डर एक्सपर्ट सुपरविजन आफ द टेक्नोक्रेट्स् सोशल फोरेस्ट्री की भी योजना उनके पास तैयार है। तीसरा जो मेजर अमाउन्ट खर्च होगा वह भी डी. आर. डी. ए. के अन्तर्गत होगा। मगर वह ट्राईसम, एन. आर. ई. पी., आई. आर. डी. पी. इन्हीं की तरह और उसी रास्ते से पैसा खर्च होगा और इतना ही इसमें पिलफ्रेज होगा।

बायोगैस, गरीबों की सुरक्षा, गरीबों को साधन उपलब्ध कराने के लिए एक आल्टरनेट सोर्स आफ एनर्जी के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया गया। उसके अन्तर्गत 318 बायोगैस 1982-83 तक जयपुर में होने बताये गए। फिजीकली देखा जाय तो जयपुर जिले में आज के दिन 18 बायोगैस प्लाण्ट भी नहीं हैं। झोटवाड़ा पंचायत समिति के रिकार्ड्स हैं कि लगभग 200 बायोगैस प्लाण्ट लगे हैं। वह बी. डी. ओ. महाशय, जिनको राजनीतिक संरक्षण वहां के प्रधान का प्राप्त है, की वजह से सारे विभाग का रिकार्ड खराब हो रहा है। आज के दिन जब केन्द्र जानकारी मांग रहा है कि आपके यहां इसका यूटिलाइजेशन क्या हुआ, तो विभाग रिकार्ड देने में बिल्कुल असमर्थ है। इसी तरह 1983-84 के टार्गेट रखे थे कि 300 बायोगैस प्लाण्ट लगाये जायेंगे जयपुर जिले में अभी तक यानि 29 फरवरी तक इनमें से केवल 9 बने हुए हैं। अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि 31 मार्च दूर है। मैं पूछना

(श्रीमती विद्या पाठक)

चाहूंगी कि 300 बाकी 9 बायोगैस, यह एक महीने में कैसे बन जायेंगे? इसका क्या एक्सप्लेनेशन माननीय सदस्य दे पायेंगे? मगर वे एक कम्यूनिटी बायो गैस प्लांट राजपुरा में जो विभाग द्वारा बनाया गया वह भी उदाहरण के रूप में बताना चाहूंगी, जिसकी माननीय सदस्य गहलोत जी ने बहुत चर्चा की। उसके लिए मैं आंकड़ों और कुछ तथ्यों से अपने कथन को साबित करना चाहती हूं कि यह स्कीम किस तरह से फेल हुई।

माननीय सभापति महोदय, 15 अगस्त, 1983 के बाद से 24 जनवरी, 1984 तक, जैसा माननीय सदस्य ने कहा, यह सही है, 15 हजार लोगों को छांटा सेल्फ एम्लायमेन्ट स्कीम के अन्तर्गत। उन 15 हजार लोगों, जिनको छांटा, में से केवल 62 लोगों को लोन मिला। यह पिछले वर्ष की उपलब्धि है। केवल 62 लोगों को लोन मिल पाया है। इण्डस्ट्री मन्त्री श्री एस. एम. कृष्णा जब यहां आये थे उनकी बैठक में यह आफिशियली सरकारी रिपोर्ट गई थी कि केवल 62 आउट आफ 15 हजार एप्लीकेन्ट्स को लोन मिला है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि 20 लाख 38 हजार रुपया, जो राशि इसके लिए स्वीकृत थी इस वर्ष में, में से केवल 7.31 लाख का ही यूटिलाइजेशन हो पायेगा। यह आंकड़े बोलते हैं, रिकार्ड के आंकड़े हैं जिसको कोई सदस्य चाहे तो रिफ्यूट करे। मसखरेपन की बात क्या है, माननीय सभापति महोदय, कि इस योजना में 67134 एप्लीकेंट्स शुरू में थे जिनमें से 15284 के करीब एप्लीकेशन्स सरकार ने एप्रूव की थीं कि इनको दिया जा सकता है। उनमें से सिफारिश सरकार ने केवल 9595 की जिनमें से बैंक ने सिर्फ 29 को लोन दिया है, सिर्फ 29 को। यह योजना का नंगापन है। इसका एक असली स्वरूप है। और अब यह कहें कि इनके आंकड़े बहुत अच्छे हैं और कार्यक्रम में इनकी सफलता अद्वितीय है।

इसी तरह से शहरों के लिए भी बेरोजगारी की योजना बनाई है जिसका नाम भी बोलना मुश्किल है, सभापति महोदया, स्काइट योजना, सेटअप योजना। हमने भी नाम नहीं सुने, आज हम इस विधान सभा के सदस्य हैं वह भी नहीं जानते। जिनके माध्यम से योजना की पब्लिसिटी होनी चाहिए, जिनके माध्यम से लोगों तक योजनायें पहुचनी चाहिए, इनको एनाउन्स करने में भी हमको दिक्कत आती है। स्काइट और सेटअप, यह दो योजनायें, यह भी उसी तरह गटर में जायेंगी।

भीलों के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया है। कहते हैं, भील एप्लाई नहीं करते, हम उनके लिए क्या करें। अब एप्लाई तो तब करेंगे जब योजनाओं की जानकारी उनके पास होगी। शिड्यूल्ड ट्राइब्स, जो कि कम्पेरेटिवली फ्लोरिस्ड क्लास है, के लिए 50 पर्सेन्ट मनी ईयरमार्कड है हर बजट में। विशेष योजना है माडा की मगर भीलों के लिए पब्लिसिटी नहीं की जा सकती। इसका कारण यह है कि उनके कोई नुमाइन्दे, बड़े बड़े आफिसर या बड़े-बड़े ओहदों पर बैठे

(श्रीमती विद्या पाठक)

हुए और बड़े अधिकारी या इन्डस्ट्रियलिस्ट या पालिसी मेकर नहीं हैं। इसलिए जो सरकार गरिबों के हित का दम भरती है वह सारा दम भरना इनका बिल्कुल महत्वहीन है, बिल्कुल झूठा है। सारा पैसा बिना उकाउन्टेबिलिटी के और बिना और जिम्मेदारी के खर्च हो रहा है। यह उसी बात की याद दिलाता है जिस तरह दिल्ली में रामलीला ग्राउन्ड में राजीव गांधी महोदय ने बड़ी सभा में लाखों के लोन बांटे हैं और आज उनको ढूंढते फिर रहे हैं कि इस योजना में कौन पैसा ले गए और इसमें से कितना नेताओं की जेबों में गया, कौन व्यक्ति ले गए जिनसे वसूली करनी है, जिसका कोई रिकार्ड नहीं है।

मैसिव प्रोग्राम्स भी और बनने वाले हैं। सोलर एनर्जी या एनर्जी का कोई अन्य सब्सटीट्यूट। इसका होना जरूरी है, सब्सटीट्यूट आफ सोर्स आफ एनर्जी का होना बहुत जरूरी है, इसको मना नहीं किया जा सकता मगर उसकी प्रापर पब्लिसिटी के बाद उसको पूरा एग्जामिन करने के बाद, वरना यह पैसा भी बेकार ही जायगा।

पिछले कुछ महीनों पूर्व आडिट हुआ है डी. आर. डी. ए. का, यह आडिट पब्लिश नहीं हो पा रहा है। पिछले तीन वर्षों का आडिट हुआ है जिसकी न तो बैलेन्स शीट उपलब्ध है, और न यूलाइजेशन आफ कम्पलायेन्स सर्टिफिकेट उपलब्ध है। कितना कहां, किस स्तर पर और किस के माध्यम से खर्च हुआ, कितना खर्च होगा, इसका कोई विवरण नहीं है। सरकारी मूल्यांकन जो किये जाते हैं वह केवल सरकारी आंकड़ों के माध्यम से किये जाते हैं। वास्तव में बेनिफिट कितना मिल रहा है इस बात के आधार पर नहीं किये जाते। तो इन सभी योजनाओं में इतना पैसा खर्च किया जा रहा रहा है, और आज के दिन मुख्य मन्त्री जी का बड़ा हैडक बना हुआ है कि शिड्यूल्ड कास्टस और ट्राइब्स के वेलफेयर के लिए जितना पैसा है उसका यूटिलाइजेशन जल्दी से जल्दी कैसे हो। स्कीम को स्पीड-अप किया जाना चाहिये। सब ने सुना है। हर एक आदर्श सरकार यह चाहती है कि योजना समय से पूरी हो और जल्दी पूरी हो मगर हमारे मुख्य मन्त्री का सिर दर्द बड़ा यह है, वह कहते हैं कि यह पैसा जल्दी खर्च करो। आज के दिन योजना के नाम से कोई भी पब्लिसिटी या न्यूज नहीं आयगी कि इतना पैसा बिखेरा जायगा और इतना पैसा खर्च किया जाएगा और उसके बाद बजट में डेफिसिट। यह मैच ही नहीं करती दोनों बातें। उसके बाद विकास के लिए पैसा नहीं, तो दोनों बातों का कहीं तालमेल ही ही नहीं बैठता।

इसी तरह से जो सर्वे हो रहे हैं अलग-अलग, निष्पक्ष सर्वे का भी होना जरूरी है। बैंक आज लोन के देने में आनाकानी कर रहे हैं। मीटिंग्स में यह स्पष्ट बात करते हैं कि हमारा कमिटमेन्ट डिपाजिटर्स से है और सरकार जिस तरह से पैसा दे रही है उसका रियलाइजेशन कही नही हो रहा है जितना भी रियलाइजेशन कहीं से हो रहा है उसमें केवल

(श्रीमती विद्या पाठक)

आतंकवाद के अलावा कुछ नहीं है। कुछ दिनों आपने अखबार में टोंक की खबर पढ़ी होगी कि वसूली के लिए किसी को मारा-पीटा और खराब मौसम में बाहर खड़ा किया और इस तरह से उसको यातनायें दीं। आज सवेरे की खबर है, गंगानगर में किसानों पर लाठी चार्ज हुआ आर. डी. 236 में। किसानों पर लाठी चार्ज हुआ। वह अपनी मांगों को लेकर गये थे। किसानों की जायज मांगें या जनता की मांगें सुनना और उस पर हमदर्दी से विचार करके, डिस्कस करना, इसकी बजाय लाठी और गोली से मांगों को दबाया जाता है। आज मैं इस विधान सभा के माध्यम से चैलेन्ज करना चाहती हूं राजस्थान की सरकार को कि राजस्थान का किसान अकेला नहीं है। राजस्थान का किसान जैसा असंगठित आप समझते हो, ऐसा भी नहीं है। एक आवाज के ऊपर सब उठ खड़े होंगे यदि उनको इस तरह से आंतकित किया गया तो।

तो, माननीय सभापति महोदय, इससे अच्छा हाल अनुसूचित जाति का भी नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले आपने पढ़ा होगा कि अनुसूचित जाति के लोगों की जमीन अब दूसरे वर्ण वाले भी खरीद सकेंगे। कमाल का मसखरापन। इसी के साथ जुड़ा हुआ एक और भी आदेश है, कलेक्टर भूमि कन्वर्ट कर सकेंगे। जितनी उनकी सीमा है अलाट कर सकने की उससे ज्यादा अलाट कर सकेंगे और वर्तमान सरकार की प्रणाली के अनुसार यह सब रिट्रोस्पेक्ट में होगा। नतीजा क्या होगा? हरिजन जाति और अनुसूचित जाति की जितनी जमीनें है लोग खा गये, वह सब इसके माध्यम से रेगुलेराइज हो जायेंगी और आगे के लिए रास्ता खुल जायगा। यह सरकार गरीबों की हमदर्द है! इसके बाद भी हमदर्दी का दावा भरती है! यह जो लोन दिये गये हैं इसमें लोन किस को दिये गये? सरपंच महोदय और प्रधान महोदय पैसा किसी और को दिलवा लाये। इसकी जानकारी बैंकों को भी है। ऐसे एक नहीं अनेकों केस हैं। खासकर चाकसू और जयपुर जिले की अनेक तहसीलों में ऐसे कैसेस हैं। यह लोन किस को दिया और किस से पैमेन्ट मांगा जायगा? इस तरह की जो अनीतियां इन योजनाओं की रही हैं, यह इनकी असफलता का पर्दाफास करती हैं।

बीस सूत्री कार्यक्रम की बहुत सफलता की चर्चा की। दो मिनट में बात बताना चाहूंगी। बाढ़ सहायता में घोटाले बहुत हुए ही हैं और वह बिना समिति के हुए हैं। इनमें नाम को तो कमेटी बनी हुई हैं इसमें तो रातों को जाकर लोन बांटे हैं। जयपुर जिले में चाकसू में रात को 9, 10, 11 बजे लोगों को उठा उठा कर सब्सिडी दी है, उसमें न तो आज काम हुआ और किस को सब्सिडी पहुंची, इसका कोई विवरण नहीं है। बीस सूत्री कार्यक्रमों का जो नम्बर एक पर और नम्बर दो पर है उसके लिए मैं कुछ हैडलाइन पढ़ूंगी। पावर्टी इरेडिकेशन क्लेम क्वेश्चन, पिछड़ी जाति के कल्याण की योजनाओं में अनियमिततायें, पेनल रिपोर्ट क्रिटिसाइज शार्ट फाल आफ शिड्यूल्ड कास्ट्स स्कीम, बीस सूत्री कार्यक्रम दावे और यथार्थ का अन्तर, ब्यूरोक्रेसी साइफनिंग दी फण्ड्स

(श्रीमती विद्या पाठक)

बैंक ग्रार टू चैंक फाड, भूमि ग्रावासीय पैसा कभी कोई नोटिस नहीं मिला, तकाबी की वसूली के लिए ठण्डा पानी डाला गया, प्रशासनिक ग्रातंक ग्रौर यंत्रणायें दी गयीं, राहत कार्यो के भुगतान में बेईमानी की बात सरकार ने मंजूर की, राहत कार्यों में ग्रनियमिततायें। यह मेरी नहीं बल्कि ग्रखबारों की चर्चा है, ग्रौर उसके बाद इनके ग्रांकड़े क्या कहते हैं कि बीस सूत्री कार्यक्रम ग्रौर गरीबों के लिए जितने कार्यक्रम किये हैं उन सब में सफलता मिली है।

श्री सभापति : कृपया समाप्त कीजिए।

श्रीमती विद्या पाठक : सभापति महोदय, ग्राज तो किसी को चैंक नहीं किया मुझे क्यों किया जा रहा है? मैं समाप्त कर रही हूं सक्षेप में।

हरिजनों पर जिस तरह से जुल्म हो रहे हैं, माननीय सभापति महोदय, ग्रनुसूचित जाति के लोग ग्राज भी घोड़ों पर नहीं चढ़ सकते, बारात में नहीं जा सकते। हमारे टाइम में भी हुग्रा था पर हमने कार्यवाही की थी, हमने शेल्टर करने की कभी कोशिश नहीं की। ग्रौर ग्रगर ऐसी कोशिश की किसी भी सरकार ने, तो उसको जनता क्षमा नहीं करती। ग्राफिशियली, माननीय सभापति महोदय, बयाना ग्रौर लाडनूं में सर्वे हुए। उसमें यह पाया गया कि लोग मन्दिरों में नहीं चढ़ सकते, कुएं से पानी नहीं भर सकते।

1980-81 की ग्राडिट रिपोर्ट ग्रा गई थी जिसके ग्रनुसार ग्रनुसूचित जाति के छात्रों को जो छात्रवृत्तियां मिलनी थीं वह बिना रिकार्ड के, बिना कास्ट सर्टीफिकेट के, बिना किसी क्वालिफिकेशन दे दी गई। माननीय श्री स्वास्थ्य मंत्री महोदय के क्षेत्र में शेरगढ़ तहसील में सावतरा के निवासी की बेटी किसी गुलाम को ब्याही गई थी। उसके हसबेण्ड ने ग्रौर उसके मालिक, जिसके यहां वह गुलाम था, ने इतना उसको टार्चर किया ग्रौर यह थेट दिया की यदि उनका कहना नहीं माना, उस जमींदार का कहना नहीं माना, तो उसको विदेशों में बेच दिया जायगा। इसी तरह की ग्रनेक ग्रनियमिततायें हुई हैं। जेलों में रहने वाले लोगों की क्या स्थिति है। सहकारी समितियों में क्या चल रहा है, यह एक ऐसे विवाद का प्रश्न है जिस पर उपयुक्त समय पर बाद में चर्चा की जायगी। माननीय सभापति महोदय, इसमें कहने में ग्रगर हम सारा दोष सिर्फ मुख्य मंत्री महोदय को दें तो ऐसा लगता है कि प्रकृति भी उन स्वयं ही के विरुद्ध है। श्रीमान बाढ़ में तो ग्रवतरित हुए ग्रौर उसके बाद सरकार चलाने के लिये जो टीम दुर्भाग्य से मिली, उसमें इससे बैटर परफार्मेंस नहीं हो सकता। श्रीमती गांधी रायसिंहनगर पधारी थीं तो दो हैलीपेड बनाये गये थे, उनके लिए राजस्थान नहर के ग्रधिकारियों द्वारा, जिनकी कीमत 1.50 लाख प्रति हैलीपेड थी, दो टेम्प्रेरी हैलीपेड बनाये गये। इसमें ग्रधिकारियों की कुछ मिली भगत हो सकती है लेकिन मंत्रियों की करामात तो इससे भी ऊंची है। ग्रनुसूचित जाति का सम्मेलन बुलाया जायगा, उस सम्मेलन में श्रीमती गांधी को चांदी से तोला जायगा, उसके लिये चन्दा एकत्रित किया जायगा,

(श्रीमती विद्या पाठक)

किया भी गया। श्रीमती गांधी को जब कुछ शिकायतें पहुंची, उन्होंने मना कर दिया। मगर उस चांदी और जो चन्दा वसूली हुई उसका क्या हुआ, यह किसी की जानकारी में नहीं हैं अभी दिसम्बर, 83 में समाज कल्याण विभाग के 29 लाख के जो टेण्डर खोले जाने थे सुबह 10-30 बजे वह श्रीमान मंत्री जी की कृपा से रात 10-30 बजे खोले गये। आपने कहीं किसी सरकार के राज में सुना है कि टेन्डर रात के 10-30 बजे, जब सब आवेदनकर्त्ता चले जायें, खोले जायें। मगर ऐसा हुआ और उसके बाद भी कोई संकोच नहीं।

हमारे स्वास्थ्य मंत्री महोदय गये थे कुछ दिन पहले एसोसियेशन आफ फिजिशीयन की एक मीटिंग का उद्घाटन करने। वहां कनफेंस कर आये। कहते हैं, हम तो राजनेता हैं, कुर्सी के लिये सब कुछ करना पड़ता है, यह कन्फेशन है। हम टैम्प्रेरी हैं अतः जल्दी में होते हैं। अब पूछें, मंत्री महोदय काहे की जल्दी में होते हैं। मगर उन्होंने अधिकारियों को कहां पर कहा, आप तो परमानेंट हैं, आपकी क्या समस्या है, हम आपकी सब सहायता करेंगे बस विकास का पैसा मत मांगो। वे अपने डाक्टरों के लिये कुछ कहकर आते तो कह कर आते, उन्होंने तो शिक्षकों के लिए कह दिया कि शिक्षकों का सम्मान ही बिलकुल घट गया है। शिक्षक वर्ग उनसे इस बात के लिये इतना नाराज है कि अगले चुनाव के समय में उनसे निपट लेगा। माननीय सभापति महोदय, खैर उन्होंने अपने डाक्टरों को जो कहा, वह उनके अपने विभाग की बात हैं उन्होंने घर में क्या कहा।

हमारे पंचायत मंत्री महोदय कहते हैं सेवर पंचायत समिति के प्रधान को सस्पेण्ड होना चाहिये। उस पर लोग अदालत में गये। जिस दिन मीटिंग होने वाली थी, एक तो स्वायत्त शासी संस्था की मीटिंग है उसको बिना कारण से करने का कोई अधिकार नहीं, पर उसको मंत्री महोदय ने स्टे कर दिया। वे लोग अदालत में गये। अदालत ने आदेश दे दिया कि इस तारीख को सरकार जवाब दे और इस तारीख को मीटिंग बुलाकर यदि सरकार की तरफ से कोई न हो तो मजिस्ट्रेट जाकर मीटिंग करवाये, और उसमें जो कुछ भी निर्णय होना है वोटों से निर्णय होगा, उसी को मान्यता दी जायगी। ऐसा अदालत का आदेश है, यानि सरकारी काम भी अब अदालतें करेंगी। मंत्री महोदय को ताड़ना दी गई कि स्वायत्त शासी संस्थाओं के बीच में आप दखल मत दीजिये। यह वही मंत्री महोदय हैं, माननीय सभापति महोदय, जो भ्रष्टाचार की सैंकड़ों फाइलें अपने सैकेटेरियट या घर की कबड़ में बन्द करके बैठे हैं। जिसकी शिकायतें एन्टीरिकरप्शन डिपार्टमेंट में भी है कि फाइलें गईं और लौटकर नहीं आईं। ऐसे-ऐसे सरपंच, मैं कहती हूं, जो हमारी सरकार के समय में भ्रष्टाचार फैला रहे थे, दुबारा चुनकर आ गये तो मान लिया गया कि उनके भ्रष्टाचार के कारनामें भी समाप्त हो गये, और उन पर कोई चर्चा नहीं, कोई कार्यवाही नहीं। माननीय मुख्य मंत्री जी इस तरह की टीम के साथ करेंगे भी तो क्या ?

लॉ मिनिस्टर की चर्चा तो क्या कीजिये। पिछला सत्र गूंज गया था कि किस तरह से वे यूनिवर्सिटी में अपाइंटमेंट करवाना

(श्रीमती विद्या पाठक)

चाहते थे। इसी तरह भूतपूर्व मंत्री भी कोई कम करामाती नहीं हैं। कोई किसी पर कातिलाना हमला करता है तो किसी को घूंसे, लात, थप्पड़, मामूली, एक आम बात हो गई है जिससे मारे सदन की इमेज बाहर खराब हो रही है। बिलाड़ा से पधारने वाले माननीय विधायक महोदय ने पता नहीं कोई बावरी की हत्या की या नहीं पर रायपुर से आने वाले माननीय विधायक को अपनी जान का पूरा खतरा बना हुआ है। यहां के एक प्रमुख पत्र में अध्यक्ष. कृषि उद्योग निगम के विरुद्ध भी बहुत सी शिकायतों की जांच की पत्र के माध्यम से लोगों ने मांग की है। वह जांच की परमिशन नहीं दी जायगी यह भी एक फोरगोनकन्क्लूजन है। जोधपुर नगर विकास न्यास के अध्यक्ष महोदय हमारे सदन के विधायक महोदय, सिर्फ यह ही कोई भूमि घोटाले में परफेक्ट हों, ऐसा नहीं है।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज (जमवा रामगढ़) : आप ही के द्वारा जांच करवा दें।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : आपको ले चलें कृषि उद्योग निगम में, आप जांच कर आओ। कल कहना आप, जब जानूं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आप स्थान ग्रहण कीजिए।

आर्डर प्लीज। आर्डर।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : केवल ऐसे अखबारों, जो पैसा पैदा करने के लिये लोगों पर चार्जेज लगाते हैं, का हवाला आप असेम्बली में देती हैं। आप स्वयं कुछ जिम्मेदारी लीजिये न।

श्रीमती विद्या पाठक : मैं उसको नहीं कह रही, मैं सिर्फ पत्र का हवाला दे रही हूं, आगे की कार्यवाही आप स्वयं करेंगे। अगर मुझ से सलाह लेंगे तो बता भी दूंगी कि इन्हें क्या करना है।

तो, माननीय सभापति महोदय. हमारे जयपुर में भी लैण्ड किंग्ज हैं जिनको आज लोग नाम से नहीं, उनको मुखुर नारायण बखिया के नाम से जानते हैं, इसी नाम से सम्बोधित भी कर रहे हैं। उनके सारे कारनामों पर पर्दा डालने के लिये जे. डी. ए. का फार्मेशन हुआ अन्यथा सिर्फ लैण्ड कन्वर्जन, या भूमि की किस्म परिवर्तन या लैण्ड यूज परिवर्तन के अलावा जे. डी. ए. ने पिछले डेढ़, दो सालों में कुछ किया हो, ऐसा आज के दिन पेपर में कुछ नहीं है। राज्य सभा सदस्य महोदय ने कोटा में किस तरह से स्कूल के नाम से कितनी बेश कीमती भूमि को हड़पा है, किस तरह से जोधपुर की एक मीटिंग में यह माननीय अशोक गहलोत जी, जो पहले पर्यटन मंत्री थे उनका विभाग क्यों छीना गया, यह भी सर्व विदित है, उन्होंने राज्य के एक मंत्री को हैकल होने से, मार-पीट से और कार्यकर्ताओं द्वारा परेशान किये जाने से नहीं बचाया तो उनसे विभाग ही छीन लिया गया और कहा, आप जोधपुर जाओ ही मत। आप इसी चीज को विटनेस नहीं करें अगर उनको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो। इन सारी चीजों से और विभाग और प्रशासन की निष्क्रियता से और मुख्य मंत्री महोदय की न चलने से स्वयं मुख्य मंत्री जी बहुत दुखी हैं। वे कहते हैं, मेरी तो चिटि-

(श्रीमती विद्या पाठक)

ठयों के जवाब भी नहीं आते। वह कहते हैं, जवाब न दो, इन्टेरिम रिप्लाई तो दो। अब मुझे नहीं मालूम कि पिछले तीन सालों में उनके अल्टीमेटम के बाद जवाब आ रहे हैं या नहीं।

माननीय सभापति महोदय, कलकत्ता में अधिवेशन हुआ। थोड़ा बहुत मैं भी इस अधिवेशन की अव्यवस्था का शिकार हुई। कलकत्ता अधिवेशन हुआ, मुझे नहीं मालूम, यह तो रिकार्ड बतायेगा, बहुत से प्रश्न गये भी होंगे कि कितने लोगों ने कितना सफर सरकारी खर्चे पर तय किया। वह एक अलग बात है, जांच का प्रश्न होगा और प्रश्नों के माध्यम से पता लगेगा। मगर एक बात हैं, मुझे मालूम है, हमारे राज्य के बहुत से विधायक, बहुत से मंत्री, राजस्थान हाउस में में रहे सो रहे जब अधिवेशन में गये तो चाबियां भी अपने साथ अपनी जेब में ले गये। अब यह बात दूसरी है, चूंकि पार्टी का कार्यक्रमथा, बैक डेट से जैसे प्रशासन करता है उसी तरह हमारे मुख्य मंत्री महोदय, भी उसको कन्डोन कर दें। वरना चाबियां अपने साथ ले जाना, इतना लैक आफ कान्फिडेंस अरे। भई, आप आज राज्य के मंत्री हैं, राजस्थान सरकार का भवन है, उस में जगह नहीं होगी तो सरकारी खर्चे पर दूसरी जगह व्यवस्था हो जायगी, आप इतनी जल्दी में क्यों है? मगर चाबी भी ले गये जो स्वयं में एक बहुत बड़ी इर्रेगुलेरिटी मानी जानी चाहिये। तो, माननीय सभापति महोदय, तो ऐसी टीम के साथ हमारे मुख्य मंत्री महोदय किस तरह से प्रशासन चलायें जब कि प्रकृति भी इनके विरुद्ध है। आपआये तो बाढ़ में आये, उसके बाद अगला साल अकाल का। अगले साल फिर अकाल। इस बार शीत लहर, से करोड़ों की फसलें नष्ट हो गई। इनका तो भगवान ही मालिक है हम तो इनसे कहना चाहते हैं

कि आप कम से कम हमारी स्टेट पर तो कृपा करें और राज्यपाल की मान-मर्यादा पर कृपा करें। कम से कम उनसे ऐसी वाहियात और बेहूदा बातें न कहलवायें जो वास्तव में तथ्यों से बहुत विपरीत हैं। प्रदेश की जनता इस सारे भ्रष्टाचारों से बहुत दुखी है। लोक आयुक्त जैसी संस्था को समाप्त कर दिया गया है जिससे इन विषयों पर कुछ प्रगति हो सकती। तो यह सारी पेशबन्दी ऐसी कर रखी है कि पैसा कितना ही पुट-इन कर दो उसकी कोई अकाउन्टेबिलिटी नहीं है। राजनीति में इसका लाभ इनको मिलने वाला नहीं है। यह जनता के पैसों के साथ विश्वासघात है। इसी तरह से कितना ही भ्रष्टाचार कर लो, आज सवेरे ही मंत्री महोदय कह रहे थे कि मैंने तो वह रूल बताया है और यह सही है कि भ्रष्टाचार हमारे अन्तर्गत कहीं नहीं किया। मगर उस के अन्तर्गत भ्रष्टाचार हो रहा है, यह अब उन्हें कौन समझाये। माननीय सभापति महोदय, मैं इन्हीं कुछ शब्दों के साथ राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ, जो ऐसी सरकार का अभिभाषण हुआ जो नाकारा, निरर्थक, एन्टी गवनमेंट, एन्टी पीपुल और एन्टी सोशिल सरकार है जो राज्यपाल महोदय से पढ़वाया, राज्यपाल महोदय के पद के प्रति पूर्ण सम्मान रखते हुए भी मैं इसे समर्थन देने में अक्षम हूं।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : सभापति

(श्री भैरूलाल भारद्वाज)

महोदय, माननीय सदस्या जी ने वैसे तो बहुत सारी बातें कही हैं, लेकिन मैं तो केवल एक बात की बानगी से ही देखता हूं कि वे किस प्रकार झूठ का पुलन्दा साबित हुई हैं। मैं इनको कहता हूं, यदि कृषि उद्योग निगम में कोई भ्रष्टाचार है तो मैं आपको अपाइन्ट करता हूं और यदि एक पैसे का भी भ्रष्टाचार हो तो मैं तो उसकी सजा भुगतूंगा और भ्रष्टाचार न हो तो इनको कोई सजा भी न दी जायगी इसलिये चिन्ता न करें। इसी तरह कोई छोटे मोटे अखबार वालों से क्या निकलवा दें। विरोधी दलों का आजकल यह भी मामला हो गया है कि छोटे-मोटे अखबारों में निकलवा देते हैं। अब उनको कौन तो पढ़ता रहे और कौन उसका जवाब देता रहे। सभापति जी, मैं तो इन्हीं को अपाइन्ट करता हूं जज।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आप स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री भैरूलाल भारद्वाज : सभापति महोदय, मैं इनकी बात को स्वीकार करूंगा। बजाय इसके कि अपने भाषण में कोई तथ्यात्मक बात कहतीं, ऐसी बातें कहना इनके लिये शोभा की बात नहीं है।

श्री सभापति : श्री अमीन खां।

श्री अमीन खां (शिव) : सभापति महोदय, श्री राम नारायणजी चौधरी ने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद का जो प्रस्ताव रखा है, मैं उसकी ताईद में निवेदन करना चाहता हूं। सभापति महोदय, आप लोगों में या कुछ साथियों में यह बात जगह-जगह सुनाई देती है कि सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया। मुझे तो वह दिन याद है सन् 55-56 और 57-58 के बीच बाड़मेर और जैसलमेर जिले में जिला हैडक्वार्टर पर केवल मात्र एक डाक्टर रहता था और जिले की तहसील हैडक्वाटर पर कलक्टर और एस. पी. भी जाते थे तो गांव के जानकर लोगों को जीप में बैठाकर ले जाना पड़ता था, नहीं तो तहसील हैडक्वार्टर के रास्ते भी उनको मालूम नहीं थे। आज उन्हीं जिलों में भी कम से कम हजार-दो-ढाई हजार की आबादी में डिस्पेन्सरी है, पी. एच. सी. है, सब सेन्टर है, आयुर्वेद औषधालय भी है और हमारे सीमावर्ती रेगिस्तानी जिलों में तो जहां, सभापति महोदय, मैंने आपका जिला भरतपुर भी देखा है, अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत 300-400 की आबादी के गांव भी सड़कों से जुड़ गये। पिछले चार वर्षों में लगातार, कांग्रेस की सरकार जब दुबारा सत्ता में आई तो उसके बाद से बाड़मेर और जैसलमेर जिले में करीब सवा दो अरब रुपये के अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत कार्य हुए। वहां की जनता, करीब 13-14 लाख लोगों को कहीं बाहर रोजगार के लिये जाना नहीं पड़ा, अकाल के समय लोगों ने अपने मवेशियों को भी बचाया और लोग अपने आप भी बचे रहे। उसके साथ-साथ विकास के कामों में भी, मैंने मेरा पूरा हिसाब लगाया, शिव निर्वाचन

(श्री अमीन खाँ)

क्षेत्र, जिसमें 80 गांव जैसलमेर जिले के और 200 गांव बाड़मेर जिले के आते है, में 630 किलोमीटर ग्रेवल की सड़कें बनाई गई हैं और 250 किलोमीटर डामर की सड़कें बनाई जा चुकी हैं। मैंने यह भी अन्दाज लगाया कि पिछले 33 सालों में भारत सरकार और राज्य सरकार का जो खर्चा वहां हुआ और जो विकास हुआ था उसके मुकाबले गत तीन सालों की तुलना की जा सकती है। इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान में आम आदमी को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है वह पीने का पानी है। जैसा अभी हमारे प्रस्तावक महोदय ने कहा है कि हिन्दुस्तान की सरकार ने 15 करोड़ रुपये पी. आर. पी. पीने के पानी की योजना तहत स्वीकृत किये हैं जिसमें साढ़े सात करोड़ रुपया राजस्थान को मिला है। हमें यह कहते हुए बड़ी खुशी होती है कि इसमें भी 50 पर्सेन्ट जिला बाड़मेर और जैसलमेर के रेगिस्तानी इलाके में जहां 15—15 मील तक इन्सान को पीने का पानी नसीब नहीं होता था उन गांवों की स्कीमें स्वीकृत की हैं।

राजस्थान के सीमावर्ती बाड़मेर और जैसलमेर जिले में आज की तारीख में एक भी ग्राम ऐसा नहीं है जिसके लिए योजनायें विभाग ने स्वीकृत नहीं की हों और उसके लिए बजट अलाटमेंट का अभाव हो। आज बाड़मेर जिले के 865 गांव में से 450 गांव कमीशन किये जा चुके हैं। पिछले 36 सालों के मुकाबले में इन तीन सालों में इनमें से 350 गांव कमीशन हुए हैं। इससे ज्यादा राहत मिलने की कोई लोगों को उम्मीद भी नहीं है।

इसके अलावा जहां तक शिक्षा का सवाल है आज भी सीमावर्ती जिले शिक्षा के स्तर में सबसे नीचे हैं लेकिन पिछले चार सालों में प्राइमरी स्कूल की संख्या और मिडल स्कूल की अच्छी संख्या उस पिछड़े हुए क्षेत्र में कमी की लिहाज से ही राज्य सरकार ने नहीं रखी है बल्कि राज्य सरकार ने गांव-गांव और ढाणी-ढाणी में काफी स्कूल खोले हैं। अभी भी जो प्राइमरी स्कूल खोले हैं उसका कई साथियों ने पंचायत राज मंत्री से विरोध किया लेकिन मैं पंचायत राज मंत्री को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारे रेगिस्तानी इलाके में ज्यादा स्कूले खोले हैं जितने की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। सब सेंटर भी खुले हैं, आयुर्वेद औषधालय भी खुले हैं। ऐसी हालत में यह सुनना नहीं सहन किया जा सकता है कि सरकार का ध्यान जनता की समस्याओं की तरफ नहीं है। हां, यह बात सही है कि सरकार ज्यों-ज्यों जनता की समस्याओं का समाधान करती है उसी क्रम से लोगों की तमन्नाएं दिनों-दिन बढ़ती जा रही हैं और तमन्नाएं बढ़ना जरूरी भी है।

पहले हमारे जिले में बिजली का नामो निशान तक नहीं था। आज हमारे जिले में गडरा रोड, जो पाकिस्तान की सीमा पर गांव आया हुआ है, में भी गांवों का विद्युतीकरण कर दिया गया है। मुझे तो सरकार को इस बात का धन्यवाद दिये बिना कतई आनन्द नहीं आता है कि हिमालय का पानी जहां हमारे शिव तहसील और

(श्री अमीन खाँ)

बाड़मेर जिले के गडरा रोड के आस पास है, जहां पर पशुओं और ऊंटों को 20 मील तक पीने के पानी की उम्मीद नहीं थी वहां सरकार ने राजस्थान नहर द्वारा सागरमल गोपा शाखा को पानी पहुंचाने की स्वीकृति दे दी है। इससे ज्यादा देश का और रेगिस्तान के इन्सानों का भला होने की कोई योजना नहीं हो सकती है। यह योजना हमारे रेगिस्तानी लोगों के हित के लिए ही नहीं है बल्कि सारे लोगों की भलाई के लिए है। इससे लोगों को पीने का पानी और पशुओं के लिए पीने का पानी की तो बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी ही, साथ-साथ में बार-बार पड़ने वाले अकाल से जो लोगों को और सभी साथियों को प्लान और एडवान्स प्लान के पैसों को भारत सरकार और राज्य सरकार से भीख सी मांगने का रहता था वह भी नहीं होगा तथा जिसे हमारे पश्चिमी राजस्थान में खर्च करके विकास की गति को बढ़ाने के लिए कहा जाता था, उससे भी हमारे लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी और अनाज की पूर्ति में हमारा इलाका सारे मुल्क को मदद करेगा। डिफेंस के पाइन्ट आफ व्यू से भी जब केनाल वहां बनेगी तो वहां का अब तक का सूनसान एरिया बहुत आबाद एरिया होगा जिससे सीमा की सुरक्षा में भी अच्छी मदद मिलेगी। इससे वहां के लोग खुशहाल होने की उम्मीद करते हैं वरना वहां के लोग कभी नहर से पीने के पानी के मिलने की उम्मीद नहीं करते थे। अगर कोई आदमी ऐसी बात करता था तो लोग उसको मजाक समझते थे। आज हकीकत में धोरों के अन्दर पाइप के द्वारा पी. एच. ई. डी. के इंजीनियरों ने जिन गांवों में औरतें 4-4 मील से पानी का घड़ा उठाकर पानी लाती थीं उन गांवों के अन्दर पानी पहुंचाया है। लोग अपने ही नलों या सार्वजनिक टोंटी से पानी भरते हैं। उसका सबसे बड़ा एहसास गरीब लोगों को हुआ है और लोग यह महसूस करते हैं कि कांग्रेस की सरकार वास्तव में गरीबों और पशुपालकों का ध्यान बहुत ज्यादा रखती है।

इसके अलावा कानून और व्यवस्था के बारे में भी कहना चाहूंगा। सन् 1952, सन् 1957 और 1962 के हमने चुनाव देखे। पहले गांव के प्रभावशाली लोगों के कहे बिना कोई आदमी गांव में नहीं घुस सकता था लेकिन आज लोग निर्भय हैं। पीने के पानी की सबसे ज्यादा अच्छी व्यवस्था और सड़कों का अच्छा इंतजाम किया है, सबसे पहले इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। अब मैं पीने के पानी के मामले में ही सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा क्योंकि हमारे जिले में जितने भी गांव थे, ए. आर. पी. के अन्तर्गत स्वीकृत कर दिये गये। उनमें बजट की भी कोई कमी नहीं है। इंजीनियर लोग गांव को कमीशन करने की ताकीदी में लगे हुए हैं। मगर सरकार का ध्यान पता नहीं कहां है। पहले तो 8-10 स्कीमों का एक डिवीजन था, आज 500-600 गांवों को कमीशन करने और 23-24 करोड़ की योजना स्वीकृत करने के बाद भी उसी डिवीजन और उन्हीं गाड़ियों से अगर बीस सूत्री

(श्री अमीन खां)

कार्यक्रम के लक्ष्य प्राप्त करने की उम्मीद करते हैं तो यह रोग उनके बस का नहीं है। इससे होगा यह कि वहां के लोगों को भारत सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि एक और डिवीजन बाड़मेर में पी. एच. ई. डी. का होना चाहिए अन्यथा जो लक्ष्य रखे हैं वह एक डिवीजन, जिसके पास इतना बड़ा 28000 वर्ग किलोमीटर का एरिया और करोड़ों रुपये की स्कीमों का काम है, द्वारा संभाला जाना बड़ा मुश्किल है। इससे इतनी बड़ी योजनाओं के लक्ष्यों की प्राप्ति की मन्शा पूरी नहीं हो सकती।

इसके अलावा मैं शिक्षा के बारे में यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि बाड़मेर और जैसलमेर जिले में गांव बहुत देहाती और बहुत दूर-दूर ढाणियों में बसे हुए हैं। हमारी कई ऐसी पंचायतें हैं जिनके बीच में मिडिल स्कूल नहीं है। आज वहां पर कम से कम यह तय कर देना चाहिए कि प्रत्येक पंचायत में जिस गांव की आबादी ज्यादा हो, जिस स्कूल में ज्यादा बच्चे पढ़ते हों वहां कम से कम एक मिडिल स्कूल खोलना बहुत जरूरी है। मैंने दूसरे जिलों में देखा है कि कम से कम दूसरी पंचायतों और जिलों में पंचायतवाइज मिडिल स्कूल जरूर है। हमारे जैसलमेर जिले की पंचायत समिति सम और बाड़मेर जिले की शिव पंचायत समिति की बहुत सी पंचायतों में स्कूल नहीं हैं इसलिए शिक्षा स्तर गिरा हुआ है।

इसके अलावा मैं यह निवेदन करना चाहूंगा चिकित्सा मन्त्री महोदय से कि हमारे यहां पुनर्वास में काफी लोग बसाये गये और पुनर्वास विभाग में डिस्पेन्सरी उनके लिये मंजूर की, डिस्पेन्सरी के भवन बनाकर दो साल पूर्व तैयार कर दिये और उनकी रिहायश के लिये क्वार्टर भी बनाकर तैयार कर दिये हैं लेकिन स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए स्टाफ जो गवर्नमेन्ट मंजूर करती है वह आज तक मंजूर नहीं हुआ है। जब सरकार ने बात मानकर डिस्पेन्सरी बनायी और भवन बनाये तो उन्हें स्टाफ से खाली रखने से वहां के लोगों में असन्तोष है। कम से कम जिस जगह डिस्पेन्सरी का भवन पुनर्वास विभाग ने बनाया है उसमें डिस्पेन्सरी हर हाल में खुल जानी चाहिए ताकि सरकार के जो लाखों रुपये खर्च किये हैं उनका उपयोग हो सके।

इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि बाड़मेर और जैसलमेर जिले के कुछ इलाकों में चोरी और तस्करी ज्यादा होती है। कुछ इलाकों में पुलिस आफिसरों का यह कहना है कि हमारे पास डीजल की गाड़ियां हैं जबकि तस्कर, चोरों के पास पैट्रोल की जोंगा और निशान गाड़ियां रहती हैं जिनकी रफ्तार कई गुना तेज है। इसलिए सरकार को चाहिए कि कम से कम ऐसे इलाकों जो खतरे के हैं, रेगिस्तानी हैं, में पैट्रोल की गाड़ियों की व्यवस्था करनी चाहिए डीज़ल की गाड़ियों की नहीं। डीजल की गाड़ियां वहां इस मामले में सक्षम नहीं हैं इसलिए सरकार को चाहिए कि ऐसे एरियाज में पुलिस अफसरों को पैट्रोल की गाड़ियां और अन्य अच्छी सुविधायें देनी चाहिए ताकि वहां ज्यादा चोरियां नहीं हो सकें और उन पर एकदम

(श्री अमीन खां)

काबू पाया जा सके। मैं इतना ही निवेदन करके राज्यपाल महोदय ने अति कृपा कर यहां 5 मार्च, 1984 को पधारकर जो अभिभाषण दिया लिए धन्यवाद का जो प्रस्ताव पेश हुआ उसे सहर्ष पास करने के लिए मेरा समर्थन देता हूं।

जय हिन्द।

श्री सभापति : श्री नन्द लाल मीणा।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : माननीय सभापति जी, राज्यपाल महोदय द्वारा कल जो अभिभाषण सदन में पढ़ा गया उस पर मंडावा से आने वाले माननीय सदस्य ने धन्यवाद का प्रस्ताव रखा। श्री जनार्दन सिंह गहलोत द्वारा उसका समर्थन करने बाद जो वाद विवाद चल रहा है मैं उसमें हिस्सा लेते हुए किसी भी रूप में इस अभिभाषण पर धन्यवाद नहीं दे सकता। जो परिस्थितियां राजस्थान में हैं और सन् 1980 में राजस्थान की हुकूमत कांग्रेस के हाथ में दुबारा आयी उसमें हमारे यहां राजस्थान में रहने वाले लगभग 28 लाख आदिवासियों की क्या स्थिति बनी, उसकी चर्चा करना चाहता हूं। सभापति महोदय, सन् 1974-75 में राजस्थान के उदयपुर सम्भाग में आदिवासी उपयोजना क्षेत्र का गठन किया गया जहां अनुसूचित जन जाति की आबादी लगभग 65 प्रतिशत थी। उस क्षेत्र की कुल आबादी 28 लाख है उसके विकास के बारे में यह तय हुआ कि राजस्थान सरकार और भारत सरकार द्वारा समय समय पर योजना बना कर उसको क्रियान्वित किया जावे जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरे। समूचे आदिवासी क्षेत्र के लोगों की दृष्टि इस पर लगी हुई है। स्वतन्त्रता से पहले जब रियासतें थी उन्हीं में से मेवाड़ रियासत, जो स्वतन्त्रता की पुजारी रही है, में मेवाड़ के आदिवासी ने सेना के रूप में हमारे देश को इस बात की दस्तक दी कि मेवाड़ का प्रत्येक नागरिक स्वतन्त्रता प्रेमी है, परतंत्रता की बेड़ियों में वह जकड़े रहना नहीं चाहता। इसी राष्ट्र प्रेम के कारण उनकी माली हालत बिगड़ती गई। वह पहाड़ों में निवास करते गए। एक तरफ पहाड़ी वन्य जीव उनके जीविका उपार्जन, उपज के व्यवसाय के साधन बने, सहयोगी बने। दूसरी ओर जो वन सम्पदा थी वह भी उनकी उदरपूर्ति का साधन बनी। आजादी के बाद उस इलाके में सिंचाई के साधन बढ़ाने के लिए, मैं उसी मुद्दे पर आना चाहता हूं, कई बड़ी योजनायें, वृहद् योजनायें हाथ में ली गईं, मध्यम योजनायें हाथ में ली गईं। 1 नवम्बर, 1983 को हिन्दुस्तान की प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने बांसवाड़ा में जा कर माही बजाज सागर परियोजना राष्ट्र को समर्पित की। बड़ी खुशी की बात थी। समाचार पत्रों में भी, सभापति महोदय, आपने पढ़ा होगा कि इस परियोजना के पूरी होने पर सारा बांसवाड़ा जिला सरसब्ज होगा, उस इलाके का किसान अपनी हरी-भरी खेती को देख कर अपने नये आयाम और नई कल्पना बनायेगा कि हमारी माली हालत किस प्रकार से सुधरे, हमारे बच्चों का भविष्य क्या बने, उसकी रूपरेखा उसके दिमाग में बनी थी। परन्तु, सभापति महोदय, मैं जो बात निवेदन करना चाहता हूं वह इसलिए, चूंकि आप वकील हैं, न्याय-विद् भी हैं, समाचार पत्रों में आपने पढ़ा

(श्री नंदलाल मीणा)

होगा कि बिहार के आदिवासियों ने सरकार के खिलाफ मजबूर होकर आन्दोलन छेड़ा था, उस आन्दोलन का सबसे बड़ा मुद्दा यह बनाया था कि हमारे आदिवासी इलाके में बगैर हमारी मंजूरी के, बगैर आदिवासियों की भावना के कोई भी वृहद् सिंचाई की योजना हाथ में नहीं ली जाय। कोई भी मध्यम योजना हाथ में नहीं ली जाय। इसके पीछे उनका कारण यह था कि आज का आदिवासी, जो हिन्दुस्तान के हर कोने में रहता है उसकी छोटी होल्डिंग होती है, सभापति महोदय, पांच बीघा, दस बीघा। डेढ़ बीघा से लेकर पांच या ज्यादा से ज्यादा दस बीघा जमीन होती है। सिंचाई के बड़े-बड़े बांध बने, उन बांधों के जरिये उनकी जमीन डूब में चली गई। जो कुछ भी अचल सम्पत्ति उनकी थी वह भी डू चलीगई। यही हालत माही परियोजना की वजह से उदयपुर सम्भाग के साथ और खास तौर से बांसवाड़ा के लोगों के साथ हुई है।

सभापति महोदय, 4407 खातेदार आदिवासी कृषक माही परियोजना से प्रभावित हुए हैं जब नवम्बर, 83 में यह वृहद् योजना राष्ट्र को समर्पित की गई। सभापति महोदय, 3071 लोग, 4407 में से 3071 विस्थापित लोग, आज भी दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। उनमें से लगभग 95 फीसदी आदिवासी हैं। मैंने यह उदाहरण, सभापति महोदय, इसलिए दिया कि वहां का आदिवासी इस बात से परेशान है कि उसकी जमीन डूब में चली गई। सरकार ने उनसे वायदा किया था कि जो जमीन डूब में जायेगी उसकी एवज में उनको बसाने के लिए हम स्थान देंगे इसके अलावा खेती, उदर पूर्ति के लिए उसी हिसाब से आपको जमीन भी देंगे। सभापति महोदय, परन्तु नवम्बर, 1983 के बाद यह जो 3071 आदिवासी हैं इनका जीना दूभर हो गया जो कांग्रेस (आइ) की हुकूमत ने किया। इस बारे में बार-बार सदन में कहता आ रहा हूं। बजट सत्र में भी मैंने इस सवाल को उठाया था। इनके लिए मेरी पीड़ा इसलिए है कि यह वह वर्ग है जो आज गरीबी की रेखा से नीचे की जिन्दगी बसर कर रहा है और जिसने अपना सर्वस्व अपने देश की आजादी को कायम रखने के लिए, स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने के लिए न्योछावर किया था। वह व्यक्ति आज पूजा के बजाय दया का पात्र बनता है तो यह हमारे लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए कलंक का कारण बनेगा कि जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी थी वह आज दया का पात्र बनता जा रहा है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह लोग जिनकी जमीन माही की डूब में गई उनको आज दिन तक कहीं और नहीं बसाया गया तो ये प्रतापगढ़ के जंगलों में आ कर बस गए। सभापति महोदय, श्रद्धेय शेखावत साहब की सरकार ने एक कानून पास कर निर्णय लिया था कि 1971 के पहले जिन व्यक्तियों ने जंगलात की भूमि पर कब्जा कर लिया है और वह भूमिहीन हैं उन व्यक्तियों को 1971 की संख्या के आधार पर रेगुलराइज कर दिया जाएगा। जनता शासन के दौरान इस सम्बन्ध में आवश्यक प्रक्रिया प्रारम्भ की। उस प्रक्रिया के माध्यम से यह ट्रेस आउट कर दिया गया कि कौन व्यक्ति इस इलाके में ऐसा

(श्री नंदलाल मीणा)

है जो माही और कडाणा से प्रभावित है और वन भूमि पर काबिज है।

दूसरा क्षेत्र डूंगरपुर जिले का, सभापति महोदय, कडाणा है। 1966 में राजस्थान और गुजरात के बीच में एक समझौता हुआ था कि जो लोग डूंगरपुर जिले में कडाणा से प्रभावित हुए हैं उनको मुआवजा दिया जायगा। लेकिन उनमें से 585 लोग ऐसे हैं जिनको आज दिन तक मुआवजा नहीं दिया गया। मैंने इस बात को गत बजट सत्र में भी उठाया था, सभापति महोदय, परन्तु बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि उनका पुनर्वास करने के लिए रिहैबिलिटेशन का जो आफिस वहां था उस विभाग को भी वहां से हटा दिया गया। आज वह लोग दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, यह हालत वहां हुई। जबकि उनकी जो सम्पत्ति थी, मंदिर थे, छोटे-मोटे देवरे थे, धार्मिक स्थान थे उनका मुआवजा राजस्थान सरकार ने गुजरात से ले लिया परन्तु उन गांवों को जिन गांवों को दूसरी जगह बसाया गया धार्मिक स्थानों का मुआवजे का पैसा नहीं लौटाया गया। यह स्थिति प्रभावितों के बारे में है इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार की इस बारे में स्पष्ट नीति क्या है? राजस्थान सरकार के पास उन आदिवासियों के लिए क्या कोई टाइम बाउण्ड प्रोग्राम है जिनकी जमीन माही और कडाणा की डूब में गयी, लेकिन कब्जा नहीं दिया गया? जिनको कब्जा नहीं मिला है उन आदिवासियों को सरकार कब तक कब्जा दे देगी। बीस सूत्री कार्यक्रम के नाम से, पिछड़े को पहले के नाम से यदि आप वाहवाही लेना चाहें तो गिरहबान में नजर डालकर देखिये कि क्या हो रहा है आपकी बगल में, डूंगरपुर में क्या हो रहा है। यह स्थिति आज वहां की है।

दूसरी बात, सभापति महोदय, यह वर्ग आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। इन लोगों को आप रोजगार के लिए रेशम की कीड़े पालने की योजना देते हैं, खादी और ग्रामोद्योग की योजना देते हैं, बीड़ी बनाने का धन्धा शुरू करवाते हैं जोकि उनकी रुचि के विपरीत है। आदतन वह खेती करता है, वन सम्पदा के आधार पर अपना जीवन-यापन करता है। खेती में उनका हिस्सा कितना था टिनेन्सी एक्ट लागू होने के पहले, मैं राजस्थान सरकार के मन्त्रिमण्डल में बैठे हुए मंत्रियों से पूछना चाहता हूं? यदि आपमें हिम्मत हो तो आप इस बात को गहराई से देखें और अपने सचिवालय में जाकर विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से पूछें। टिनेन्सी एक्ट लागू होने के पहले मैं राजस्थान के काश्तकार जो शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब के हैं, सभापति महोदय, के पास जो जमीन थी वह जमीन आज इतना अरसा गुजर जाने के बाद उनके हाथ से निकल गैर आदिवासियों और गैर हरिजनों के पास चली गयी है। आज सिंचाई के छोटे-छोटे बांध बनाये जाने चाहिए, छोटे-छोटे एनीकट उस इलाके में बनाये जाने चाहिए। लेकिन उनको दूसरी ओर उन्मुख करके राजस्थान की सरकार उनके लिए, जैसा मैंने बताया

(श्री नंदलाल मीणा)

रेशम के कीड़े पालना, फार्म फोरेस्ट्री का धन्धा करना जो उनके व्यवहार में और रूचि में नहीं हैं, वह करके सारा पैसा इसमें लैप्स करना चाहती है।

मैं आगे यह भी कह देना चाहता हूं, सभापति महोदय, कि आदिवासियों का जंगलात से बड़ा सम्बन्ध है, चोली-दामन का सम्बन्ध है। जंगलात के 1971 के पहले के मुकदमे सरकार के सामने आ चुके है। जब शिड्यूल्ड कास्ट्स कमिश्नर की रिपोर्ट पर यहां विचार विमर्श हो रहा था मैंने उस वक्त एक बात कही थी जिस पर राजस्व मन्त्री ने कहा था कि मैं इसको गहराई से देखूंगा। सभापति महोदय, उस बात को एक साल हो गया। एक साल के बाद आज दोबारा मैं यह बात कह रहा हू कि वे 3071 लोग जो बांसवाड़ा में माही और कडाबा से प्रभावित हुए थे बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में आ कर बस गये। उन में से 784 लोगों ने प्रतापगढ़ में 5272 बीघा जमीन पर कब्जा कर लिया। अब उन लोगों को वेदखल किया जा रहा है जबकि सितम्बर के माह में, सभापति महोदय, आप भी सदन में विराजे हुए थे, राजस्थान के मुख्य मंत्री श्री शिवचरण जी माथुर ने इस बात की घोषणा की थी कि आदिवासियों जिन्होंने जंगलात की जमीन पर कब्जा कर रखा है, को मैं वेदखल नहीं होने दूंगा, इसके लिए जिला स्तर पर एक समिति का गठन करूंगा जो सारे इलाके की जांच करके राजस्थान सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार के नुमाइन्दों से पूछना चाहता हूं कि क्या आपके पास उन अधिकारियों की रिपोर्ट आयी? अगर आयी तो वह रिपोर्ट क्या है? क्या उस रिपोर्ट के आधार पर जो काबिल आदिवासी लोग हैं उनको उस जमीन पर रेगुलराइज कर देना चाहते हैं? सभापति महोदय, एसे कई मामले, कई प्रकरण हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट में चल रहे हैं। आज एक आदिवासी की यह हिम्मत नहीं है कि अपने गांव से जिला हैडक्वार्टर पर जावे और आनेजाने का खर्चा कर सके या होटल में ठहर सके। आज उनकी दयनीय स्थिति है, आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। परन्तु लम्बे समय से 1971 के पहले के प्रकरण उनके पास विचाराधीन हैं।

इस प्रकार की स्थिति इस सारे इलाके में है। दूसरा निवेदन स्पष्टीकरण के लिए और करना चाहूंगा कि राजस्थान में लगभग 52 प्रतिशत गांवों को विद्युतीकृत कर दिया गया है जबकि ट्राइबल सब प्लान के केवल 40 प्रतिशत गावों को विद्युतीकृत किया गया है। प्रदेश के जनजाति विकास विभाग की जो हाई पावर कमेटी है उसने राजस्थान सरकार को कहा है। यदि

(श्री नन्दलाल मीणा)

वास्तव में शिवचरणजी माथुर की सरकार आदिवासियों की हिमायती सरकार है तो यह 12 प्रतिशत बिजली का बैकलाग है, उसको पूरा करें। क्योंकि जब तक आदिवासी के कुएं पर बिजली नहीं जायेगी, उसके गांव में बिजली नहीं होगी तब तक नये उद्योग स्थापित नहीं हो सकते, उन्नत खेती नहीं हो सकती और असिंचित भूमि को सिंचित कृषि भूमि में नहीं बदल सकते, और जब यह सब नहीं हो सकता तो वह आदिवासी गरीबी के जिस दलदल में फंसा हुआ है उससे ऊपर नही उठ सकता है। यह जो 12 प्रतिशत बिजली का बैकलाग है उसके बारे में सरकार की क्या नीति है? मैं प्रतापगढ़ तहसील के बारे में निवेदन कर देना चाहता हूं। 1979-80 में वहां की अरनोद पंचायत समिति को विद्युतीकृत घोषित कर दिया गया। गांव के पास बिजली के खम्भे लगाकर बिजली तो पहुंचा दी गयी किन्तु किसी गांववासी को कनेक्शन नहीं दिया गया, कुओं पर लगी मोटरों को बिजली के कनेक्शन नहीं दिये गये और जो जीरो पोल थे उन पर भी कनेक्शन नहीं दिया। यह स्थिति कांग्रेसी हुकूमत की है।

पेयजल के बारे में, सभापति महोदय, बहुत कुछ कहा गया है। समस्याग्रस्त गांवों में तो सरकार काम कर रही है। ऐसे कुछ इलाकों में हैण्ड पम्प लगे हैं। कुछ खराब पड़े हैं, पूरे नहीं खुले हैं, सारी बातें हैं। परन्तु उन इलाकों में समस्या रहित 908 गांव ऐसे हैं जिनमें लोग नारू रोग से पीड़ित हैं। जब जून का महीना आयेगा और तपती धूप में अन्य क्षेत्रों का किसान अपने खेत को जोतेगा तो उस समय उस इलाके का आदिवासी काश्तकार नारू रोग से पीड़ित अपने घर में किसी खटिया पर पड़ा चीखता रहेगा। सरकार ने क्या किया इस बीमारी के बारे में? आज तक कोई कदम नहीं उठाया है। जब इसके बारे में कहा जाता है तो यह जवाब दिया जाता है कि समस्यारहित गांव हैं, सभापति महोदय, समस्यारहित गांव नारू रोग से पीड़ित हैं और इसके बारे में सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की है।

माननीय सभापति महोदय, माननीय चेतरामजी यहां पर बैठे हुए हैं, वे अभी कुछ समय पहले प्रतापगढ़ गये थे। उन्होंने रामपुरिया गांव में भाषण दिया, आदिवासियों के बीच में उन्होंने यह कहा कि रामपुरिया में जो डिस्पेंसरी चल रही है उस के लिए श्री नन्दलाल मीणा ने प्रयास करके ट्रांसफर कराने को कहा। मंत्री महोदय, आप मंत्री हैं, जिम्मेदार पद पर हैं, उस पद की गरिमा है। आप क्या हैं, आपकी औकात क्या है, यह तो आप जानें। परन्तु इस पद की गरिमा के साथ खिलवाड़ नहीं करें। आज आप मंत्री हैं कल दूसरे

(श्री नन्दलाल मीणा)

मंत्री बनेंगे। मंत्री पद की गरिमा होती है उस गरिमा को आप धूमिल मत करो। यदि आपने यहां यह कहा है तो उसका आप अभी यहां सदन में स्पष्टीकरण दें कि आपने यह बात क्यों कही और यदि मैंने लिखकर दिया है तो पत्रावली आप सामने रखें। इसके अलावा भी आपने कुछ और बातें कही हैं। मेरी समझ में नहीं आता, कांग्रेस पार्टी के लोग आपस में झगड़ते होंगे, उनकी आपस में प्रतिद्वन्द्विता हो सकती होगी परन्तु पी. डब्ल्यू. डी. मंत्री आकर यह कहें कि यहां का विधायक तो विधान सभा में बोलता ही नहीं है इसलिये काम नहीं हो सकता। मैं यह कह सकता हूं, सभापति महोदय, राजस्थान के बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत एक कार्यक्रम है। बन्धुआ मजदूरों की खोजबीन और पुनर्वास के के 87 मामले अरनोद पंचायत समिति ने पकड़े। उनका अदालत में चालान किया गया। उनके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं। इसके लिये भारत सरकार ने, राजस्थान सरकार पुनर्वास योजना के अन्तर्गत को पैसा दिया, उसके बारे में कार्यवाही होगी। परन्तु वहां के कलक्टर को मंत्री महोदय ने कह दिया कि बन्धुआ लोगों के पुनर्वास के लिए इनकी दोबारा खोज करने की कोशिश की गयी तो ठीक नहीं है आज वहां का आदिवासी, हरिजन गरीब है। आज वहां के जमीदारों के यहां 95 फीसदी यदि कोई नौकर है तो वह आदिवासी या हरिजन है।

श्री चेतराम मीणा (राज्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण, सभापति महोदय, पहली बात जो कही थी, उसका तो कोई सबूत ही नहीं है लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि मैं जब चितौड़ गया था तो उस समय कलेक्टर महोदय वहां पर थे ही नहीं, छुट्टी पर थे। माननीय सदस्य जो कुछ कह रहे हैं वह बिलकुल असत्य भाषण कर रहे हैं।

श्री नन्दलाल मीणा : मैं पब्लिक मीटिंग की बात कर रहा हूं।

श्री चेतराम मीणा : आप यह कह रहे हैं कि मैंने कलक्टर को यह कह दिया।

श्री नन्दलाल मीणा : कलक्टर से आपने यह बात कही है। कौन-कौन व्यक्ति आपके पास आये हैं और आप मुख्य मंत्री के घर भी गये हैं और वहां से टेलीफोन हुआ है कलक्टर को दबाने के लिए, मैं बता सकता हूं। आप क्या बात कर रहे हैं। मैं बता सकता हूं मय प्रमाण।

श्री चेतराम मीणा : आप यह असत्य भाषण कर रहे हैं कि मैंने कलेक्टर

(श्री चेतराम मीणा)

को यह कहा। यह बिलकुल X X X बात है।

श्री नन्दलाल मीणा : आपने नहीं कहा होगा, आपने सैक्रेटरी ने कहा होगा। आपकी तो चलती नहीं है। मै पूछना चाहता हूं आपसे, आपने यदि यह नहीं कहा....

श्री सभापति : आपस में वाद विवाद नहीं करें। कृपया आसन को सम्बोधित कीजिए।

श्री नन्दलाल मीणा : यदि आपने यह नहीं कहा तो क्या आप यह कह सकते हैं कि बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत बन्धुआ मजदूरों की खोज के संबध में जो सूत्र बना हुआ है उस सूत्र के अन्तर्गत प्रतापगढ़ में जाकर छानबीन कीजिए? अगर आप कह सकते हैं तो मैं मान लूंगा कि....

व्यवधान

श्री चेतराम मीणा : अभी आप कहरहे हैं आपने नहीं कहा तो आपके सेक्रेटरी ने कहा होगा, यह सारी बात तो वही हुई........

श्री नंदलाल मीणा : तो क्या आप यह कह सकते हैं कि आपके बीस सूत्री कार्यक्रम में बन्धुआ मजदूरों को मुक्ति का जो एक सूत्र है, उसके अन्तर्गत सरकार, कलक्टर फौज को लेकर जाये और अरनोद पंचायत समिति में खोज करे? क्या आप यह कह सकते हैं आज की तारीख में? यह आप नहीं कह सकते। दाल में काला है, सभापति महोदय, इनकी कथनी और करनी में अन्तर है। यह इन लोगों ने एक षडयंत्र रचा है ताकि गरीब आदिवासी उन लोगों के शिकंजे में फंसा रहे, जिन्दगी भर कर्जों से दबा रहे, बच्चों की शिक्षा तो दूर अपने जीवन निर्वाह के बारे में न सोच सके कि कभी वह दिन भी आयेगा जब मैं स्वतंत्रता से जी सकूंगा, मेरा भी मकान होगा। मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं........

श्री सभापति : कृपया दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री भगवानदास शास्त्री : समय पांच बजे तक ही है।

श्री नन्दलाल मीणा : दो मिनट में ही कर दूंगा। सभापति महोदय, अगस्त, 83 में माननीय मुख्य मंत्री प्रताप गढ़ गये थे। जन सभा को सम्बोधित करते हुए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने एक बात कही थी........

सदन की कार्यवाही

विधन सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री भगवानदास शास्त्री : समय बढ़ा दे....

श्री चेतराम मीणा : (राज्य मंत्री सार्वजनिक निर्माण) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय माननीय सदस्य के भाषण समाप्त होने तक बढ़ा दिया जाये।

X X X शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री सभापति : सदन की अनुमति से सदन का समय माननीय सदस्य श्री मीणा के भाषण समाप्त होने तक बढ़ाया जाता है।

धन्यवाद प्रस्ताव

श्री नन्दलाल मीणा : सभापति महोदय, चिकित्सा के बारे में निवेदन कर रहा था मैं। कहीं पर एक्सीडेंट होता है तो मुख्य मंत्रीजी राहत की घोषणा करते हैं। कहीं किसी प्रकार की अप्राकृतिक मौत हो हो जाती है तो उसके बारे में प्रावधान है कि कोष से पैसा दें। सभापति महोदय, मैं वही बात निवेदन करना चाह रहा हूं कि आदिवासी इलाके में बीमारी से प्रभावित लोगों के लिए सरकारी अस्पताल नहीं। अस्पताल है तो कर्मचारी नहीं। कर्मचारी है तो दवाई नहीं। इन परिस्थितियों में जो मौत हुई हैं उसके लिए राजस्थान सरकार ने एक पैसा उनको अनुदान के रूप में नहीं दिया। इस प्रकार का सौतेला व्यवहार उस इलाके के साथ, उस अनाथ के साथ न्यायसंगत बात नहीं है। मैं यह चाहूंगा सभापति महोदय, आपके माध्यम से कि सरकार इस बात की घोषणा करे कि चित्तौड़गढ़ जिले में लोग बाग मारे गये, कई लोग मारे गये लेकिन किसी के लिए यह नहीं हुआ।

सभापति महोदय, मैं जो एक अहम बात निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि इस ट्राइबल सब-प्लान के लिये भारतीय संविधान में प्रावधान है। इसके लिये संविधान की पांचवीं अनुसूची के अनुच्छेद 244-(एक) भाग-"ख" में यह लिखा हुआ है कि प्रदेश के स्तर पर ट्राइबल सब-प्लान के लिए एक समन्वय समिति होगी जिसमें इसका मंत्री इसका अध्यक्ष होगा और साल में तीन बार इसकी मीटिंग होगी जो इन लोगों के सोशियल रिफार्म के लिए इकोनोमिक डवलपमेंट के लिये विचार करेगी, उसके आधार पर योजना चलायेगी। सभापति महोदय, सन 1980 में जब कांग्रेस की हुकूमत आयी, इसको कोई तवज्जोह नहीं दिया गया। जब राजस्थान विधान सभा में इस विषय पर एक स्थगन प्रस्ताव आया तब बड़ी मुश्किल से 18 नवम्बर, 1981 को समिति का गठन किया गया। इसके बाद, सभापति महोदय, पहली बैठक हुई 16 मार्च, 1982, को दूसरी जनवरी, 1983 को, तीसरी मई, 1983 को रखी गयी। यह बैठक स्थगित कर दी गयी। फिर जुलाई में रखी गयी। वह भी स्थगित कर दी गयी। फिर दिसम्बर, 1983 में रखी गयी। बड़ी मुश्किल से मीटिंग हुई। उसके बाद फरवरी में रखी गयी। सभापति महोदय, वह भी स्थगित कर दी गयी। कितनी बंजर जमीन उनके पास है, कितनी नवतोड़ और जंगलात की जमीन पर उन्होंने कब्जा कर रखा है, उनको कैसे रेगुलराइज करना चाहिये, उसके बारे में अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। वह रिपोर्ट आज भी सरकार के पास पड़ी हुई है। सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा जंगलात के बारे में कि गरीबों के झोंपड़े जला कर उनको भगा दिया गया।

(श्री नन्दलाल मीणा)

आज वन्य जीव अभयारण्य के नाम पर उन हजारों गावों जो प्रतापगढ़ तहसील की जमीन पर बसे हुए सीतामाता के जंगल में सैकड़ों वर्षों से वहां बसे हुए हैं को बेदखल किया जा रहा है। उनको रीहैबेलिटेट करने का सरकार के पास कोई इरादा नहीं है। सिर्फ यह योजना है कि उनको बेदखल करके कैसे निकाला जाय ताकि वह इसी तरह से दर-दर भटकते फिरें और इनके सामने दया के पात्र बन कर खड़े हों। सभापति महोदय, इसके अलावा जंगलात की बात आपसे छिपी हुई नहीं है। वहां से नाजायज लकड़ियां दुनिया भर की काट रहे हैं। अधिकारी और व्यापारी मिल कर इन लकड़ियों की काला-बाजारी कर रहे हैं। हमने जिला परिषद की बैठक में और मंत्री महोदय के माध्यम से जन जाति समन्वय समिति, उदयपुर में इस बात को कहा था कि जंगलात की नाजायज कटाई रुकवाओ। अधिकारी लोग व्यापारियों से साजिश करके नाजायज व्यापार कर रहे हैं। सभापति महोदय, यह बात इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि प्रतापगढ़ में जलाऊ लकड़ी के लिए आदिवासी को एक बैलगाड़ी निःशुल्क लकड़ी काटने का परमिट मिलता है और गैर आदिवासी काश्तकार को कुछ रुपये देने पड़ते हैं। गत वर्ष, सभापति महोदय, एक-एक काश्तकार से 65-65 रुपये प्रति बैलगाड़ी वसूल किये गये हैं, रसीदें नहीं दी गयी हैं। जिलाप्रमुख की अध्यक्षता में जिला परिषद में इस मसले को उठाया। जिलाधीश की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया कि वह जाकर वस्तु स्थिति की जांच करे परन्तु वह जांच रिपोर्ट आज तक सामने नहीं आई और फिर यह सिलसिला शुरु हो गया है। जब इस बारे में अधिकारियों से बात करते हैं तो वे कहते हैं कि आप कर लीजिए हमारी शिकायत, कर लीजिए जो करना हो, हमारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता, हमको ठेठ आगे तक हिस्सा पहुंचाना पड़ता है। यह परिस्थिति जहां पर हो वहां पर पर्यावरण की बात करें, वन्य जीवों की रक्षा की बात करें तो यह कोरी कल्पना होगी। इसलिए मैं आपके माध्यम से राज्य-सरकार से जवाब चाहूंगा कि सरकार की स्पष्ट नीति क्या है, उसका बखान करें।

प्लाण्टेशन के कार्यक्रम में इतने पौधे लगाये गये, इतना यह हो गया, पांच रुपये, प्रति एक साल दिये जायेंगे उसे जो प्लाण्टेशन करेगा, फिर दूसरे साल तीन रुपये दिये जायेंगे, तीसरे साल में पांच रुपये फिर दिये जायेंगे। सभापति महोदय, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि प्रतापगढ़ में एक रेंजर है प्लाण्टेशन का। सभापति महोदय, प्लाण्टेशन के लिए लोहे के तार खरीदे जाते हैं, लोहे के एंगल खरीदे जाते हैं और लकड़ी की बल्लियां खरीदी जाती हैं ताकि पौधों को जो बारिश के समय लगाते है उनकी रक्षा की जाय। सभापति महोदय, इस जनवरी, 1984 में 15 क्विन्टल लोहा बेच दिया गया और नौ बण्डल इसके खरीदे गणेश आयरन फैक्ट्री, प्रतापगढ़ से, एक रामेश्वर बंसल ने खरीदे। लकड़ी के खम्भे, लकड़ी के एंगल बेच दिये। और तो और, सभापति महोदय, उस अधिकारी ने जो अलवर का रहने वाला है फर्जी मस्टररोल में अपनी पत्नी का नाम भी लगा रखा है जो प्रतिवर्ष हर

(श्री नन्दलाल मीणा)

रोज चल रहा है। उसकी पत्नी का नाम है श्रीमती श्यामाप्यारी। और दूसरे हैं जगपाल सिंह पुत्र सुबीरसिंह लगभग 334 रुपये प्रति माह चार साल से रेंजर की पत्नी और नौकर जो अलवर में उनके घर पर काम करता है, उनका पैसा प्रतापगढ़ से जंगलात विभाग के खजाने से उठाया जा रहा है। इसी प्रकार सभापति महोदय, जनवरी, 1984 में 28 हजार रुपये मस्टर-रोल पर लगाये गये मजदूरों के लिए उठाया गया और 29 जनवरी, 1984 को केवल 9 हजार रुपये का पेमेन्ट किया गया। बाकी सारा पैसा फर्जी मस्टररोल से खा रहे हैं। यह कल्पना की जा सकती है, सभापति महोदय, कल्पना क्या विश्वास किया जा सकता है कि इस तरह की योजना अधिकारियों के हाथ में और सरकार में बैठे मंत्रियों के हाथ में दे दी जायेगी तो वह पैसा जो गरीब काश्तकारों के पसीने की कमाई है प्लाण्टेशन के नाम पर सरकार के खजाने से व्यर्थ जा रहा है। आप इन्हें आगाह करें कि अपनी इस कुचाल से राजस्थान की जनता को बचाने के लिए कम से कम जनता पर तो रहम करें।

सभापति महोदय, दूसरी बात मैं कुओं के बारे में कहना चाहता हूं। आदिवासी लोगों के लिए एक कर्जा देना तय किया गया जब हम लोग हुकूमत में थे। कुए गहरे करने के लिए पांच हजार के कर्ज का प्रावधान किया गया। पांच हजार ले लिए लेकिन बीच में चट्टान आ गई, पानी नहीं निकला तो वह तो कर्जदार बन गया, हमने तो उसे खाली घर बैठे कर्जदार बना दिया। इसलिए जब तक उसकी जमीन सिंचित नहीं हो जाय तब तक सारा पैसा सरकारी अनुदान होगा। अब हो क्या रहा है, सभापति महोदय? 80-81 में चित्तौड़गढ़ जिले के लिए जनजाति विकास अभिकरण ने अण्डरग्राउन्ड वाटर बोर्ड को एक लाख रुपये दिये कि यह चयनित आदिवासियों के कुए गहरे कराने के लिए होंगे परन्तु, सभापति महोदय, बोर्ड ने केवल 15, 228 रुपये खर्च किये। यही हालत डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही की आबू रोड तहसील और कोटा के किशनगंज, शाहबाद के सारे इलाकों में है। इसी तरह से यदि सरकार काम कर रही हो तो हम यह कैसे कह सकते है कि यह आदिवासियों का भला चाहती है। सम्भव ही नहीं। उनको गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। एक बात और निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, राजस्थान में 95 प्रतिशत आदिवासी कर्जदार हैं। अभी 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत योजना बनायी, सांगानेर से आने वाली माननीय सदस्या ने एक बात कही। यह मैं बड़ी जिम्मेदारी से निवेदन करना चाहता हूं कि जिन व्यक्तियों को बकरियां, भैंस, बैल-गाड़ी अथवा घोड़ा गाड़ी दी गई, मैंने अपने गांव में देखा है, छोटी सादड़ी में जाकर देखा है कि जिस व्यक्ति के नाम पर भैंस दी गयी उसको भैंस तो दूर भैंस का गोबर भी हाथ नहीं लग रहा। दूध कोई खा रहा है और वह सांगड़ी बंधुआ मजदूर की तरह गोबर उठाकर अपनी टोकरी में डालती है। यह

Page No. 134

(134)

(श्री नन्दलाल मीणा)

हालत है। और इसी हालत की वजह से आदिवासियों में ऋणग्रस्तता बढ़ रही है।

अभी वित मंत्री महोदय यहां बैठे हुए थे, उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं। लाइसेंसिंग व्यवस्था में भी, सभापति महोदय, बड़ा खोटाला है। मान लीजिए, मैं गया। मैं मजबूर हूं किसी बात से और मुझे कर्जा लेना है 100 रुपये। 100 रुपये पर दस्तखत कराये, 1000 रुपये लिख दिये। 20-22 प्रतिशत ब्याज, आधा पैसा पहले ही काट लिया। इसी तरह से सारे इलाके में ऐसे साहूकार बैठे हुए हैं जो भारी ब्याज से इन लोगों का शोषण करते हैं। सरकार के सामने मैंने यह बात रखी थी। मैंने यह चाहा था कि सरकार इस पर विचार करे कि जो बिना लाइसेंसधारी बोहरे हैं उनकी संख्या कम नहीं है। गये वर्ष जब प्रशासन गांव की ओर गया था तब सिर्फ प्रतापगढ़ तहसील में ऐसे 174 प्रकरण सामने आये थे। सरकार ने जवाब के तौर पर वादा किया था कि हम उनके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे। परन्तु आज तक, सभापति महोदय, उनके बारे में कोई कार्यवाही नही की गई, और मुझे लगता है कि सरकार उनके बारे में कोई कार्यवाही करना भी नहीं चाहती। मैंने यह बात इसलिये निवेदन की कि सरकार कहती है कि हमने आदिवासियों के लिए बहुत कुछ किया।

सन् 1981 में चेतराम जी मीणा समाज कल्याण विभाग के मंत्री बने। बड़ी बेताबी थी इनको मंत्री बनने की। बनते ही किस तरह से आदिवासियों के साथ अपना प्रतिशोध लिया, बदले की भावना से काम किया। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि उन्होंने समाज कल्याण के अन्तर्गत चलने वाले छात्रावासों में दोहरी व्यवस्था कायम कर दी। कुछ छात्रावास जो पंचायत समिति क्षेत्र में चलते थे उनको पंचायत समिति को स्थानान्तरित कर दिया और कहा गया कि आप अपने निजी बजट से उन छात्रावासों को चलाइये, सरकार बाद में आपको अनुदान दे देगी। सभापति महोदय, होस्टल चले, मैस कमेटी बनाई गई। मैं यह प्रमाणित कर सकता हूं कि जिन 4-4 छात्रों को मैस कमेटी में रखा गया, उनमें से एक भी छात्र पास नहीं हुआ। यानि सरकार ने प्रत्येक छात्रावास में प्रति वर्ष चार छात्रों के अनुत्तीर्ण होने की योजना दे दी ताकि कम से कम यह आगे नहीं बढ़ सकें। इसी तरह से यह भी भेदभाव किया कि राजस्थान के 27 जिलों में से 21 जिलों में तो यह योजना लागू कर दी लेकिन भरतपुर, धौलपुर, जालौर, चूरू, झुन्झुनू और सीकर में लागू नहीं की। यदि सरकार वास्तव में इसकी हिमायती थी और यदि इन छात्रों के लिए यह योजना कारगर थी तो इन 5-6 जिलों को क्यों विमुक्त रखा, इनका जवाब दें। मैं तो आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि यदि आप में थोड़ी भी इन्सानियत है तो इस योजना पर पुनर्विचार करना चाहिए। इस योजना से विद्यार्थियों का भविष्य बिगड़ा है, अंधकारमय हो रहा है। जो बन्दरबांट अधीक्षक और विभाग तक सीमित थी वह पंचायत, जिला परिषद, पंचायत समिति और जो भी स्कूल का हैड

(श्री नन्दलाल मीणा)

मास्टर है और व्यवस्थापक इन है चार-पांच लोगों के बीच व्यवस्था फंस गई है जिससे विद्यार्थी दुखी हैं। और उनके पैसों की कटौती और कर ली। इस प्रकार की स्थिति आज इस सारे इलाके में है।

इसी से यह पता लगता है कि आदिवासियों के बारे में यह सरकार कितनी चिन्ता करती है। मीटिंग आयोजित करती है, बैठकें बुलाती है, विचार विमर्श करती है और स्कूल पाठशाला खोलने के बाद अपनी दुकान कैसे चले, यह चिन्ता इनको रहती है। आदिवासी के बारे में कोई चिन्ता नहीं। मैं समझता हूं, यह अब नहीं होगा। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि चुनाव भी नजदीक हैं और आप इस होश में मत रहना कि आदिवासी मूर्ख हैं और आपको वोट दे देंगे। वह स्थिति अब नहीं होगी। आपका वोट आपके हाथ से निकल चुका है। आज मैं समझता हूं कि विहार की तरह चुने हुए जो नुमाइन्दे हैं उनको चीर-नोच कर, पकड़-पकड़ कर नहीं मारें, तब तक उनके समझ में आने वाला नहीं है। आज छात्रावास में जो आदिवासी लड़के रहते हैं उनको वहां पर खाने को रोटी, नहीं सब्जी नहीं, दाल नहीं। वे आज मिस्सी रोटी सिर्फ प्याज के साथ खाते हैं। इससे वे क्या करेंगे? सिर्फ बदला लेने के और कुछ नहीं करेंगे।

श्री अमरचन्द जैन : आप मिनिस्टर थे उस समय क्या किया?

श्री नन्दलाल मीणा : जो हमने किया वह आपने 30 सालों में भी नहीं किया इन दो-तीन सालों में आपने जो किया है वह तो वन पर्सेंट भी नहीं है। हमारे समय में तो किसी प्रकार का भेद नहीं था। आपकी नीति आदिवासी से वोट लेने की है, उनको ××बनाने की है।

श्री सभापति : कृपया समाप्त कीजिये।

श्री नन्दलाल मीणा : सभापति महोदय, एक बात और कहना चाहता हूं कि मैंने एक चिट्ठी लिखी उप मंत्री चिकित्सा को कि आदिवासी इलाके में डॉक्टरों के इतने-इतने पद रिक्त हैं, कम्पाउन्डरों के इतने-इतने पद रिक्त हैं। पर उसका कोई जवाब नहीं दिया गया। जवाब देते कैसे? इनके यहां कोई हिसाब-किताब नहीं है। जबकि यह जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा है। आपने आदिवासी इलाके में 1982-83 में सिर्फ 24 किलोमीटर सड़क बनाई है। उसके लिए जनता कभी भी आपको माफ नहीं करेगी। यही मेरा आपसे कहना है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. 5.00 बजे बुधवार दिनांक 7 मार्च, 1984 11.00 बजे तक के म. पू. के लिए स्थगित हुई।)

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अप्रलोपित किया गया

परिशिष्ट—1

(तारांकित प्रश्न संख्या . 1 का विवरण)

रिपोर्ट संख्या-1 तथ्यान्वेषण प्राधिकरण

अनियमितताओं की प्रकृति

1. सीमेन्ट की 900 बोरियों का दुर्विनियोग के लिए सर्व श्री बजरंगलाल तथा लक्ष्मणसिंह कनिष्ठ अभियन्ताओं तथा तुलसीराम, सहायक अभियन्ता को उत्तरदायी ठहराया गया। झूठे, एम. ए. एस. खाते बनाना। 175 सीमेंट की बोरियों का दुर्विनियोग या प्रयतित दुर्विनियोग। बीजकों को खोदने का जान-बूझकर प्रयत्न और यह दर्शाना कि वे भी खो गए गाड़ी की पर्चियों को अनुचित रूप से रखना। अभिलेख का मिथ्याकरण।

2. निम्नलिखित व्यक्ति इसके लिए उत्तरदायी है :—

श्री रूपसिंह, कनिष्ठ अभियन्ता, श्री महेन्द्रकुमार, सहायक अभियन्ता तथा श्री के. एल. भाटिया, अधिशाषी अभियन्ता।

3. मस्टर रोलों का मिथ्याकरण तथा सरकारी आदेशों के स्पष्ट रूप से उल्लंघन में मस्टर रोल तैयार करना, विभागीय कार्य, तथा सीमेंट के प्रयोग से बल्लार वितरण प्रणाली के लाइनिंग का कार्य नियमानुसार नहीं किया गया। जिन मस्टर रोलों का परीक्षण किया गया, वे श्री त्रिलोकसिंह, कनिष्ठ अभियन्ता तथा सोहनलाल कटारिया कनिष्ठ अभियन्ता, से सम्बन्धित है। पर्यवेक्षीय उपेक्षा श्री के. एल. गहलोत, सहायक अभियन्ता तथा हरशरणसिंह, अधिशासी अभियन्ता की है।

4. मस्टर रोलों को गलत तरीके से बनाना। इसके लिए श्री राजकुमार, कनिष्ठ अभियन्ता, श्री मुंशीलाल सचदेव, सहायक अभियन्ता श्री हरशरणसिंह, सहायक अभियन्ता, श्री आ. एन. माथुर, अधिक्षण अभियन्ता तथा डी. एस. नौजा, मुख्य अभियन्ता को उत्तरदायी ठहराया गया।

प्रतिवेदन संख्या 2 तथ्यान्वेषण प्राधिकरण

अनियमितताओं की प्रकृति

उस खण्ड, जिसमें मिट्टी काटकर भरने के लिए ले जाने के लिये मिट्टी उपलब्ध है तथा ऐसे ले जाने में अन्तवर्दस भार को उपदर्शित करते हुए समुचित प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया, मिट्टी को अत्यन्त किफायती ढग से प्रयोग में नहीं किया गया तथा परिवहन के अत्यंत किफायती तरीके का उपयोग नहीं किया गया।

2. विस्तृत प्राकलन क्षेत्र लेखाधिकारी को भेजे जाने चाहिए ताकि यह सत्यापित किया जा सके कि मिट्टी का किफायत से उपयोग किया जा रहा है तथा परिवहन का तरीका भी किफायती है परन्तु यह नहीं किया गया।

3. निविदा सूचना में प्राकलन के अनुसार अंचाकलित कुल भराव तथा कटाई और प्रत्याशित परिवहन का तरीका उपदर्शित नहीं किया गया।

4. मापमान-पुस्तिकाओं में की गई प्रविष्टियां पूर्णतः स्थल के अनुसार होनी चाहिए न कि समायोजन के आधार पर।

5. बिलों पर अभिलिखित किया जाने वाला प्रमाण-पत्र इस प्रकार बनाया जाना चाहिए कि जिससे उत्तरदायित्व का स्पष्टतः निर्धारण किया जा सके और सूचना भी निर्दिष्टतः दी जा सके, उदाहरणार्थ, मिट्टी के उपयोग, परिवहन के तरीके इत्यादि के सम्बन्ध में जो नहीं की गयी।

बीकानेर, लूणकरणसर लिफ्ट नहर की आर. डी. 162.5–165 से सम्बन्धित मिट्टी के कार्य में अनियमिततायें/गलतियों के लिए निम्नलिखित अधिकारी उत्तरदायी हैं :—

श्री एस. बी. सिंहल, कनिष्ठ अभियन्ता

श्री आर. एल माथुर, सहायक अभियन्ता

श्री सी. के. एस. माथुर, अधिशासी अभियन्ता

श्री डी. सी. चतुर्वेदी, तथा डी. एल नोजा, अपर मुख्य अभियन्ता।

प्रतिवेदन संख्या—3 तथ्यान्वेषण प्राधिकरण

अनियमितताओं की प्रकृति

(क) फरवरी अप्रेल, 1977 की कालावधि के 9 मस्टर रोलों की परीक्षा की गई और यह पाया गया कि इन मस्टर-रोलों को सामान्य अनुक्रम दिन प्रतिदिन नहीं भरा गया।

(ख) दैनिक श्रमिक रिपोर्ट, जो मस्टर रोलों के साथ थी, भी दिन-प्रतिदिन नहीं भरी गई थी।

(ग) मस्टर रोलों पर, उन्हें तैयार करने, पास करने तथा संदाय करने के सम्बन्ध में कनिष्ठ अभियंता तथा सहायक अभियन्ता के हस्ताक्षरों के साथ कोई तारीख नहीं है।

(घ) अंगूठा निशानियां पहचानने योग्य नहीं है।

(ड.) अंगूठा निशानियां किसी वयस्क सदस्य की नहीं है।

टिप्पणी :—तथ्यान्वेषण प्राधिकरण द्वारा जिन मस्टर रोलों की परीक्षा की गई वे निम्नलिखित अभियन्ताओं से सम्बन्धित है :—

1. श्री डी. के. माथुर, कनिष्ठ अभियन्ता
2. श्री आर. सी. जैन, कनिष्ठ अभियन्ता
3. श्री आर. वी. शर्मा, कनिष्ठ अभियन्ता
4. श्री आर. के. वर्मा, कनिष्ठ अभियन्ता
5. श्री भागीरथ, सहायक अभियन्ता
6. श्री नगायच, अभियन्ता
7. श्री ओ. पी. यादव

2. श्री पी. सी. माथुर, कनिष्ठ अभियन्ता मुगल शाखा खण्ड—1 के उपखण्ड—1 ने 20-7-77 को श्री बजरंगलाल, कनिष्ठ अभियन्ता खण्ड के उपखण्ड—1 की–मांग पत्र दिनांक 30-6-77 पर 750 बोरी सीमेंट जारी की। ये सीमेंट की बोरियां श्री बजरंगलाल के स्टाक रजिस्टर में प्रविष्ट नहीं है। तत्पश्चात् सीमेण्ट 537 बोरियां बाहर फेंकी हुई मिली तथा उन्हें पुलिस द्वारा जब्त कर लिया गया।

प्रतिवेदन संख्या-4 तथ्यान्वेषण प्राधिकरण

अनियमितताओं की प्रकृति

1. श्री एफ. सी. माथुर द्वारा 4430 बोरी सीमेंट जारी किया गया बताया जबकि वास्तव में 749 बोरी जारी की गई थी। जब श्री माथुर ने दलील देकर यह स्पष्टीकरण देना चाहा कि राजस्थान नहर परियोजना में यह चलन है कि निर्धारित बोरियां जारी किया जाना दर्शाया जाय ताकि सीमेंट के नष्ट हुए बैगों का दायित्व नियत न किये जाए।

2. श्री ए. डी. अरोड़ा को आवंटित किए गए सीमेंट के मांग पत्र पर दर्शाए गए वास्तविक उपभोग से मेल नहीं खाते हैं। दो सौ बोरों का अन्तर है। स्पटीकरण मांगने पर बताया गया कि इसे परियोजना पर के मानक उपभोग के अनुसार उपयोग में लिया गया है।

3. 1977 में श्री एफ. सी माथुर, कनिष्ठ अभियन्ता के स्टाक रजिस्टर से

8600 बोरियां सीमेंट श्री एस. ग्रार. कालरा, कनिष्ठ अभियन्ता, उपखण्ड—1 को जारी की गई दर्शाई गई। श्री कालरा के स्टाफ रजिस्टर या एम. ए. एस. खातों में इन बोरियों की कोई प्राप्ति रसीद नहीं है।

4. श्री एस. एल. माथुर, कनिष्ठ अभियन्ता पुगल शाखा खण्ड—11 के उपखण्ड के स्टाक रजिस्टर 11 सीमेंट की 664 बोरियां भौतिक रूप से उपलब्ध दर्शायी गई थीं। बाद में इनका पूर्णतः और अंशतः दुर्विनियोग किया गया तथा इस दुर्विनियोग को छुपाने के लिए प्रविष्टियां की गई।

5. खण्ड ग्राठ के उपखण्ड 111 के श्री एन. सी. गर्ग कनिष्ठ अभियन्ता ने इसी खण्ड के अन्य कनिष्ठ अभियन्ता श्री वी. एन. शर्मा को उनके मांगपत्र पर अक्टूबर, 1977 में सीमेंट की 3375 बोरियां दी थि। श्री वर्मा के रजिस्टर में कोई प्रविष्टि नहीं है।

6. पूगल शाखा खण्ड 11 के उपखण्ड 4 के कनिष्ठ अभियन्ता के एस. ग्रार. भाष्कर ने स्टाक रजिस्टर में 400 बोरी उसी खण्ड के अन्य कनिष्ठ अभियन्ता श्री एल. बी. मागेला, 1-7-77 को दी जानी दर्शायी गई है सीमेंट की इन 400 बोरियों की श्री मागेला के स्टाक रजिस्टर में कोई प्रविष्टि नहीं है। 1978 के दौरान किये गये भौतिक सत्यापन के समय श्री मागेला, के पास हाथ में कोई वास्तविक स्टाक नहीं था।

7. पूगल शाखा 1 के उपखण्ड 1 के कनिष्ठ अभियन्ता श्री एफ. सी. माथुर ने दर्शाया कि उन्होंने उसी खण्ड के उप-खण्ड 5 के अन्य कनिष्ठ अभियन्ता श्री मेगीराम सुथार को 80 सीमेंट की बोरियां दी थी। श्री सुथार का स्टाक रजिस्टर इसके अनुरूप कोई प्राप्ति रसीद नहीं दर्शाता है।

8. मस्टर रोलों का मिथ्याकरण तथा सरकारी आदेशों के स्पष्ट उल्लंघन में मस्टर रोल तैयार करना।

9. मस्टर रोल गढ़ना।

प्रतिवेदन संख्या–5 तथ्यान्वेषण प्राधिकरण

अनियमितताओं, की प्रकृति

बीकानेर लूणकरणसर लिफ्ट नहर के ग्रार. डी. 162.5—165 के संबंध में कम्पेक्शन जोड़ में अनियमितताएं/हानि/गलतियों के लिए निम्नलिखित व्यक्ति उत्तर दायी है:—

1. श्री एस. सी. सिहल, कनिष्ठ अभियन्ता
2. श्री आर. एम. माथुर, कनिष्ठ अभियन्ता
3. श्री जगजीत सिंह, अधिशाषी अभियन्ता
4. श्री डी. सी. चतुर्वेदी, अधिशाषी अभियन्ता
5. श्री डी. एल. मीना, मुख्य अभियन्ता
6. श्री आर. सी. गोयल, वरिष्ठ लेखाधिकारी
7. श्री सहारीया, प्रभार्ग व लेखाकार

प्रतिवेदन संख्या–6 तथ्यान्वेषण प्राधिकरण

अनियमितायों की प्रकृति

मस्टर रोलों का दो बार संदाय, नियमों के अधीन उपेक्षा के अनुसार अधिकारियों द्वारा कार्यभार नहीं संभालना, भण्डारण ठीक से नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप बड़ी मात्रा में सीमेंट का भुगतान हो गया। उत्तरदायी अधिकारियों के नाम इस प्रकार हैः—

1. श्री देवीलाल, कनिष्ठ अभियंता
2. श्री राजकुमार, कनिष्ठ अभियंता
3. श्री आर. एन. शर्मा, कनिष्ठ अभियंता
4. श्री आर. सी. शर्मा, कनिष्ठ अभियंता
5. श्री एस. एन. माथुर, कनिष्ठ अभियंता
6. श्री टी. आर. गर्ग, सहायक अभियंता
7. श्री जे. सी. परिहार, सहायक अभियंता
8. श्री सी. पी. त्यागी, सहायक अभियंता
9. श्री गुरु दीप सिंह, सहायक अभियंता
10. श्री हरशरण सिंह, अधिशाषी अभियंता
11. श्री वी. के. वैराठी, अभिशाषी अभियंता
12. श्री ए. सी. सांघी, अधिशाषी अभियंता
13. श्री आर. एन. माथुर, अधिक्षण अभियंता
14. श्री एस. डी. गुप्ता, अधिक्षण अभियंता
15. श्री फ़तेह चन्द माथुर, कनिष्ठ अभियन्ता
16. श्री बी. बी. शाह, मुख्य अभियन्ता (रिटायर्ड)

17. श्री जी. एल. शास्त्री, मुख्य अभियन्ता (रिटायर्ड)
18. श्री डी. एस. नौत्रा, मुख्य अभियन्ता (रिटायर्ड)
19. श्री ए. एल. कपूर, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता
20. श्री जी. एम. माथुर, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता
21. श्री वी. के. मुखर्जी, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता
22. श्री एम. आर. जैन, सहायक अभियन्ता

प्रतिवेदन संख्या-7 तथ्यान्वेषण प्राधिकरण

अनियमितताओं की प्रकृति

विभागीय स्तर पर निष्पादित कार्यों पर नियोजित श्रमिकों की मजदूरी के संबंध में संदाय की हाथ की रसीद की पद्धति का विस्तार किसी प्राधिकार के बिना ही सभी प्रकार के कार्य पर कर दिया गया। यह प्रतिवेदन कार्य रजिस्टर पद्धति पर विचार करता है। मिट्टी की कटाई से भराई का कोई समायोजन नहीं था। मूल अभिलेखों के रख रखाव में उपेक्षा तथा त्रुटियां और दुर्विनियोग तथा अधिक संदाय की संभावना, अधिकांश मामलों में अंगूठे की निशानियां पहिचानने योग्य मामलों में नहीं है। अन्तर्वलित रकम 1.92,75,540 है जिसमें 65358 हाथ की रसद नितर्वलित है कालावधि जनवरी 1973 से 1976.

गलतियों के लिए उत्तरदायी व्यक्ति है :

अधिशासी अभियंता	सहायक अभियंता	कनिष्ठ अभियंता
1. श्री के. एल. कांग	1. श्री उदाराम	1. श्री एस. के. बिल्ला
2. एच. एस. भाटिया	2. श्री एम. आर. जैन	2. श्री जे. एस. तोमर
3. श्री जे. के. शर्मा	3. श्री आई. एस. जैन	3. श्री एम. पी. जैन
4. श्री के. एस. शर्मा	4. श्री विशम्भरसिंह	4. श्री रामसिंह
		5. श्री प्रेमीरचन्द

प्रतिवेदन संख्या-8 तथ्यान्वेषण प्राधिकरण

अनियमितताओं की प्रकृति

1. (क) तल मापन गलत किया जिसके परिणामस्वरूप त्रुटिपूर्ण आयोजना की गई तथा ठेकेदारों को रु. 99,300/-का अधिक संदाय कर दिया गया।

(ख) जल के लिए जो कि मिट्टी के कार्य के ठोस घन के लिए आवश्यक है, कोई प्रबन्ध नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप निम्न स्तर का कार्य हुआ।

(ग) कार्यों के निष्पादन में सहायक अभियन्ता आदि के स्तर पर उपेक्षा तथा कार्यों के पर्यवेक्षण के लिए अधिशाषी अभियन्ता, अधिक्षण अभियन्ता तथा अपर मुख्य अभियन्ता के स्तर पर पर्यवेक्षकीय उपेक्षा की गई। अन्तर्वलित व्यक्ति निम्न प्रकार है :–

1. श्री डी. एल. नोश्रा। जो तब ऊपर मुख्य अभियन्ता थे (अब सेवानिवृत हो चुके हैं)।
2. श्री डी. ए. सी. चतुर्वेदी, अधिशाषी अभियन्ता
3. श्री आर. एल. माथुर, सहायक अभियन्ता
4. श्री एल. सी. सिंघल तथा एल. एल. कौशल, कनिष्ठ अभियन्ता
5. श्री जगजीत सिंह, अधिशाषी अभियन्ता।

प्रतिवेदन संख्या–9 तथ्यान्वेषण प्राधिकरण

अनियमितताओं की प्रकृति

1. यह प्रतिवेदन टाइल्स तथा ईंटों की पकाने के लिए भट्टों के विभागीय प्रचालन पर विचार करता है। ईंटों तथा टाइल्स के निर्माण के लिए कोयले के उपभोग का मानक विहित है, टाइल्स तथा ईंट विहित मानक से कम संख्या में विनिर्मित की गई थी।

2. एम. ए. एस. लेखों के रजिस्टर ताजा लिखे गये थे तथा कार्य के क्रम में नहीं लिखे गये।

3. कोई विनिर्माण खाते तैयार नहीं किये गये।

दोषी व्यक्तियों के नाम इस प्रकार हैं:–

1. श्री जे. के. शर्मा	कनिष्ठ अभियन्ता
2. श्री बकशीष सिंह	कनिष्ठ अभियन्ता
3. श्री ओ. पी. वर्मा	सहायक अभियन्ता
4. श्री उदय राम	सहायक अभियन्ता
5. श्री के. एस. कांग	अधिशाषी अभियन्ता
6. श्री जी. एल. नाहर	अधिशाषी अभियन्ता

प्रतिवेदन संख्या–10 तथ्यान्वेषण प्राधिकरण

अनियमितताओं की प्रकृति

1. श्री काश्मीरी लाल, कनिष्ठ अभियन्ता खण्ड 10 उपखण्ड–6 में दर्शाया था कि एक मांग पत्र के निर्देश में उसी उपखण्ड के एक दूसरे कनिष्ठ अभियन्ता श्री एम. आर. मेवानी को मार्च, 1977 में 2,230 सीमेंट की बोरियां जारी की गई किन्तु श्री एम. आर. मेवानी के स्टाक रजिस्टर में केवल 1,000 बोरियों की प्रविष्टि होना पाया गया और इस प्रकार 1,230 बोरियों की कमी पाई गई।

2. यह मामला श्री बी. के. गुप्ता कनिष्ठ अभियन्ता खण्ड 8 के उपखण्ड–1 के स्टाक रजिस्टर से सम्बन्धित है। 210 सीमेंट की बोरियों की कमी पायी गयी तथापि सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता केवल इस तर्क के आधार पर इस बात से सहमत नहीं हुए थे कि सत्यापन उनकी उपस्थिति में नहीं किया गया था। किन्तु तथ्यान्वेषण प्राधिकरण ने यह पाया कि कम से कम 210 सीमेंट बोरियों का अस्थायी तौर पर दुर्विनियोग हुआ है।

3. श्री आई. एल. भीवका, कनिष्ठ अभियन्ता खण्ड--6 उपखण्ड--1 में माह-पुस्तिका सं. 255 में की प्रविष्टियों के अनुसार, 2,000 सीमेंट की बोरियां प्राप्त की और चतरावाली लघु की आर. डी. 20 से 30 की लाइनिंग के एम. ए. एस. खाते में सम्मिलित लाइनिंग के एम. ए. एस. खाते में केवल 1,220 सीमेंट की बोरियां ही पूर्वत खाते पर लिए हुए दिखाई गई और 780 सीमेंट की बोरियों का अन्तर था। अन्तर स्पष्ट करने के लिए एम. ए. एस. खाते की नई प्रतिलिपि तथ्यान्वेषण प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की गई किन्तु यह खाता आर. डी. 10 से 20 तक के बारे में था, इससे भ्रम उत्पन्न हुआ है।

4. भौतिक सत्यापन के समय 73 सीमेंट की बोरियां पूगल नगर में पाई गई जिनके बारे में उनका श्री के. एल. चुग, कनिष्ठ अभियन्ता का होना बताया गया, यद्यपि उनका मई, 1976 में स्थानान्तरण हो गया था और उनके स्टाक रजिस्टर में कुछ भी बकाया नहीं निकाला गया।

अधिशाषी अभियन्ता ने स्टाक पर कोई चिंता व्यक्त नहीं की यद्यपि उन्होने अपने एक कनिष्ठ अभियन्ता श्री सी. एम. सांखला से मई, 1978 के खाते में 71 सीमेंट की अच्छी बोरियां ग्रहण की।

5. कोलायत के गोदाम में जून, 78 में भौतिक सत्यापन के समय 5,474 सीमेंट की बोरियों का स्टाक पाया गया था किन्तु स्टाक रजिस्टर में 2,154 बोरियां

बतायि गई थी । यह श्री एन. के. मित्तल कनिष्ठ अभियन्ता ने सूचित किया कि स्टोर में वास्तव में केवल 5,354 बोरियां ही थी। और सत्यापन दल नं. 5,747 बोरियां होने कि रिपोर्ट देने में भूल की थी। 200 बोरियां सीमेंट झाड़ने से इकट्ठा करके भरा गया था उनके सिवाय विद्यमान स्टाक सत्यापित कर लिया गया है।

6. यह मामला उपर मामला सं. 5 के समान है जिसमें श्री एन. के. तायल, कनिष्ठ अभियन्ता से सम्बन्धित बताई गई 3,000 बोरियों के मुकाबले में सत्यापन के समय 1,024 सीमेंट बोरियां पाई गई थी। सत्यापन ज्ञापन पर श्री तायल द्वारा हस्ताक्षर किये गये थे किन्तु हाथ में बकाया से मिलान न करा सके।

7. श्री बी. एल. मनोसा, कनिष्ठ अभियन्ता के स्टाक रजिस्टर में 1,558 सीमेंट की बोरियों की आर. डी. 495--97·5 खाते पर एम. ए. एस. से 15-4-77 को प्राप्ति रूप में प्रविष्ट दिखाई गई है। तथ्यान्वेषण प्राधिकारी को प्रस्तुत किये गये एम. ए. एस. खाते के अनुसार अर्थात् 10-4-76 को 1,558 बोरियां बाकी बतायी गई है। एम. ए. एस. खाते में खडस की मात्रा अन्य एम. ए. एस. खातों में या स्टाक को अन्तरित की हुई भी दर्शाई गई हैं। इससे यह पता लगता है कि अप्रेल, 1975 से ही अधिशेष चला आ रहा था किन्तु तब भी 22-4-1975 को1675 सीमेंट की बोरियां इस खाते में फिर डाली गयी।

8. श्री एम सी. माथुर कनिष्ठ अभियन्ता ने दूसरे कनिष्ठ अभियन्ता सुखसिंह के मांग पत्र पर 4,340 सीमेंट की बोरियां जारी की किन्तु रजिस्टर में विभिन्न तारीखों पर 4,260 बोरियों की प्राप्ति दिखाई गई है और इस प्रकार 80 बोरियों की कमी थी। श्री काश्मीरीलाल, कनिष्ठ अभियन्ता जो खण्ड 10 के मुख्य स्टाक धारक रहे, के स्टाक रजिस्टर में दिखाया गया कि अप्रेल, 1977 से अगस्त, 1977 के दौरान सीमेंट की कतिपय मात्रा उपखण्डों को, जारी की गई थी। अधिशाषी अभियन्ता से जब परिवहन आदि का विवरण देने को कहा तो उन्होंने तथ्यान्वेषण, प्राधिकरण को संतोषप्रद जवाब नहीं दिया। जिससे संदेह उत्पन्न हो गया। सरकार के नुकसान के लिए निम्नलिखित व्यक्ति उत्तरदायी हैं :—

कनिष्ठ अभियन्ता

1. श्री एम. आर. मेवानी और काश्मीरीलाल
2. श्री यू. के. गुप्ता
3. श्री आई. एल. विषका
4. श्री. के. एल. चुग
5. श्री एन. के. मित्तल
6. श्री एन. के. तायल
7. श्री बी. एल. मानाचो
8. श्री गुरुसिंह और गुरमेलसिंह
9. श्री शांति लाल
10. श्री मनोहर लाल
11. श्री सतवंत सिंह
12. रामजीलाल
13. श्री गणपत सिंह
14. श्री मुकनराम
15. श्री जे. पी. श्रीवास्तव
16. श्री पी. एन. सांखला

सहायक अभियन्ता

1. श्री मुकट बिहारी माथुर
2. श्री लालचन्द
3. श्री जी. डी. माहेश्वरी
4. श्री टी. के. चड्ढा
5. श्री ओ. पी. वर्मा
6. श्री के. के. माथुर

अधिशाषी अभियन्ता

1. श्री डी. सी. कोठारी
2. श्री बी. पी. गोयल
3. श्री गिरीश चतुर्वेदी
4. श्री वी. के. भारद्वाज

प्रतिवेदन संख्या 11 तथ्यान्वेषण प्राधिकरण

अनियमितताओं की प्रकृति

1. स्थानान्तरण के समय सीमेंट नहीं सम्भलाई गई थी परन्तु बाद में अलग-अलग तारीखों पर हिसाब में ली गई।

2. सीमेंट जारी की गई थी पर किन्तु कोई प्रविष्टी नहीं थी। वास्तविक प्रतिशेष अभिलेख से नहीं मिलता।

3. श्री आर. एन. धींगड़ा, कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा 31-3-78 से सीमेंट के अभिलेख की प्रविष्टियों में, उपलब्ध सीमेंट के अंकों में 630 की कमी करते हुए काट छांट की गई। जून, 1978 में भौतिक सत्यापन के दौरान 734 सीमेंट की बोरियां कम पाई गई।

4. श्री एस. पी. चोपड़ा द्वारा 109 सीमेंट की बोरियां अन्तरित की गई। श्री कस्तूरबा राम के अभिलेख में कोई प्रविष्टि नहीं पाई गई थी।

5. नवम्बर, 1977 में का प्रतिशेष 70 सीमेंट की बोरियों की कमी बतलाता है।

6. श्री आर. एन. धींगड़ा, कनिष्ठ अभियन्ता से श्री जे. एन. मित्तल को 2,200 बोरियों का अन्तरण जो श्री जे. एन. मित्तल द्वारा प्राप्त की जा चुकी है, अभिलिखित नहीं किया गया है।

7. श्री एस. पी. चोपड़ा, कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा 1978 में 700 सीमेंट की बोरियां श्री जे. एन. मित्तल को अन्तरित की गई थी। जे. एन. मित्तल के स्टाक रजिस्टर मे कोई प्राप्ति नहीं है।

8. श्री रामलुभाया कनिष्ठ अभियन्ता के स्टाक से उसी खण्ड के श्री जगदीश अरोड़ा कनिष्ठ अभियन्ता को भी पानी की लाईनिंग के कार्य के लिये, सीमेंट अन्तरित दिखाई गई थी पर पाई नहीं गई, यह उल्लिखित किया गया कि प्रविष्ठियों को दिखाने में कहीं त्रुटि नहीं हुई है

Page No. 146

9. श्री रामलुभाया द्वारा 100 सीमेंट की बोरियां लाइनिंग को अन्तरित दिखायी गयी थी, एम. ए. एस. के दोनों लेखों में 500 बोरियों की प्रविष्टि दिखायी गई है।

10. श्री रामूराम, ओ. पी कौशिक और श्री ओ. एल. शर्मा के स्टाक में अधिक सीमेंट पायी गयी। इसके स्टाक रजिस्टर और अन्य दस्तावेजों में न लिये जाने का कोई स्पष्टीकरण नहीं किया गया है।

गलती के लिये निम्नलिखित व्यक्ति उत्तरदायी है :==

कनिष्ठ अभियंता

1—श्री डी. पी. कौशिक
2—श्री सम्पतलाल माथुर
3—आर. एल. धीगड़ा
4—श्री कस्तूरा राम
5—श्री चतरा राम
6—श्री जे. एल. मित्तल
7—श्री रामलुभाया
8—श्री रामू राम
9—श्री बी एल. वर्मा

सहायक अभियन्ता

1—श्री पी. सी. माथुर
2—श्री एम. एस. गुप्ता
3—श्री एस. सी. राटनी
4—श्री एल. एस. पुरोहित
5—श्री यू. एल. शर्मा
6—श्री एस. पी. रावत
7—श्री के. एम. धानी

अधिशाषी अभियन्ता

1—श्री वी. एल. जैन
2—श्री भवानी सिंह
3—श्री पी. के. खतरा
4—श्री ए. के. गुप्ता

प्रतिवेदन संख्या—12 तथ्यान्वेषण प्राधिकरण

अनियमितताओं की प्रकृति

1—विभाग/राजस्थान नहर परियोजना में टाइलों और ईटों के उत्पादन पर के लिए बनाये जाने वाले भट्टों के चालन में अनियमितता अभिलेखों का रखरखाव

(147)

असंतोषजनक सामान्य क्रम में अभिलेख कर रखा न जाना। विहित मापमान से अधिक कोयलों की खपत।

1—उत्तरदायी व्यक्ति निम्नलिखित है :

कनिष्ठ अभियन्ता

1—श्री भोपाल सिंह

2—श्री गुरमेल सिंह

3—श्री एस. पी. नारंग

4—श्री जी. एल. जैन

2—सहायक अभियन्ता

1—श्री एस. जैन 2—श्री प्रीतम सिंह 3—श्री ओ. पी. यादव

3—अधिशाषी अभियन्ता

1—श्री जी. एल. नाहर

2—श्री बी. के. भारद्वाज

3—श्री. के. एल. शर्मा

4—श्री के. एल. कांग

5—श्री सी. व. माथुर

6—श्री के. एल. शर्मा

प्रतिवेदन संख्या—13 तथ्यान्वेषण प्राधिकरण

अनियमितताओं की प्रकृति

जल सरणी (चेनल) और माइनर्स तथा तल (लेड लेवल) की लाइनिंग में त्रुटि। दोषीपाये गये व्यक्तियों के नाम इस प्रकार है :—

1—श्री मूला राम	कनिष्ठ अभियन्ता
2—श्री वी. एन. दीवानी	कनिष्ठ अभियन्ता
3—श्री जुगल किशोर	कनिष्ठ अभियन्ता
4—श्री हंसराज	कनिष्ठ अभियन्ता
5—श्री एम. आर. जैन	सहायक अभिन्यंता
6—श्री एच. एल. भाटी	अधिशाषी अभियन्ता
7—श्री जे. के. शर्मा	अधिशाषी अभियन्ता
8—श्री ओ. पी. गुप्ता	अधिशाषी अभियन्ता

प्रतिवेदन संख्या—14 तथ्यान्वेषण प्राधिकरण

अनियमितताओं की प्रकृति

आर. डी. 25 से 30 तक के रीच (क्षेत्र) में चारण वितरिका का त्रुटिऐ निर्माण होने और स्थानान्तरण होने पर स्टोर का कार्यभार नहीं संभलाना। दोषी पाये गये व्यक्तियों के नाम इस प्रकार हैं :—

1—श्री डी. एल. नोत्रा	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता
2—श्री बी. के. गुप्ता	अधिक्षण अभियन्ता
3—श्री डी. एस. यादव	अधिशाषी अभियन्ता
4—श्री एल. पी. शर्मा	सहायक अभियन्ता
5—श्री हरि भान सिंह	कनिष्ठ अभियन्ता
6—श्री जोट राम	कनिष्ठ अभियन्ता

प्रतिवेदन संख्या—15 तथ्यान्वेषण प्राधिकरण

अनियमितताओं की प्रकृति

मिट्टी का कार्य अदक्षतापूर्ण और अलाभकर तरीके से किया गया जिसके परिणाम स्वरूप सरकार को हानि हुई।

1. श्री आर. एन. चौधरी	मुख्य अभियन्ता
2. ,, हरी सिंह	,,
3. ,, राम सिंह	,,
4. ,, एम. आर. झालरा	अधीक्षण अभियन्ता
5. ,, डी. एस. नोत्रा	,,
6 ,, ए. एस. कपूर	,,
7. ,, गणेश मल	,,
8. ,, माधोराम	,,
9, ,, शोभा लाल माथुर	,,
10. ,, बी. के. गुप्ता	,,
11. के. एल. रावत	अधिशाषी अभियन्ता
12. ,, ,, डी. सी. कोठारी	,,

13. „ बी. एस. चौधरी	अधिशाषी अभियन्ता
14. „ सोहन रूप राय	„
15. „ सी. वी. शर्मा	„
16. „ नाहर सिंह	„
17. „ जिरीसिंह	„
18. „ जे. सी. शर्मा	„
19. „ बी. पी. शाह	मुख्य अभियन्ता
20. „ बी. पी. मलहोत्रा	अधिशाषी अभियन्ता
22. „ वी. के. एस. माथुर	अधीक्षण अभियन्ता
22. „ बी. एस. राजवंशी	

नोट:— उच्च स्तर पर निर्णय किया गया कि इस रिपोर्ट को खतम कर दिया जाय।

प्रतिवेदन संख्या–16 तथ्यान्वेषण प्राधिकरण

अनियमितताओं की प्रकृति

दरारों और नहरों की मरम्मत के व्यय को देखते हुए सीमेंट के जारी किये जाने में अनियमिततायें मिट्टी के कार्य के लिए अधिक संदेय।

टिप्पणी:—

निम्नलिखित व्यक्ति इसके लिए उत्तरदायी हैं:—

1. कनिष्ठ अभियन्ता–श्री के. एम. खट्टर, सहायक अभियन्ता, श्री एस. सी. पाटनी अधिशाषी अभियन्ता, श्री पी. पी. खन्ना।

2. वन-स्टाफ और सिंचाई विभाग स्टाफ के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया।

3. श्री जगदीश अरोड़ा, श्री एच. एल. गुप्ता, श्री पी. पी. खन्ना।

4. श्री ओ. पी. बेदी, कनिष्ठ अभियन्ता श्री गुरदेवसिंह और आर. पी. गुप्ता, अधिशाषी अभियन्ता

प्रतिवेदन संख्या–17 तथ्यान्वेषण प्राधिकरण

यह फेक्ट फाइण्डिग अथारिटी के द्वारा दिये गये सुझाव से सम्बन्धित है।

प्रतिवेदन संख्या--18 तथ्यान्वेषण प्राधिकरण

अनियमितताओं की प्रकृति

इस रिपोर्ट में लिफ्ट कैनाल (1978) के सिल्ट हटाने के कार्य को करने में, हवा से उडकर आयी मिट्टी को हटाने के मामलों में, असामायोजित अग्रिमी, खुदाई कार्य में ठेकेदारों के रूप में कर्मचारियों के भागीदारों के रूप में कार्य करने से सम्बन्धित अनियमितताओं और जल प्रणाली मस्टर रोलों और सीमेंट के स्टाक के रखे जाने में हुई अनियमितताओं पर विचार किया गया है।

उत्तरदायी व्यक्ति हैं:-

1. उड़कर आयी मिट्टी का हटाया जाना :

1. श्री के. सी. जैन, अधिशाषी अभियन्ता
2. श्री एस. सी चावला, स. अभियन्ता
3. श्री सुरजीत सिंह, कनिष्ठ अभियन्ता

2. गुड अर्थ बिछाना:

श्री के. सी. जैन, अधि. अभियन्ता

श्री एन. एल. सिदाना, सहायक अभियन्ता

श्री सुरजीत सिंह, एम. सी. गोयल और श्री नन्दराम मण्डल अभियन्ता

निलम्बित अधिकारियों की सूची

क्र. स.	नाम	पद
1	2	3
1.	श्री लक्ष्मण सिंह	सहायक अभियन्ता
2.	श्री एन. डी. जोशी	,,
3.	श्री रूपसिंह	उप-अभियन्ता
4.	श्री त्रिलोक चन्द	,,
5.	श्री सोहन लाल कटारिया	,,
6.	श्री डी. के. माथुर	कनिष्ठ अभियन्ता
7.	श्री आर. सी. जैन	,,

1	2	3
8.	श्री आर. बी. शर्मा	कनिष्ठ अभियन्ता
9.	श्री आर. के. वर्मा	उप-अभियन्ता
10.	श्री एन. आर, कालरा	,,
11.	श्री ए. डी. अरोड़ा	,,
12.	श्री एन. सी. गर्ग	,,
13.	श्री एम. आर. सुथार	,,
14.	श्री एस. एस. बघेल	,,
15.	श्री दिलीप सिंह	कनिष्ठ अभियन्ता
16.	श्री एस. के. आहुजा	उप-अभियन्ता
17.	श्री राजकुमार	कनिष्ठ अभियन्ता
18.	श्री बजरंग लाल	कनिष्ठ अभियन्ता
19.	श्री के. एन. माथुर	उप-अभियन्ता
20.	श्री अनिल कुमार माथुर	कनिष्ठ अभियन्ता
21.	श्री वाई. के. पाण्डे	उप-अभियन्ता
22.	श्री एस. एस. माथुर	कनिष्ठ अभियन्ता
23.	श्री बी. एन. शर्मा	कनिष्ठ अभियन्ता

उनमें से निम्न 4 अधिकारियों को बहाल कर दिया गया है :—

1.	श्री रूपसिंह	उप-अभियन्ता
2.	श्री एन. आर. कालरा	,,
3.	श्री एस. सी. बाघेला	,,
4.	श्री वाई. के. पाण्डे	,,

परिशिष्ट–2

तारांकित प्रश्न संख्या 5 की सूची

वर्ष 1979-80 में छोटे खाने के जाल उपयोग की अनुमति प्रदान करने का विवरण

क्र०	नाम जलाशय	जिला	ठेकेदार का नाम	स्वीकृति संख्या व दिनांक	किस अधिकारी द्वारा दी गई
1.	बन्ध नमाना	उदयपुर	श्री श्याम सुन्दर म. ठे. ,उदयपुर	3220-21/7.12.79	निदेशक पशु पालन विभाग
2. ,,	महार हरचन्द	,,	,, ,,	827-28/21.2.80	,, ,,
3. ,,	उदयसागर	,,	श्री पमनदास व मजीद खां ,जयपुर	778-88/14.2.80	,, ,, ,,
4. ,,	सरजना	,,	श्री राणा मल म. ठे. ,जयपुर	1084-85/25.2.80	,, ,, ,,
5. ,,	मानपुरा (मानसागर)	,,	श्री श्यामसुन्दर म. ठे. ,उदयपुर	829-30/	,, ,, ,,
6. ,,	हिण्डोली	बूंदी	टॉक फिशार मैंनस. स. लि. टोंक	760-61/13.2.80	,, ,, ,,
7. ,,	मावसी डेम	टोंक	बहीर टोंक मत्स्य विकास स. म. स. टोंक	831-32/21.2.80	,, ,, ,,
8 ,,	उचकिया	चितोड़गढ़	श्री प्रासीन खां म. ठे. जयपुर	771-72/17.5.80	,, ,, ,,

1	2	3	4	5	6
9.	वन्य भगवतगढ़	स. माधोपुर	श्री राणामल म. ठे., जयपुर	3196-97/4.12.79	निदेशक पशु पालन विभाग
10. ,,	कालीसिल	,,	श्री सांवलिया म. ठे., आगरा	3363-64/22.12.79	,, ,, ,,
11. ,,	जैतपुरा	भीलवाड़ा	श्री यासीन म. ठे., जयपुर	4.3.80	,, ,, ,,
12. ,,	मीठडी नदी	पाली	श्री राणामल म. ठे., जयपुर	417-18/23.1.80	,, ,, ,,
13. ,,	कालाखो	जयपुर	श्री राणामल म. ठे., जयपुर	325-26/6.12.79	,, ,, ,,
14. ,,	हिंगोनिया	जयपुर	श्री मोहम्मद इस्लाईम, मथुरा	1744-45/10.4.80	संयुक्त निदेशक (प्र. पशु पालन वि.
15. ,,	दुगारी	बून्दी	भरतपुर फिशरमेन को आपरेटिव स.स.लि, भरतपुर	3367-68/22.12.79	निदेशक पशु पालन विभाग
16. ,,	गंभीरी	चितौडगढ़	हाजी अब्दुल हमीद शेरकोट जि. बिजनोर यू.पी.	314-15/4.12.79	,, ,, ,,
17. ,,	बरेठा	भरतपुर	श्री चन्द्रलाल, सीताराम फिश मार्केट, आगरा	637-38/9.4.80	,, ,, ,,
17. ,,	बरधा मय नदी तालेड़ा	बून्दी	श्री अब्दुल अजीज, आगरा	510-11/5.2.80	,, ,, ,,
19. ,,	गलवा मय नदी	टौंक	खिरवरपुर मछली उत्पादक स.स.लि., आटूनकला	1101-2/26.2.80	संयुक्त निदेशक (प्रशासन)
20. ,,	सिलीसेड बंध	अलवर	श्री गंगाराम सीजीराम, आगरा	563-64/17.3.80	निदेशक पशुपालन विभाग
21. ,,	माही सागर	बांसवाड़ा	श्री एस. एम. आरिफ मत्स्य ठेकेदार, धूलिया	1439-40/13.3.80	संयुक्त निदेशक (प्रशासन) -पशु पालन विभाग

परिशिष्ट–4

तारांकित प्रश्न संख्या–7 की सूची

राजस्थान मुख्य नहर पर पटड़ों की क्षति का विवरण

क. सं.	क्षति	स्थान	लम्बाई	साइड	तारीख	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	नहर के पटड़े की क्षति	आर. डी. 766.00	450 फुट	दांई	15-4-79	1. पटड़े के साथ लाईनिंग भी आधी ऊंचाई में तथा 250 फुट लम्बाई में क्षतिग्रस्त हुई। डोले को 450 फुट लम्बाई में क्षति हुई।
2.	नहर के पटड़े की क्षति	आर. डी. 781.00	150 फुट	दांई	17-1-80	2. पटड़े के साथ लाइनिंग भी 150 फुट लम्बाई में क्षतिग्रस्त हुई।
3.	नहर के पटड़े की क्षति	आर. डी. 769.300	30 फुट	दांई	12-2-80	3. पटड़े के साथ डोले को भी 40 फुट लम्बाई क्षति
4.	नहर के पटड़े की क्षति	आर. डी, 762.500	40 फुट	दांई	13-2-80	4. केवल पुश्ते की क्षति हुई।
5.	नहर के पटड़े की क्षति	आर. डी. 834.820	20 फुट	दांई	1982	5. पटड़े के साथ लाइनिंग भी क्षतिग्रस्त हुई।
6.	नहर के पटड़े की क्षति	आर. डी. 775.500	150 फुट	दांई	1979	6. पटड़े के साथ लाइनिंग भी क्षतिग्रस्त हुई।
7.	नहर के पटड़े की क्षति	आर. डी. 774.300	300 फुट	दांई	1978	7. केवल पटड़े की क्षति हुई।

1	2	3	4	5	6	7
8.	नहर के पटड़े की क्षति	आर. डी. 776.400	1100 फुट	दांई	1979	8. केवल पटड़े को क्षति हुई।
9.	नहर के पटड़े की क्षति	आर. डी. 764.500	600 फुट	बांई	1979	9. केवल पटड़े को क्षति हुई।
10.	नहर के पटड़े की क्षति	आर. डी. 762.600	800 फुट	बांई	1978	10. केवल पटड़े को क्षति हुई।
11.	नहर के पटड़े की क्षति	आर. डी. 768.800	200 फुट	बांई	1978	11. केवल पटड़े को क्षति हुई।
12.	नहर के पटड़े की क्षति	आर. डी. 772.500	500 फुट	बांई	1978	12. केवल पटड़े को क्षति हुई।
13.	नहर के पटड़े की क्षति	आर. डी. 762.900	800 फुट	बांई	1979	13. केवल पटड़े को क्षति हुई।
14.	नहर के पटड़े की क्षति	आर. डी. 773.500	200 फुट	बांई	1978	14. केवल पटड़े को क्षति हुई।
15.	नहर के पटड़े की क्षति	आर. डी. 1037	200 फुट	बांई	21-1-84	15. पटडे के साथ लाइनिंग भी क्षतिग्रस्त हुई।
16.	साइड लाइनिंग की निचली परतों की क्षति	आर. डी. 1211	100 फुट	बांई	18-11-83	16. साइड लाइनिंग की निचली परतों की क्षति हुई।

परिशिष्ट 5

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिए जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

जिला बाड़मेर व जैसलमेर में पुनर्वास विभाग द्वारा निर्मित डिस्पेंसरी में स्टाफ व्यवस्था

श्री अमीन खां (शिव) एवं

श्री हेमाराम चौधरी (गुड़ामालानी) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या बाड़मेर जिले के ग्राम गिराब व जैसलमेर जिले के ग्राम देवीकोट में पुनर्वास विभाग की तरफ से डिस्पेंसरी भवन व रिहायशी क्वार्टर्स बनाकर तैयार कर दिये हैं ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या सरकार पुनर्वास में बसाए गए विस्थापितों के लिए व स्थानीय नागरिकों के लिऐ बनाए गए भवनों के अनुसार स्टाफ की व्यवस्था करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर--

(1) जी हां, भवन तो वर्ष 1983 में बन गये हैं पर हस्तान्तरण की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है।

(2) जी हां, भवनों में चिकित्सा संस्थाएं प्रारम्भ की जा सकेंगी।

इन दोनों ग्रामों के भवनों का चिकित्सा विभाग को हस्तान्तरण हो जाने स्थानीय आवश्यकता एवं मांग को दृष्टिगत रखते हुए निश्चित ही उचित कार्यवाही की जावेगी।

राजस्थान आवासन बोर्ड अधिनियम 1970 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट निर्माण सामग्री

9. **श्री सी. पी. जोशी** (नाथद्वारा) : क्या आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या राज्य सरकार ने राजस्थान आवासन बोर्ड अधिनियम, 1970 की धारा 1 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत निर्माण सामग्री विनिर्दिष्ट की है ? यदि हां, तो कब-कब ? कृपया उस विनिर्दिष्ट के आदेशों की प्रतियों को सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या राजस्थान आवासन बोर्ड ने डिस्पोजल आफ प्रोपर्टी रेगूलेशन, 1970 के विनियम 2 (32) के प्रोपर्टी सरकमस्टान्सेज के अन्तर्गत कोई आदेश जारी किये हैं ? यदि हां, तो कब-कब ? कृपया उन आदेशों की प्रतियों को सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या राजस्थान आवासन बोर्ड द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों में इन आदेशों के अनुसार ही सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है ? यदि हां, तो उसकी वास्तविकता की जांच कब-कब, किस-किस के द्वारा की गई ?

(4) यदि खण्ड 1 व 2 में उल्लिखित आदेश जारी नहीं हुए हैं तो निर्माण कार्यों का आधार क्या है और उनका निर्धारण कब-कब किसके द्वारा किया गया ?

उत्तर--

(1) आवासन बोर्ड अधिनियम, 1970 की धारा (1) की उप धारा 4 के अन्तर्गत निर्माण सामग्री विनिर्दिष्ट किये जाने बाबत कोई आदेश जारी नहीं किये गये हैं।

(2) राजस्थान आवासन बोर्ड के डिसपोजल ऑफ़ प्रापर्टी रेग्यूलेशन, 1970 के विनियम 2 (32) के प्रापर्टी सरकमस्टान्सेज

(आवासन मंत्री)

के अन्तर्गत कोई आदेश जारी नहीं किए हैं, और न ही इस धारा के अन्तर्गत ऐसे कोई आदेश जारी करना आवश्यक है।

(3) राजस्थान आवासन बोर्ड द्वारा निर्माण कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं भारतीय मानक संस्थान द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार ही करवाये जाते हैं व उनकी वास्तविकता की जाच सम्बन्धित अभियन्ता एवं आवासन बोर्ड का तकनीकी परीक्षण खण्ड करता है।

(4) राजस्थान आवासन बोर्ड में निर्माण कार्यों का आधार सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं भारतीय मानक संस्थान द्वारा निर्धारित मानदण्ड है व उनका निर्धारण समय-समय पर इन्हीं विभागों द्वारा करके प्रकाशित किया जाता है। इन्हीं के आधार पर बोर्ड में निर्माण कार्य करवाया जाता है।

जैसलमेर जिले के काश्तकारों को उपनिवेशन क्षेत्र में भू-आवंटन

11. श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी (जैसलमेर) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या राज्य सरकार जैसलमेर जिले के उन काश्तकारों को जो कि उपनिवेशन क्षेत्र में नहीं आते, असिंचित भूमि के एवज में उपनिवेशन क्षेत्र की सिंचित भूमि प्राथमिकता के आधार पर आवंटन करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर--

जी हां, ऐसा नियमों में प्रावधान है।

लाडनूं तहसील में स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना

12. श्री रामधन चौधरी [लाडनूं] : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि लाडनूं तहसील में वर्ष 1983-84 में न तो कहीं एक भी स्वास्थ्य उप केन्द्र खोला गया? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है, आबादी तथा राज्य सरकार की नीति के मुताबिक लाडनूं तहसील के ग्राम ओडिन्ट, माल गांव ग्राम डिगसरी तथा तवरा व छपारा में उप-स्वास्थ्य केन्द्र खुलवाने का इरादा रखती है? यदि हां, तो कब तक? नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि ग्राम रताऊ (लाडनूं तहसील) की आबादी को ध्यान में रखते हुए उप स्वास्थ्य केन्द्र को क्रमोन्नत कर (एडपोस्ट) बनाया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि जसवंतगढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में दो चिकित्सकों के पद रिक्त पड़े हैं और ग्राम बल्दू के कणी चिकित्सालय में भी मुख्य चिकित्सक का पद रिक्त पड़ा है? क्या सरकार रिक्त पदों की पूर्ति करने का इरादा रखती है? यदि हां, तो कब तक? नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां।

दो गांवों में उप केन्द्र स्वीकृत कर दिये गये हैं :—

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

1—माल गाव

2—ढिगलरी

(3) वर्ष 83-84 में एडपोस्ट खोलने का कोई प्रावधान नहीं है।

(4) जी नहीं, डा. बी.एस. टण्डन दिनांक 28-5-73 से ही जसवंतगढ़ प्रा. स्वा. केन्द्र में कार्यरत है, शेष दो रिक्त पदों पर डा भीमसिंह देवड़ा एवं डा. वीरेन्द्र कुमार तिवाड़ी का पद स्थापन किया हुआ है।

राजकीय चिकित्सालय बल्दू कांकणी में डा. विजय नारायण भटनागर का पद स्थापन किया हुआ है।

अजमेर नगर की आवासीय कालोनियों में मूलभूत आवश्यकताओं का अभाव

13. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व): क्या आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अजमेर नगर में राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आवासीय कालोनियों का निर्माण किया जाकर उनको आवंटित कर कब्जा भी दिया गया है और वहां पर नागरिकों का आवास हो जाने के उपरांत भी कई मकान अधूरे हैं और बिजली, पानी, सड़क आदि मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति अभी तक नहीं की गई है ?

(2) यदि नहीं, तो किस-किस कालोनी को कब-कब आवास हेतु आवंटित कर आवासियों को कब्जा दे दिया गया और उन आवास क्षेत्रों में कब-कब आवासन मण्डल द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली किन-किन प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर दी गई ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या इन कॉलोनियों में पार्क, कम्युनिटी हॉल आदि के निर्माण का भी प्रावधान था ? यदि हां, तो क्या उनकी पूर्ति कर दी गई है ?

(4) अजमेर नगर में आवासन मण्डल की वर्तमान में कितनी कॉलोनियां निर्माणाधीन हैं, और कितनी भविष्य के लिए प्रस्तावित ? हैं कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) यह सही है कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आवासीय कालोनी का निर्माण किया जाकर, मकानों को आवंटित कर कब्जा दिया गया है, लेकिन यह सही नहीं है कि मकान अधूरे होते हुए कब्जा दिया गया है। बिजली पानी, सड़क आदि की सुविधा पूर्ण कर दी गई है। आवासन मण्डल उपरोक्त मूलभूत आवश्यक कार्य पूर्ण होने पर ही मकानों का कब्जा देता है।

(2) आवासन मण्डल द्वारा निम्नलिखित कालोनियों में मकानों का आवंटन कर आवासियों को मकान का कब्जा दे दिया गया है।

(अ) शास्त्री नगर

(ब) अजयनगर (प्रथम चरण)

(स) धोला भाटा (प्रथम चरण)

(द) वैशाली नगर (प्रथम चरण)

(च) आनासागर सरक्यूलर रोड स्कीम (प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण)

(आवासन मंत्री)

उपरोक्त सभी कालोनियों में जिन मकानों का कार्य पूर्ण होता गया उनका आवासियों को कब्जा दिया गया। 1973 से कब्जा देना प्रारम्भ कर दिया था और अभी तक जारी है।

(3) इन कालोनियों में पार्क के निर्माण का प्रावधान है। पार्क का निर्माण नहीं कराकर केवल पार्क के लिए खुला स्थान ही छोड़ दिया जाता है। जो कि सभी कालोनियों में छोड़ा गया है। कम्युनिटी हाल का प्रावधान केवल बड़ी कालोनी आनासागर सरकूलर रोड में ही किया गया है।

(4) अजमेर शहर में निम्नलिखित कालोनियों का कार्य निर्माणाधीन है।

(अ) वैशाली नगर (विस्तार योजना)
(ब) नाका मदार योजना

भविष्य के लिए आवासन मण्डल, ब्यावर रोड पर डेयरी के पास भूमि अवाप्त कर रहा है, अवाप्त होने पर वहां पर एक कालोनी की योजना प्रस्तावित है जिसमें लगभग दस हजार मकानों का निर्माण हो सकेगा।

सरपंच, ग्राम पंचायत, अजीतगढ़ द्वारा ली गई रिश्वत

14. **श्री दीपेन्द्र सिंह** : (श्रीमाधोपुर) क्या पंचायत राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्री भूदा पुत्र श्री लादू बलाई, निवासी अजीतगढ़ (सीकर) से श्री बाबूलाल सरपंच, द्वारा दो हजार रुपये रिश्वत लिये जाने का मामला सामने आया है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त मामले की जांच भी एस. डी. ओ., नीमका थाना द्वारा की जाकर जिलाधीश, सीकर को जांच रिपोर्ट भिजवाई जा चुकी है ? यदि हां, तो कब एवं इसके पश्चात सरपंच के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(3) एस. डी. ओ. नीम का थाना द्वारा की गई जांच की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर—

(1) जी हां।

(2) जी हां। एस. डी. एम. नीम का थाना द्वारा जांच रिपोर्ट दिनांक 21-1-83 को जिलाधीश, सीकर को भेजी गई है। जांच में सरपंच द्वारा तथा कथित राशि का लेना स्पष्ट नहीं होने से सरपंच के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है। मामले की पुनः जांच कराई जा रही है।

(3) जांच रिपोर्ट की प्रतिलिपि सदन के पटल पर रख दी गई है।

जांच रिपोर्ट की प्रति

राजस्थान सरकार

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी, नीमकाथाना

क्रमांक 64/ /मू0 अ0/83 दिनांक, जनवरी 21, 1983

जिला मजिस्ट्रेट महोदय,
सीकर।

विषय :- गरीब हरिजन (बलाई) से सरपंच अजीतगढ़ द्वारा 2000/-रुपये लेकर रसीद न देने के बाबत

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि श्री भूदा पुत्र लादु बलाई (अन्डेसरी) ग्राम अजीतगढ़ ने श्रीमान के यहां प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मैंने श्री बाबु लाल सरपंच को जमीन के पट्टे के लिए 2000/- रुपये नकद दिये थे। सरपंच ने मुझे आज तक पट्टा नहीं दिया है न ही रुपये वापिस लौटाये हैं।

दिनांक 26-9-82 को कैम्प अजीतगढ़ पर गांव वालों के समक्ष पूछताछ करने पर सरपंच ने जाहिर किया कि उक्त 2000/- रुपये की राशि जो प्रार्थी द्वारा मुझे देना बतलाया है वह राशि अमानत तौर पर श्री नरेश सिंह राजपूत निवासी दौराला के पास हैं जो कि प्रार्थी का खास विश्वास पात्र व्यक्ति है। उक्त राशि का इन्द्राज पंचायत रिकार्ड में नहीं है। न ही प्रार्थी को जमीन का कोई पट्टा दिया गया है। प्रार्थी से पूछा गया कि वह पट्टा लेना चाहता है अथवा अपनी रकम वापिस लेना चाहता है तो प्रार्थी ने जाहिर किया कि वह तो अपनी रकम ही वापिस चाहता है। श्री नरेश सिंह मौके पर मौजूद नहीं मिला। इस प्रकार सरपंच बाबूलाल द्वारा प्रार्थी को पट्टा दिये जाने का आश्वासन देकर 2000/-रुपये प्रार्थी से लेना तथा पंचायत रोकड़ में जमा नहीं करना व प्रार्थी के मांगने पर अब तक वापिस नहीं लौटाना साबित होता है।

भवदीय,
ह०
उप खण्ड अधिकारी
नीमकाथाना
21-1-83

चिकित्सा अधिकारी, रामगढ़

शेखावाटी द्वारा जारी

प्रमाण-पत्र

15. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर)–क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि चिकित्सा अधिकारी, रामगढ़ शेखावाटी (सीकर) ने दिनांक 17–12–83 को श्री जगदीश मालवे को भर्ती कर उसकी इन्डोर स्लिप बनवायी और उसे चिकित्सालय प्रमाण-पत्र दे दिया गया ? यदि हां, तो कृपया चिकित्सा प्रमाण-पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि भ्रष्ट तरीके अपना कर मामले को संगीन बनाने के लिए मूल इन्डोर स्लिप को नष्ट कर दिया व चिकित्सा प्रमाण पत्र में संशोधन किया गया ?

(2) क्या यह सही है कि जिलाधीश सीकर के आदेश से मेडिकल बोर्ड द्वारा इसकी जांच करवायी गयी जिसमें उक्त अधिकारी को दोषी पाया गया ? यदि हां, तो कृपया जांच की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) राज्य सरकार ने अब तक उक्त चिकित्सक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ? कृपया इस संबंध में की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां ! प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं।

(5) यही सही है कि जिलाधीश, सीकर के आदेश से मेडिकल बोर्ड द्वारा इस मामले की जांच की गई, पर इसमें चिकित्साधिकारी को दोषी नहीं पाया गया। जांच प्रति संलग्न है।

(4) कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता। मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

(163)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान

चोट प्रतिवेदन प्रपत्र

Jagdish S/o Bhagwan Ram — Time-11.30 A.M.

चोट प्रतिवेदन सं. पुत्र आयु 25 Yrs. जाति Mali निवास Punjab पुलिस प्रतिवेदन दिनांक 17/12/83

चोट का स्वरूप या कटाव, घाव, कुचलना आदि।	प्रत्येक चोट का आकार इन्चों में लम्बाई चोडाई और गहराई।	शरीर के कौनसे अंग पर लगी	सामान्य या गंभीर	किस प्रकार का हथियार	पहचान का निशान	एक्स-रे	विशेष
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Contusion and swelling.	1·1/2" × 1" Base of little finger of Rt. hand		Grevious	Blunt	Black circular spot upper left tibia position only.	X-ray Plate No. 3 Both plates show fractures.	Injury No. 1, 2, 3, 4 and 5 are grevious in nature. 6 and 7 are simple. All the injuries caused by blunt weapon. Duration 1–12 hours.
2. Contusion and Swelling.	1" × 1" Base of first 1st column of middle finger of L hand		Grevious	Blunt			
3. Lacerated wound	3" × 3/4" × 3/4" Placed transversely on oocipetal region of skull.)			Blunt			
4. Laccrated wound	2" × 3/5" × 3/5" On occ'petal region of skull just below injury No. 3 transversely)		Grevious	Blunt			
5. Laccrated wound	2" × 3/5" × 3/5" Parital region of skull placed longitudinally.)						
Patient was in semi-conscious condition. Vomitting off and on. Pulse feeble. B.P. 100/70. Pupils dilated.							
6. Contusion and Swelling	4" × 3" On lower 1/3rd of back left side		Simple	Blunt			
7. Contusion and Swelling	2" × 1" over left knee posteriorly.		Simple	Blunt			

17-12-83

ह.

चिकित्सा अधिकारी प्रभारी

चिकित्सा प्रमाण पत्र की प्रति

Office of the Chief Medical & Health Officer,
Sikar.

No. 77-79/Gen/M/84 Dated the 13th Jan. 84.

Dr. R. L. Dixit,
Medical Officer, I/C,
Govt. Hosptial, Ramgarh Sethan.

Subject:-Medical Board of Shri Jagdish S/o.
Shri Bhagwana Ram R/o. Ramgarh sethan

As per the report of Medical Board constituted to examine the injuries of Shri Jagdish S/o. Bhagwana Ram Resident of Ramgarh Sethan, it has been noticed that except the injuries no 1 and 2 which are grevious in nature rest of the injuries have been reported as simple.

Where as in your report you have mentioned the injuries no. 3 to 5 also as grevious. Please explain the grounds on which these injuries were considered grevious at that time.

Sd/-
Chief Medical & Health Officer,
Sikar.

Copy to :-

1. The District Magistrate, Sikar.
2. The Supdt, of Police, Sikar.

Sd/-
Chief Medical & Health Officer.
Sikar.

Ramgarh (Shekhawati)

D. No. 21 15-1-1984

To

The Chief Medical & Health Officer, Sikar.

Subject :-Medical Board examination of Shri Jagdish S/o Bhagwana Ram of Ramgarh (She.)

Respected Sir,

With reference to your letter No. 77-79/Gen/7/84 dated 13th Jan. 1984 I am explaining you the position of patient at the time of admission why and I have mentioned the injuries of Head (No. 3 to 5) were grevious in nature.

General condition of patient at the time of admission:

He was seni conscious. His B. P. was 110/70mm HQ.

Puls was 110/mt. weak & rapid, his respiration was shallow and slow 10/mnt. Pupils were dilated (slightly) not reacting to light eyehitels were closed, body surface was cold and clamming vomiting of and on.

His muscles were relaxed. He regained temporarily conseiousness and again became inconcious. This condition reamined at least for a week.

Sir, you know better than me that concussion of brain due to a blow by blunt waepon is fatal to life. It is a dangerous injury, if not treated in time patient may die. It may cause with or without any fracture of skull.

Sir, according to section 320-8 IPC any injuries which are dangerous to the life will be treated as grevious in nature and that is why. I have mentioned. injuries no. 3 to 5 as combined in grevious nature.

Thanks,

Yours sincerely,
Sd/-
(R. L. Dixit)
Medical Officer I/C.
Govt. Hospital, (Ramgarh Seh.)

Dated 15-1-1984.

Medical Board Examination Report

Dated :-3-1-1984
Time : 9: 30 A.M.

As per C. M. & H. O. Order No. 9-15 dated 2-1-1984 examined by Medical Board consisting of :-

1. Dr. M. M, Mishra-Medical Jurist.
2. Dr. Bagh Singh, Junior Specialist (ENT)
3. Dr. B. L. Khandelwal, Junior Specialist (Orth.)

Name :- Jagdish S/o. Bhagwanaram, Age 24, caste Mali Resident of Ramgarh (Shekhawti).

Marks of identification :- 1. Scar 1/2 " x 1/2" on upper 1/3 left leg lateraly
2. Raised mole 1" below right angle of mandible.

Injuries:-1. Partialy healed Scar 2" 1" Shape (transverse limb 2" long and longitudinal limb 1" long) on rightpartiotal area of scalp. Advised X-Ray.

2. Healed scar 1" long on right occipito-pariotal junction of scalp, longitudinal advised X-Ray.
3. Healed scar 1" long on mid parital area of scalp longitudinal advised X-Ray.
4. Multiple healed adrasions on area of 1 1/2 "x 1" on right elbow laterly local tendemosst advised X-Ray.

5. Diffused swelling on medial half of right hand back local tenderness . advised X-Ray.
6 Diffused Swelling on middle of left hand extending to proximal phalanx of middle finger back local tenderness aduised X-Ray.
7. Partially healed adrasion 1X1" on right leg on tibial tube-t rosity frant.
8. Partialy healcd adrasion X/X 1/2 " X1/4" on lower 1/3 right leg frant.
9. Compiaint of pain back lower 1/2 left lumber area No. external injury marks seen, Slight local tenderness movements free.
10. Bruise 3 " X 1" on middle right arm frant, tranverse brownish.
11. Bruise 3" X 1/2" on back right lumber area upper par Brownish.

General condition : Patient is conseious and walking about.
Pulse 80 per minit Res, 18 per minits B. P. 110/80mm Hg.
Pupils normal size and reacting General condition good.
X--Ray, 28 to 32mm 2
3. 10 1984

Part.X. Rayed 1. Skull AP+Lat
2. Right hand AP+Lat 3. Left hand AP-Lat
3. Right elbow AP+Lat.

X-Ray report :- 1. Skull No bony injury seen
2. Right hand : Fracture 5th metacarpal, boneat distal end, Callus formation started.
3. Left hand : Fracture at base of Proximal phalanx of middle finger calluns formation started.
4. Righ elbo : No boney injury seen

Sd/-

Dr. V. K. Soni, Radiologist

OPPINION :- 1. As there are healed sears, opinion about the type of weapon used for injury No. 1+2+3 can not be given Rst of injuries are caused by blunt weapon.

2. Injuries No. 5+6 are Grevious and rest of the injuries are simple in nature.

3. Duration of injuries No. 1 to 9 is about 2 to 3 weeks. Duration of injuries No. 10 to 11 is about 4 days.

Sd/-	Sb/-	Sd/-
(Dr. B. L, Khandelwal)	(Dr.Gagh Singh)	(Dr. M, M. Mishra)
Jr. Speciaist (Orth.)	Jr. Spl. (ENT)	Medical Jurist.

ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय योजना

(16) **श्री घनश्याम जैन(बेगू): एवं श्री दीपेन्द्र सिंह** (श्रीमाधोपुर): क्या आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की समस्या के समाधान की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो क्या? नहीं, तो क्यों?

क्या

(2) "रूरल हाउसिंग बोर्ड" का गठन कर उसके माध्यम से ग्रामीण आवासीय समस्या का समाधान करने का सरकार का विचार है?

उत्तर

(1) जी हां। विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) वर्तमान में रूरल हाउसिंग बोर्ड के गठन का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

विवरण

ग्रामीण क्षेत्रों में आवास समस्या के समाधान के लिये राज्य सरकार ने निम्न योजनायें हाथ में ली हुई हैं :—

(1) भू-खण्ड आवंटन योजना :

अनुसूचित जाति/जन जाति एवं कमजोर वर्ग आदि जिन परिवारों के पास मकान अथवा भू-खण्ड नहीं है, उन्हें मुफ्त भू-खण्ड आवंटन किया जाता है। वर्ष 1974-75 में 5,53,363 एवं 1975-76 में 2,62,654 भू-खण्ड आवंटित किये गये। वर्ष 1981-82 में 1,03,075 व 1982-83 में 1,15,954 तथा इस वर्ष जनवरी, 1984 तक 58,671 भूखण्ड आवंटित किये गये हैं तथा वर्ष 1984-85 में भी 50,000 भू-खण्ड आवंटित किये जाने की संभावना है।

(2) गृह निर्माण अनुदान योजना :

इसमें 750/-रुपये प्रति मकान की दर से अनुदान दिया जाता है। अब तक निम्न प्रकार कार्य हुआ है :—

वर्ष	लक्ष्य मकान	प्राप्त राशि (लाखों में)
1979-80	3,333	25.00
1980-81	10,000	75.00
1981-82	30,000	225.00
1982-83	10,000	75.00
1983-84	13,333	100.00
	66,666	500.00

इनमें से जनवरी, 1984 तक 54,387 मकान पूरे हो चुके हैं तथा शेष निर्माणाधीन हैं। वर्ष 1984-85 में भी लगभग 100 लाख रुपया प्राप्त होने की संभावना है।

इसके अलावा माडा जन जाति उपक्षेत्र एवं सहरिया क्षेत्र में जन जाति क्षेत्रीय विभाग द्वारा 750/-रुपये प्रति मकान अनुदान योजना में इस वर्ष 2200 मकान बनाने का लक्ष्य है।

गृह निर्माण : एल. आई. सी./जी. आई. सी. ऋण:—

इसमें 5,000/-रुपये प्रति मकान 8.1/2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज से ऋण दिया जाता है। इसमें अब तक निम्न प्रकार कार्य हुआ है :—

वर्ष	राशि (लाखों में)	लक्ष्य मकान
1979-80	60.00	1200
1980-81	163.45	3269
1981-82	98.00	1960
1983-84	181.00	3620
योग	502.45	10049

इनमें से जनवरी, 1984 तक 5888 मकान पूरे हो चुके हैं व शेष निर्माणाधीन हैं। वर्ष 1984-85 में भी यह ऋण प्राप्त होने की आशा है।

गृह-निर्माण : हुडको ऋण बाढ़ग्रस्त क्षेत्र :—वर्ष 1981–82 की बाढ़ के अन्तर्गत जयपुर, टोंक, बीकानेर, सवाई माधोपुर व भरतपुर की कुल 31 पंचायत समितियों में दो चरणों में हुडको ने 29,496 मकानों के लिए 884.88 लाख रुपये की योजना स्वीकृत की। जो मकान निर्माणाधीन हैं इसमें 3,000 रुपये ऋण प्रति मकान 5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाता है।

ग्रामीण गृह निर्माण : व्यावसायिक बैंक ऋण :—इस वर्ष अनुसूचित जाति/जन जाति के व्यक्तियों के लिए 10,000 मकान व्यावसायिक बैंकों से ऋण दिलाकर बनाये जाने का कार्यक्रम हाथ में लिया गया। इसमें प्रति मकान 3,000/–रुपये ऋण 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से उपलब्ध कराया जाता है।

ग्रामीण गृह निर्माण : हुडको : सामान्य ऋण :—इस वर्ष हुडको से बात की जाकर 20,000 मकानों के लिए 600 लाख रुपये ऋण उपलब्ध कराना तय हुआ जिसमें जिलेवार 16 जिलों की 20,000 मकानों की प्रोजेक्ट हुडको को भेजी जा चुकी है तथा शेष जिलों की भी प्रोजेक्ट बनाई जा रही है। इस कार्यक्रम के लिए दी राजस्थान स्टेट कोआपरेटिव हाउसिंग फाइनेन्स सोसायटी को शीर्ष संस्था नियुक्त किया गया है। हुडको से प्रोजेक्ट की स्वीकृति होने पर कार्य प्रारम्भ होगा।

कोटा जिले की पंचायतों में अधूरे निर्माण कार्य

17. **श्री रघुवीर सिंह कौशल** (बांरा) : क्या पंचायत राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटा जिले की पंचायतों में कितने निर्माण कार्य गत तीन वर्षों से अधिक समय से अधूरे पड़े हैं ?

(2) क्या इन कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराया जायेगा ? यदि हां, तो ये कार्य कब तक पूरे हो जायेंगे ?

उत्तर

(1) कोटा जिले की पंचायतों में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत 690 निर्माण कार्य तीन वर्षों से अधूरे पड़े हैं।

(2) जी हां। अधूरे कार्यों को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत कर पूर्ण कराया जा रहा है। उक्त अधूरे कार्य वर्ष 1984–85 तक पूर्ण कराने की चेष्टा की जा रही है।

जन जाति कल्याण हेतु खर्च धनराशि

18. **श्री भैरूलाल मीणा** (उदयपुर ग्रामीण) : क्या जन जाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा वर्ष 1981–82 से अब तक जन जाति कल्याण के लिये किस किस मद में कितनी

(श्री भैरूलाल मीणा)

धनराशि खर्च की गई ? कृपया जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) इस अवधि में सिंचाई, स्कूल भवन बनाने एवं छोटे उद्योगों पर कितना व्यय हुआ ? कृपया जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जन जाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा विभिन्न विभागों के माध्यम से वर्ष 1981–82 से माह दिसम्बर, 1983 तक जन जाति कल्याण कार्यक्रमों पर कुल 15,077.80 लाख रुपये व्यय किये गये जिसमें से कृषि एवं सम्बन्ध सेवाओं पर 2,591.00 लाख रुपये, सहकारिता पर 221.05 लाख रुपये, सिंचाई एवं विद्युत पर 9,191.02 लाख, उद्योग एवं खनन 664.04 लाख रुपये, परिवहन एवं संचार पर 601.08 लाख रुपये, सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पर 1687.70 लाख रुपये, आर्थिक सेवाओं पर 5.29 लाख रुपये एवं सामान्य सेवाओं पर 116.62 लाख रुपये व्यय किये गये।

कुल व्यय का जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) इस अवधि में सिंचाई पर 4,511.12 लाख रुपये, स्कूल भवन बनाने पर 70.20 लाख रुपये एवं छोटे उद्योगों पर 29.91 लाख रुपये व्यय किये गये। व्यय का जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

———

वर्ष 1981-82 में जिलेवार व्यय का ब्यौरा

(राशि लाख रु० में)

सैक्टर	बांसवाडा	डूंगरपुर	उदयपुर	चितौड़गढ़	सिरोही	नान डिवीजनल	योग
1. कृषि एवं सम्बन्ध सेवायें	197.29	153.86	179.32	47.98	39.26	156.94	774.65
2. सहकारिता	2.68	2.71	5.67		0.65	58.68	70.39
3. सिंचाई एवं विद्युत	2195.71	168.50	605.54	224.38	2.20		3196.33
4. उद्योग एवं खनन	32.91	36.78	122.90	3.60	40.98		237.17
5. परिवहन एवं संचार	41.71	17.03	54.94	40.25	12.85	37.36	204-14
6. सामाजिक एवं सामुदायिक सेवायें	176.46	128.12	166.04	33.43	18.13	72.32	594.50
7. आर्थिक सेवायें	0.98	0.58		0.42			1.98
8. सामान्य सेवायें	3.08	0.02	14.76	3.03	0.76	29.55	51.20
योग:—	2650.82	507.60	1149.17	353.09	114.83	354.85	5130.36

वर्ष 1982-83 में जिलेवार व्यय का विवरण

(लाख रु. में)

मद	बांसवाड़ा	डूंगरपुर	उदयपुर	चितौड़गढ़	सिरोही	नान डिवीजनल	योग
1. कृषि एवं सम्बन्ध सेवायें	281.33	244.76	330.83	93.49	45.42	213.80	1209.63
2. सहकारिता	6.40	3.86	20.60	0.80	1.30	82.29	115.25
3. सिंचाई एवं विद्युत	1827.76	199.65	678.96	64.58	2.59	265.84	3039.38
4. उद्योग एवं खनन	20.26	35.54	129.32	1.81	34.26	37.06	258.25
5. यातायात एवं संचार	85.71	12.58	38.57	34.31	13.52	59.79	244.48
6. सामाजिक एवं सामुदायिक सेवायें	157.52	109.03	157.79	27.76	19.19	153.42	624.71
7. आर्थिक सेवायें	0.93	0.60	–	0.39	–	–	1.92
8. सामान्य सेवायें	4.88	–	20.61	2.35	0.92	11.29	40.05
योग:–	2384.79	606.02	1376.68	225.49	117.20	823.49	5533.67

वर्ष 1983-84 में जिलेवार व्यय का ब्यौरा

(लाख-रु. में)

माह दिसम्बर, 83

	सैक्टर	बांसवाड़ा	डूंगरपुर	उदयपुर	चितौड़गढ़	सिरोही	नान डिवीजनल	योग
1.	कृषि एवं सम्बन्ध सेवायें	208.47	102.18	207.61	56.11	26.41	5.93	606.72
2.	सहकारिता	1.32	0.51	0.27	0.64	–	32.67	35.41
3.	जल एवं विद्युत	2301.00	133.20	514.60	6.45	–	–	2955.31
4.	उद्योग एवं खनन	7.49	4.86	69.92	0.65	24.00	61.70	168.62
5.	यातायात एवं संचार	64.51	12.78	36.74	10.26	28.17	–	152.46
6.	सामाजिक एवं सामुदायिक विकास	114.32	103.25	100.94	21.80	10.48	117.70	468.49
7.	आर्थिक सेवायें	0.58	0.57	–	0.24	–	–	1.39
8.	सामान्य सेवायें	5.26	–	13.62	0.71	0.67	5.11	25.37
	योग:–	2702.95	357.36	943.76	96.86	89.73	223.11	4413.77

वर्ष 81-82 से दिसम्बर, 83 तक जनजाति उपयोजना क्षेत्र में सिंचाई, स्कूल भवन एवं छोटे उद्योगों पर किये गये व्यय का जिलेवार विवरण:-

कार्यक्रम	डूंगरपुर			बांसवाड़ा			उदयपुर			चित्तौड़गढ़		
	81-82	82-83	83-84	81-82	82-83	83-84	81-82	82-83	83-84	81-82	82-83	83-84
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. सिंचाई	163.55	164.15	123.85	626.39	79 .31	726.78	623.41	651.20	516.91	13.89	65.94	1.34
2. स्कूल भवन	12.75	5.63	–	10.20	9.58	–	2.20	1.10	–	11.08	10.73	–
3. छोटे उद्योग	1.80	3.28	2.11	7.83	6 67	2.29	0.56	1.76	0.74	0.25	0.43	0.65

सिरोही			योग			वर्ष 81-82 से दिसम्बर, 83 तक कुल व्यय
81-82	82-83	83-84	81-82	82-83	83-84	
14	15	16	17	18	19	20
17.36	18.37	6.67	1444.60	1690.97	1375.55	4511.12
2.97	3.96	–	39.20	31.00	–	70.20
0.49	0.90	0.15	10.93	13.04	5.94	29.91

राज्य में खोले गये प्राथमिक विद्यालय

19. **श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर** (मावली):–क्या पंचायत राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में इस वर्ष कुल कितने प्राथमिक विद्यालय खुले हैं? कपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विद्यालय खोलने का आधार 300 की जनसंख्या का रखा था?

(3) यदि हां, तो जहां-जहां विद्यालय खोले गये हैं कृपया उनकी जनसंख्या (1971) की सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या राज्य सरकार विद्यालय खोलने में जनसंख्या के साथ-साथ अधिकतम दूरी के आधार पर भी विचार करेगी?

उत्तर

(1) राज्य में इस वर्ष कुल 1332 प्राथमिक विद्यालय खोले गये हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां।

(3) सूची सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(4) जी हां।

क्रम सं. पंचायत समिति का नाम	नाम ग्राम का जहां शालायें खोली गई	जनसंख्या
1 2	3	4
जिला—अलवर		
1. मुण्डावर	1. मनेठी	531
	2. सांचोद	508
	3. गोलाहेडा	460
2. बानसूर	1. मोरापुर	376
	2. खिवाहेडो	383
	3. खटाटो	323
	4मण्डा जा वसई	367
3. किशनगढ़वास	1. खोहरा पीपली	386
	2. रानी खेडा	630

1	2	3	4
4. कोटकासिम		1. टेऊवास	478
		2. मकडाका	468
		3. मिलपटी	466
		4. दौलतनगर माजरा	441
5. तिजारा		1. मलापुर मेव	359
		2. सिलारपुरमेव	420
		3. खदोपुर	396
		4. खाखरूदीनका	376
		5. चोपानकी	301
		6. कालाका	396
		7. शाहपुर	326
		8. सदपुर वरका	308
		9. माडाका पीपल	326
		10. राजघोकी	344
		11. सिरोली खुर्द	375
		12. मुण्डाना	326
		13. मजरा पिपली	326
6. थानागाजी		1. लोठावास	337
		2. दुहार माला	377
		3. छैथल	338
		4. चाहा का बास	326
		5. ग्वाडा गूमली	305
7. कठूमर		1. मकरेटा	410
		2. नंगला जादू	348
		3. नंगला केशरिया	370
		4. रामपुर पालन	359

1	2	3	4
		5. बलदेवपुरा	326
		6. बहुडु खुर्द	324
8. नीमराना		1. डुमरोली (कन्या)	
9. बहरोड़		1. वालपुरा	311
10. लक्ष्मणगढ़		1. हीगोटा	425
		2. बान्दका	353
		3. मेलखोडी	339
		4. पलानखोडो	397
		5. सिगंराका	389
		6. बासदागडी	354
		7. मुण्डपुरी कला	375
		8. छागना की	309
		9. खेरली लोधा	319
		10. जानाखिडा मदे	386
		11. सलेमपुर	444
		12. मुकन्दपुरा	301
		13. सायपुर	396
		14. दोडोली	337
		15. मारकपुर	324
		16. नैनापुर	343
		17. गोठडी पुरोहितान	309
		18. भ्रमरपुर	352
		19. जैतपुर	305
		20. छिलाछोह	
11. उमरेनै		1. कालीखोल	392
		2. मोडिया	328
		3. केखाडी	334
		4. इटाराना	328
		5. ए-मूडिया	328

1	2	3	4
12. राजगढ़		1. लार्की	397
		2. दूंदपुरी	456
		3. कुण्डरीलो	389
		4. मानगढ़	713
		5. माधोगढ़	368
		6. खारखाडा	322
		7. राजडोली	314
13. रेणी		1. जामडोली (कन्या)	
14. रामगढ़		1. खानपुर कलां	380
		2. बामणी खेडा	368
		3. नाकचपुर	391
		4. चिपराडा	337
		5. बुजाका	316
		6. कोटा कलां	304

जिला अजमेर

क्र. सं.	नाम पंचायत समिति	ग्राम का नाम जहां शालायें खोली गईं	जनसंख्या
1	2	3	4
1. अराई		1. पांडखाडा	
		2. छापरी	365
		3. दिलावटिया खेडा	350
		4. दौघली	353
		5. धानगा	347
2. भिनाय		1. उदयगढ़खेडा	571
		2. खण्डरा	359
		3. बड़ली (कन्या)	2326

1	2	3	4
3.	जवाजा	1. रूदाना	545
		2. शिवनगरी	408
		3. गणेशपुरी	415
		4. नाई खुर्द	368
		5. जलिया चासपोथी	345
		6. मांडावास	341
		7. लसाणी	313
		8. वाडोया वास	315
		9. पीथावास	468
4.	मसूदा	1. सालरमाला (हुर्रिया)	389
		2. दौलतपुरा	358
		3. ग्रमरपुरा	330
		4. सायलिया	320
5.	श्रीनगर	1. तिहारी (कन्या)	1771
6.	पीसांगन	1. पिछोलिया (कन्या)	2500
7.	सिलोरा (किशनगढ़)	1. उदयपुर खुर्द	284

जिला बीकानेर

क्र. सं.	नाम पंचायत समिति	ग्राम का नाम जहां शालाऐं खोली गई	जनसंख्या
1	2	3	4
1.	नोखा	1. देशलसर मंडलावतान	410
		2. देशलसर मारियान	325
		3. राणीसरवास पंचायती	339
		4. सारखण्ड	
2.	बीकानेर	1. उदयारामसर (कन्या)	3193
		2. वरजू	485
		3. 2 ए डी	350

2	3	4
	4. 8 ए डी	340
	5. 1 बी एम/3 बी डी	850
	6. 8 बी डी	550
	7. जे 4 जी एम	
	8. 12 के जे डी	
	9. 24/25 के वाई डी	
	10. 3 के जे डी	
	11. 1 एम एम शेरपुरा	
	12. 7 एस एल डी	
नहरी क्षेत्र	13. 2 के डब्लू एम	650
खाजूवाला	14. 3 पी डब्लू एम	560
	15. 20 बी डी	630
	16. 18 बी डी	500
	17. 28 के वाई डी	400
पूंगल	18. 14 ए डी	535
	19. 7 ए डी	400
3. लूणकरणसर	1. रोंझा	511
	2. डेलाना छोटा	568
4. कोलायत नहरी क्षेत्र	1. 4 एम एम	1147
	2. 5 एस के एम	1147
	3. 3 एम के एम	1147
	4. 2 डी ग्रो	1734
	5. 6/8 एम एम	725
	6. 1 टी एम/1 एम के डी	967
कोलायत	7. सियाना वाटियान	

जिला भरतपुर

क्र. सं.	पंचायत समिति	ग्राम का नाम जहां शाखाएं खोली गईं	जनसंख्या
1	2	3	4
1.	नगर	1. नकटपुर	348
		2. कसौदी	381

1	2	3	4
		3. घानौता	396
		4. पाडेका	353
		5. कुतुबपुर	470
		6. अमरूका	325
		7. सेमला खुर्द	372
		8. जटवास	356
		9. दौराला	361
		10. वाघाका	316
2. रूपवास		1. वांसो	660
		2. बिरू ग्रा	399
		3. रहीमपुर	388
		4. नंगला गूजर	312
		5. चकसेनार	374
3. कुम्हेर		1. अजान (कन्या)	400
4. बयाना		1. एतमादपुर	372
		2. अजनोली	359
		3. इसलिया	318
		4. सिघानासेहा	306
5. वेर		1. गोविन्दपुरा	508
		2. खासपुर (खासपुरा)	351
6. नदबई		1. मनोहरपुरा (खवासपुरा)	308
7. डीग		1. मोलमका	387
		2. खेडिया प्रोहित	379
		3. शाहपुर	369
		4. कल्याणपुर	365

1	2	3	4
8.	कामां	1. लाडलाका	437
		2. नंगला मुबारिक	399
		3. नंगला भट्टकी	380
		4. कुकरूपुरी	350
		5. काननखेडी	358
		6. जौतरी पिपल	372
		7. खेराया	346
		8. चिनावाडा	375
		9. झण्डीपुर	317
		10. गडसारी	310
		11. ग्रहलवाडो	312
		12. हेवलेका	358
		13. नं. शहजादे	458
		14. ढाना	304
9.	सेवर	1. चक दौलतपुरा	389
		2. चक ऊन्दरा	347
		3. दारापुर खुर्द	437
		4. मोरोली खुर्द	328

जिला–धौलपुर

क्र. सं.	नाम पंचायत समिति	ग्राम का नाम जहां शालायें खोली गई	जनसंख्या
1	2	3	4
1.	धौलपुर	1. कुरेंधा	743
		2. महूरी	314
		3. सरानी	447
		4. नरपुरा	308
		5. पेकरी	356
2.	राजाखेड़ा	1. विलहेटा	453
		2. समोला	390
		3. घेड	360

1	2	3	4
3. बाड़ी		1. मढागुजर	745
		2. मोहरा	546
		3. अहमदपुर	653
		4. खेडा	576
		5. तकीपुर	496
		6. मऋउला	562
		7. दादूर	473
4. बसेडी		1. बरमद	378
		2. बडापुरा	371
		3. सुरारी खुर्द	327
		4. गोपालपुरा	3'0
		5. खिरपुर	308

जिला–बाड़मेर

क्र. सं.	नाम पंचायत समिति	ग्राम का नाम जहां शालायें खोली गई	जनसंख्या
1	2	3	4
1. सिणधरी		1. खडाली	617
		2. अवाडी भीमजी	345
		3. त्रिसुलिया	317
		4. जुनिउंदरी	919
		5. पूनियों की बस्ती	2425
		6. जोगासर	1897
		7. आडेल पनजी	1740
		8. नाकोड़ा	500
2. बाड़मेर		1. कटेलिया का पार (सिहाई)	456
		2. सुरा जागीर	438
		3. पाडार धाकलसर	347
		4. अजचाणी	505
		5. मेकरणवाला	317
		6. हाथी तला गावांई बस्ती	1680
3. धोरीमन्ना		1. गुडामलानी (कन्या)	
		2. वाघावसी	12 0

1	2	3	4
4.	चौहटन	1. चौहटन (कन्या)	4499
5.	बायतू	1. मलवा गोयलान	305
		2. काला नाड़ा	1507
		3. खानजी का तला	1538
		4. लापूदड़ा चारणान	408
6.	शिव	1. शिव (कन्या)	2000
		3. छाटला	676
		4. वरसा	1097
		5. मक्खन का पार	824
		6. जिणों का पार	650
		7. साजीतडा	307
7.	सिवाना	1. नाल	640
		2. पादरू (कन्या)	6169
8.	बालोतरा	1. सिणली चौसिरा	480
		2. वलउ सासण	357
		3. मोहनपुरा	339

जिला–बून्दी

क. सं.	नाम पंचायत समिति	ग्राम का नाम जहां शालायें खोली गई	जनसंख्या
1	2	3	4
1.	तालेड़ा	1. गुढा	333
		2. जाबरीखुर्द	323
		3. तुलसी	312
		4. तिखाबड़	316
		5. बढकू	314
		6. घनातरी	312
		7. खैडला	323
		8. भँवरदा	312
		9. डगलावदा	319
		10. मोहीपुरा	313

1	2	3	4
		11. रूपनगर	313
		12. हरीपुरा	329
		13. मुसाखेडा	614
		14. खानखेडा	310
		15. फतहपुर	410
		16. बथवाडा	410
		17. बलदेवपुरा	406
		18. गोपालनिवास	324
		19. जावटीखुर्द	223
2. हिण्डोली		1. पायरा	305
		2. कालामाल	302
		3. खोडी	409
		4. लोदा की झोपडियां	327
		5. बहादुर पुरिया	392
		6. दुर्गापुरा	420
		7. लादू	366
		8. शिवराजनगर	6703
		9. डेरोली	380
		10. बेगन्या	313
		11. गोरधनपुरा	397
		12. जाखोता खुर्द	330
		13. नाडायत	500
		14. चेता का बडा	500
3. नैनवां		1. ऊरासी	326
		2. शिवपुरा	305
		3. सक्तपुरियां	302
		4. सुवासड़ा	368
		5. माणकचौक	342
		6. भामर	340
		7. हीरापुरा	320
		8. गावड़ी	307
4. केशोरायपाटन		1. सुनगर (कन्या)	2916
		2. कान्होहेडा	303

1	2	3	4
		3. छावछ	312
		4. तकमीलर	305
		5. गोपालपुरा	350

जिला बांसवाड़ा

क्र. सं.	पंचायत समिति का नाम	ग्राम का नाम जहां शालायें खोली गई	जनसंख्या
1	2	3	4
1.	बागीडोरा	1. भैरपोटो	398
		2. जाम्बूडो	385
		3. बजार	349
		4. बोरमुण्डा	335
		5. सेरिया	301
		6. सागन	301
		7. अमरपुरा	301
2.	घाटोल	1. देलवाडा रावणा	888
		2. गदडा	346
		3. कोटा मगरी	342
		4. गरणापत	322
		5. मार्या का पाडा	310
		6. बरसो आडा (कन्या)	2053
		7. रोनिया मानेग	342
		8. डिर्डनिरया	780
		9. केटडो	362
3.	आनन्दपुरी (पूखिया)	1. कांकर डूंगरी	691
		2. सरवई	362
		3. मवरिया	346
		4. चौयमाल	336
		5. भेर	341

1	2	3	4
		6. कुम्हारिया	329
		7. भम्ब	300
4.	पीपलखूट	1. पिपलखूट (कन्या)	
		2. माल	
5.	गढ़ी	1. पोरडा	380
		2. बगवाना (कन्या)	
6.	सज्जनगढ़	1. डूंगरीपाडा	420
		2. गेराना	349
		3. दामासाथ	348
		4. केलकुआ	341
		5. सन्दनी रूपा	337
		6. टीडोयादेव	329
		7. कुण्डा	325
		8. सोमजी पाडा	317
		9. गाड़ा	338
		10. गोप का बारिया	334
7.	कुशलगढ़	1. डूंगरा बानी	394
		2. नोनीसाथ	329
		3. पीपला पाडा	331
		4. तसलियां	323
8.	तलवाड़ा	1. ग्रामली खेड़ा	443
		2. पाडला	315

जिला भीलवाड़ा

क्र. स.	पंचायत समिति	ग्राम का नाम जहा शालायें खोली गई	जन संख्या
1	2	3	4
1.	माण्डलगढ़	1. आमलो	436
		2. अमरपुरा	596
		3. जैतपुरा	482
		4. चान्दजी का खेडो (कन्या)	3436

1	2	3	4
		5. रामचली	329
		6. कल्याणपुरा (हाडों का खेडा)	
		7. त्रिवेणी चौराहा (बरू खेडा)	
		8. जाडोली	372
		9. कोतवाल का खेडा	327
		10. केखेडा	322
		11. चेनपुरा	320
		12. सरदार जी का खेडा	306
		13. मुकन्दगढ़	308
	2. कोटड़ी	1. रेण	375
		2. देवखेडा	304
		3. याकलिया	369
		4. कंवलियास	301
		5. हस्तेडा	370
		6. सोपुरिया	302
		7. माताजी का खेडा	
		8. सातोला	348
		9. बोखेडा	341
		10. दातडा	333
		11. संग्रामपुरा	325
		12. बरूणा	311
		13. अमरपुरा	308
	3. माण्डल	1. वेरा (मांदू)	496
		2. गरवाय	405
		2. रूपपुरा	378
		4. करठा	559
		5. बोकली (कन्या) पंचायत चांदरारी	
		6. गोकुलपुरा	424
		7. पुरोहितों का खेडा	
		8. रावों का खेडा	
		9. कालूखेडा	546

1	2	3	4
		10. सोडास	363
		11. लोरडिया	365
		12. तगारिया	343
		13. दौलतपुरा	317
4.	हुरडा	1. भवानीपुर	526
		2. कोटडी (कन्या)	
		3. लाम्बा (कन्या)	
		4. भगवानपुरा	
5.	बनेड़ा	1. माता जी का खेड़ा	756
		2. मुंडेता	579
		3. मुरश	400
		4. रूगनाथपुरा	
		5. बांसा का खेडा	–
		6. पमालिया	318
6.	रामपुर	1. माडू का खेड़ा	438
		2. टोकरा	372
		3. धोरिया खेडा	326
		4. टेपुलिया	321
		5. रूपा का खेडा	319
		6. पंचातरी का खेड़ा	300
7.	आसीन्द	1. बडा खेड़ा	535
		.. रामपुरिया	455
		3. मोहरा	402
		4. बडला	595
		5. गणेशपुरा	321
		6. किशनपुरा उर्फ रातरडो	595
		7. खारडो	398

1	2	3	4
		8. मोल का खेडा	388
		9. डोटा	337
8.	सुवाणा	1. नाथडियास	356
		2. हासिवास	317
		3. सुवाणा (कस्बा)	
		4. गोविन्दसिंह जी का खेडा	
		5. दलेलसिंह जी का खेडा	
		6. तेली खेडा	
		7. मच्छपिया	
		8. गोरधनपुरा	
		9. मूलपुरा	
9.	जहाजपुर	1. रोजडी	423
		2. जेमा का खेडा	406
		3. जोकली	368
		4. छाजोला का खेडा	337
		5. दलपुरा	315
10.	शाहपुरा	1. रघुनाथपुरा	450
		2. सवनी	450
		3. सरदारपुरा (अरनिया खेडा)	363
		4. भटाली	401
		5. सरदारपुर (अखंड)	422
		6. कलिंजरी	550
		7. सेंवणा सूरजपुरा गोपालपुरा	541
		8. मोतीपुरा	
		9. सांखलिया	378
11.	सहाडा	1. खातो खेडा	304
		2. बोकर ई	309
		3. गाडरी खेडा (सिरोही खेडा)	405

जिला चूरू

क्रम. सं.	पंचायत समिति का नाम	नाम ग्राम का जहां शालायें खोली गई।	जनसंख्या
1	2	3	4
1.	सुजानगढ़	1. ढ ड	317
		2. खोरासर	795
		3. शोभासर (कन्या)	3470
		4. कोड़सर	315
		5. हेमासर अल्पुना	
2.	राजगढ़	1. इन्द्रपुरा	396
		2. बासमरोड़	376
		3. बैरासर मंझला	362
		4. बैरासर	362
		5. खांरिया गोदरा	
		6. चनाना बड़ा	
		7. मुन्दोवास सलाघियों का वास	
		8. नांगला	
3.	सरदारशहर	1. उदासर चरणान	337
		2. पुनपालिया	393
		3. बिल्यूवास महियान	330
		4. पातलीसर छोटा	384
		5. हालासर	328
		6. चाडसर	313
		7. बनियासर	309
		8. मेरुसर	322
4.	तारानगर	1. मुकवासी	
		2. साहब मोहल्ला हरिजन एवं	
		3. गलगटी	

1	2	3	4
5. डूंगरगढ़		1. बीरासर	
		2. इसलनसर छोटा	
		3. बापऊ (कन्या)	
		4. खेड़ी कन्या	
6. चूरू		1. आसल स्टेशन	
		2. बास सिरसला ग्रा.पं. सिरसला	
		3. बास महलों का	
7. रतनगढ़		1. सांवतिया	
		2. मोलीसर ढाणी	

जिला चित्तौड़गढ़

क्र. सं.	पंचायत समिति	ग्राम का नाम जहाँ शाखायें खोली गई	जनसंख्या
1	2	3	4
1. राशमी		1. नारायणपुरा	229
		2. बानदवाड़ा	397
		3. नेवटिया	339
		4. रघुनाथपुरा	316
		5. गंगरार (कन्या)	
2. चित्तौड़गढ़		1. पालखेड़ा	434
		2. कचनारिया	355
		3. सांखड़ों का खेड़ा	398
		4. सामरी	
		5. नाथि का खेड़ा	312
		6. जोतावल	308
		7. रिठोला	300
		8. मुगा का खेड़ा	301

1	2	3	4
		9. घेनिघा	308
		10. पचुमण्डल	309
		11. रूरजपोल	308
3. बेगू		1. सेमलिया	319
		2. हरीपुरा	319
		3. साहदा	359
		4. ठकराई (कन्या)	1250
		5. चौसला	319
		6. शिवपुरा	314
		7. लिरडी	314
		8. अनोपपुरा	314
4. डूंगला		1. सांगरिया	443
		2. नीमगांव	310
		3. चांदखेड़ा	348
		4. राणावतों का खेड़ा	307
		5. गुमानपुरा	352
		6. संगसरा (कन्या)	1224
5. कपासन		1. भूंगाना (कन्या)	1972
6. भूपालसागर		1. बेलाड़	339
		2. ताणा (कन्या)	2104
7. भदेसर		1. कास्या खुर्द	373
		2. हंठिपुरा	340
		3. केसरपुर	319
		4. देवड़ा पीपली	329
		5. तरजेला	370
		6. बरखेड़ा	326
		7. सेगवा	361
		8. अमरपुरा	307
		9. पाव नाथ जी कीखेड़ी	306

1 2	3	4
	10. बिलड़ा	309
	11. पलमपुरा उर्फ डगोलिया का बास	365
8. छोटी सादड़ी	1. बीरेड़ी	405
	2. प्यारी	363
	3. लालपुरा	328
	4. हमीरा की रेल	313
	5. दूधी तलाई	370
9. बड़ी सादड़ी	1. जनताई	354
	2. चारण खेड़ी	348
	3. पाघेरी	363
	4. बोण्डी	405
	5. लालपुर	328
	6. राणावतों का खेड़ा	307
10. भैंसरोंगढ़	1. शंभूनाथ जी खेड़ा	376
	2. जालर बावड़ी	391
	3. नगपुरा	448
	4. लक्ष्मीपुरा	369
	5. मुज खुर्द	328
	6. घाघरा मऊ खुर्द	347
	7. अनेरा कलां	392
11. अरनोद	1. बिवाला	347
	2. सित्या खेड़ो	334
12. निम्बाहेड़ा	1. कासोद	371
	2. सेमलिया	393
	3. खैरा जदोद	361
	4. कोटडी खुर्द	392
13. प्रतापगढ़	1. गामदा	313
	2. लालपुरा	366
	3. कचनारा	336

1	2	3	4
		4. चोटी लाक	311
		5. राजपुरिया	350
		6. मचलाना	365

जिला डूंगरपुर

क. सं.	नाम पंचायत समिति	ग्राम का नाम जहां शालाएं खोली गई	जनसंख्या
1	2	3	4
1.	सागवाड़ा	1. केसरपुरा	495
2.	सिमलवाड़ा	1. मडारा (बोडामली)	424
		2. बोरामाता	323
		3. दाह	322
		4. महुवाड़ा	313
		5. सिमलवा न्यू कालोनी (कन्या)	
		6. भण्डारा	424
		7. काली कापारड़ा	330
		8. बडीमाला	310
		9. सारणवास	309

जिला गंगानगर

क्रम सं.	पंचायत समिति	ग्राम का नाम जहां शालाएं खोली गई	जनसंख्या
1	2	3	4
1.	श्री गंगानगर	1. 4 जेड़	366
		2. 13 जेड़	350

1	2	3	4
		3. 2 एच. छोटी	328
		4. 26 जी. जेड.	377
		5. 3 एल. एल.	319
		6. 2 एल. एल. (कन्या)	1201
		7. 3 एम. धाणी	853
2. श्री करणपुर		1. 26 एच.	329
		2. 22 एच.	320
		3. 10 ओ.	465
		4. 16 एफ. एफ.	301
		5. एस.	320
		6. 27 एच. बी.	324
		7. 29 मच	333
		8. 1 एफ. सी.	444
		9. 5 ओ	353
		10. 13 एस. एल. डी.	616
3. अनूपगढ़		1. 88 जी. बी.	392
		2. 87 जी. बी.	315
		3. 55 जी. बी.	458
		4. 71 जी. बी.	311
		5. 64 जी. बी.	317
		6. 66 जी. बी.	545
		7, 58 जी. बी.	591
		8. 57. जी. बी.	514
		9. 42 जी. बी.	326
		10. 31 जी. बी.	398
		11. 26 जी. बी.	364
		12. मोटासर	567
		13. बररी	477
		14. 6 जी. बी.	572
		15. 8 बी.	800

1	2	3	4
		16. वी. डब्लू एम	800
		17. जोतवाली 1 रूम एम	800
		18. 6 डी डी	700
		19. 10 डी ग्रो एल	700
		20. 6 पी. के. एम.	700
		21. 20 डी. डी.	600
		22. गुलाम ग्रलीवाला	600
		23. 17 एम. डी.	600
		24. 27 ए.	500
		25. बरोड़ फार्न (5 ए.)	500
		26. 67. जी, बी.	399
		27. 21 एम. जे. एम.	500
		28. जो. वी. ए.	634
		29. 10 ए. पी. डी.	500
		30. 7 के. एन. डी.	500
		31. 4 एम. एल. डी.	500
		32. 2 एस. टी. ग्रार.	550
		33. 13 ए. पी. डी.	500
		34. चेनपुरा	483
		35. 2 जे. एस डी.	500
		36. 3 डी. जे. एन.	500
		37. 15 एल. एम.	600
		38. 6 ए. पी. एम.	3:0
		39. 22 ए.	500
4. पदमपुर		1. 1 25 बी. बी,	406
		2. 18 बी. बी.	308
		3. 1 पी. पी.	377
		4. 5 पी. पी. जी.	356
		5. 14 ई. ई. ए.	320
		6. 74 एल. एन. पी.	322
		7. 77 एल. एन. पी.	320

1	2	3	4
5. रायसिंह नगर		1. 6 एम. डी.	653
		2. एम. एम. बी.	349
		3. 2 एम. एम. बी.	324
		4. 56 आर. बी.	359
		5. 14 टी. के.	379
		7. 31 एम. एल.	541
		8. 50 एन. पी.	473
		9. 40 एन. पी.	384
		10. 35 एम. एल.	662
		11. 36 एल. पी.	524
		12. 6 एल. सी.	399
		13. 62 आर. बी.	312
		14. 21 डब्लू. एम.	382
		15. 13 एल. एल. डी.	616
6. नोहर		1. गिराजसर	537
		2. जोरावरपुरा	324
		3. खरडसी	714
		4. हरदास वाली आथूना	1453
		5. धीरदेसर	377
		6. जालाना वास श्योपुरा	662
		7. बीजासर	410
		8. ढाणी कुलडियान	315
		9. ब्राहम्णावासी	458
		10. चक राजासर	315
		11. वास दौलेवाला	450
		12. मलकासर	335
		13. 2 आर. पी. एम.	330
		14. मानकेरियां	352
7. हनुमानगढ़		1. एस. एल. (डब्लू.)	712
		2. 11 12 एस. एल. डब्लू.	319

1	2	3	4
8.	भादरा	1. बुडेर	667
		2. भानगढ़ (कन्या)	1439
9.	सूरतगढ़	1. कालसर	324
		2. 3. टी. के. डब्लू.	429
		3. 34 एल. एल. डब्लू.	357
		4. 1 5 एम. डब्लू. एम.	396
		5. 5 एम. डब्लू. एम.	396
10.	सादुलशहर	1 23 एम. एल.	401
11.	करणपुर	1. 5 ओ.	353
		2. 14 एफ. एफ.	373
		3. 5 डब्लू.	368
		4. 41 एम.	330

जिला जयपुर

क्र. सं.	नाम पंचायत समिति	ग्राम का नाम जहां शालायें खोली गई	जनसंख्या
1	2	3	4
1.	बस्सी	1. ग्वालिनी	721
		2. हिम्मतपुरी	457
		3. चिमलपुरा	438
		4. खिजुरिया जाटान	430
		5. देवापुरा	433
		6. मोपलाबाई	398
		7. अभयपुरा	378

1	2	3	4
		8. कार्नेड़वास	370
		9. सांख	368
		10. हरध्यानपुरा	359
		11. उगावास	339
		12. रूपपुरा	329
		13. घासीपुरा	310
		14. मनपुरा	304
2. कोटवाड़ा		1. बदरवास	493
		2. बड़ारामा	413
		3. मनसारामपुरा	392
		4. सुन्दरियावास	344
		5. चकरामसर	309
3. लालसोट		1. हरिपुरा	558
		2. अभयपुरा	407
		3. रूपपुरा	433
		4. अनुपपुरा	442
		5. डिडवाना (कन्या)	4684
		6. रामनगर खेड़ी	302
		7. खाड़पुरा	308
		8. उगरियावास	308
		9. काकरिया	348
		10. आमनेरी	302
		11. मावता	305
		12. चेनपुरा खुर्द	325
		13. बाड़बड़वा	388
		14. गुदडिया	390
		15. नवरंगपुरा	350
4. चाकसू		1, ककटा	386
		2. दुरिया	316
		3. आनन्दपुरा	322
		4. जगदीशपुरा	316
		5. रम्जानीपुरा	357
		7. विमलपुरा	360
		7. कागलपूर्ण	302

1.	2	3	4
		8. जगदीशपुरा बापाला	316
		9. गौड़ का वास	344
		10. दलपतपुरा	310
5.	कोटपूतली	1. शेखपुरा	313
		2. किरतपुरा	310
		3. सांगटेडा (कन्या)	124
		4, पदमावाली ढाणी (कल्याण पु. कलां)	310
		5. ओदा की ढाणी (देवता)	310
6.	जमवारामगढ़	1. चक चारणवास	433
		2. पीतली	431
		3. मु ल्लर	386
		4. फतेहपुरा	369
		5. थोलाई (कन्या)	2589
		6. टोडालड़ी	335
		7. श्री नगर	329
		8. रामपुरा	354
		9- कुद्दर	347
		10. माती	347
		11. रायपुरा	332
		12. पाड़ली कलां	326
		13. ढलेर	330
		14. पाड़ली खुर्द	320
		15. बाड रसुलपुरा	305
		16. नूरपुर	304
		17. चाक रेखा (चाकहुरेला)	303
		18. किलतपुरी	301
		19. गोठकी पट्टी	389
		20. बाड़ाखेड़ा	308
		21. बिसोखे	369
7.	सांभरलेक (जोबनेर)	1. सूरपुरा	498
		2. प्रतापपुरा	442
		3. लक्ष्मीपुरा	394
		4. खतबाड़ी खुर्द	323
		5. मोहनपुरा	365
		6. पृथ्वीपुरा	303
8.	शाहपुरा	1. चतरपुरा	739
		2. पीपलोद नाथू	327
		3. खोरी-कन्या	3753

1	2	3	4
9.	विराटनगर	1. भातेला हरिजन मोहल्ला (कन्या)	3600
10.	गोविन्द गढ़	1. भ्रगतपुरा (कन्या)	
11.	सिकराय	1. सुरेर	487
		2. अम्बाड़ी	440
		3. मोलाई	391
		4. चादपुर	355
		5. पोलनखुर्द (पीलवाखुर्द)	366
		6. नहराना	341
		7. उदलवाड़ा	319
		8. जगरामपुरापटटी	313
12.	बान्दीकुई	1. पडला	305
		2. वडियालकंड (कन्या)	
13.	फागी	1 चादमाखुर्द	408
		2. मुकुन्दपुरा	399
		3. जावड	364
		4. डावलाखुर्द	340
		5. नथमलपुरा	399
		6. गणेशपुरा	340
14.	दौसा	1. हाज्याका बास	330
		2. भगलाव	385
		3. चावड	398
		4. पीपल्या चेतपूरा	481
		5. भूडलाभूतपुरा	357
		6. झैलनपुरा	392
		7. कानपुरा	380
		8. खुरी खुर्द	446
		9. रलावता	364

1	2	3	4
		10. खेड़ला खुर्द	393
		11. कंवरपुरा	398
15. आमेर		1. स्यारी तह (जमवारामगढ़)	473
		2. सिरसी	430
		3. खोरावाड़ी	384
		4. हरवर तह. (जमवारामगढ़)	375
		5. रायथल (कन्या)	1445
		6. निमनपुरा	358
		7. मोठका वास	322
		8. छिछपुर	324
		9. कुशलपुरा	302
		10. जुगलपुरा	304
16. सांगानेर		1. उदयपुर (गिलोरिया)	697
		2. घेंगस	394
		3. सालगरामपुरा	336
		4. लक्ष्मीनारायणपुरा	322
		5. श्योपुर (कन्या)	
		6. सारंगपुर (ठिकरिया)	382
		7. छाई	300
		8. गफ्फतपुरा चक्र	320
17. दूदू		1. हचकड़ा	465
		2. नोरंगपुरा	374
		3. खेडीचारणानन	339
		4. फरियादपुर	314
		5. बोवास (कन्या)	
		6. सोलावता	334
		7. बासडा	348
		8. श्योपुरा	324
		9. नगरी	425
		10. पहवालिका	325
		11. गंगाती खुर्द	302

जिला झुन्झुनू

क्र. सं.	नाम पंचायत समिति	ग्राम का नाम जहां शालाऐं खोली गई	जनसंख्या
1.	2	3	4
1.	बुहाना	1. पिथोला	934
		2. इस्माइलपुर	578
		3. कुहारवास (कन्या)	1406
		4. गाडाखेड़ा	
		5. डूमोली खुर्द (कन्या)	
		6. भिर्र (कन्या)	
		7. राजपुरा (सपघरडाना)	
		8. रामवास	
		9. अमरपुरा खुर्द	
		10 जयसिंहसर	
2.	झुन्झुनू	1. डीनवा	400
		2. भोमपुरा	349
		3. आदर्शनगर सरहद्द देसुसर (कन्या)	991
		4. शेखसर (कन्या)	
		5. जीतास	
		6. खाजपुर का वास (जोगियोंवाला)	
		7. कारेली की ढाणी तनवुडाना	
		8. हमीरावास हरिजनवास (पं. किशनपुरा)	
		9. मदनपुर (पं. भीमसर)	
		10. लालपुर (कन्या)	
		11. गोट्ठू का वास	
		12. मोतीसर	
3.	चिडावां	1. कुतुबपुरा	325
		2. नालनोद	635

1	2	3	4
		3. केहरपुरा (कन्या)	1265
		4. हरिजनवास (सुल्ताना)	
		5. बोला की ढाणी	
		6. मेहतीयों की ढाणी (मडेला)	
4. अलसीसर		1. राणासार	730
		2. वासपुरिया	375
		3. महरादास	323
		4. पुरिया	306
		5. नान्द	
		6. महिरों की दूनी	
		7. खीचडों का वास	
		8. चारणों की ढाणी	
		9 ईसरपुरा (हमीरी)	
5. सूरजगढ़		1. स्याल खुर्द	383
		2. उरीकी	395
		3. फतेहपुरा	320
		4. हरिजनों का वास किदवाता (कन्या)	1696
		5. झाझडियों की ढाणी	
		6. इस्माइलपुर	314
		7. पीपली (कन्या)	
6. उदयपुरवाटी		1. वासपाना	395
		2. घरावता	345
		3. बड़ापावा की ढाणी (तन भोडकी)	
		4. चक नागद	
7. नवलगढ़		1. जाखल (कन्या)	3474
		2. मोहबससरी	
		3. हनुमान जी की ढाणी (चुगाला)	

1	2	3	4
		4. दूदाणा का बास (दूसरा)	
		5. ग्रासलसर (परसरामपुरा)	
		6. पूनियों की ढाणी (पनाहर सिथान	
		7. रानोला जोहड़ा (मोठडा)	
	8. खेतड़ी	1. ढाणी इलायर	401
		2. ढाणी ठेका	327

जिला जैसलमेर

क्र. सं.	नाम पंचायत समिति	ग्राम का नाम जहां शालाऐं खोली गई	जन संख्या
1	2	3	4
1.	सम	1. म्याजलार (छात्रा)	753
2.	साकडा	1. लूणाकला	440
3.	जैसलमेर	1. बडोडगांव (छात्रा)	1178

जिला जालौर

क्र. सं.	नाम पंचायत समिति	ग्राम का नाम जहां शालाऐं खोली गई	जनसंख्या
1	2	3	4
1.	जालौर	1. साकरणा (कन्या)	1932
2.	साचौर	1. निम्बज गांव	544

1	2	3	4
		2. जोडादा	512
		3. कलजीकीबेडी	481
		4. लालपुर (घाघला)	442
		5. तातडा	342
		6. धींगपुर	310
		7. रामपुरा (भाव के पास)	313
		8. पालडी देवडान	333
		9. फालना	311
3.	जसवंतपुरा	1. राजी का बास (कन्या)	1155
4.	सायला	1. बालवाडा (कन्या)	2803
5.	भीनमाल	1. बागोडा (कन्या)	2664
6.	आहोर	1. भंवरानी (कन्या)	3486

जिला जोधपुर

क्र. सं.	नाम पंचायत समिति	ग्राम का नाम जहां शालायें खोली गई	जनसंख्या
1	2	3	4
1.	लूणा	1. पियासनी	307
		2. बोराबास	405
		3. वुकांकड	315
		4. खोरा बैरा (पट्टों का बास)	437
		5. बैबटा	
		6. विश्नोईयों की ढाणी	
		7. राहडों की ढाणी	

1	2	3	4
2.	ओसियां	1. घिन्दिया	363
		2. बासनी तरड़ा	
		3. बेंगडिया	
		4. बोगनो	
3.	मण्डौर	1. झापासनी	313
		2. रोहिला खुर्द	389
		3. बासनी बैंदा	
		4. जानीवाल कूतड़ी	
		5. जालिलो भोजदार	
4.	बांय	1. मोडकिया	303
		2. ग्राम गाडना	
		3. सिवानदी ग्राम नैनउ	
		4. रावरा	
		5. भोमजी का गांव	
5.	भोपालगढ़	1. भंवरिया की ढाणी (सूरकटा)	459
		2. डोडयाड	
		3. नागलवास	
		4. बरणगी की ढाणी	
		5. मैरासिया	
6.	बालेसर	1. माटेलाई (पुरोहितान)	368
		2. करलाई वैडानाथडास	
		3. लांडता कालोमियों की ढाणी	
		4. सेखाला प्याउ	
		5. चामू (कन्या)	

1	2	3	4
7.	फलोदी	1. लालोलाई नाडी ग्राम दयमोर	
		2. कालरियों की ढाणी	
		3. सिनियां की ढाणी ग्राम देवाण	
		4. पापलिया मेघवालों की बस्ती ग्राम पीलवा	
		5. तुलंगि नाड़ी ग्राम चाड़ी	
8.	शेरगढ़	1. खिरिजाखास नयाबेरा	
		2. जाटो मोड़ू गुंदियालनाठे	
		3. ग्राम देनू (कन्या)	
		4. मंढ़तियों की ढाणी चावा	
9.	बिलाड़ा	1. माड़ की नाड़ी खारिया मीठापुर	
		2. माखरों की ढाणी बोरुन्दा	
		3. बरना (कन्या)	

जिला झालावाड़

क्र. स.	पंचायत समिति	ग्राम का नाम जहां शालायें खोली गई	जन संख्या
1	2	3	4
1.	पिडावा मु. पुनैल	1 खेजडिया	444
		2. सिलोरी	326
		3. सावत खेड़ा	310
		4. पाउखेड़ा	309
		5. खामनी	304
		6. रूपाखेड़ी	304
		7. ताल	302

1	2	3	4
		8. बालदा	305
		9. डन्डौरा	308
2.	खानपुर	1. ममुड़ी	459
		2. चांदपुरा राहूचमलाड़ा	378
		3. नारीगढ़ (कन्या)	3001
		4. बाडोदा	310
		5. घानांदा खुर्द	362
		6. समरोल	372
		7. अम्बाला	405
3.	मनोहर थाना	1. खेरखड़ा	374
		2. देवरी देव	325
		3. वामलादेह	309
		4. बोखेडी बालियान	306
		5. लसूडियागेंद	328
4.	बकानी	1. भिडकिया	381
		2. कोली	391
		3. पाडलिया	390
		4. ददलाई	351
		5. नयागांव मण्डेरी	321
		6. बारीखेड़ो बेख रगिमा[illegible]यान	
		7. राजपुरा	305
		8. मडोकडिया	524
		9. खटकड़	302
		10. झोतापुरा	335
		11. जगपुरा	371
		12. उम्मेदपुरा	358
		13. खाचरकेद	332
		14. गणेशपुरी	348
		15. दुर्गापुरा	361

1	2	3	4
		16. राज्या	358
		17. राकड़ा	300
		18. देवलीबड़ु	309
5.	झालरापाटन	1. कोलाना	372
		2. खैरासी	301
		3. झोकंडिया	344
		4. धानोधा	306
		5. कंवरपुरा	314
		6. कासी तलाई	319
		7. मोरेड़ा	319
6.	डग	1. गुर्तडिया देवड़ा	380
		2. खमला	354
		3. सांरगा खेड़ा	354
		4. राजपुरा	316
		5. चौकड़ी खुर्द	300
		6. निपानियां झावल	316

जिला कोटा

क्र. सं.	पंचायत समिति	ग्राम का नाम जहां शाखायें खोली गई	जनसंख्या
1	2	3	4
1.	किशनगंज	1. गांवरचा	314
		2. बृजनगर	398
		3. किशनगंज (कन्या)	
2.	शाहबाद	1. पहाड़ी	310
		2. बोरेदुआ उपरेटी	355

1	2	3	4
		3. तिलगंवा	392
		4. जालौनी	372
		5. केदार खुर्द	356
		6. गणेशपुरा	342
		7. हाटड़ी	300
		8. निवाड़ी	308
		9. सिरसोदकलां	333
3.	सुल्तानपुर	1. चोगाकोठ	503
		2. रामनगर	381
		3. चीमाबोपू	551
		4. मूलेन	350
		5. घन्पूरी	393
		6. रीछाहेड़े	301
		7. मेंहदी	346
		8. मूंडला	355
		9. रामपुरिया	308
		10. पाचड़ा	349
4.	सांगोद	1. लुसाडिया खुर्द	507
		2. किशोरपुरा	349
		3. खुशहालपुरा	317
		4. नयापुरा	360
		5. सलोनिया	395
5.	बारां	1. बरानी	346
		2. खेड़ा जागीर	337
		3. मोटपुर	309
		4. श्यामपुरा	303
6.	छीपाबड़ोद	1. ब्रहमाखेड़ो	306
		2. दांवडा	313

1	2	3	4
		3. गागंटी	303
		4. बांसखेड़ा	305
		5. गावांरी	303
		6. खूजरिया	702
		7. मोतीपुरा कलां	551
		8. काकोली उर्फ भवानीपुरा	335
		9. फुटी बडोद	400
		10. बृजनगर	398
7.	इटावा	1. करजीधा	393
		2. कोशी मंडी	312
		3. फतेहपुर	332
		4. नोहादा	377
		5. गणेश खेड़ा	310
		6. हरिपुरा	322
		7. खेडली जागोर	328
		8. नरना हाली उर्फ सुमेरपुरा	305
		9. शेरपुर	323
8.	अन्ता	1. गुदरावनी	490
		2. जारेला	361
		3. भगवानपुरा	412
		4. मशरवा	378
		5. बलदेवपुरा	355
		6. मूंडला	332
		7. मांडपुर	344
		8. पचेलखुर्द	432
		9. खजूरना खुर्द	380
		10. पापडला	359
9.	अटरू	1. डडवाड़ा	338
		2. उदयपुरिया	318

1	2	3	4
10.	चेचट (कैरावाद)	1. मनोहरपुरा	449
		2. बांरदो	318
		3. मदनपुरा	604
		4. सलावद कलां	443
		5. उदयपुरा	405
		6. भटवाड़ा	393
		7. गुडला	335
		8. कोल्हू	324
		9. कालपुरा	301
		10. मोफुरा खुर्द	355
		11. चन्द्रपुरा	339
		12. ग्रमकली	603
		13. घाटीजागीर	344
		14. जुहानियां	397
		15. मायला	395
		16. मोमपुरा	381
		17. लक्ष्मीपुरा	563
		18. दोहनियां	397
		19. हनोतियां	378
11.	लाडपुरा	1. श्यामपुरा	312

जिला नागौर

क्र. सं.	नाम पंचायत समिति	ग्राम का नाम जहां शालायें खोली गई	जनसंख्या
1	2	3	4
1.	लाडनू	1. भामाय	374
		2. श्यामपुरा	482

1	2	3	4
		3. समना (परिगण)	
		4. नलिया ग्राम कसूम्बी	
		5. हुसैनपुरा की ढाणीया (मीठड़ी)	
2. परबतसर		1. अडानी	437
		2. बर्छा हेड़ा	625
		3. सूदियास	
		4. घोलिया	
		5. नाका बस्ती	
3. जायल		1. डीडिया खुर्द	452
		2. नानडी ढाणी (फीडर)	
		3. खंवर माजरा	
		4. खेड़ा हीरावास (फीडर)	
4. मकराना		1. मोडी भीखा	
		2. रामपुरा	349
		3. लोरोली (कन्या)	463
		4. अमरसर	
		5. बूढस की बगीची	
5. डेगाना		1. कीरड	540
		2. महाराणा (कन्या)	763
		3. भवरिया	303
		4. इट्यावड़ा भोजा	516
		5. दूघडास	302
		6. डूंगरास	
		7. पुनियास	
6. कुचामनसिटी		1. सावतगढ़	304
		2. राजास	643
		3. बाजना	347
		4. नानड़ा	

(217)

1	2	3	4
		5, बासडा (राजलिया)	
		6. देवली कला (कन्या)	
7.	रियाँ	1. शेखपुरा	320
		2. लाखीणा	
		3. राक्यासनी	
8.	नागौर	1. निम्बोला	499
		2. माण्डेली	695
		3. मेघवालों एवं बादम्रों की ढाणियां रामालाई भाडी के पास (कालडम)	
		4. कादरपुरा	
		5. माल गांव की ढाणी	
9.	मेड़ता	1. जोरोडा सुजरान	566
		2. जोरोडा खुर्द	527
		3. बाकलिया बास	338
		4. बेरो की ढाणी	
		5. गोटनगांव	
10.	मुण्डवा	1. गुड़िया	352
		2. ईशरनाबड़ा	600
		3. रातड़ी नाड़ी के पास बिरलोक	
11.	डीडवाना	1. शेखावासनी	314
		2. भगरोट	316
		3. नारंगपुरा	
		4. कल्याणपुरा	
		5. कड़वा की ढाणी तन दाउदसर	

जिला पाली

क्र. स.	नाम पंचायत समिति	ग्राम का नाम जहां शालायें खोली गई	जनसंख्या
1	2	3	4
1.	बाली	1. टीपरी	357
		2. बिलिया	327
		3. पेरवा पं. पैरवा (कन्या)	4000
2.	देसूरी	1. मटोलिया	527
		2. मादा (कन्या)	
3.	सुमेरपुर	1. ढोला सासन	627
		2. बलवाना पंजवाई बास (कन्या)	
4.	सोजत	1. बासजी मदांवता	382
		2. नाण्डावन (कन्या)	
5.	रायपुर	1. मालतो	405
		2. मानपुरा	354
		3. झूठा (कन्या)	
6.	रोहट	1. रोहट (कन्या)	
		2. दादिया की ढाणी	
7.	मारवाड़ जंक्शन	1. गोदावास	352
		2. थापली (कन्या)	
8.	रानी	1. नम्रदान जोधा	353
		2. रानी स्टेशन (कन्या)	
9.	पाली	1. आवरी (कन्या)	500

1	2	3	4
10.	जैतारण	1. बिरामपुरी	373
		2. खिदावास	323
		3. दागला	314
		4. हुनावास खुर्द	304

जिला सवाई माधोपुर

क्र. सं.	पंचायत समिति का नाम	ग्राम का नाम जहां शालायें खोली गई	जनसंख्या
1	2	3	4
1.	गंगापुर	1. खण्डीय (कन्या)	3186
2.	महुवा	1. ठोकरी जिलानकट	467
		2. गढ़हिम्मतसिंह (कन्या)	3100
		3. सरावली	501
		4. हासलपुर	396
		5. मूडकोडी	390
		6. सरावली	375
		7. सील	314
		8. नौरंगपुरा	322
		9. खोहरी	316
3.	करौली	1. मदनपुर	397
		2. रुदोड	368
		3. माटई	382
		4. रिछोटी	398
		5. गुजरमलखाली	310
		6. भंवरपुरा	306

1	2	3	4
4.	टोडाभीम	1. अयूयापुर	328
		2. पालड़ी	428
		3. गाजीपुर	438
5.	सवाई माधोपुर	1. फ्रांडोदा	472
		2. नयागांव	319
		3. हिंगोनी	314
		4. भैरूखेड़ा	352
		5. रामसिंहपुरा	320
		6. खारबुन्द	865
6.	सपोटरा	1. अमरापुरा	413
		2. किरतपुरा	426
		3. जरगढ़पुरा	306
7.	हिण्डौन	1. भारेड़ा (कन्या)	
8.	बौली	1. श्यामोली	468
		2. बाढहरियालम	302
		3. कोथाली	313
		4. गुढलानदी	352
9.	खण्डार	1. जयसिंहपुरा	434
		2. दौलाड़ा	375
		3. तीजड़ा	450
		4. बरनावदा	425
		5. किशनगढ़ (छाहड़ा)	340
10	मादोती	1. भौडवाड़ा	303
		2. सोप (कन्या)	2737
		3. सवहेड़ा	353
11.	बोमनवास	1. बामनवास खुर्द (कन्या)	3520
		2. नाननवास	343

जिला सीकर

क्र. सं.	पंचायत समिति	ग्राम का नाम जहां शालायें खोली गई	जनसंख्या
2	2	3	4
1.	लक्ष्मणगढ़	1. डूंगरवास	356
		2. जाल (बरसरा वाठोद (कन्या)	
		3. जालू 255)	
		4. छिछास	
		5. खिचड़ो की ढाणी तन रहनावा	
2.	दांतारामगढ़	1. केरपुरा	457
		2. माडोली	336
		3. पचार (कन्या)	
		4. करारा की ढाणी तन वानुडा	
3.	खण्डेला	1. चक खटुदरा	465
		2. सुरपुरा	318
		3. हाथी गेह (कन्या)	
		4. माजी साहब की ढाणी ग्रा. पं. गोविन्दपुर	
		5. चारणवास वाखेडी	
4.	नीमकाथाना	1. सिहवास (वरसिहवास)	311
		2. रायकावास	398
		3. गढ़ावा (वडावा)	349
		4. सविसाशी की ढाणी (सावलपुरा संवरान)	
		5. केरली की ढाणी (सिरोही)	
5.	पिपराली	1. सिहासन (कन्या)	2375
		2. लाखाबाली ढाणी तन रघुनाथगढ़	

1	2	3	4
		3. खारो की ढाणी तन बोबोर	
		4. ढाणिया तनवेरी	
		5. खालिमसिंह की ढाणी	
6.	श्रीमाधोपुर	1. जोरावरनगर (कन्या)	2000
		2 ढाणी कन्द वाड ग्रा. पं. दिवराली	
		3. लिखाड़िया (कन्या)	
7.	धोंद	1. चारणवास	
		2. सन्तोषपुरा	
		3. जैरठी (कन्या)	
		4. उत्तरी ढाणियां तन कासली	
		5. पलथाना (कन्या)	
8.	फतेहपुर	1. चाचीवादी छोटा	356
		2. अठवास	
		3. जुगलपुरा	
		4. ढाणी रामपुरा तन यठेलिया	
		5. सघीनसर (कन्या)	

जिला सिरोही

क्र. सं.	नाम पंचायत समिति	ग्राम का नाम जहां शालायें खोली गई	जनसंख्या
1	2	3	4
1.	आबूरोड	1. बिवरली (कन्या)	2210
		2. घामसर	650
		3. छापरो	
		4. हीरबली सवन्तपुर	
		5. जवाई (जवाई आबूपर्वत)	

1	2	3	4
2.	पिण्डवाड़ा	1. झाडोली (कन्या)	
		2. भावरोड	330
		3. सीलवाफली	
		4. केशवगंज	
3.	शिवगंज	1. वाडका	330
		2. केलाशनगर (कन्या)	4773
		3.	
4.	सिरोही	1. सबरटा	328
		2. वाग	325
		3. हस्तीनापुर (नई बस्ती) (कालिन्दरी)	
		4. नया खेडा विद्युतनगर (रामपुरा)	
5.	रेवदर	1. अन्लदर (कन्या)	5154
		2. मुलिया खेडा	
		3. करौटी	292
		4. रलण्डी (रेवदर)	400
		5. हडमतिया (अनच्दर)	

जिला टोंक

क्र. सं.	पंचायत समिति	ग्राम का नाम जहां शालायें खोली गई	जन संख्या
1	2	3	4
1.	देवली	1. बनेडिया खुर्द	510
		2. कलन्दापुरा	556

2	3	4
	3. नवागांव डिमारिया	387
	4. डाटून्दा (घाड़)	325
	5. थली	394
	6. थाघोली	312
	7. अकोडिया (पंचायत चन्दवाड)	311
	8. रंगाविलास (,,)	309
	9. कोटडी (पं. चारनेट)	333
	10. संग्रामपुरा (पं. निवारिया)	350
2. मालपुरा	1. कल्याणपुरा पैगून	558
	2. रामपुरा बास गवबर	309
	3. बस्सी (चैनपुरा)	420
3. निवाई	1. कुरावद	403
	2. खेडोमानपुरा	351
	3. सिरोही (कन्या शाला)	2500
	4. मडंगपुरा	304
	5. चर्मविजयपुरा (पं. पलेइ)	397
	6. खाजपुरा (पं. मरयला)	325
4. टोंक	1. फजलपुरा	351
	2. अलोपुरा	361
	3. तालीथपुरा	330
	4. चमोर (कन्या)	1943
	5. इस्लामपुरा	335
	6. गफूरपुरा	305
5. उनियारा	1. नाहर	361
	2. हरीरपुरा	318
	3. खंडालिया (खोहल्या)	312
6. टोडारायसिंह	1. बावडो (कन्या)	3500

जिला उदयपुर

क्र. सं.	नाम पंचायत समिति	ग्राम का नाम जहां शालायें खोली गई	जनसंख्या
1	2	3	4
1.	बडगांव	1. बरोडियां	437
		2. नाथावतों का गुंदा	368
		3. कोलर	
		4. प्रतापपुरा (सापेटिया)	
		5. बडगांव (कन्या)	
		6. सवलपुरा	514
		7. कोटडी की ढाणी	633
2.	खमनौर	1. जोसियों की मादडी	373
		2. सालोर (कन्या शाला)	1184
		3. मोखेला (शिशोदा)	
		4. खेडी (लच्छीपुरा)	367
3.	मावली	1. फलीचंडा (कन्या शाला	1057
		2. राइमी	
4.	आमेट	1. देवली	468
		2. डेगाना	302
		3. नाईयों का गुंढा	322
		4. देवरिया	313
		5. रावों का खेडा	304
5.	रेलमगरा	1. छतडी खेडा	315
		2. ढीली का खेडा	778

Page No. 225

1	2	3	4
6.	कुम्भलढ़	1. गामड़ी	448
		2. बजवास	508
		3. बागूजा	388
		4. नाथी का गुढ़ा	382
		5. दलथाना (बरदढा)	
		6. घनायका	317
		7. लौर	358
		8. थोरियावास	317
		9. वारंड	307
		10. योथएा	327
		11. कोडाकड़ा	320
7.	देवढ़	1. भरतसिंहजी का गुढा (पालड़ी)	305
		2. बेएा खेडी	398
		3. कोटी का घटिया	380
		4. मानसिंह का खेडा	377
		5. देपुरा	348
		6. सालिया खेड़ा	300
		7. दागडो	313
		8. माताजी का गांव	348
		9. डालों का खेड़ा	328
		10. दान्तडा	331
8.	भीम	1. उम्मेदपुरा	323
		2. अजीतगढ़ (कन्या शाला)	896
9.	राजसमन्द	1. फतेहपुरा	324
10.	बरियावद	1. छापरिया	305
		2. गोपालपुरा (कूएा)	
		3. पायरा (भोजपुर)	
		4. चित्तोडिया (देवलिया)	

1	2	3	4
11.	सराड़ा	1. सरसिया मूडलाकला(कन्याशाला)	968
		2. टोकर (बानपुर)	
		3. वडावली (रातालेड़ा)	
		4. पाडला (कोटडीकला)	
		5. बायरी निम्बेदा	
		6. मगरावली थोरी	516
		7. वाताकलां	348
		8. बेहूता	326
12.	कोटड़ा	1. कोटडा (कन्या शाला)	1677
		2. गुरा	407
		3. बासेला (मामेर)	
		4. मोरजड़ा	448
		5. पीपलमाल	305
		6. कोलिया	406
		7. बागावत	433
		8. राजपुरा	301
		9. बोतीकलां	304
		10. मालवीया	307
13.	सलूम्बर	1. मालपुरा वाघपुर	392
		2. डाल (डांगीवाड़ा)	
		3. पाटर्ण	
		4. तुलसियों का नामला	
		5. राजपुरा	
14.	झाड़ोल	1. कोट	319
		2. चरिला	310
		3. पालियाखेड़ा	
		4. ग्रावरडा	
		5. चौखला वारा	305

1	2	3	4
		6. बदराना	670
		7. लोनावतों का खेड़ा	571
15.	खैरवाड़ा	1. मालसामाबावड़ी	331
		2. सुवेरी (पालिया)	
		3. कककरोडूगरा (कनवाई के नजरे में)	
		4. जयपुरा (बामनवाड़ा)	
		5. बोगरवाड़ा	324
		6. करणाउम्रा	586
		7. ईटवा	317
		8. खराडीवाड़ा	306
		9. खुटानेरी	301
		10. सूखापाड़ा	324
		11. नीचालाफाला	315
16.	गिराब	1. पादरणी (कन्या)	
		2. मानपुरा (पासदा)	
		3. वाजनीखेडी (बेमला)	
		4. मादडी (डोडावली)	
		5. टीला खेड़ा	312
		6. फाम्दा	379
		7. वाडू खेड़ा	314
		8. कोट	488
17.	गोगुन्दा	1. मोरवी मजरा घाटियाखेडी	
		2. कानजी का गुढा (कनोल)	
18.	भीण्डर	1. कोसलाई	
		2. गोठिया	
		3. सारंगपुरा	
		4. रुपावली	332
		5. जसवन्तपुरा	316

1	2	3	4
		6. मचलाना	353
		7. केरपुरा	341
		8. माण्डकला	395

जिला कोटा में मातृ शिशु कल्याण के तहत मध्यान्ह भोजन

20. श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा)–क्या पंचायत राज मंत्री यह बताने की कृपा

(1) 20 सूत्री कार्यक्रम के सूत्र मातृ शिशु कल्याण के तहत कोटा जिले में मध्याह्न भोजन देने हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था ? वह कहां-कहां लागू किया गया ? कृपया तहसीलवार विस्तृत जानकारी सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि इस सम्बन्ध की चर्चा क्रियान्वयन समिति की बैठकों में भी समय-समय पर होती रही है व इसमें व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने में विभाग असमर्थ रहा है ?

(3) क्या विभाग उक्त योजना को कारगर ढंग से लागू करने की कोई प्रभावी योजना रखता है ? यदि हां, तो क्या ? कृपया विस्तृत जानकारी सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बीस सूत्री कार्यक्रम के सूत्र संख्या 3 के अन्तर्गत ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा कोटा जिले में मातृ शिशु कल्याण की योजना के तहत मध्याह्न भोजन नहीं दिया जा रहा है। अतः तहसील वाइज विस्तृत जानकारी का प्रश्न ही नहीं उठता।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रधान, पंचायत समिति डीडवाना द्वारा लिया गया यात्रा भत्ता

21. श्री उम्मेद सिंह (डीडवाना) क्या पंचायत राज मंत्री यह बताने की की कृपा करेंगे :–

(1) प्रधान, पंचायत समिति, डीडवाना ने शपथ लेने के बाद आज तक विकास कार्य बाबत कुल कितने किलोमीटर यात्राएं की एवं कुल कितने रुपयों का डीजल उठाया ?

(2) लाग बुक किन-किन अधिकारियों द्वारा भरी गयी तथा प्रधान द्वारा पंचायत समिति कोष से कुल कितने रुपयों का यात्रा भत्ता उठाया गया ? सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) पंचायत समिति, डीडवाना वर्ष 1982–83 के दौरान कुल शीर्षव

(श्री उम्मेद सिंह)

आय एवं व्यय किस प्रकार रहा ? कृपया सूची प्रस्तुत करें।

उत्तर

(1) प्रधान द्वारा कुल 10518 किलोमीटर की यात्राएं की गयी एवं 7316.30 रुपये पैट्रोल/डीजल पर व्यय किये गये।

(2) यात्राओं के अनुसार लाग बुक विकास अधिकारी, कृषि प्रसार अधिकारी, शिक्षा प्रसार अधिकारी एवं कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा भरी गयी हैं तथा प्रधान द्वारा पंचायत समिति कोष से कुल 2680/- रुपये का यात्रा भत्ता उठाया गया है जिसका विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) पंचायत समिति, डीडवाना की वर्ष 1982-83 की आय रुपये 51,01,016.39 पैसे एवं व्यय रुपये 51,84,270.35 पैसे हुआ, जिसका विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

प्रधान, पंचायत समिति, डीडवाना को यात्रा भत्ता की भुगतान की गयी राशि का विवरण पत्र

क्र. सं.	भुगतान की गयी राशि	भुगतान की तिथि	अवधि
1.	577.50	31-5-82	जनवरी, 82 से मई, 82
2.	45.00	31-5-82	अप्रैल, 1982 से मई, 1982
3.	285.00	17-12-83	जून, 1982 से जुलाई, 1983
4.	1772.50	17-12-83	जून, 1982 से नवम्बर, 1983
योग	2680.00	(दो हजार छः सौ अस्सी रुपये मात्र)	

पंचायत समिति, डीडवाना जिला–नागौर का आय व्यय का विवरण वर्ष 1982–83

क्र. सं.	नाम विभाग व योजना	पिछले वर्ष का शेष	चालू वर्ष में प्राप्त राशि	योग	चालू वर्ष में व्यय	आधिक्य	बचत
1.	शिक्षा विभाग	310445·12	2325820·00	2636265·12	2308103·23	—	328161·89
2.	स्वास्थ्य विभाग	10018·82	—	10018·82	—	—	10018·82
3.	कृषि विभाग	83577·79	27340·00	110917·79	17075·89	—	93841·90
4·	पशुपालन विभाग	(–) 25592 02	58800·00	33207·98	63303·93	30095·95	—
5.	सामुदायिक विकास विभाग	(–) 52264·64	334500·00	292235·36	381650·99	99415·63	—
6.	उद्योग भवन	----	9360·00	9360·00	8052·60	—	1307·40
7.	अन्य विभाग (जिला विकास अभिकरण से)	140459·00	364377·50	504836·50	442545·90	—	62290·60
8.	पंचायत समिति की निजी आय	885815·05	928980·79	1814795·84	1068255·47	—	746540·37
	योग	1352459·12	4049178·29	5401637·41	4288988·01	129511·58	242166·98
9.	राज्य सरकार से प्राप्त ऋण	10,000·00	8,000·00	18,000.00	85,000·00	67000·00	—
10.	पंचायत समिति में ऋण निक्षेप	1,58,745·85	10,43,838·10	12,02,583·95	8,10,282·34	—	3,92,301·61
	कुल योग	15,21,204·97	51,01,016·39	66,22,221·36	51,84,270,35	1,96,511·58	16,34,468·59

राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा मकानों का विक्रय मूल्य

22. **श्री मालाराम** (खेतड़ी) एवं

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा जयपुर में निर्मित एवं निर्माण किये जाने वाले मकानों के विक्रय मूल्य तय करने में कौनसी वैज्ञानिक एवं प्रामाणिक प्रक्रिया अपनाई जाती है तथा उसमें कौन-कौन से अभियान्त्रिक अथवा तकनीकी मापदण्ड स्वीकार किये जाते हैं ?

(2) क्या विक्रय मूल्य निर्धारण के पूर्व निर्मित आवासीय क्षेत्र के क्षेत्रफल अथवा घनफल पर विचार करने के साथ ही मकान के स्थित होने के क्षेत्र विशेष का अवलोकन किया जाता है ?

(3) क्या विक्रय मूल्य निर्धारण के पूर्व मकान के निर्माण हेतु प्रयोग में ली गयी सामग्री के स्तर व स्पेसिफिकेशन्स व उसके फिनिशिंग को भी देखा जाता है ?

(4) जयपुर में सभी आय वर्गों के लिये अब तक निर्मित मकानों का विक्रय मूल्य कब-कब कितना-कितना निर्धारित किया गया और उसमें कब-कब कितनी-कितनी बढ़ोतरी किस-किस कारण से की गयी ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा निर्मित/आवंटित मकानों का मूल्य निर्धारण मण्डल द्वारा निर्धारित पद्धति के आधार पर किया जाता है। इसमें भूमि एवं उस पर किये गये विकास कार्यों की कीमत, निर्माण पर किया गया व्यय, उसमें लगी हुई पूंजी पर ब्याज तथा प्रशासनिक एवं अन्य अप्रत्यक्ष व्यय निर्धारित दरों पर सम्मिलित किये जाते हैं।

(2) जी नहीं।

(3) विक्रय मूल्य निर्धारित करते समय मकान पर हुए कुल व्यय को मद्देनजर रखा जाता है जो कि स्पेसिफिकेशन्स एवं कार्य कि गुणवत्ता [क्वालिटी] पर निर्भर होता है।

(4) जयपुर में सभी आय वर्ग के लिये अब तक निर्मित मकानों का विक्रय मूल्य का विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" पर दिया गया है। बढ़ोतरी का कारण कीमतों में वृद्धि प्रशासनिक व्यय में वृद्धि, हुडको के द्वारा ब्याज की दर में वृद्धि के कारण तथा आकस्मिक कारणों से वृद्धि।

विवरण

RAJASTHAN HOUSING

Name of Scheme :—Nahari-Ka-Naka

S.No.	SIZE	1971-72	1973		1974
		SRS	July, 73	GRSI	
1.	20′×45′	9000/-			
2.	25′×45′	12000/-			
3.	18′×35′			8400/-	9800/-
4.	11×37.5 (Stone paattion foofing)				10800/-
5.	18×37·5 (Acc Sheet)				
6.	20×37·5				
7.	20×45		12800/-		12100/-
8	20×50			13500/-	
9.	25×50			17928/-	20400/-
10.	30×60 (old)				
11.	30×60 (New)				
12.	40×60				

Name of Schcme :-VAN VIHAR

1. 35·31 (GFF)
2. 38·96 (GFB)
3. 23·89 (FFF)
4. 29·16 (FFB)
5. 75·49 (GF)
6. 78·16 (GFB)
7. 49·31 (FFF)
8. 49·31 (EFB)

BOARD JAIPUR

1975 April	Oct.	1976	1977	1978	1980 Draw II
12100/-	12920/-		13150/-	13150/-	14971/-
			12700/-	12700/-	14781/-
					14331/-
			12000/-	12000/-	13631/-
		20700/-			
			18300/-	18300/-	
18300/-					18587/-
25300/-	26150/-		27200/-	30403/-	35137/-
406009-	44150/-		43000/-	46150/-	53337/-
	43450/-				
49400/-	48350/-		52600/-		
					14340/-
					14670/-
					13330/-
					13800/-
					32030/-
					32520/-
					29910/-
					29990/-

Name of Scheme :-Lal Kothi, Jaipur.

S. No.	Size	1975 April	Oct.
1.	20×50 (GF)	27000/-	
2.	20×50 (FF & SF)	24400/-	
3.	25×50 (GF)	30000/-	30250/-
4.	25×50 (FF & SF)	27600/-	27830/-
5.	30×60 (GF)	40150/-	
6.	30×60 (FF & SF)	38500/-	
6.	40×60 (GF)	61933/-	
8.	40×60 (FF & SF)	58700/-	

Name of Scheme :-JAWAHAR NAGAR (FLATS)

S. No.	Size	1978	1979 I st Draw
1. L1	20×50 (GF)	23063/-	25650/-
2.	20×50 (FF)	22936/-	25500/-
3.	20×50 (SF)	23369/-	24900/-
4. L2	25×50 (GF)	28987/-	31500/-
5.	25×50 (FF)	28696/-	—
6.	25×50 (SF)	28146/-	—
7. M1	30×60 (GF)	38038/-	41550/-
8.	30×60 (FF)	37355/-	40850/-
9.	30×60 (SF)	36446/-	38450/-
10. M2	40×60 (GF)	74345/-	—
11.	40×60 (FF)	70730/-	—

1976 April	Oct.	1977	1978 P–IV	1979	1980 Draw II
	31400/-	27910	27910/-		30000/-
	28400/-	25260/-	—		
32400/-	34150/-	32400/-	32400/-		37132/-
29825/-	31340/-	29825/-	29825/-		
		41500/-	42050/-		49272/-
		39800/-	40325/-		
		64000/-			
		60670/-	62490/-		

3/12.79	1980 26.4.80 (M2 Special)	1980–81 (Draw-II)	Size	1980–81 (Draw-III)
23221/-	—	27942/-	88·25	43260/-
23094/-	—	27754/-	87·97	44600/-
22527/-	—	26915/-	77·74	44150/-
29171/-	—	34848/-		
28880/-	—	34421/-		
28330/-		33607/-		
38208/-	—	44552/-		
37525/-	—	43538/-		
—	—	42192/-		
74345/-	86550/-	86312		
70739/-	74450/-	80431/-		

1	2	3	4
12.	40×60 (SF)	69709/-	—
13.	40×60 (GFS)	—	—
14.	40×60 (FFS)	—	—

S. No.	Size	1973 Oct.	1974 April	April	1975 Oct.
1.	13×38				
2.	20×50				
3.	25×50	13530/-	22500/-	25300/-	25200/-
4.	30×60		33970/-	40600/-	
5.	40×60(WOG)	36000/-	45500/-	46204/-	48350/-
6.	40×60 (WG)			49400/-	
7.	40×00		79000/-	88300/-	88900/-
1.	50×90			106100/-	
9.	6·1×15				
10,	7·5×15				
11.	10·5×18				

Name of Scheme :-Malviya Nagar, Jaipur

S. No.	Size	16·2·81	16·7·81
1.	05·5×08	9740+2450	
2.	9×15	21040+3560	
3.	8×15	29930+5720	
4.	11×18	54810+5740	63580+574
5.	12×20	101450+6750	
5.	3·25×8·5		
7.	10·5×16		

5	6	7	8	9	10	11
—	—	—				
—	—	104070/-				
—	—	88620/-				

1976 April	Oct.	1977 April	1978	1979	1980
7800/-		8000/-	8685/-		
			18300/-		
25200/-		27200/-	30405/-		
43000/-		43000/-	46115/-		90110/-
49900/-		46400/-	49150/-		
52600/-		52600/-	59500/-		98330/-
92700/-	98425/-		98425/-	137050/-	
			113800/-	151120/-	
			33750/-		
			46570/-		
			73860/-		

1.12.82	17.12.80	23.9.81	28.7.81
10860+2610			17220/-
22830+4720			30360/-
31890+5800			42800/-
68080+5930			73000/-
			120250/-
	6090+1010	7280+1020	
			65840/-

Name of Scheme :- Ghat ki Ghuni

S. No.	Size		6-7-82
1.	3·8 × 16·45	(Block with patti roofing (Old Plan)	7036
2.	-do-	(Stone masonary with patti roofing) Old plan	9879
3.	-do-	(Block with patti not with steel door frame) (New plan)	9110
4.	-do-	(Block with patti roofing with chokat)	8985
5.	-do-	(Block with RCC Roof) (New plan)	8592
5.	-do-	(Stone masonary with RCC Roofing) (New plane)	10033
6.	-do-	(Stone masonary with patti roofing) (New plan)	11210

पचायत समिति, सहाड़ा की स्थायी समितियों का निर्वाचन

23. **श्री रामपाल उपाध्याय** (सहाड़ा) : क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या पंचायत समिति, सहाड़ा जिला भीलवाड़ा की स्थायी समितियों के सहवरण व निर्वाचन सम्पादित हो गए हैं ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या इन सभी स्थायी समितियों के अध्यक्षों के निर्वाचन हो गये हैं ? यदि हां, तो कब ? नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार इन स्थायी समितियों के अध्यक्षों के निर्वाचन तत्काल कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(4) क्या सरकार अब तक इन स्थायी समितियों के अध्यक्षों के चुनाव नहीं कराए जाने के लिए दोषी अधिकारियों को दंडित करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) दो स्थाई समितियों के लिये सहवरण एवं निर्वाचन दिनांक 15-10-82 को पूर्ण किया जा चुका है, शेष तीन स्थाई समितियों के लिए भी सहवरण एवं निर्वाचन दिनांक 15-10-82 को करवाया गया था, परन्तु इनके एक-एक सदस्य का पद अभी तक नहीं भरा गया है।

(2) वित्त कर तथा प्रशासन स्थाई समिति के लिए प्रधान तथा शिक्षा स्थाई समिति के लिये उप-प्रधान पदेन रूप से अध्यक्ष के पद पर दिनांक 15-10-82 से कार्यरत हैं। शेष 3 स्थाई समितियों के

(पंचायत मंत्री)

एक-एक सदस्य पद रिक्त होने के कारण उनके अध्यक्षों का निर्वाचन नहीं कराया जा सका है।

(3) जी हां। सदस्यों के रिक्त स्थानों की पूर्ति के तुरन्त बाद अध्यक्षों के निर्वाचन करवाये जायेंगे।

(4) राज्य करकार की दृष्टि में स्थाई समितियों के अध्यक्षों के चुनाव नहीं कराये जाने के लिए कोई अधिकारी दोषी प्रतीत नहीं होता है। अतः दण्डित करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

ग्राम पंचायत बीजरोल के मुख्यालय का हस्तान्तरण

24. श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना): क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत बीजरोल, पंचायत समिति, सांचौर का पंचायत मुख्यालय ग्राम बीजरोल से ग्राम पमाणा में स्थानान्तरित करने का मामला सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो कब से?

(2) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत, बीजरोल का पंचायत मुख्यालय ग्राम पमाणा सभी दृष्टिकोण से उपयुक्त है? यदि हां, तो उक्त पंचायत का पंचायत मुख्यालय ग्राम पमाणा में कब तक स्थानान्तरित कर दिया जायगा? निश्चित अवधि बताने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

ग्राम पंचायत लोहरिया के मुख्यालय का हस्तांतरण

25. श्री पर्तासिंह (कुशलगढ़)—क्या पंचायत राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बांसवाड़ा जिले की कुशलगढ़ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत लोहरिया का हैड क्वार्टर खेटावारी स्थान्तरित करने का प्रस्ताव राज्य सरकार के पास आया है?

(2) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने क्या निर्णय लिया?

(3) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत लोहरिया सभी गांवों से एक तरफ पड़ने के कारण ग्राम सभा पंचायत समिति ने निर्णय लिया है कि पंचायत लोहरिया का मुख्यालय खेटावारी में स्थानान्तरित कर दिया जाय?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) मामला निर्णय हेतु विचाराधीन है।

(3) वर्ष 1981 के चुनावों के पहले की ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव पारित किया था। इस सम्बन्ध में पंचायत समिति द्वारा ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं लिया गया था।

परिशिष्ट–6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 2 की सूची)

वरिष्ठ एवं कनिष्ठ विशेषज्ञ शल्य एवं मेडिसन के स्वीकृत पदों की जिलेवार सूची

क्र. सं.	जिले का नाम	जिला अस्पताल	मेडिसन		शल्य	
			वरिष्ठ विशेषज्ञ	कनिष्ठ विशेषज्ञ	वरिष्ठ विशेषज्ञ	कनिष्ठ विशेषज्ञ
1	2	3	4	5	6	7
1.	अजमेर	ब्यावर	1	–	1	–
2.	भरतपुर	भरतपुर	1	–	1	–
3.	धौलपुर	धौलपुर	1	–	1	–
4.	सीकर	सीकर	1	–	1	–
5.	झुन्झुनू	झुन्झुनू	–	1	–	1
6.	सवाईमाधोपुर	सवाईमाधोपुर	–	1	–	1
7.	सवाईमाधोपुर	करौली	1	–	–	–
8.	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	1	1	–	1
9.	चूरू	चूरू	–	1	–	1
10.	चूरू	रतनगढ़	–	1	–	1
11.	नागौर	नागौर	–	1	–	1
12.	जालौर	जालौर	–	1	–	1
13.	बाड़मेर	बाड़मेर	1	1	1	1
14.	जैसलमेर	जैसलमेर	–	1	–	1
15.	पाली	पाली	1	–	1	–
16.	सिरोही	सिरोही	–	1	–	1
17.	बून्दी	बून्दी	1	–	1	–
18.	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	–	1	–	1
19.	चित्तौड़गढ़	प्रतापगढ़	1	–	1	–
20.	झालावाड़	झालावाड़	–	1	–	1
21.	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	1	1	1	–
22.	डूंगरपुर	डूंगरपुर	1	–	1	–
23.	कोटा	कोटा	2	2	1	3
24.	टौंक	टौंक	–	1	–	1
25.	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	1	–	1	–
26.	अलवर	अलवर	1	–	1	–
		योग:—	16	16	15	16

परिशिष्ट-7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 8 की सूचना)

टोंक जिले में विकलांग छात्रवृत्ति भुगतान संबंधी सूचना-वर्ष 1980-81

क. सं.	स्कूल का नाम	छात्रों की संख्या	स्वीकृत राशि
1	2	3	4
1.	राज. मा. वि., मोर	2	1000/-
2.	रा. प्रा. शाला, लाम्बा हरि सिंह	6	2500/-
3.	रा. प्रा. वि. वनस्थली, टोंक	5	2000/-
4.	रा. प्रा. पाठशाला, केरोद	1	500/-
5.	रा. उ. मा. वि. टोंक (मालपुरा)	1	400/-
6.	रा. उ. मा. वि., मडल (टोंक)	1	500/-
7.	रा. उ. मा. वि., मोरला (टोंक)	1	500/-
8.	टेगोर बाल निकेतन, टोंक	1	500/-
9.	आदर्श विद्या मन्दिर, टोंक	3	1200/-
10.	रा. मा. वि., कठमाना	1	500/-
11.	रा. प्रा. वि. बेरडो	1	500/-
12.	रा. उ. प्रा. वि., देवलपुर	1	500/-
13.	रा प्रा. वि., देवालिया	2	900/-
14.	रा. प्रा. वि. नं. 3, मालपुरा	1	400/-
15.	रा. प्रा. उ. प्रा. वि. मालपुरा	1	500/-
16.	प्रा. पाठ., बिलोठ, टोंक	1	400/-
17.	रा. मा. वि., पचेवर, टोंक	1	500/-
18.	रा. उ. मा. वि., टोडारांय सिंह	3	1300/-
19.	रा. प्रा. वि. मोतीबाग	2	900/-
20.	रा. मा. वि., झिलाप सिवाई	4	1700/-
21.	रा. मा. वि., टोंक	1	500/-
22.	रा. मा. वि. बोलावाला अलीगढ़	3	1200/-
23.	रा. उ. मा. वि., सीदडा निवाई	1	400/-
24.	रा. उ. प्रा. वि., उर्दू ब्लाक, मालपुरा	3	1300/-

1	2	3	4
25.	रा. प्रा. वि. टाउन नं. 2 मालपुरा	1	400/-
26.	रा. उ. प्रा. वि., लवारिया, टोंक	2	800/-
27.	रा. उ. मा. वि., राजपुरा मालपुरा	1	500/-
28.	रा. प्रा. वि. चनाकली	1	400/-
29.	रा. उ. मा. वि., इन्दोली मालपुरा	8	3700/-
30.	रा. प्रा. वि., टाउन नं. 5, मालपुरा	4	1300/-
31.	रा. मा. वि. अरनिया मालपुरा	1	500/-
32.	रा. मा. वि., हतोना	1	500/-
33.	रा. प्रा. वि., देवली टोंक	2	900/-
34.	रा. मा. वि. कलमण्डा	2	1000/-
35.	रा. उ. प्रा. वि. अमीरगंज	1	500/-
36.	रा. प्रा. वि., बालाकिला अलीगढ़	1	500/-
37.	रा. प्रा. वि. अलीगढ़	1	400/-
38.	रा. मा. वि. डिग्गी	1	500/-
39.	रा. उ. मा. वि., चादसेन	2	1000/-
40.	रा. प्रा. वि., भिरोत	1	400/-
41.	रा. प्रा. वि., करबापुरा	1	400/-
42.	रा. प्रा. वि. ठिकरिया	2	900/-
43.	रा. उ. प्रा. वि., उनियारा खुर्द	2	800/-
44.	रा. मा. वि., बनवली	1	500/-
		83	36100/-

टोंक जिले में विकलांग छात्रवृत्ति भुगतान संबंधी सूचना वर्ष 81-82

क्र. सं.	स्कूल का नाम	छात्रों की संख्या	स्वीकृत राशि
1	2	3	4
1.	रा. मा. वि. पलियानी टोंक	1	500/-
2.	रा. उ. प्रा. वि., सोढा (टोंक)	2	1000/-
3.	रा. उ. प्रा. वि., बावडी (सोडा)	4	1900/-

1	2	3	4
4.	रा. प्रा. वि., बरोनी	3	1300/-
5.	रा. मा. प्रा. वि.. झिलाय	1	400/-
6.	रा. प्रा. पाठशाला, कुरेडी टोंक	1	400/-
7.	रा. उ. प्रा. वि., बीजवाड	1	500/-
8.	रा उ. प्रा. वि., कनोडगेट उनिहारा	1	500/-
9.	रा. प्रा. वि., बालवीला, अलीगढ़	2	900/-
10.	रा. प्रा. पाठशाला, लाम्बा हरिसिंह	2	1000/-
11.	रा. प्रा. वि., सिटी नं. 1 निवाई	2	800/-
12.	रा. प्रा. वि., टाउन नं. 2 देवली	2	800/-
13.	रा. प्रा. वि., देवली गांव	1	400/-
14.	रा. प्रा. वि., कडीला तह. मालपुरा	3	1400/-
15.	टेगौर बाल निकेतन, टोंक	1	400/-
16.	रा. प्रा. वि.. कलमण्डा	1	500/-
17.	रा. प्रा. वि., सिटी नं. 8 टोंक	1	400/-
18.	रा. प्रा. वि. नया टीला, टोंक	1	500/-
19.	रा. प्रा. वि., न्यू कोहना टोंक	1	400/-
20.	रा. प्रा. वि., टाउन नं. 2 मालपुरा	1	400/-
21.	रा. बा. प्रा. वि., बालका ढावा टोडारायसिंह	2	800/-
22.	रा. आदर्श उ. प्रा. वि. देवली	1	400/-
23.	रा. उ. प्रा. वि., फूलेता (टोंक)	1	500/-
24.	रा. प्रा. वि, सुरेली (आगेपार)	1	400/-
25.	रा. उ. प्रा. वि, देवरी (उनियारा)	1	500/-
26.	रा. प्रा. वि. सिटी नं. 3 टोंक	1	400/-
27.	रा. प्रा. वि., घास (टोंक)	1	400/-
28.	रा. आदर्श उ. प्रा. वि., निवाई	1	500/-
29.	रा. प्रा. वि. पंचालिया (टोडारायसिंह)	1	400/-
30.	रा. प्रा. वि., मोती बाग (टोंक)	4	2100/-
31.	रा. प्रा. वि., सिटी नं. 3 मालपुरा	1	400/-
32.	रा. प्रा. वि., टाउन नं. 5 मालपुरा	4	1700/-
33.	रा. उ. प्रा. वि., चांदसेन (टोंक)	2	900/-
34.	रा. प्रा. वि., सोप (उनियारा)	1	500/-
35.	रा. नवीन उ. प्रा. वि., निवाई	1	500/-
36.	रा. आदर्श उ. प्रा. वि., मालपुरा	1	500/-
37.	रा. मा. वि., थाड (देवली)	1	500/-

(245)

1	2	3	4
38.	रा. आदर्श उ. प्रा. वि., मालपुरा	1	400/-
39.	रा. प्रा. वि.. इन्द्रपुरा (देवली)	1	400/-
40.	रा. उ. प्रा. वि., थावंला	1	400/-
41.	रा. उ. प्रा. वि. बृजलाल नगर (मालपुरा)	2	1000/-
42.	रा. प्रा. वि., वनस्थली	1	400/-
43.	रा. उ. प्रा. वि., घाटोली (मालपुरा)	5	2100/-
44.	शारदा विद्या भवन टौंक	2	800/-
45.	रा. उ. प्रा. वि. बावडी (टोडा)	3	1400/-
46.	रा. कन्या पाठशाला (टोडा)	1	400/-
47.	रा. प्रा. वि., टाउन नं. 3 मालपुरा	1	400/-
48.	रा. उ. प्रा. वि., मान्दोलाई (मालपुरा)	2	900/-
49.	रा. उ. प्रा. वि., झाडली (मालपुरा)	3	1200/-
50.	रा. उ. प्रा. वि., कठमाला	1	400/-
51.	रा. उ. प्रा. वि., बावडी (टोडा)	2	900/-
52.	रा. प्रा. वि., सरदारपुर (देवली)	1	400/-
53.	र . उ. प्रा. वि.। सोथला	1	400/-
54.	रा. उ. प्रा. वि., उर्दू ब्लाक (मालपुरा)	6	2500/-
55.	रा. उ. प्रा. वि., बडोली	1	500/-
56.	रा उ. प्रा. वि., हथौना	5	2400/-
57.	रा. प्रा. वि., सिटी नं. ! टौंक	1	400/-
58.	रा. आदर्श विद्या मन्दिर टौंक	1	500/-
59.	प्रा. पाठशामा, कल्याणपुरा (टोडा)	1	400/-
60.	रा. प्रा. वि., टाउन नं. 4 मालपुरा	1	400/-
61.	रा. आ. उ. मा. वि., डिग्गी	1	500/-
62.	रा. प्रा. वि.—	4	1600/-
63.	रा. प्रा. वि., चांदसेन	1	400/-
64.	रा. बा. प्रा. वि., टौंक	1	500/-
65.	रा. प्रा. पाठशाला, बासेडा	3	1300/-
66.	रा. प्रा. वि., टोडा	1	400/-
67.	रा. मा. वि., बासेडा	2	900/-
68.	रा. उ. प्रा. वि., मोरला	3	1300/-
69.	रा. उ. प्रा. वि., अमीरगंज (टौंक)	1	500/-
70.	रा. उ. प्रा. वि., सीदरा (निवाई)	4	1200/-

1.	2	3	4
71.	रा. प्रा. वि. पवालिया	1	400/
72.	रा. प्रा. वि., टाउन नं. 2 मालपुरा	1	400/-
73.	रा. गांधी प्रा. वि., निवाई	1	400/-
74.	रा. प्रा. वि. टाउन नं. 5, मालपुरा	1	500/-
75.	रा. प्रा. वि., काबरा, मालपुरा	3	1200/-
		129	55800/-

टौंक जिले में विकलांग छात्रवृति भुगतान सम्बन्धी सूचना वर्ष 1982–83

क्र. सं.	स्कूल का नाम	छात्रों की संख्या	राशि
1	2	3	4
1.	रा. उ. मा. वि., लाम्बाहरिसिंह	2	1200/-
2.	रा. मा. वि. पंवालिया	2	600/-
3.	रा. मा. उ. मा. विद्यालय, टौंक	1	600/-
4.	रा. उ. मा. वि., टौंक	5	3000/-
5.	रा. महाविद्यालय, टौंक	6	4500/-
6.	रा. शिक्षण प्रशिक्षण विद्यालय, टौंक	1	1200/-
7.	रा. उ. मा. वि., मालपुरा	2	1200/-
8.	रा. मा. विद्यालय, डिग्गी	3	1800/-
9.	रा. मा. वि. नाबिरदा, देवली	1	600/-
10.	रा. उ. मा. वि. देवली	2	1200/-
11.	रा. महाविद्यालय, देवली	3	1800/-
12.	रा. उ. मा. विद्यालय, निवाई	4	2400/-
13.	रा. प्रा. वि., वनस्थली, निवाई	4	1600/-
14.	रा. प्रा. वि. सिरस, निवाई	1	500/-
15.	रा. मा. वि. वनस्थली, निवाई	1	500/-
16.	रा. मा. वि. भिलाई, निवाई	2	1000/-
17.	रा. उ. प्रा. वि. नटवाडा	2	900/-
18.	रा. प्रा. वि. सिटी, 1, निवाई	3	1200/-
19.	रा. प्रा. वि. सीदड़, निवाई	3	1200/-
20.	रा. प्रा. वि. जीवली	2	800/-

1	2	3	4
21.	रा. प्रा. प्रा. विद्यालय झिलाई	6	2500/-
22.	आनन्द बाल विद्यालय मन्दिर, निवाई	2	800/-
23.	अनुपम विद्यालय, निवाई	2	800/-
24.	रा. उ. प्रा. वि. पहाड़ी, निवाई	1	500/-
25.	रा. उ. प्रा. वि. बड़ा गांव. निवाई	1	400/-
26.	रा. प्रा. वि., नया गांव, निवाई	1	400/-
27.	रा. मा. वि. दतवाल, निवाई	1	400/-
28.	रा. प्रा. वि. ढाणी जमा शहरी क्षेत्र निवाई	1	400/-
29.	रा. प्रा. वि., सुखाड़ेगानगर, निवाई	1	400/-
30.	रा. प्रा. वि., हिंगोटिया, निवाई	1	400/-
31.	रा. प्रा. पा. रामनगर, निवाई	1	500/-
32.	रा. आदर्श उ. प्रा. वि. निवाई	2	1000/-
33.	रा. गांधी प्रा. वि. निवाई	1	400/-
34.	रा. नवीन उ. प्रा. वि., निवाई	1	400/-
35.	रा. रीफूली प्रा वि. निवाई	1	400/-
36.	रा. उ. प्रा. वि., सीदडा, निवाई	6	2700/-
37.	रा. उ. प्रा. वि., सुनार	2	800/-
38.	रा. उ प्रा. वि., उनियारा खुर्द	2	900/-
39.	रा. बेसिक प्रा. वि. बसेडा	1	400/-
40.	रा. प्रा. वि. औद्योगिक, टोडारायसिंह	1	500/-
41.	रा. प्रा. बा. बाल कल्याणपुरा	1	500/-
42.	रा. मा. वि. बासेडा	1	500/-
43.	रा. प्रा. वि. बासेड़ा	1	400/-
44.	रा. कन्या प्राइमरी सालका ढाणा	1	400/-
45.	रा. प्रा. वि. पंवालिया	2	800/-
46.	रा. उ. प्रा. वि. भादोलाई	4	1800/-
47.	रा. मा. वि. पंवालिया	2	1000/-
48.	रा. उ. प्रा. वि., मेहरू	1	500/-
49.	रा. प्रा. वि., मूडियाकला	1	400/-
50.	रा. उ. प्रा. वि., भावता	1	500/-
51.	रा. प्रा. पाठशाला, भोपालपुरा	1	400/-
52.	रा. प्रा. वि., टोडारायसिंह	1	400/-
53.	रा. प्रा. वि. मुराई	1	500/-

1	2	3	4
54.	रा. ग्रा. प्रा. वि., देवली	1	500/-
55.	रा. मा. वि., छब देवली	1	500/-
56.	रा. उ. प्रा. वि., देवली	2	800/-
57.	रा. बा. प्राव. वि. देवली	1	400/-
58.	रा. मा. वि. टाउन नं. 2 देवली	1	400/-
59.	रा. उ. प्रा. एजेन्सी, देवली	1	400/-
60.	रा. प्रा. वि. टाउन नं. 2 देवली	1	400/-
61.	रा. उ. प्रा. वि., कासीर देवली	2	800/-
62.	रा. उ. प्रा. वि., देवली	1	500/-
63.	रा. प्रा. वि., नेगाड़िया देवली	1	400/-
64.	रा. प्रा. वि. इन्द्रपुरा देवली	2	800/-
65.	रा. प्रा. वि., बालकिला अलीगढ़	2	800/-
66.	रा. उ. प्रा., खांतोली अलीगढ़	1	500/-
67.	रा. उ. प्रा., बालकिला अलीगढ़	1	400/-
68.	प्राथमिक पाठशाला, बीलौता अलीगढ़	2	800/-
69.	रा. आ. प्रा. वि., ककोड उनियारा	1	400/-
70.	रा. मा. वि., अलीगढ़	2	1000/-
71.	रा. प्रा. वि, ठीकरिया	1	400/-
72.	रा. उ. प्रा. वि., ककोड	1	500/-
73.	रा. प्रा. वि., बालकिला, अलीगढ़	2	800/-
74.	रा. उ. प्रा. शाला, अलीगढ़	1	500/-
75.	हैप्पी स्कूल. पुराना टोंक	2	800/-
76.	रा. उ. प्रा. वि., सोहुला	5	2100/-
77.	रा. उ. प्रा. वि,. पाठशाला, सिटी न. 7 टोंक	1	400/-
78.	रा. उ. प्रा. वि., अमीरगंज टोंक	1	500/-
79.	रा. प्रा. वि. मोतीबाग टोंक	8	4500/-
80	रा. उ. प्रा. शाला, बास टोंक	1	500/-
81.	शारदा विधा भवन, टोंक	5	1700/-
82.	रा. उ. मा. वि., झरना	1	500/-
83.	रा. प्रा. वि सिटी नं. 3, टोंक	1	400/-
84.	रा, प्रा वि,. सिटी नं. 6 टोंक	1	400/-
85.	आदर्श विद्या मन्दिर, टोंक	1	500/-
86.	रा. प्रा. शा. देवली टोंक	1	400/-

Page No. 248

(249)

1	2	3	4
87.	रा. मा. वि., हतूना टोंक	4	2000/-
88.	टेगोर बाल निकेतन, टोंक	6	2700/-
89.	रा. उ. प्रा. अरनियकदार (टोंक)	1	500/-
90.	रा. प्रा.वि., चिरोज, टोंक	3	1200/-
91.	रा. प्रा. पाठशाला हतूना	3	1300/-
92.	रा. प्रा. वि. टोंक	1	400/-
93.	रा. प्रा. वि., बरोनी	1	500/-
94.	रा. उ. प्रा. वि., सांखना टोंक	1	400/-
95.	रा. प्रा. वि., अरनियामाल टोंक	6	2400/-
96.	रा. प्रा. वि., वगड़ी टोंक	1	500/-
97.	रा. प्रा. पाठशाला, बारांगेरी जिला टोंक	1	400/-
98.	रा. उ. प्रा. वि. हमीरपुर	1	400/-
99.	रा. उ. प्रा. वि., डारडाहिन्द, टोंक	1	500/-
100.	रा. उ. प्रा. वि., सिटी नं. 2 टोंक	1	400/-
101.	रा. प्रा. वि. सिटी नं. 8 टोंक	1	400/-
102.	रा. उ. प्रा. वि., अलिपारी, टोंक	1	500/-
103.	रा. प्रा. वि., सिटी नं. 9 टोंक	2	1000/-
104.	रा. उ. प्रा. वि., कोहना, टोंक	2	1000/-
105.	रा. उ. प्रा. वि., भरना, टोंक	1	400/-
106.	रा. उ. प्रा. वि., सोप	1	400/-
	योग	197	101000

परिशिष्ट-8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 10 का विवरण)

राजस्थान अनुसूचित जाति विकास सहकारी निगम लि., 2. जमनालाल बजाज मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

क्रमांक एफ ( ). रा. अ. जा. वि. स. नि/83/83/5729–55 दिनांक 15-12-83

जिलाधीश,

विषय:–अनुसूचित जाति के गरीब व्यक्तियों को दुकानों का आवंटन।

महोदय,

विषयान्तर्गत हमारे पत्र संख्या 4510–36 दिनांक 26-10-83 में आंशिक संशोधन करते हुए सूचित किया जाता है कि नगर पालिकाओं/नगर परिषदों की मांग के अनुसार वर्ष 1983-84 के अन्तर्गत आपके जिले को आवंटित दुकानों का निर्माण कराया जाना स्वीकार किया गया है, जिसका नगर पालिकाओं/नगर परिषदों वार विवरण संलग्न सूची के अनुसार अंकित कर दिया गया है। इन दुकानों के निर्माण हेतु आपको भेजी जाने वाली राशि भी अंकित कर दी गई है जिसको भिजवाने की प्रक्रिया चालू कर दी गई है एवं शीघ्र ही यह राशि आपको भिजवाई जा रही है।

इन दुकानों के निर्माण व आवंटन के सम्बन्ध में निर्देशानुसार भविष्य में कार्यवाही की जानी है :—

1. अतिरिक्त जिलाधीश (विकास) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण अपने जिले के अन्तर्गत प्रत्येक शहरी क्षेत्र में बनाई जाने वाली दुकानों की संख्या के डेढ़ गुने के बराबर अभिज्ञानित (आइडेन्टीफाइड) परिवारों की सूची तैयार करेंगे। यदि किसी जिले में इस प्रकार की सूची "प्रशासन शहरों की ओर" कार्यक्रम के समय तैयार नहीं कराई है तो वे इस प्रकार की सूची बनवाने के लिए निम्नांकित कार्यवाही करेंगे :—

1. स्थानीय निकाय, जिसमें कि नगर विकास न्यास और म्युनिसिपल कमेटी के सरकारी व गैर सरकारी सदस्यों के परामर्श से मजमा-ए-आम में डी आर डी ए के कर्मचारियों की सहायता से अभिज्ञानित परिवारों की सूची ऊपर दिए गये लक्ष्यों के अनुपात में पूर्व स्वीकृत प्रक्रिया के अनुसार तैयार करायेंगे।

2. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों के द्वारा आपके जिले में बनायी जाने वाली दुकानों के निर्माण हेतु निर्माण स्थल जिलाधीश महोदय सुनिश्चित कराकर स्वीकृति प्राप्त कर लें। निर्माण स्थल को सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में इस शर्त का विशेष ध्यान रखना होगा कि निमार्ण स्थल मुख्य बाजार में मध्य में स्थित हो और दुकानें किसी कोने में या ऐसे स्थान पर नहीं बनवाई जावें जहा कि दुकान बाजार की मुख्य धारा से बिल्कुल अलग पड़ जावें। यदि नया बाजार बनाया जा रहा हो तो इनकी दुकानों का निर्माण स्थल ऐसे निर्माणाधीन नए बाजार के बीच में होना आवश्यक है।

नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को निगम द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि में से प्रथम किश्त संलग्न सूची में प्रत्येक शहरी क्षेत्र के समक्ष अंकित राशि में से आवश्यकता अनुसार स्थानीय निकाय या म्यूनिसिपल कमेटी को उपलब्ध करादे। आप द्वारा शेष राशि इन नगर परिषदों को उनकी मांग के अनुसार यथा समय उपलब्ध करादी जाये।

3. राजस्थान अनुसूचित जाति विकास सहकारी निगम द्वारा भेजी जाने वाली राशि आपको जनवरी के प्रथम सप्ताह तक अवश्य मिल जायगी।

पूर्व पत्र द्वारा प्रसारित शर्तों में जो आंशिक संशोधन किया गया है वह निम्न-प्रकार है :–

1. समाज कल्याण विभाग के अधिकारियो व इस निगम के अधिकारियों द्वारा शीघ्र ही आपके जिले का दौरा किया जावेगा और दुकानें प्राप्त करने के सम्बन्ध में अभिज्ञानित परिवारों की सूची आपसे प्राप्त करेंगे। इन अभिज्ञानित परिवारों की सूची को राज्य सरकार के स्तर पर अन्तिम रूप दिया जायगा। कथित सूचियों को राज्य सरकार द्वारा अन्तिम रूप दिए जाने के पश्चात उन्हें पुनः आपके जिले में अधिकारी लेकर आ जावेंगे। इन अन्तिम की गई सूचियों के अनुसार ही दुकानों का आवंटन स्वीकृत लाभार्थियों को किया जावेगा जिसके पटटे आपकी सिफारिश पर राजस्थान अनुसूचित जाति विकास निगम, जयपुर द्वारा प्रसारित किए जावेंगे और आपको भिजवा दिए जावेंगे या राज्य स्तर पर यदि किसी आयोजन में उनको वितरित किया जाना होगा तो उन पटटों को लाभार्थियों को वितरित किए जाने के पश्चात आपको सूचित कर दिया जायगा।

इस संशोधित प्रक्रिया को लागू करने के लिए जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के स्तर पर निम्नांकित कार्यवाही की जानी आवश्यक होगी :—

1. आपके जिले के/शहरी क्षेत्रों के लिए स्वीकृत किए गए लक्ष्यों के डेढ़ गुने के अनुपात में स्वीकृत लाभार्थियों के ऋण प्रार्थना-पत्र तैयार कराने होंगे और इन

प्रार्थना-पत्रों की स्वीकृति भी 15 जनवरी, 84 के पूर्व सुनिश्चित करानी होगी । इस सम्बन्ध में प्रत्येक कर्मचारियों को जिन्हें कि इस कार्य के लिए जिम्मेदार ठहराया जाय उनसे प्रतिदिन की प्रगति प्राप्त करके कृपया 18 जनवरी, 84 तक ऋण प्रार्थना-पत्रों की स्वीकृति सुनिश्चित करा लें ।

2. दुकानों को आवंटन प्रक्रिया पूर्ण हो जाने पर बैंकों से प्रति दुकान रुपये 5,000/- के हिसाब से बैंक ऋण उपलब्ध कराया जायगा । इस प्रकार दुकानों के निर्माण पश्चात एवं दुकानों के कब्जा देने की तिथि से ही सम्बन्धित नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को दुकान की लागत कीमत की ऋण राशि का हिस्सा उपलब्ध करा दिया जावेगा ।

जहां दुकानें स्थानीय निकायों द्वारा पूर्णतः बनवा दी गई हैं उन दुकानों को डी आर डी ए तत्काल पूरी राशि बैंक ऋण सहित उपलब्ध कराकर चयनित व्यक्तियों को दुकाने दिलवाने की कार्यवाही उक्तानुसार पूर्ण करावेंगे ।

उपरोक्त सम्पूर्ण कार्य इस प्रकार सम्पादित कराने की व्यवस्था की जावे ताकि माननीय मुख्य मंत्री महोदय की घोषणा के अनुसार दिनांक 26 जनवरी, 1984 तक दुकानों का आवंटन कराना सम्भव हो सके । कार्य को त्वरित गति प्रदान करने हेतु निगम के अधिकारी भी आपसे बराबर सम्पर्क बनाए रखेंगे ।

नोट:–20 प्रतिशत दुकानें अनुसूचित जाति के वलनरेबिल ग्रुप के सदस्यों को दी जावे जो उनके लिए आरक्षित हैं ।

भवदीय

ह०

प्रबन्ध संचालक

क्रमांक एफ ( ) रा. अ. जा. वि. स. नि./83/5756–6064 दिनांक 15-12-83

प्रतिलिपि:–

1. सचिव, समाज कल्याण, राज. जयपुर ।
2. सचिव, स्थानीय निकाय, राज. जयपुर ।
3. सचिव, मुख्य मंत्री महोदय, राज. जयपुर ।
4. मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर ।

5. निजी सचिव, मंत्री समाज कल्याण, राज. जयपुर।

6. निजी सचिव उप मंत्री समाज कल्याण, राज. जयपुर।

7. अतिरिक्त जिलाधीश जिला ग्रामीण विकास अभिकरण...............

8. जिला समाज कल्याण अधिकारी..............

9. सहायक परियोजना अधिकारी समाज कल्याण विभाग..............

10. उप-जिला विकास अधिकारी..............

11. समस्त सम्बन्धित नगर पालिका/नगर परिषद/नगर विकास न्यास/जयपुर विकास प्राधिकरण.....................

12. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि पूर्ण राजस्थान में उनकी चल रही योजनाओं में 100 दुकानें तैयार कराकर योजना अनुसार आवंटन की कार्यवाही करने का श्रम करें।

चीफ मैनेजर, सैन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि वे निम्न नगरों में ऋण प्रार्थना पत्र बनवा कर ऋण उपलब्ध कराने की कार्यवाही करें। यह ऋण यथासम्भव माह जनवरी, 84 तक उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जाय। (30 अतिरिक्त प्रतियों सहित उनको अपनी शाखाओं में सूचना देने हेतु प्रेषित की जा रही हैं) गंगानगर (200) दुकानें, हनुमानगढ़ (50), अलवर (300), सवाई-माधोपुर (70), पाली (50) जोधपुर (100) बिलाड़ा (10), नागौर मकराना व परबतसर तीनों शहरों में 75 दुकान जिलाधीश महोदय के आदेशानुसार, भीलवाड़ा (100), बीकानेर (50), उदयपुर (50) कोटा व अन्य नगरों में जिलाधीश कोटा के आदेशानुसार कुल 100 दुकानें, झालावाड़ (50), भवानीमण्डी (25), टौंक (25), भरतपुर (50), अजमेर (50), ब्यावर (25), नसीराबाद (20), केकड़ी (25), पुष्कर (10), किशनगढ़ (5), जयपुर म्यूनिसिपैलिटी (40), जयपुर आमेर (20)

14. श्री ग्रेवाल, सहायक मुख्य व्यवस्थापक, बैंक आफ राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि सैन्ट्रल बैंक आफ इंडिया को आवंटित शहरों के अतिरिक्त राजस्थान के समस्त शहरों में 1500 दुकानों हेतु उपरोक्तानुसार ऋण प्रार्थना पत्र तैयार कराकर ऋण उपलब्ध कराने की कार्यबाही यथासम्भव माह जनवरी, 84 तक पूर्ण कराने की कार्य-वाही करावें (30 प्रतियां अतिरिक्त उनकी शाखाओं को सूचना देने हेतु उपलब्ध कराई जा रही हैं)

ह०

महाप्रबन्धक

एम. एम. के. वली, राजस्थान सरकार

मुख्य सचिव अ. शा. पत्र क्रमांक 3375-3693

दिनांक 8 सितम्बर, 1983।

प्रिय श्री

जैसा कि आपको विदित है कि राजस्थान राज्य के सभी नगरीय क्षेत्रों में दिनांक 15-9-83 से 31-10-83 तक 'प्रशासन शहरों की ओर' नामक अभियान चलेगा। इस अभियान के सम्बन्ध में दिनांक 25-8-83 की राज्य स्तरीय बैठक में आपको विस्तृत रूप से उन समस्त विभागों की जानकारी उनके कार्यक्रमों सहित करा दी गई थी जिन विभागों को इस अभियान के अन्तर्गत शामिल किया गया है।

अभियान के दौरान समाज कल्याण विभाग की ओर से जिलाधीश निम्नांकित कार्य सम्पन्न कराएंगे :—

1. शहरी क्षेत्र के अनुसूचित जाति के परिवारों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित करने हेतु पूर्ण कार्यवाही।

2. स्काइट योजना के माध्यम से लाभान्वित किए जाने वाले परिवारों का चयन एवं प्रशिक्षण व्यवस्था सुनिश्चित करना।

3. अनुसूचित जाति के परिवारों का दुकान आवंटन हेतु पहचानीकरण।

4. अनुसूचित जाति के परिवारों का आटो रिक्शा आवंटन हेतु पहचानीकरण करना।

5. व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु युवक/युवतियों का चयन करना।

6. विकलांगों का पहचानीकरण (जिलाधीश शिविरों के दौरान विकलांग प्रमाण पत्र जारी करने हेतु डाक्टर की उपस्थिति सुनिश्चित कर लेवें) व यथासम्भव समस्त विकलांगों छात्रों की शिविरों में छात्रवृति की समस्त औपचारिकताए पूर्ण करवाना।

7. विधवा, वृद्धावस्था, विकलांग एवं मानसिक रूप से असन्तुलित आदि को पहचानीकरण के उपरान्त पेंशन स्वीकृत करना, पुराने पेंशन स्वीकृति के मामले निर्णीत करना।

8. हरिजन बस्तियों का चयन व उन बस्तियों में उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं की सूचना एकत्र करना।

उपरोक्त समस्त कार्य शिविरों के अन्तर्गत जिलाधीश, सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों की एक कमेटी बनाकर सम्पादित करेंगे।

अभियान के अन्तर्गत संलग्न दिशा निर्देश के अनुसार कार्यवाही सम्पन्न करावें। समाज कल्याण अधिकारी के माध्यम से संलग्न तालिका में सूचनाएं सम्बन्धित विभागों से संकलित कर निदेशक, समाज कल्याण विभाग को भिजवा दें।

केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार अनुसूचित जाति के लिए संघटक योजना व विशेष केन्द्रीय सहायता के कार्यक्रमों को अत्यधिक महत्व प्रदान कर रही है। अतः अभियान के अन्तर्गत शिविरों में इन योजनाओं के आप सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित कर महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वाह करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।

सद्भावी,

ह०

(एम. एम. के. वली)

समस्त जिलाधीश

परिशिष्ट-9

अतारांकित प्रश्न संख्या 11 की सूचना

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

TOWN PLANNING (GR. II) DEPARTMENT.

No. F. 10 (8)/TP/75/ Dated, Jaipur 19.6.76

The Housing Commissioner,

Rajasthan Housing Board,

JAIPUR.

Sir,

I am directed to refer to section 60 of the Rajasthan housing Board Act, 1970, and to convey the direction of the State Government that a house 25'X50' may be allotted to Shrimati Pushpa Jain w/o Late Shri Thakur Dass Jain at Jaipur. The number of house to be allotted may be settled between Shrimati Jain & the Resident Engineer at Jaipur.

Youre faithfully,

Sd/-

(M. S. Jha)

Asstt. Secretary to Govt.

Copy to Shrimati Pushpa Jain for information

Sd/-

M. S. Jha

Assistant Secretary to Govt.

Department of Urban Development & Housing

(Gr. I)

No. F. 10 (8) TP/75 Dated, Jaipur the 17th August, 76

The Housing Commissioner,

Rajasthan Housing Board,

JAIPUR.

Sir,

I am directed to refer to section 60 of the Rajasthan Housing Board Act, 1970 and to convey the direction of the State Government that a house 25 'X50' may be allotted to Smt. Kumudani Devi Mishra at Jaipur. The number of house to be allotted may be settled between Smt. Mishra and the Resident Engineer at Jaipur.

Youre faithfully,

Sd/-

(M. S. Jha)

Asstt. Secretary to the Govt.

Copy to Smt. Kumudani Devi Mishra for information and necessary action.

(M. S. Jha)

Asstt. Secretary to the Govt.

प्रतिलिपि

राजस्थान सरकार

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग,

(ग्रुप)

क्रमांक : 10 (4) न. आ./76 जयपुर, दिनांक 21-9-76

आज्ञा

विषय :- श्री एम. एल. नकरा को लालकोठी आवासन योजना जयपुर के बदले जवाहर नगर आवासन योजना में 40×60 या 30×60 के मकान के विनिमय बाबत।

राजस्थान आवासन मण्डल अधिनियम, 1970 की धारा 60 के अनुसरण में श्री एम. एल. नकरा बी-26, गोविन्द मार्ग, आदर्श नगर, जयपुर को उन्हें आवंटित लालकोठी योजना, जयपुर के बदले जवाहर नगर आवासन योजना में इसी माप के भवन को विनिमय करने की राज्य सरकार की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

राजस्थान आवासन मण्डल अपने नियमानुसार अन्य प्रक्रियायें पूरी करा ले।

आज्ञा से,

ह०

उप शासन सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. श्री एम. एल. नकरा, बी-26, गोविन्द मार्ग, आदर्श नगर, जयपुर को उनके द्वारा राज्य मंत्री, नगर आयोजना विभाग, राजस्थान, जयपुर को सम्बोधित प्रार्थना पत्र दिनांक 13.9.76 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।

ह०

सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार,

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

एफ 10 (35) न. आ./76 दिनांक : 3-12-76

आयुक्त,

राजस्थान आवासन मण्डल,

जयपुर।

विषय :—कैप्टीन शैलेन्द्र प्रसाद पुत्र स्वर्गीय ज्वाला प्रसाद शर्मा को जवाहर नगर आवासन योजना, जयपुर में मकान आवंटन किये जाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषय में राज्य सरकार, राजस्थान आवासन मण्डल अधिनियम, 1970 की धारा 60 के अनुसरण में कैप्टीन शैलेन्द्र शर्मा को जवाहर नगर आवासन योजना, जयपुर में 40×60 के एक भवन आवंटन किये जाने की स्वीकृति प्रदान करती है।

आवासन मण्डल इस सम्बन्ध में अन्य आवश्यक प्रक्रिया अपने स्तर पर पूर्ण कर ले।

भवदीय,

ह०,

सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि

राजस्थान सरकार

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

(ग्रुप–चतुर्थ)

एफ 8 (9) न. वि. एवं आ./4/76 जयपुर, दिनांक 7 मार्च, 197

आयुक्त,
राजस्थान आवासन मण्डल,
जयपुर।

विषय :— श्री द्वारकादास पुरोहित, अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल को भवन आवंटन।

महोदय,

इस विभाग के पत्र संख्या 8 (9) न. आ./76 दिनांक 25 फरवरी, 1976 के उपरोक्त विषय के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि श्री द्वारकादास पुरोहित की इच्छानुसार एच. आई. जी. एच. के. 50×90 फुट क्षेत्रफल पर निर्मित भवन 7 न 22, जवाहर नगर कालोनी के निम्नलिखित व्यक्तियों के संयुक्त नाम पर हायर परचेज के आधार पर आवंटित किया जाय :—

1. श्री द्वारका दास पुरोहित पुत्र श्री शंकर लाल पुरोहित,
2. श्री किशन दत्त पुरोहित पुत्र श्री द्वारका दास पुरोहित,
3. श्री अरुण कुमार पुत्र श्री किशन दत्त पुरोहित।

भवदीय,

(एम. एल. टाक)
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि श्री द्वारकादास पुरोहित, अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

सहायक शासन सचिव

(261)

URBAN DEVELOPMENT HOUSING DEPARTMENT (GR. II)

To,

The Secretary,
Rajasthan Housing Board,
Jaipur

No. F. 1 (16) UDH/IV/78 Jaipur, Dated 4th August, 1978

Sub:-Representation of Shri Vijay Singh, Secretary, Urban Development and Housing, Rajasthan, regarding allotment of a house in Jawaharnagar scheme under "Alternative scheme for H. I. G."

Sir,

I am directed to refer to application no. R/73/28056 dt. 28-9-75 of Shri Vijay Singh, Secretary, Urban Development & Housing vide which he was registered by the Rajasthan Housing Board under Registration Scheme 1973 in High Income Group. Shri Singh has not been alloteed any house so far under the above scheme. He has represented to the Government that the Rajasthan Housing Board had taken up in 1976 a scheme known as "Alternative scheme for H. I. G. on cut right sale basis against payment in 4 instalments payable at different stages of construction of the house" But he could not avail of this option so far. He was sent a letter by the Rajasthan Housing Board in August, 76 officer him a House on cut right sale basis. Unfortunately this letter was sent to him on his old residential address which could not be delivered to him & therefore was returned back by the postal authorities to the Rajasthan Housing Board.

It is understood that there are 3 houses which are available with the Rajasthan Housing Board. Eighteen persons are reported to be eligible for this scheme. The Rajasthan Housing BAard may,

therefore, re open this scheme & make offer to all the eighteen persons. The Government has also permitted to accept option of Shri Singh to whom house of size of 59'x90' may be allotted in the abovs scheme under section 60 of the Rajasthan Housing Board Act.

Yours faithfully
sd/-
(J. SINGH BHATI)

ASSTT. SECRETARY TO THE GOVT.

1. Copy forwarded to Shri Vijay Singh, Secretary, Urban Development & Housing Rajasthan, Jaipur with reference to his representation Dt. 19th May, 1971
2. Guard File.

(J. SINGH BHATI)

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांक : एफ 7 (20) नविभा/83 दिनांक 24-5-83

सचिव,
राजस्थान आवासन मण्डल,
जयपुर।

विषय : श्री आई. के. व्यास को जवाहर नगर में मकान आवंटन हेतु।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में निर्देशानुसार श्री आई. के. व्यास को आवासन मण्डल द्वारा वर्ष 1982 में जो आवास संख्या 2/417 मालवीया नगर में आवंटित किया गया है उनके स्थान पर उन्हें जिस वर्ग का आवास प्राप्त करने के वह अधिकारी है उसी वर्ग का आवास जवाहर नगर में आवंटित किये जाने के निर्देश राजस्थान आवासन मण्डल एक्ट की धारा 60 के अन्तर्गत जारी किये जाते हैं।

भवदीय,
ह०
उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांक : एफ 7 (8) नविग्रा/83 दिनांक 8-7-83

आयुक्त,
राजस्थान आवासन मण्डल,
जयपुर।

विषय : श्री मनफूल राम, अनुसूचित जाति के विधायक को आवासन मण्डल द्वारा निर्मित भवन का आवंटन।

महोदय,

श्री मनफूल राम विधायक (अनुसूचित जाति) जिन्होंने आवासन मण्डल में 1973 में पंजीयन कराया था, को राजस्थान आवासन मण्डल अधिनियम 1970 की धारा 60 के अन्तर्गत जवाहर नगर आवासन योजना जयपुर में प्लाट नं0 2-छ-28 (जो खाली है) विधान सभा सदस्यों के लिए आरक्षित प्रतिशत (कोटे) में से उनके द्वारा शपथ आदि प्रस्तुत करने के बाद नियमानुसार भवन आवंटन के अनुदेश निदेशानुसार किये जाते हैं।

भवदीय,
ह0
उपशासन सचिव

प्रतिलिपि : निजी सचिव, आवासन मंत्री, को सूचनार्थ प्रेषित है,

उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग (ग्रुप 3)

क्रमांक : एफ 7 (34)नविग्रा/83 दिनांक 16-7-83

आयुक्त,
राजस्थान आवासन मण्डल,
जयपुर।

विषय : श्री छुट्टन लाल अनुसूचित जन जाति के भूतपूर्व सांसद को आवासन मण्डल द्वारा निर्मित भवन का आवंटन।

महोदय,

श्री छुट्टन लाल भूतपूर्व सांसद (अनुसूचित जनजाति को राजस्थान आवासन मण्डल अधिनियम, 1970 की धारा 60 के अन्तर्गत जवाहर नगर आवासन योजना जयपुर में उच्च आय वर्ग का मकान आरक्षित प्रतिशत (कोटे) में से उनके द्वारा शपथ पत्र आदि प्रस्तुत करने के बाद नियमानुशार भवन आवंटन के अनुदेश निदेशानुसार दिये जाते हैं।

भवदीय
एस. डी./
(उप शासन सचिव)

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग (ग्रुप–3)

क्रमांक एफ 7 (39) नविग्रा/83 दिनांक 25–7–83

आयुक्त,
राजस्थान आवासन मण्डल;
जयपुर।

विषय : श्री महेश कुमार पारीक, को आवासन मण्डल द्वारा निर्मित भवन का आवंटन

महोदय,

श्री महेश कुमार पारीक जिन्होंने आवासन मण्डल का मकान प्राप्त करने हेतु 1982 में सामान्य पंजीकरण योजना के अन्तर्गत पंजीयन कराया था उन्हें राजस्थान आवासन मण्डल अधिनियम, 1970 की धारा 60 के अन्तर्गत जवाहर नगर आवासन योजना जयपुर में उनके आय वर्ग का मकान उनके द्वारा शपथ पत्र आदि प्रस्तुत करने के बाद नियमानुसार भवन आवंटन के अनुदेश निदेशानुसार दिये जाते हैं।

भवदीय
उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग (ग्रुप–3)

क्रमांक : एफ 7 (39) नविग्रा/83 दिनांक 25–7–83

आयुक्त,
राजस्थान आवासन मण्डल,
जयपुर।

विषय : श्री बी. सी. चिरानिया को आवासन मण्डल द्वारा निर्मित भवन का आवंटन।

महोदय,

श्री बी. सी. चिरानियां जिन्होंने आवासन मण्डल का मकान प्राप्त करने हेतु 1982 में सामान्य पंजीकरण योजना के अन्तर्गत पंजीयन कराया था उन्हें राजस्थान आवासन मण्डल अधिनियम, 1970 की धारा 60 के अन्तर्गत जवाहर नगर आवासन योजना जयपुर में उनके आय वर्ग का मकान उनके द्वारा शपथ-पत्र आदि प्रस्तुत करने के बाद नियमानुसार भवन आवंटन के अनुदेश निदेशानुसार दिये जाते हैं।

भवदीय

उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार,

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

प्रमांक : प. 7 (77) नविआ/111/83/ दिनांक : 26-11-83

आवासन आयुक्त,

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

विषय :– श्री नानालाल, विधायक को धारा 60 के तहत जवाहर नगर में मकान आवंटन हेतु।

महोदय,

श्री नानालाल विधायक को मालवीय नगर में मकान आवंटन किया गया है। इसकी एवज में इन्हें रालस्थान आवासन मण्डल अधिनियम, 1970 की धारा 60 के तहत जवाहर नगर योजना जयपुर में उनके आय वर्ग का मकान उनके द्वारा शपथ पत्र आदि प्रस्तुत करने के बाद नियमानुसार भवन आवंटन अनुदेश निर्देशानुसार दिये जाते हैं।

भवदीय,

ह०/–

(उप शासन सचिव)

राजस्थान सरकार,

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांक : 7 (77) नविआ/83/ दिनांक 26-11-83

आवासन आयुक्त,

राजस्थान आवासन मण्डल,

जयपुर (राज.)

विषय :– श्रीमती रामप्यारी को धारा 60 को तहत जवाहर नगर में मकान आवंटन हेतु।

महोदय,

श्रीमती रामप्यारी पत्नि श्री नुलकराज विन्द निवासी जयपुर को दिनांक 21-5-83 को मालवीय नगर में 3 उच्च आय वर्ग में 12/83 मो. आर. ओ. मकान आवंटित किया गया हैं। इसकी एवज में इन्हें राजस्थान आवासन मण्डल अधिनियम, 1970 की धारा 60 के अन्तर्गत जवाहर नगर आवासन योजना जयपुर में 4 त 11, उनके आय वर्ग का मकान उनके द्वारा शपथ पत्र आदि प्रस्तुत करने के बाद नियमानुसार भवन आवंटन के अनुदेश निर्देशानुसार दिये जाते हैं।

भवदीय,

ह०/–

उप शासन सचिव।

राजस्थान सरकार,

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांक : प. 7 (77) नविआ/3/83 जयपुर दिनांक 30-12-83

आवासन आयुक्त,

राजस्थान आवासन मण्डल,

जयपुर।

विषय :– श्री शिवसिंह रावत, विधायक को धारा 60 के तहत जवाहर नगर में मकान आवंटन हेतु।

महोदय,

श्री शिवसिंह रावत को जवाहर नगर में 4/159 मकान आवंटन किया गया है, इसकी एवज में इन्हें, राजस्थान आवासन मण्डल अधिनियम, 1970 की धारा 60 के तहत जवाहर नगर योजना जयपुर में उनके आय वर्ग का मकान सं. 7-न-2 उनके द्वारा शपथ पत्र आदि प्रस्तुत करने के बाद नियमानुसार भवन आवंटन अनुदेश निर्देशानुसार दिये जाते हैं।

भवदीय,

ह०/-

उप शासन सचिव।

राजस्थान सरकार,
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांक :– प. 7 (76) नविआ/3/83 दिनांक 24-2-84

आवासन आयुक्त,
राजस्थान आवासन मण्डल,
जयपुर।

विषय :– श्री अर्जुनमल लोढा निवासी जयपुर को धारा 60 के तहत मालवीया नगर से जवाहर नगर जयपुर में मकान आवंटन करने हेतु।

महोदय,

निर्देशानुसार श्री अर्जुनमल लोढा जो मालवीया नगर में मकान सं. 1/1352 का आवंटन किया गया है उसकी एवज में इन्हें राजस्थान आवासन मण्डल अधिनियम, 1970 की धारा 60 के तहत, जवाहर नगर योजना जयपुर में उनके आय वर्ग का मकान उनके द्वारा शपथ पत्र आदि प्रस्तुत करने के बाद नियमानुसार भवन आवंटन करने के अनुदेश दिये जाते है।

भवदीय,

ह०/-

उप शासन सचिव

परिशिष्ट-अ

राजस्थान आवासन मण्डल : जयपुर

राज्य सरकार द्वारा राजस्थान आवासन बोर्ड अधिनियम धारा 60 के अन्तर्गत-मकान आवंटन करने हेतु दिये गये निर्देशों की अनुपालना एवं विवरण :-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	कालोनी	मकान का माप	आवंटित मकान नं.	राज्य सरकार का पत्र दिनांक
1.	श्री हिरेन मुकर्जी	जवाहर नगर	40×60	2 ज 25	एफ10/8 टी.पी/75 दिनांक 9.12.75
2.	श्रीमती पुष्पा जैन	जवाहर नगर	25×50	7-च-15	एफ10/8 टी.पी/75 दिनांक 19-6-76
3.	श्रीमती कुमुदनी देवी	जवाहर नगर	25×50	7-च-14	एफ.10/8/टी.पी/75 दिनांक 17-8-76
4.	श्री एस. एल. भकरा	जवाहर नगर	40×60	2-ग-12	10(4) नग्रा/76 21-9-76 लालकोठी जवाहर नगर में विनिमय
5.	श्री शैलेन्द्र प्रसाद	जवाहर नगर	40×90	3-स-52	एफ 10(35) नग्रा/76 3-12-76
6.	श्री द्वारकादास पुरोहित किशनदत्त " अरुण कुमार	जवाहर नगर	50×90	7-न-22	8 (9) न ग्रा/76 25-2-76 एफ 8(9) विग्रा/76/4/76, 7-3-77
7.	श्री विजयसिंह	जवाहर नगर	50×90	4-क-14	एफ 1(16) यू डी एच/4/78, 4-8-78

नोट :—शेष के बारे में मण्डल द्वारा क्रियान्विति की जा रही है।

परिशिष्ट–10

अतारांकित प्रश्न संख्या 13 का विवरण

परिशिष्ट "अ" प्रश्न संख्या 1

क्र. सं.	वर्ग	शेष आवंटियों की संख्या जिन्हें कब्जा पत्र जारी किया जाना है।
1.	उच्च आय वर्ग	65
2.	मध्यम आय वर्ग (ब)	257
3.	मध्यम आय वर्ग (अ)	303
4.	अल्प आय वर्ग	355
5.	आ. दू. से कमजोर आय वर्ग	765
	योग	1747

परिशिष्ट "ब" प्रश्न सं. 2

विभिन्न आय वर्गों के लिए निर्धारित पंजीकरण राशि

क्र. सं.	आय वर्ग	निर्धारित पंजीकरण राशि
1.	उच्च आय वर्ग	रु. 10000/-
2.	मध्यम आय वर्ग (ब)	रु. 4600/-
3.	मध्यम आय वर्ग (अ)	रु. 3000/-
4.	अल्प आय वर्ग	रु. 1800/-
5.	आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग	रु. 500 -

परिशिष्ट "स"

विभिन्न आय वर्गों के लिए निर्धारित पूर्वग्रहण राशि

क. सं.	आय वर्ग	निर्धारित पूर्व ग्रहण राशि पूर्व में	संशोधित
1.	उच्च आय वर्ग	रु. 10,000	30,000
2.	मध्यम आय वर्ग (ब)	रु. 8,800	12,000
3.	मध्यम आय वर्ग (अ)	रु. 3,600	
4.	अल्प आय वर्ग	रु. 2,300	2,900
5.	आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग	रु. 600	1,800

(271)
[414

परिशिष्ट-11

(अतारांकित प्रश्न संख्या 17 को सूची)
(ग्राम पंचायत इटावा द्वारा सन 1982–83 व 1983–84 में
नि : शुल्क दिये गये पट्टी की सूची)

क्र. सं.	नाम	पिता का नाम	जाति	निवास स्थान	भू खण्ड का साप	निःशुल्क पट्टा देने का कारण
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्री गणपत	श्री चतरा	बरवा	इटावा	30 फुट × 40 फुट	चयनित परिवार
2.	,, मोहनलाल	,, पन्नालाल	कोली	,,	30' × 40'	,,
3.	,, केशरीलाल	,, मोतीलाल	धाकड़	,,	30' × 40'	,,
4.	श्रीमती मूली बाई	,, रामचन्द्र	सुनार	,,	30' × 20'	विधवा होने से (चयनित)
5.	श्री राजेन्द्र सिंह	,, शम्भू सिंह	राव	,,	30' × 40'	विकलांग (अंधा)
6.	,, बलराम	,, सुखलाल	बैरवा	,,	35' × 40'	चयनित परिवार
7.	,, सुशीलाल	,, गोविन्दलाल	कोली	,,	35' × 30'	,,
8.	,, मंगला	,, माधोलाल	कोली	,,	37' × 26'	,,
9.	,, बिरधी बाई	,, माधोलाल	कोली	,,	30' × 40'	,,
10.	,, कालू लाल	,, भेरूलाल	बैरवा	,,	35' × 40	,,
11.	,, बृज मोहन	,, देवीलाल	कोली	,,	22' × 40'	,,

1	2	3	4	5	6	7
12.	श्री माधोलाल	श्री गोविन्दा	कोली	इटावा	40′ × 35′	अनु. जाति (गरीब)
13.	श्रीमती [illegible]सनी बाई	,, देवीराम	कोली	,,	30′ × 30′	चयनित परिवार विधवा
14.	श्री पन्नालाल	,, कान्हा	कोली	,,	25′ × 40′	,,
15.	,, पूरणमल	,, माधोलाल	कोली	,,	30′ × 40′	अनुसूचित जाति
16.	,, गोबरीलाल	,, धन्नालाल	बैरवा	,,	35′ × 40	चयनित परिवार
17.	,, पन्नालाल	,, मारायण	बैरवा	,,	35′ × 40′	
18.	,, प्रभूलाल	,, भैरू लाल	बैरवा	,,	30′ × 40′	अनुसूचित जाति
19.	,, हीरा लाल	,, गोबरी लाल	कोली	,,	40′ × 25′	,,
20.	,, रघुनाथ	,, बल्ला बैरवा	बैरवा	,,	16′ × 60′	,,
21.	,, गोबरी लाल	,, शंकरलाल	बैरवा	,,	40′ × 35′	,,
22.	,, हीरा लाल	,, सुखा लाल	कोली	,,	30′ × 40′	,,
23.	,, देवीलाल	,, बिरदि लाल	महाजन	,,	30′ × 40′	,,
24.	,, सत्यपाल	,, मंगतराम	पंजाबी	,,	30′ × 40′	,,
25.	,, सोता राम	,, रामनाथ	बैरवा	,,	35′ × 40′	,,
26.	,, रंगलाल	,, दल्ला	बैरवा	,,	35′ × 40′	,,
27.	,, शिवराज	,, भंवरलाल	ब्राह्मण	,,	30′ × 40′	,,
28.	,, पीरू लाल	,, मांगीलाल	ई	,,	20′ × 40′	,,

2-72

1	2	3	4	5	6	7
29.	श्री राधेश्याम	श्री कालूलाल	धाकड़	इटावा	30' × 40'	विकलांग
30.	,, बजरंगलाल	,, भेरूलाल	धाकड़	,,	30' × 40'	,, गरीब
31.	,, छात्रावास समाज कल्याण विभाग ,,		—	,,	100' × 200'	छात्रावास हेतु
32.	,, नन्द किशोर	,, भूलीलाल	धोबी	,,	30' × 30'	गरीब
33	,, मदनलाल	,, रघुनाथ	बैरवा	,,	30' × 40'	चयनित परिवार
34.	,, अब्दुल मजिद	,, मुनीर खां	मुसलमान	,,	30' × 40'	गरीब अचयनित परिवार
35.	,, माथूलाल	,, घासीलाल	कोली	,,	30' × 40'	चयनित परिवार
36.	,, अब्दुल रहमान	,, छीतर खां	मुसलमान	,,	30' × 40'	,,
37.	,, भेरूलाल	,, रामगोपाल	ब्राह्मण	,,	30' × 40'	गरीब परिवार
38.	,, धन्नालाल	,, धूलीलाल	बैरवा	,,	35' × 40'	अचयनित
39.	,, घनश्याम	,, रतनलाल	कोली	,,	30' × 40'	,,
40.	,, लटूरलाल	,, रामनाथ	बैरवा	,,	30' × 40'	,,
41.	,, रामगोपाल	,, सुखा	बैरवा	,,	30' × 40'	,,
42.	,, ओमप्रकाश	,, रामचन्द्र	बैरवा	,,	30' × 45'	,,
43.	,, बसराम	,, जयलाल	बैरवा	,,	30' × 40'	,,
44.	,, बजरंगलाल	,, गोविन्दलाल	बैरवा	,,	30' × 40'	,,
45.	,, बाबूलाल	,, आनन्दीलाल	बैरवा	,,	35' × 40'	,,

1	2	3	4	5	6	7
46.	श्री बाबूलाल	श्री रामपाल	बैरवा	इटावा	30' × 40'	चयनित
47.	,, दुर्गालाल	,, हरदेव	बारठे	,,	30' × 40'	
48.	,, दोलतराम	,, हीरालाल	बैरवा	,,	30' × 40'	,,
49.	,, मांगीलाल	,, धूलीलाल	सुनार	,,	30' × 40'	,,
50.	,, श्रवण कुमार	,, बजरंगलाल	कोली	,,	30' × 20'	गरीब चयनित
51.	,, बजरंगलाल	,, मांगीलाल	बैरवा	,,	30' × 20'	,,
52.	,, नाथूलाल	,, भँवरलाल	धाकड़	,,	30' × 40'	,,
53.	,, रसूल मोहम्मद	,, मदार अली	फकीर	,,	30' × 20'	,,
54.	,, छीतर लाल	,, मकलूब	लुहार	,,	30' × 40'	,,

परिशिष्ट-12

अतारांकित प्रश्न संख्या 18 की सूची

तहसील सांगानेर व चाकसू में ग्राम पंचायतों की आमदनी के मुख्य स्रोतों का विवरण

1. आबादी भूमि विक्रय
2. राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान
3. काइन हाउस
4. चारागाह से आय
5. कोर्ट फीस, शुल्क आदि
6. पंचायत अधिनियम के अन्तर्गत विभिन्न करारोपण, साइकिल व गाड़ी कर आदि
7. पचास एकड़ से कम सिंचाई वाले तालाबों की आय
8. तालाबों में मछली पालन से आय
9. मृतक पशुओं की चमड़ी के ठेके से आय
10. मेला, हाट आदि से आय
11. चारागाह विकास एवं गांवाई जंगल से आय
12. पंचायतों को आंवटित कृषि भूमि से आय
13. पानी, पूला आदि के विक्रय से आय

परिशिष्ट-13

(अतारांकित प्रश्न संख्या 26 की सूची)

तहसील बेगू, भाग (4) (भाग–2)

क्र. सं.	शाला का नाम जहां अध्यापक के पद रिक्त हैं	उन ग्रामों का नाम जहां विद्यालय प्रारम्भ नहीं हुए हैं
1	2	3
1.	शिवपुरा	1. भंवर खुर्द
2.	लिरडी	2. घागड मउ खुर्द
3.	अनोपपुरा	3. अनार कलां
4.	ठुकराई	4. शम्भुनाथ जी का खेडा
5.	भंवर खुर्द	5. जालर बावडी
6.	घागड मउखुर्द	6. बगपुरा
7.	अनारकलां	7. लक्ष्मीपुरा
8.	शम्भूनाथ जी का खेडा	8. लिरडी
9.	जालर बावडी	9. अनोपपुरा
10.	बगपुरा	10. ठुकराई
11.	लक्ष्मीपुरा	

परिशिष्ट–14

अतारांकित प्रश्न संख्या 28 की रिपोर्ट

प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट द्वारा वीरेन्द्र सिंह यादव पंचायत प्रसार अधिकारी, विरुद्ध श्री कृष्ण गोपाल चौहान, इटावा बाबत पंचायत में बरती गई अनियमितताओं के सम्बन्ध में :—

1. शिकायतकर्त्ता का नाम :—उप सरपंच प्रेम प्रकाश एवं पंचगण पंचायत इटावा।

2. शिकायत का आशय :—सरपंच द्वारा पंचायत में अनेक अनियमितताएं की जाकर मनमाना कार्य करने के बाबत में।

3. जांचकर्त्ता का नाम :—श्री वीरेन्द्र सिंह यादव, पंचायत प्रसार अधिकारी, कोटा।

जाच प्रक्रिया जो की गई

शिकायत कर्त्ताओं के शिकायत पत्र इस कार्यालय में उपलब्ध होने पर उप जिला विकास अधिकारी कोटा द्वारा पत्र संख्या प।/83/1466 दिनांक 10-8-83 के अनुसार मुझे निम्न हस्ताक्षरकर्ता को प्रारम्भिक जांच हेतु नियुक्त किया गया, जिसकी अनुपालना में दिनांक 21-9-83 को इटावा पंचायत में जांच हेतु गया।

ई एक्स 1 के अनुसार शिकायतकर्त्ताओं के शिकायत के मुद्दों पर प्रकाश डालने व प्रमाण पेश करने हेतु तलब किया तो श्री प्रेमप्रकाश उप सरपंच धनराज, गोपाल व भगवती देवी पंच ने सूचना तलबी पर इत्तला प्राप्ति से मना की और हस्ताक्षर नहीं किये। इसके बाद उक्त शिकायतकर्त्ताओं को पंचायत समिति द्वारा विकास अधिकारी जी इटावा के चपरासी द्वारा पंचायत इटावा में उपस्थित होकर अपने बयान देने हेतु बुलाया गया लेकिन उक्त सदस्यों ने न तो हस्ताक्षर किये और न ही बयान देने हेतु पंचायत में आये (ई एक्स 2) इसके पश्चात् मैंने उपरोक्त पंचों को उक्त शिकायत की जांच हेतु अपने बयान देने हेतु श्री विकास अधिकारी, इटावा को निवेदन किया (ई एक्स 3)।

ई एक्स 4 के द्वारा विकास अधिकारी, इटावा ने शिकायतकर्त्ताओं को अलग-अलग सूचना निकाल कर हस्ताक्षर करवाये व सूचित किये गए। किन्तु उक्त पंच अपने बयान देने हेतु उपस्थित नहीं हुए वरना ई एक्स के अनुसार इस शिकायतकर्त्ताओं में से श्री प्रेम प्रकाश उप सरपंच ने इस आशय का प्रार्थना पत्र विकास अधिकारी इटावा के कार्यालय में प्रस्तुत किया कि अभी उनके पास शिकायती तथ्यों पर प्रकाश डालने योग्य पुष्टी प्रमाण नहीं है इसलिए अन्य तारीख जांच की निश्चित की जावें।

इससे यह स्पष्ट होता है कि उक्त शिकायतकर्ताओं के पास शिकायत का आधार निराधार, झूठा व तथ्यहीन है।

फिर भी शिकायती मुद्दों पर पंचायत के रेकार्ड एवं अन्य पंचों के बयानात के आधार पर जो निष्कर्ष स्पष्ट हुये हैं वे निम्न प्रकार से हैं :—

शिकायती मुद्दा प्रथम:—

श्री राम भरोसे गोतम को पंचा. के प्र. सं. 3 दिनांक 22-1-82 के अनुसार नाकेदार के पद से पृथक पंचा. द्वारा इस पर लगाये गए आरोपों की जांच की गई जिसमें श्री रामभरोसे को दोषी नहीं पाया जाने के कारण इसे पंचा के प्रस्ताव सं. 1 दिनांक 8-5-83 के अनुसार श्री रामभरोसे को पुनः नाकेदार के पद पर 210) रु. मासिक पर 28-5-83 से 27-6-83 तक के लिए नियुक्ति दी जाकर पं. सं. में स्वीकृति हेतु अनुमोदित किया, इसका कार्य सन्तोषप्रद पाने पर अवधि बढ़ाई जा सकेगी, ऐसा उपरोक्त प्रस्ताव में दिया गया है। शिकायतकर्ताओं में से उक्त प्रस्ताव पारित करने में भी श्री नाथूलाल, श्री गोपीलाल, श्री अल्वास अली भी मौजुद थे।

इससे यह स्पष्ट होता है कि शिकायतकर्ताओं ने यह शिकायत बेजा ढंग से तंग करने व बदनाम करने की नियत से की है।

अतः शिकायत का आरोप सं. 1 निराधार है।

शिकायत मुद्दा 2 :—

शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि भू. पू. सरपंच श्री रामप्रसाद पुत्र श्री हरिशंकर इटावा को पंचायत कोष से 2080) रु. औषधालय में चद्दर सीमेंट के लगाने हेतु पेशगी दिनांक 27-10-82 को दिये थे जिसका समायोजन जिस दिनांक को किया गया इस रोज चद्दरों की रेट 175)रु. की दर से नहीं थी।

पंचायत की बैठक दिनांक 27-10-82 के अनुसार श्री रामप्रसाद से 10 चद्दरें सीमेंट प्रति 175)रु से 1750)रु. लिए जाकर दिनांक 8-7-83 से समायोजन किया गया। अब कोई रकम बाकी नहीं है।

अतः आरोप सं. 2 भी निरर्थक व निराधार है।

शिकायत मुद्दा 3 :—

जिन लोगों ने आवासीय भू–खण्ड लेने हेतु सरपंच में अमानत राशि जमा कराई उनको प्लाटस नहीं दिये और न ही अमानत राशि लौटाई गई वरन उसे खर्च कर दिया गया।

शिकायतकर्ताओं ने इसमें यह स्पष्ट नहीं किया कि किन-किन ने अमानत राशि जमा कराई और उन्हें प्लाटस नहीं देने पर भी उन्हें वापिस नहीं लौटाई और वे स्वयं भी उस वक्त उपस्थित नहीं हुये और न ही कोई गवाह उस वक्त जांच हेतु उपस्थित हुआ। सरपंच द्वारा का इस क्रम में कहना है कि जिन-जिन आसामियों से अमानत रकम जमा कराई जाती है उनके सम्बन्धित मिसलों की विक्रय प्रक्रिया पूर्ण होने पर भू–खण्ड की लागत मूल्य में से अमानत राशि का समायोजन कर लिया जाता है,

पंचायत की यह आय निजी आय है जिसे पंचायत द्वारा नियमानुसार बजट बनाकर विधिवत खर्च किया जाता है।

आरोप संख्या 4 :—

शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया कि श्री रामकिशन ठेकेदार को एक कट्टा सीमेंट का पंचायत की ओर से बड़े कुओं की मरम्मत हेतु दिया था जिस पर कोई कार्य नहीं हुआ।

उक्त विषय में जानकारी करने पर पता चला कि एक कट्टा सीमेंट पंचायत ने श्री रामकिशन ठेकेदार को दिया था जिससे बड़े कुए की खेल के बजाय पानी पीने की सीमेंट की टंकियों की मरम्मत कर दी गई—इस कट्टे का हिसाब ठेकेदार से पेमेंट के समय पंचायत द्वारा कर लिया जावेगा। अतः यह आरोप खण्डित होता है एवं मानने योग्य नहीं है।

आरोप संख्या 5 :—

आरोप है कि सरपंच कोई भुगतान बिना कोरम की स्वीकृति के करता है।

इस पर सरपंच का स्पष्टीकरण है कि पंचायत कोरम के बहुमत से ही खर्चों की स्वीकृति विधिवत प्राप्त करती है।

अतः यह आरोप भी असत्य है।

आरोप संख्या 6 :—

ग्रामीण रोजगार योजना के तहत हरिजन बस्ती स्कूल निर्माण ठेके पर कराया गया जबकि अमानी पर पंचायत से कराना चाहिए थी। यह कार्य पंचायत समिति की निगरानी में करवाया जाता है, इसलिये वह जिम्मेदार है, इसका सम्बन्ध पंचायत से नहीं है, आरोप सही व उचित नहीं हैं।

आरोप संख्या 7 :—

पंचायत में खरीदे बल्बों का अनियमित खर्चा है आर. एस. बी. ओ. द्वारा चार्ज रकम के अनुसार पंच. रेकार्ड मेल नहीं खाता है।

ई एक्स 29 के अनुसार पंचा. द्वारा दिनांक 8-1-82 से 25-8-83 तक कुल 1048 बल्ब खरीद किये जिन्हें लट्टों पर लगाने के आर एस. बी. को 0-50 प्रति बल्ब के हिसाब से रु. 555-25 जमा नियमानुसार कराया जाना सिद्ध होता है।

बल्ब टेण्डर के द्वारा ही रसीद के बाबत सरपंच को पाबन्द किया जावें।

आरोप संख्या 8 :—

कन्या उच्च प्रा. शाला में पट्टी टूट जाने पर पंचा. की ओर से 535)रु. खर्चा किया गया जो बिलकुल अनुचित हैं।

पंचायत रेकार्ड एवं सरपंच के बयानों के अनुसार जाहिर होता है कि यह खर्चा कन्या शाला की प्रधान (एच. एम.) की सिफारिश के अनुसार ही किया गया है वक्त जांच स्वयं जांच कर्त्ता मय जे. ई. एन. और सरपंच के साथ मौके पर जाकर एच. एम. से पूर्ण जानकारी की एवं जे. ई. एन. से उक्त कार्य का मूल्यांकन रिपोर्ट आने पर उसके अनुसार आगामी कार्यवाही अपेक्षित हैं।

आरोप संख्या 9 :—

कच्ची Drams में ठेकेदारी के बजाय सरपंच ने अपने द्वारा कार्य कराया हैं अनेक अनियमितताएँ की गई हैं पैमेंट सही नहीं किया गया है।

पंचायत रेकार्ड व ई एक्स 32 से 46 के अनुसार इनका विधिवत तखमीना बनाया जाकर ठेकेदारों के मार्फत ही कार्य करवाया है तथा भुगतान भी ई एक्स 32 से 46 के अनुसार ही उचित किया गया है।

यह आरोप निराधार व बेबुनियाद हैं।

आरोप संख्या 10 :—

ख. न. 809 पंचायत की आबादी जमीन नहीं हैं फिर भी ग्राम के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को वेचा जा रहा है।

पंचायत रेकार्ड के अनुसार उक्त सं. नं. रकवा पंचायत को आबादी में मिल चुका है, तथा इसमें भूखण्डों का बेचान पंचायत द्वारा विधिवत किया हैं।

आरोप संख्या 11 :—

कोटा रोड के केरियर व प्याऊ में घटिया सामग्री होने से समय से पूर्व टूट फूट हो गई है।

इस आरोप के सम्बन्ध में सरपंच का यह कथन है कि ठेकेदार को जे. ई. एन. की रिपोर्ट के अनुसार ही पैमेंट किया गया है। ई एक्स 38 कैरियर ट्रक की टक्कर से

टूट गया फिर भी ठेकेदार को मरम्मत करने का नोटिस दिया जा चुका है। प्याऊ की टूट-फूट जो मामूली हुई है ठेकेदार ने पुनः मरम्मत करके ठीक कर दी है।

जांच का निष्कर्ष

1. क्र. सं. 1 से 12 तक के आरोपों में से एक भी आरोप सरपंच के विरुद्ध सिद्ध नहीं होता है।

2. मुख्य शिकायतकर्ता तीन बार सूचना करने वक्त जांच उपस्थित नहीं होने से यह स्पष्ट होता है कि यह लोग (पंच) सरपंच को अनुचित ढंग से परेशान करके कोई लाभ लेना चाहते हैं या दबाव रखना चाहते हैं अपना मनमाना कार्य करवाना चाहते हैं।

अतः शिकायत बेबुनियाद व आधारहीन है।

ह०/-

(वीरेन्द्र सिंह)

परिशिष्ट–15

(अतारांकित प्रश्न सं. 32 की सूची)

क्र. सं.	नाम जिसके खिलाफ कार्यवाही की गई	कार्यवाही कब की गई	क्या 2 कार्यवाही की गई
1	2	3	
1.	दिनेश चन्द्र मेठी, उ. मू. दु. न.7 अलवर।	4-5-82	इस्तगासा दर्ज कराया गया
2,	मै. प्रेम बुक डिपो, मन्त्री का बड़, अलवर।	19-1-83	,, ,,
3.	मै. रामप्रसाद गणेश कुमार, पुराना कटला, अलवर।	19-1-83	,, ,,
4.	मै. धर्मचन्द्र दिनेशचन्द्र, केड़लगंज अलवर।	19-1-83	,, ,,
5.	मै. अग्रवाल आयल कम्पनी, रामगढ़, अलवर।	19-1-83	,, ,,
6.	दिनेशचन्द्र मेठी	31-12-83	,, ,,
7.	मै. खण्डेलवाल ब्रादर्स, धानमंडी	31-12-83	,, ,,
8.	मै. अग्रवाल आयल कं., रामगढ़	2-1-84	,, ,,
9.	हिम्मत मेल/कटोली	2-1-84	,, ,,
10.	रोशन मेल/कटोली	2-1-84	,, ,,
11.	सुल्तान मेल/कटोली	2-1-84	,, ,,
12.	मै. जगदम्बा डीजल सर्विस नगर का तिराया।	2-1-84	,, ,,
13.	भवानी राम सोसायटी बाजार, अलवर।	2-1-84	,, ,,
14.	नारायणलाल बसें स राजगढ़	2-1-84	,, ,,
15.	कान्याराम, राजगढ़	2-1-84	,, ,,

1	2	3	4
16.	रूपनारायण, लक्ष्मणगढ़	2-1-84	इस्तगासा दर्ज कराया गया
17.	नारायणलाल हलवाई, माला-खेड़ा बाजार, अलवर ।	2-1-84	,, ,,
18.	रामजीलाल वर्सेस माला-खेड़ा बाजार, अलवर ।	2-1-84	,, ,,
19.	रामजीलाल शर्मा, हलवाई, मै. ब्रह्मचारी, अलवर ।	2-1-84	,, ,,
20.	विशम्भर दयाल खण्डेलवाल, सिविल लाइन, अलवर ।	29-10-83	एफ. आई. आर. दर्ज
21.	मै. गोयल सन्स, केरोसिन डीलर केडलगंज, अलवर ।	20-1-84	,, ,,
22.	गुहलाराम चीनी डीलसंर प्रागपुरा (राजगढ़)	28-1-84	,, ,,
23.	मै. अलवर सह. उपभोक्ता भंडार नं. 11, अलवर ।	20-2-84	,, ,,
24.	मै. विजय फूड प्रोडक्ट्स, भिटण्डी	22-2-84	एफ. आई. आर. दर्ज
25.	मै. मेघराज ग्राम रातेड़, बाड़मेर	18-7-84	इस्तगासा पेश किया ।
26.	मै. रिखब दास मांगीलाल, ग्राम फोगेरा, बाड़मेर	12-8-82	,, ,,
27.	मै. घनश्याम दास माहेश्वरी, नि. गडरा रोड बाड़मेर	2-9-82	,, ,,
28.	हसन भाई ट्रक ड्राइवर, नि. गडरारोड़ बाड़मेर ।	2-9-82	,, ,,
29.	मै. पिताम्बर दास कं.	2-9-82	,, ,,

1	2	3	4
30.	नवाब खां	2-9-82	एफ. आई. आर. दर्ज
31.	श्रीरामनाथ निवासी टांगली, जिला नागौर ।	4-6-83	इस्तगासा पेश किया
32.	मै. संजय ट्रेडिंग कं. जयपुर, भरतपुर ।		न्यायालय में विचाराधीन
33.	मै. मदनलाल महावीर कुमार, शाहपुरा ।		" "
34.	मै. रेमल दास राजू मल, पिपलवास	8-3-83	इस्तगासा दर्ज किया
35.	राजस्थान जनरल स्टोर, मेंगलवाड़ा चौराहा ।	8-3-83	" "
36.	अन्जूमल बोहरा, प्रतापगढ़	8-3-83	" "
37.	मांगीलाल कुमावत, प्रतापगढ़	8-3-83	" "
38.	रतनलाल एण्ड कं., सांवा	8-3-83	" "
39.	राजमल दीम, निकुम	8-3-83	" "
40.	मदनलाल किराना मर्चेन्ट, चन्देरिया	12-1-83	" "
41.	बसन्तीलाल मूलचन्द, कथारिया	2-3-83	एफ. आई. आर. दर्ज
42.	एफ. पी. एस., कपासन	–	माल रिलीज किया
43.	रमेश चन्द्र शंकरलाल, मराडिया	–	जब्त कर राशि जमा कराई
44.	शर्मा रोड कैरियर व गोविन्द एजेंसी जयपुर ।	–	सीमेन्ट जब्त की, खाद्य विभाग से स्थगन आदेश
44.	ज्ञान मोहम्मद, बड़ी सादड़ी	3-7-73	एफ. आई. आर. दर्ज
45.	शंकर गोल्डन ट्रान्सपोर्ट, चंदेरिया	–	स्थगन आदेश है।
46.	मिठ्ठू लाल चंडालिया, कपासन	–	कार्यवाही जारी है।
47.	मदनलाल नन्दलाल, भरनोद	–	कार्यवाही जारी है।
48.	गायत्री स्टेशनर्स, चित्तौड़गढ़	–	इस्तगासा पेश किया।
49.	अमृत लाल मूल चन्द, निकुम	–	माल जब्त, कार्यवाही जारी
50.	भंवरलाल हरनारायण, मंत्री, कन्नोज	–	" "

1	2		3	4
51.	भंवरलाल हुरतनारायण	–	माल जब्त कार्यवाही जारी	
52.	शम्भूलाल छगनलाल, पाल	–	,,	,,
53.	जगदीशचन्द कोठारी, प्रतापगढ़	–	एफ. आई. आर. दर्ज	
54.	जगदीश चन्द कोठारी, प्रतापगढ	28-2-84	इस्तगासा पेश	
55.	मै. हरीश चन्द (भरतपुर)	9-2-83	एफ. आई. आर. दर्ज	
56.	मै. हरकी एवं रघुवीर, भरतपुर	23-5-83	एफ. आई. आर. दर्ज	
57.	मै. मोहम्मद हुसैन, उ. मू. दु., चूरू	–	माल जब्त किया।	
58.	मै. पेमाराम सरपंच, दुलचासर	–	,,	,,
59.	श्री आसकरण नाहेती, श्री डूगरगढ़	–	,,	,,
60.	श्री सत्यनारायण पारीक, बूचावास	–	,,	,,
61.	मै. कन्जाराम किस्तूर चन्द, सरदारशहर	–	,,	,,
62.	श्री विनोद कुमार, रंघीसर	–	,,	,,
63.	श्री भंवर लाल पारीक, रिड्डी	–	,,	,,
64.	श्री राजकुमार रामवतार, चूरू	–	,,	,,
65.	मै. बिशनदास सावरमल, सरदारशहर	–	,,	,,
66.	मै. जगदीश प्रसाद	–	,,	,,
67.	मै. शकरलाल मेघराज, घीरवास	–	,,	,,
68.	मै. विजेन्द्रपाल सिंह	–	,,	,,
69.	श्री रामेश्वर लाल बालचन्द	–	,,	,,
70.	श्री राजेन्द्रसिंह	–	,,	,,
71.	श्री प्रेमनारायण	–	,,	,,
72.	श्री हरवंश लाल जसेडी	–	,,	,,
73.	श्री जीवन खां	–	,,	,,
74.	रामलाल मंगतीराम, जालोर	4-5-82	,,	,,
75.	मोतीलाल हेमराज, महेश्वरी भीनमाल	29-4-82	,,	,,
76.	लोटनसिंह सरताजी, जालोर	15-5-82	सेशन कोर्ट से स्टे आर्डर प्राप्त	
77.	धन्नाराम भारता जी, जालोर	24-2-82	कोर्ट में पेन्डिंग है।	
78.	दीनाराम हीराजी, जालोर	28-3-82	,,	,,
79.	सुमेरमल केवल चन्द्र, सांचौर	25-7-82	माल पार्टी को लौटाया	
80.	धीरवीर हसेन हाजी, इब्राहिम, सांचौर	26-7-82	,,	,,

1	2	3	4
81.	कमल किशोर बन्सल, जालोर	10-8-82	माल पार्टी को लौटाया
82.	सोहनसिंह, निर्मयसिंह, जालोर	7 11-82	एफ. आई. आर. दर्ज
83.	मोजूसिंह जेठूसिंह, जालोर	7-11-82	" "
84.	कैवलसिंह ईश्वरसिंह, जालोर	8-11-82	" "
85.	बाबूलाल मिश्रीलाल, जालोर	1-11-82	गवाह पर छोड़ा गया
86.	बाबूलाल मानमल, जालोर	1-4-83	विशेष न्यायालय में विचाराधीन
87.	बाबूलाल मांगीलाल, जालोर	2-4-83	विशेष न्यायालय में विचाराधीन
88.	डूंगरमल लादूराम, जालोर	18-1-82	" "
89.	सोताराम छोता जी, माली, जालोर	4-5-83	" "
90.	दोलत सी मदन सी, मोदी, जालोर	21-2-83	" "
91.	भजन सिंह वगैरहा, जालोर	25-4-83	" "
92.	जीवाराम पूमाजी, पाठटा, जालोर	24-10-75	जिलाधीश, जालोर में विचाराधीन है।
93.	सुमेर मल चम्पालाल, जालोर	13-7-83	एफ. आई. आर दर्ज
94.	उम्र चन्द अशोक कुमार, जालोर	17-9-83	" "
95.	त्रिलोक चन्द कालूराम, अग्रवाल, जालोर	24-10-83	जिलाधीश कार्यालय में विचाराधीन
96.	हीराचन्द सुगाल चन्द, जालोर	10-1-84	" "
97.	बाबूलाल टीलचन्द, जालोर	25-12-83	" "
98.	सुमेर मल चम्पालाल	5-9-83	" "
99.	रतनसिंह वगैरहा, झुन्झुनू	—	जिलाधीश न्यायालय में जेरकार है।
100	पुरुषोत्तम वगैरहा, झुन्झुनू	—	" "
101	मै. आनन्द किराना स्टोर, विज्ञान नगर, कोटा।	26-6-53	एफ. आई. आर. दर्ज हुई। विशेष न्यायाधीश, जयपुर में विचाराधीन है।
102	ओम ट्रेडर्स, निवाई, तहसील अटरू, कोटा	15-12-85	6 ए के तहत कानूनी कार्यवाही की गई।
103	मै. किसान फिलिंग स्टेशन, जायल, नागौर।	23-9-82	विशेष न्यायाधीश मेडता अदालत में मामला जेरकार है।

1	2	3	4
104.	मै. हाजी सुलेमान अलाप, नागौर	22-8-83	विशेष न्यायाधीश मेड़ता की अदालत में मामला पैन्डिंग है।
105.	मै. धनराज अम्बालाल, नागौर	16-9-83	,, ,,
106.	मै. प्रीतम चन्द्र दिनेश चन्द्र मेडता, नागौर।	—	,, ,,
107.	मै. नेमीचन्द एण्ड कम्पनी, नागौर।	20-1-84	जिलाधीश की अदालत में पैन्डिग
108.	मै. नेमीचन्द एण्ड ब्रादर्स, नागौर	20-1-84	,, ,,
109.	मै. सुरेशचन्द्र हरेतीलाल, तिमावा, स. साधोपुर।	4-6-82	न्यायालय में इस्तगासा पेश किया गया।
110.	मै. बाबूलाल सतीश चन्द अग्रवाल सवाई माधोपुर।	26-6-82	न्यायालय में इस्तगासा पेश किया गया।
111.	मै. कल्याण सहाय भगवान सहाय हिण्डौन, स. माधोपुर।	20-8-82	न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन है।
112.	मै. नन्द किशोर नरेश कुमार, मण्डावा, स. माधोपुर।	23-10-82	न्यायालय में कार्यवाही हेतु अनुसंधान जारी है।
113.	मै. वृन्दावन लाल विश्वास कुमार खण्डार, स. माधोपुर।	29-6-82	न्यायालय में इस्तगासा पेश किया गया।
114.	मै. हरि प्रसाद रघुनन्दन राधेश्याम ग्राम कोसरा तह. खंडार, स. माधोपुर।	8-6-83	एफ. आई. आर. दर्ज की कार्यवाही जारी है।
115.	मै. मुरारी लाल इन्यायति, तहसील सपोटरा, स. माधोपुर।	5-6-83	एफ. आई. आर. दर्ज कराई जा चुकी है।
116.	मै. रामसहाय प्रेम कुमार, स. माधोपुर	15-9-83	न्यायायिक कार्यवाही हेतु अनुसंधान जारी है।
117.	भारत ओटोमोबाइले, दांता, जि. सीकर	16-4-82	6 ए के तहत कार्यवाही जारी है।
118.	शंकर लाल महाजन, नि. चेक, गोपीनाथ पुरा, सीकर।	24-4-82	,, ,,

1	2	3	4
119.	रामगोपाल केशरदेव, सीकर	14-6-82	6ए के तहत कार्यवाही जारी है।
120.	संखा सुरजा, कुम्हार, सीकर	14-6-82	" "
121.	ग्राम सेवा सहकारी समिति दयाल का नागल सी.	12-4-82	" "
122.	रामकृपाल काशी प्रसाद, सीकर	15-10-82	" "
123.	भागीरथ रामलाल, छालावाली ढाणी सीकर।	28-8-82	" "
124.	ग्राम सेवा सहकारी समिति, लक्ष्मणपुरा, सीकर।		" "
125.	रामौतार अशोककुमार, सीकर	7-6-83	" "
126.	राजकुमार एण्ड ब्रादर्स, सीकर	15-3-83	" "
157.	गोयल टिम्बर ट्रेडिंग कं., सीकर	30-7-85	" "
128.	एन. ए. आर्य एण्ड क., श्री माधोपुर, सीकर	16-9-83	" "
129.	रामेश्वर लाल अ. वि. मठोठ, सीकर।	7-10-83	" "
130.	नाथूलाल रामस्वरूप, लोहे के व्यापारी, सीकर	7-12-83	6ए के तहत कार्यवाही जारी है।
131.	गिर्राज मल द्वारका दास, टोंक	12-5-82	विभागीय कार्यवाही की गई।
132.	राधेश्याम ब्राह्मण, नि. मण्डावर, टोंक	15-5-82	" "
133.	लावारिस 4 बोरी चीनी, टोंक	13-5-82	जिलाधीश के यहां कार्यवाही विचाराधीन
134.	फूलचन्द बच्छराज, बोटून्दा, टोंक	6-5-83	6ए के अन्तर्गत कार्यवाही विचाराधीन तथा न्यायालय में चालान प्रस्तुत कर दिया गया।
135.	त्रिलोक चन्द नृसिंहलाल, उनियारा	14-7-83	एफ. आई आर. दर्ज करादी गई तथा 6ए के तहत कार्यवाही विचाराधीन है।
136.	मै. जयमाता फ्लोर मिल, जयपुर	17-1-82	7-3-83 को जिलाधीश द्वारा मामल. ड्रप।

1	2	3	4
137.	मै. नवल किशोर पुत्र श्री किशनलाल यादव, जयपुर।	19-5-84	9-8-83 को खाद्य विभाग द्वारा ड्राप।
138.	मै. किशोर एण्ड कं., जयपुर।	23-5-82	6ए के तहत विचाराधीन
139.	गणपत लाल भैरूमल, जयपुर	4-5-82	" "
140.	मै. रामेश्वर लाल रामरतन, जयपुर	22-5-82	" "
141.	मै. शिव सहाय कुमावत, जयपुर	22-5-82	" "
142.	मै. राधामोहन एण्ड कं., जयपुर	31-3-83	" "
143.	मै. प्रहलाद नारायण माधोबिहारी, जयपुर।	31-3-83	" "
144.	मै. अर्जुन लाल पुत्र हरकचन्द जाट	8-6-83	" "
145.	मै. बंशीधर ओमप्रकाश, जयपुर	13-12-83	दिनांक 14-2-84 को जिलाधीश द्वारा छोड़ा गया।

परिशिष्ट-16

(अतारांकित प्रश्न संख्या 33 की सूची)

नाम माह	चीनी का आवंटन (बोरी में)
जनवरी, 83	6
फरवरी, 83	6
मार्च, 83	6
अप्रेल, 83	6
मई, 83	6
जून, 73	6
जुलाई, 83	6
अगस्त, 83	6
सितम्बर, 83	14
अक्टूबर, 83	7
नवम्बर एवं दिसम्बर, 83	12
जनवरी, 84	6
योग :-	87 बोरी

———